



सस्ता साहित्य मंडल : सर्वोदय साहित्य माला  
पिचान्बेवा प्रय ,

---



# हिन्दुस्तान की समस्यायें

लेखक  
पण्डित जवाहरलाल नेहरू



## दो शब्द

इस किताब में 'हिन्दुस्तान की समस्याओं' पर मेरे पुराने और कुछ हाल के नये लेख जमा किये गये हैं। ये लेख मैंने पिछले तीन वर्षों में अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी में लिखे थे। इन तीन वर्षों में जमाना बदल गया और इस समय हमारे सामने नये-नये पेचोदा मवाल हैं। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि इसके पुराने लेख आज की हालत में वहाँतक मौजू होंगे। पर आजकल के प्रश्नों की जड़ हमारे पिछले कामों में होनी है। इसलिए मेरा खयाल है कि शायद इसमें के पुराने लेख भी हमारी नई समस्या पर रोशनी डालें।

दुनिया का या हिन्दुस्तान का भविष्य क्या होगा, यह कोई नहीं कह सकता। हर तरफ लड़ाई, क्रांति और हलचल हो रही है और सिर्फ एक बात मही मालूम होती है कि पुरानी दुनिया का अंत हम देख रहे हैं। नई दुनिया अभी पैदा नहीं हुई और हम बीच में टगे हैं और बीच की मुसीबतें सब झेलते हैं। यह नई दुनिया अपने आप में नहीं बन जावेगी। वह करोड़ों आदमियों के परिश्रम, बलिदान और कोशिश में ही बन सकती है। लेकिन मेहनत तो तब ही फल देती है जब सामने कोई ध्येय हो और जिस रास्ते पर चलना है, वह निश्चय हो। वगैर इसके जनता भूली-भटकी फिरती है।

इसलिए काँग्रेस की ओर में ब्रिटेनियन की हुकूमत में मवाल किये गये कि वह किम लिए जर्मनी में लड़ाई लड़ रही है, उसका ध्येय क्या है, वह हिन्दुस्तान की आजादी को नसलूम करती है कि नहीं? इन प्रश्नों

का जवाब उन्होंने देने में इन्कार किया, या गोलमाल दिया। इसी ने जाहिर होता है कि उनकी पुरानी साम्राज्यवादी नीति जारी है और वे आजादी के लिए नहीं लड़ते। उनकी लड़ाई अपने साम्राज्य को कायम करने के लिए है। इससे हमने असहयोग किया।

इस तरह के सवाल हमको अपने से भी करने हैं। हमारा ध्येय क्या है? स्वराज है, या आजादी है, यह तो ठीक है। लेकिन कौसा स्वराज? अब गोल गद्दों का समय जाता रहा। हम कौसा राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं? हमको ये सब बातें अपने दिमाग में साफ करनी हैं। जब विचार साफ होते हैं तब ही हमारा कार्य ठीक चल सकता है।

आनंद भवन, इलाहाबाद,

१७ नवंबर १९३९

अबाल लाल नेहरू

## दूसरे संस्करण का वक्तव्य

हमें खुशी है कि प्रथम पुस्तक का पहला संस्करण पांच-छह महीनों के भीतर ही समाप्त हो गया। इन द्वितीय संस्करण में नवम्बर १९३९ ई० में अथवा के लिए गए पंडितजी के मात लेन और भाषण और जोड़ दिए गए हैं। लेकिन मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई।

हमें आशा है कि उदात्त पाठक पहले संस्करण की भांति इसे भी प्रशंसायेंगे।

—प्रकाशक


## विषय-सूची

१. 'भारत माना की जय'	—३
२. हिन्दुस्तान की समस्याएँ	—६
३. दुनिया की हलचलें और हिन्दुस्तान	—२७
४. आजादी के लिए हिन्दुस्तान की हलचल	—३६
५. राष्ट्रीय-मंचायत और साम्प्रदायिकता	—४४
६. फेडरेशन	—५३
७. साम्प्रदायिक निर्णय	—६०
८. पद-ग्रहण का निर्णय	—६३
९. ब्रिटेन और हिन्दुस्तान	—६६
१०. विचार्यो और राजनीति	—८०
११. फ़ामिज्म और साम्राज्य	—८६
१२. फ़ामिज्म और कम्यूनिज्म	—९०
१३. कांग्रेस और समाजवाद	—९२
१४. समाजवादियों से	—१०४
१५. किसान-मजदूर समस्याएँ और कांग्रेस	—१०५
१६. कांग्रेस और मुसलमान	—११६
१७. मजदूर और कांग्रेस	—१२२
१८. सरकार की सरहदी-नीति	—१२५
१९. उचित दृष्टिकोण	—१३४
२०. देशी राज्य	—१४९
२१. देशी राज्यों में अधिकारो की लड़ाई	—१५१



२२. नरेज और फ्रेडरेसन	— १६०
२३. हिन्दू महानभा और साम्प्रदायिकता	— १६२
२४. दो मस्जिदें	— १६४
२५. नागरिकता का आदर्श	— १६२
२६. मिथ्याचार	— १७५
२७. जेलखाने की बातें	— १८०
२८. साहित्य का भविष्य	— २००
२९. हिन्दी और उर्दू का मेल	— २०५
३०. साहित्य की बुनियाद	— २१३
३१. स्नानिकार्यें क्या करें ?	— २१६
३२. हिन्दुस्तान और वर्तमान महायुद्ध	— २२२
३३. कांग्रेस का भविष्य	— २२५
३४. कांग्रेस और वर्तमान महायुद्ध	— २२९
३५. किन रास्ते और किन माधनों ने	— २२७
३६. रिमानों का गंगठन	— २४४
३७. बड़े और घरेलू उद्योग	— २४८
३८. नर्तकों का महत्त्व	— २५२
३९. विद्या का श्रेय	— २५६
४०. अंगवारी की आजारी	— २६३
४१. हमारी भोज्या नमस्कार्यें	— २६७

# हिन्दुस्तान की समस्यायें



## ‘भारतमाता की जय’

सभा और जुलूसों के मारे हम दिनभर बेहद परेशान रहे। अम्बाला से चलकर हम करनाल पहुँचे। वहाँसे पानीपत, फिर सोनीपत और अन्त में रोहतक। खूब जोश और भीड़-भाड़ रही और आखिरकार पंजाब का दौरा खत्म हुआ। एक शान्ति की भावना मेरे भीतर उठी। कितना बौझ सिर पर था और कितनी थकान थी! अब तो ऐसे लम्बे आराम की जरूरत थी जिसमें जल्दी ही कोई बिघन-बाधा आकर न पड़े।

रात होगई थी। हम तेजी से रोहतक-दिल्ली रोड की ओर बढ़े, क्योंकि उसी रात को हमें दिल्ली पहुँचकर गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह घेर रही थी। यकायक हमें हकना पडा, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़-की-भीड़ बँठी थी। कुछेक के हाथों में मशालें थीं। वे आगे बढ़कर हमारे पास आये और जब उन्हें सतोप होगया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे बहा बैठे-बैठे इतजार कर रहे हैं। वे सब हूँट-पुँट जाट थे। उनमें ज्यादातर छोटे-मोटे जमींदार थे। उनमें बिना थोड़ी-बहुत बातचीत किये आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। हम बाहर आये और रात के धुधलेपन में हजारों या इससे भी ज्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गये।

उनमें से एक चिल्लाया, ‘क़ौमी नारा!’ और हजारों गलों ने मिलकर जोश के साथ तीन बार चिल्लाकर कहा—‘बन्देमातरम!’ और फिर उन्होंने ‘भारतमाता की जय’ के नारे लगाये।

‘यह सब ‘बन्देमातरम’ और ‘भारतमाता की जय’ किस लिए है?’ मैंने पूछा।

कोई उत्तर नहीं। पहले उन्होंने मुझे घूरकर देखा और फिर एक-

दुमरे का मुँह ताकने लगे । दिमाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे हैं । मैंने नयाल दोहराया—“बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है ?” फिर भी कोई जवाब नहीं मिला । उस जगह के इंसानों का प्रेस-कार्यकर्ता कुछ सिद्ध-से हो रहे थे । उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहीं; लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया ।

“यह माता कौन है, जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसकी जय के नारे लगाए हैं ?” मैंने फिर सवाल किया । वे फिर चुप और परेशान-से हो रहे । ऐसे अजीब सवाल उनमें कभी नहीं किये गये थे । सत्त्व भाव ने उन्होंने सब बातों को मान लिया था । जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था, वे नारे लगा देते थे । उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की । कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा तो वे उग्र होने कर सकते थे । वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे ? बस, नारा अच्छा होना चाहिए । इनमें उन्हें खुशी होती थी और शायद इसने उनके प्रतिद्वन्दियों को कुछ डर भी होता था ।

जब भी मैंने सवाल करना बन्द नहीं किया । तब बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा, कि ‘माता’ माता का मतलब ‘धरती’ से है । उस बेचारे दिमाग का दिमाग धरती की ओर ही गया, जो उसकी मछली माँ है, भया करने और चाहनेवाली है ।

“कौनसी धरती ?” मैंने फिर पूछा, “क्या आपके गाँव की धरती, या पंजाब की, या समस्त दुनिया की ?” इस पनीया सवाल में वे और परेशान हुए । तब बटुमने लोगों ने निलकाकर कहा, कि उन सब का मतलब आप ही समझिए । हम कुछ भी नहीं जानते और नारी बातें समझना चाहते हैं ।

मैंने उन्हें बताया कि भ्रान्त क्या है । फिर तब वह उत्तर में बरभर और दिमाग में केदार दक्षिण में क्या तक फैला हुआ है । उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल हैं । इन महादीप में

उनके जैसे करोड़ों किमान हैं जिनको उन जैसी ही समस्याएँ हैं, उन्हींकी-सी मुश्किलें और बीज, वैसे ही कुचलनेवाली गरीबी और आफतें हैं। यही महादेश हिन्दुस्तान उन सबके लिए ‘भारतमाता’ है। जो उममें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। भारतमाता कोई मुन्दर और बेबस असहाय नारी नहीं है—जिसके धरती तक लटकनेवाले लम्बे-लम्बे बाल हों, जैसा अकबर कल्पित तस्वीरो में दिखलाया जाता है।

‘भारतमाता की जय!’ यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कहीं भी नहीं है। तब क्या यह जय हिन्दुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है?

“नहीं,” उन्होंने जवाब दिया। लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे न दे सके।

“निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं—उन करोड़ों आदिमियों की जो उसके गाँवों और नगरों में बसते हैं।” मैंने उन्हें बताया। इस जवाब ने उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक भी है।

‘ये आदमी कौन हैं? निश्चय ही आप और आपके भाई। इसलिए जब आप ‘भारतमाता की जय’ बोलते हैं, तो वह अपने और हिन्दुस्तान-भर के अपने भाई-बहनों की ही जय बोलते हैं। याद रखिए, भारतमाता आप ही हैं और यह आप अपनी ही जय बोलते हैं।’

ध्यान में उन्होंने मुना। प्रकाश की उज्ज्वल रेखा उनके भोले-भाले चेहरों पर उदय होती हुई दिखाई दी। यह ज्ञान उनके लिए एक विचित्र था कि वह नारा, जिसे वे इनने दिनों से लगा रहे हैं, उन्हींके लिए था। हाँ, रोहतक जिले के गाँव के उन्हीं बेचारे जाट-किमानों के लिए। यह उन्हींकी जय थी। तब आइए, तब एक बार फिर मिलकर पुकारें—

‘भारतमाता की जय!’

तब हम अन्धकार में दिल्ली की ओर बढ़े। रेल मिली और उसके बाद सूब आराम भी।

१६ सितंबर १९३६



क्रायम हों; लेकिन इसका मतलब है—‘आजादी’ शब्द खाम तोर से इसी बान पर जोर देने के लिए इस्तमाल किया गया है—कि हम ब्रिटेन से साम्राज्यवादी सम्बन्ध तोड़ देना चाहते हैं। अगर साम्राज्यवाद इंग्लैंड में रहता है तो हमें जरूर ही उससे अलग होजाना चाहिए; क्योंकि जबतक इंग्लैंड में साम्राज्यवाद है, तबतक इंग्लैंड और हिन्दुस्तान में अगर किसी सम्बन्ध की संभावना हो सकती हो तो वह किसी-न-किसी रूप में सिर्फ साम्राज्यवादी शासन की ही होगी। वह सम्बन्ध चाहे दिनोदिन हवाई ही होता जाय, चाहे वह जितना स्पष्ट है, उससे और कम स्पष्ट होजाय, चाहे वह राजनैतिक पहलू पर भी स्पष्ट न हो और फिर भी चाहे उसका आर्थिक पहलू बहुत भजबूत हो। इसलिए साम्राज्यवादी ब्रिटेन की परिभाषा में आजादी का मतलब हिन्दुस्तान का इंग्लैंड से अलहदा होजाना है। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो मोच सकता हूँ और इस विचार का स्वागत भी करूँ कि इंग्लैंड और हिन्दुस्तान के बीच सम्बन्ध रहें, लेकिन उसकी बुनियाद साम्राज्य न होकर और कुछ हो।

दूसरा सवाल है—

“क्या आप बीच में एक परिवर्तनकाल की जरूरत देखते हैं? यदि हाँ, तो क्या भारतीय शासन-विधान से किसी तरह वह जरूरत पूरी होनी है? अगर नहीं, तो दूसरे उपाय क्या करने चाहिए?”

जब कभी कोई परिवर्तन होता है, तो लाजिमीतौर पर बीच की चीजें बदल जाती हैं; लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सरकार का ढांचा कुछ-कुछ स्थिर होजाता है और जल्दी-जल्दी नहीं बदलता। आर्थिक और दूसरे परिवर्तन तो होते ही रहते हैं; क्योंकि वे कानूनों और नियमों के लिए सकते नहीं हैं। वे बदलने रहते हैं, लेकिन सरकार का ढांचा नहीं बदलता। नतीजा यह होता है कि कभी-कभी खास हालतों में ऐसी हलचलें मच जाती हैं, जो सरकार के ढांचे को जबरदस्ती बदल देती हैं। उन्हें श्रान्ति कहते हैं। लेकिन उस हालत में भी परिवर्तन-काल होता है। मैं समझता हूँ कि इस सवाल से आपका मतलब बीच के काल



की वनिस्वन सरकार के ढांचे से अधिक है। इसलिए उसका जवाब देना मुश्किल है; क्योंकि वह बहुत-सी बातों पर मुनहसिर होता है। वह कुछ तो हमारे मुनहसिर है और ज्यादातर ब्रिटिश-सरकार पर तथा बहुत-सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बातों पर। यह स्पष्ट है कि अगर ब्रिटेन और हिन्दुस्तानियों के बीच आपसी समझौता हो तो लाजिमी तौर पर उन मतभेदों के पूरे होने की क्रिया में धीरे-धीरे बहुत-से परिवर्तन के न्याय आर्येंगे। चाहे वक्त उसमें लगे, लेकिन उस क्रिया में कुछ घटनाएँ जरूर ही होंगी। यकायक ही कोई एकदम बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता। दूसरी तरफ, अगर आपसी समझौते से परिवर्तन की सम्भावना नहीं होती तो हलचलें मचने का मौक़ा रहता है और यह कहना मुश्किल है कि हलचल का नतीजा क्या होगा। यह तो हलचलों के परिमाण और आर्थिक कारणों पर, जो हलचल पैदा करते हैं, निर्भर होता है। इससे कुछ भी हो सकता है; क्योंकि मैं देखता हूँ कि हिन्दुस्तान की असली समस्या, अपने भिन्न-भिन्न पक्षों में, आर्थिक है। उस समस्या तो धरती की समस्या है। वेद वेकारी फैली है, और धरती पर भार ज़रूरत से कहीं ज्यादा है। उसमें मध्यम-औद्योगिक समस्या है; क्योंकि अगर कोई धरती की समस्या पर विचार करना चाहता है तो उसे औद्योगिक संचाल पर ज़रूर विचार करना होगा। और भी बहुत-सी समस्याएँ हैं, जैसे मध्यम वर्गियों की बेकारी। उन सबकी एकताय हाथ में लेना होगा, जिससे वे एक-दूसरे से भेद ना जायें और अलग-अलग न रहें।

इन सब समस्याओं को एकसाथ मुल्जाने के बहुत-से कारण हैं; लेकिन प्रमूख कारण यह है कि सालों हलचल के ठीक न होने से जनता की हलचल दिनोंदिन गिरती ही जा रही है। राजनैतिक दलों को ऊपर से चढ़क देने से ही वे नहीं मुल्जेंगे। राजनैतिक आकार तो ऐसा भी ही सकता है जो उन समस्याओं को मुल्जाने में सहायता से राजनैतिक आकार की कमीयें पड़े हैं, कि वह उन समस्याओं को मुल्जाने और इनका हल निकालने में आगामी पेश करना है या नहीं ?

इसलिए बीच के काल के बारे में मुझे शक है कहा जा सकता

है कि ऐमा एक बीच का जमाना जरूर होता है और इस वक्त हम उसी जमाने में होकर गुजर रहे हैं। लेकिन यह तो भविष्य ही बतला सकता है कि तरबकी व्यवस्था के जरिये होगी, या आपस के समझौते में; धीरे-धीरे या तेजी में।

हिन्दुस्तान में कांग्रेस और कुछ उसके बाहर के दलों ने सलाह दी है कि इस समस्या के राजनैतिक पहलू के सुलझाने का ठीक और प्रजा-तन्त्रीय तरीका यह है कि एक राष्ट्रीय पंचायत (कांस्टीट्यूएण्ट असेम्बली) हो। यानी, बुनियादी तरीके से हिन्दुस्तानी ही हिन्दुस्तान का विधान बनावे। वे इस बात को नहीं मानते कि हिन्दुस्तानी विदेशी हुकूमत के, जहाँतक विधान बनाने का सम्बन्ध है, सिर्फ मुंह देखनेवाले एजेंट भर रहें। हिन्दुस्तानियों की इच्छा की मूर्त रूप देने का तरीका सिर्फ यह है कि एक राष्ट्रीय पंचायत बनाई जाय। आज यह बात मुमकिन नहीं है, सिर्फ इमीलिए कि यह व्यवहार में नहीं आसकती जबतक कि ब्रिटिश-सरकार हिन्दुस्तान में अपनी हुकूमत का खात्मा नहीं कर देती और हिन्दुस्तानियों को ही अपना विधान बनाने के लिए आजादी नहीं दे देती। ब्रिटिश-सरकार ऐसा करने का इरादा करे या न करे, घटना-चक्र से यह बात हो ही जायगी, क्योंकि राष्ट्रीय पंचायत के बनने के बाद ही हिन्दुस्तान से ब्रिटिश हुकूमत का खात्मा होजायगा। पंचायत से मतलब तथाकथित नेताओं के दल से नहीं है, जो इकट्ठे होकर विधान बनायें। इस पंचायत के पीछे विचार यह है कि बालिग-मताधिकार के जरिये उसका चुनाव हो। उसमें आदमी भी हो, और औरतें भी हो, जिससे वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व हो सके और जनता की आर्थिक जरूरतें पूरी कराई जासकें। मौजूदा कठिनाई तो यह है कि उच्च मध्य-वर्ग के आदमी बैठ जाते हैं और आर्थिक पहलुओं से विचार करने के बजाय वे नये विधान के पदों के सवाल पर विचार करते हैं कि उनपर कौन-कौन नियत किये जायें। उन्हें उम्मीद रहती है कि नये विधान में पदों से खूब फायदा होगा, सिफारिशें चलेगी. वगैरा-वगैरा। उस नाजा-यज़ फायदे में हिस्सा बँटाने की भी चाह उनमें होती है। कुछ-कुछ

उनकी विचार साम्प्रदायिक समस्या उठ खड़ी होती है। अगर राष्ट्रीय पंचायत के चुनाव में जनता का हाथ रहे तो स्वच्छन्द से जनता पद या मोतियों पाने में दिलचस्पी नहीं लेगी। उनकी दिलचस्पी अपनी ही आर्थिक कठिनाइयों में है। उनका ध्यान और ही सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर बिना जायना और वे समस्याएँ जो खड़ी दिताई देती हैं लेकिन अमल में अन्वित नहीं रहती, जैसे साम्प्रदायिक समस्या आदि, हटकर पीछे पड़ जायेंगी।

सवाल का दुसरा हिस्सा है :—

“क्या भारतीय शासन-विधान से किसी तरह वह जरूरत पूरी होती है ?”

मैंने अभी कहा है कि विधान की कमांडी यह है कि वह आर्थिक समस्याओं के, जो हमारे सामने हैं और जो असली समस्याएँ हैं, उनके मुद्दामें मदद देता है या नहीं ? भारतीय-शासन-विधान की, जैसा कि शायद आप जानते हैं, लगभग हर दृष्टि ने हिन्दुस्तान के हरेक नरम और गरम बल में आलोचना की है। हिन्दुस्तान में किसीने भी उसे अच्छा कहा है, हमने मुझे मन्देह है अगर कुछ आदमी ऐसे हैं जो उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, तो हिन्दुस्तान में या तो उनके स्थापित स्मार्क हैं या वे वे स्मार्क हैं जो मिर्क आदत की ही बरत में ब्रिटिश-शासन के सब कामों को बर्दाश्त कर देने हैं। इन आदमियों का छोड़कर हिन्दुस्तान के करोड़-करोड़ हरेक राजनैतिक बल ने इस भारतीय-शासन-विधान का घोर विरोध किया है। सब उसकी मुनासफत करने हैं और उन्होंने हर तरह से उसकी आलोचना की है। मगर विचार है कि हमारी मदद करने के बजाय यह वास्तव में हमें हटाता है, हमारे शत्रु-शत्रुओं को। उनकी मजदूरी ने जकड़ना है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। ब्रिटेन या हिन्दुस्तान के इन तमाम स्थापित स्मार्कों ने इस विधान में ऐसी स्थायी जगह पायी है कि कानून ने सब की है सब सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक परिवर्तन होना करोड़-करोड़ नामुम्किन है। पर मरक तो इस भारतीय-शासन-विधान

के अन्तर्गत कोई भी खास आर्थिक परिवर्तन करने की कोशिश नहीं कर सकते, दूसरी तरफ़ विधान की भी हम नहीं बदल सकते। यह आपको नहीं सोचना चाहिए कि भारतीय-शासन-विधान में हमें प्रजातन्त्रीय यत्र मिल रहा है, जिसको मुधारकर फायदेमन्द बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है। स्वाधीन उपनिवेशों—कनाडा और आस्ट्रेलिया—में शुरू में स्वराज के लिए जो बातें की गईं उन्हें यहाँ लागू न कीजिए। वहाँकी समस्याएँ बड़ी मीठी-मादी थीं। वहाँ मामूली जन-समुदाय थे, जिनके साथ व्यवहार करना पडा और चाहे जो कारंवाइर्याँ की गईं, मुधार के लिए वहाँ गुजाइश थी और मुधार हुए। वह बात हिन्दुस्तान पर किसी तरह भी लागू नहीं होती है। आज हिन्दुस्तान के सामने मुकाबिला करने के लिए मामूली समस्या नहीं है। उसे बहुत ही जटिल आर्थिक समस्या का मुकाबिला करना है और उसपर निर्णय करने में भी देर नहीं की जा सकती। हमारे भारतीय-शासन-विधान ऐसा है कि उसमें मुधार नहीं किया जा सकता। अगर ब्रिटिश-सरकार अपनेआप उसे बदलती है तब तो समय-समय पर मुधार हो सकते हैं, लेकिन जैसी कि वह सरकार है, चाहे हिन्दुस्तान के निग्यानवे या सौ फी सदी आदमी उसे बदलवाना चाहे तब भी वे उसे नहीं बदलवा सकते। उसमें बदलने की गुजाइश ही नहीं है। वह तो हिन्दुस्तानियों पर स्थापित स्वार्थों का स्थायी सांकल जकड़ना है। हिन्दुस्तानियों के पास तो बस यही उपाय है कि या तो वे उसे मान ले, और अगर उसे बदलना चाहते हैं, तो किमी-न-किसी रूप में उसके खिलाफ विद्रोह करे। इसलिए भारतीय-शासन-विधान किसी भी तरह से बीच के परिवर्तन-काल की जरूरत को पूरा नहीं करता। इस विधान के अनुसार एक बड़ा निर्वाचक-समूह बना है। वह अच्छा है; लेकिन सारे विधान में बस एक यही बच्छी चीज है।

तीसरा सवाल है—

“हिन्दुस्तान की समस्या का दुनिया की समस्याओं से क्या सम्बन्ध है? क्या इस सम्बन्ध में राष्ट्र-संघ कुछ मदद दे सकता है?”

में समझना है कि क़रीब-क़रीब सभी बड़ी समस्याएँ जो दुनिया में—यूरोप या हिन्दुस्तान या चीन या अमरीका में—हमारे सामने हैं, वे आपस में इतनी मिली हुई हैं कि सबको छोड़कर एक की समझना या उसे मुहल्लाना असल में बड़ा मुश्किल है। आज दुनिया के जुड़े-जुड़े हिस्से आपस में बहुत सम्बन्धित होते जा रहे हैं और दुनिया के एक हिस्से की घटनाएँ क़ारण ही दूसरे हिस्सों पर अपना असर डालती हैं। अगर बड़ी घटना—जैसे अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध—होती है तो स्पष्ट रूप से तमाम दुनिया को परेशानी होती है। अगर कोई आर्थिक हलचल होती है—जैसे कि पिछले कुछ बरसों में हुई—तो उससे दुनियाभर के कारे असर पड़ता है। ये बड़ी लहरें और आन्दोलन तमाम दुनिया पर असर डालने हैं और स्पष्ट रूप से हिन्दुस्तान की समस्या दूसरी समस्याओं से बहुत मिली-जुली हैं। कोई बड़ी चीज़ हिन्दुस्तान में है तो वह ज़रूर ही तमाम ब्रिटिश-राष्ट्र समूह पर यानी ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर अपना असर डालती है। वह दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है; क्योंकि ब्रिटिश-साम्राज्यवाद आज दुनिया की राजनीति में एक अहम चीज़ है। ज़रायक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध है, यह सभी जानते हैं कि उसने ब्रिटेन की नींव पर पिछले सौ बरसों में सबसे बड़ा असर डाला है। नेपोलियन के जमाने में हिन्दुस्तान बड़ा दिग्गर्ह बना था, इत्यादि अगर नेपोलियन की लड़ाइयों का हाल आप पढ़ें तो देखेंगे कि हिन्दुस्तान का नाम कहीं-कहीं ही आया है। लेकिन वह में वह हर वक़्त मौजूद था। चाहे किशोरन-युद्ध हो या मिरा पर कब्ज़ा; लेकिन हिन्दुस्तान पर और उसके राज्यों का सवाल हमेशा उससे बड़ा में बना ही रहा। हिन्दुस्तान के राज्यों का सवाल ब्रिटिश राजनीतियों के सामने हमेशा रहा है। साफ़ आसमें से कुछ की याद हो कि महायुद्ध के बाद भी एक विचार था,—जिसका मि० विन्स्टन चर्चिल ने और ब्रिटिश सरकार के कुछ सामनेवालों ने पोषित किया था—कि एक बड़ा साम्राज्यवादी राष्ट्र कायम किया जाना हो। हिन्दुस्तान के निवासियों ने केवल दुनिया दुनिया का फ़ैसल हो। लेकिन यह विचार पूरा नहीं हुआ। अब

यह बात कुछ अजीब-सी लगती है; लेकिन उम वक्त्र, लड़ाई के बाद, इतनी जगह अंग्रेजों के कब्जे में थी। ईरान, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, अरब के कुछ हिस्से, और कुन्नुननुनिया, ये सब अंग्रेजों के कब्जे में थे। इसलिए यह विचार उम समय उतना खयाली नहीं था जितना कि अब लगता है। लेकिन बहुत-सी बातें हुईं जिनकी वजह से वह कोई शकल अस्तित्वार न कर सका। रुम की सरकार थी, टर्की और ईरान के अपने-अपने झगड़े थे। ऐसी ही और बातें थीं। सारा मामला तरह-तरह के झगड़ों से गड़बड़ हो रहा था। ऐसा होने हुए भी, अंग्रेजी-सरकार की मंशा थी कि हिन्दुस्तान के खुदकी के रास्ते पर अपना कब्जा करले; क्योंकि हवाई जहाजों और मोटरों की तरक्की से खुदकी के रास्ते की अहमियत बढ़ती जाती है। मोमल के सवाल ने टर्की और इंग्लैण्ड के बीच करीब-करीब लड़ाई पैदा कर दी—मुख्यतः इसलिए कि हिन्दुस्तान के रास्ते पर मोसल का कब्जा है।

इसलिए बहुत-से दृष्टिकोणों में हिन्दुस्तान का सवाल दुनियाभर की समस्याओं पर अपना बहुत असर डालता है। जो कुछ हिन्दुस्तान में होता है, उसका लाजिमी असर दूसरे मुल्कों पर पड़ता है।

इस सम्बन्ध में शायद राष्ट्र-संघ कुछ मदद कर सकता है, अगर हिन्दुस्तान का दृष्टिकोण उसके सामने ठीक-ठीक रक्ता जाय और उम-पर जोर दिया जाय। लेकिन अबतक तो हालत ऐसी रही है कि राष्ट्र-संघ से हिन्दुस्तान का कोई वास्ता नहीं रहा है, सिर्फ उमका संघ में प्रतिनिधित्व होता रहा है। राष्ट्र-संघ में तथाकथित हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों की नामजदगी भारत-सरकार के जरिये ब्रिटिश-सरकार के मलाह-मगबिरे से होती है, इसलिए असल में वे संघ में ब्रिटिश-सरकार के दृष्टिकोण का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, हिन्दुस्तान के लोकमत का वे जरा भी प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसलिए आप कह सकते हैं कि राष्ट्र-संघ में हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं होता और ब्रिटिश सरकार को एक और अतिरिक्त प्रतिनिधि मिल जाता है। अगर हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व ठीक-ठीक हो तो में समझना है कि

में नमसना है कि करीब-करीब सभी बड़ी समस्याएँ जो दुनिया में—यूरोप या हिन्दुस्तान या चीन या अमरीका में—हमारे सामने हैं, ये आपस में इतनी मिली हुई हैं कि नयको छोड़कर एक को समझना या उसे सुझाना असल में बड़ा मुश्किल है। आज दुनिया के जुदे-जुदे हिस्से आपस में बहुत सम्बन्धित होने जा रहे हैं और दुनिया के एक हिस्से की घटनाएँ फौरन ही दूसरे हिस्सों पर अपना असर डालती हैं। अगर बड़ी घटना—जैसे अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध—होती है तो स्पष्ट रूप में तमाम दुनिया को परेशानी होती है। अगर कोई आर्थिक हलचल होती है—जैसे कि पिछले कुछ बरसों में हुई—तो उससे दुनियाभर के ऊपर असर पड़ता है। ये बड़ी लहरें और आन्दोलन तमाम दुनिया पर असर डालते हैं और स्पष्ट रूप से हिन्दुस्तान की समस्या दूसरी समस्याओं से बहुत मिली-जुली है। कोई बड़ी चीज हिन्दुस्तान में है तो वह जगह ही तमाम ब्रिटिश-राष्ट्र समूह पर यानी ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर अपना असर डालती है। वह दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है; क्योंकि ब्रिटिश-साम्राज्यवाद आज दुनिया की राजनीति में एक अहम चीज है। जहाँ तक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध है, वह सभी जानते हैं कि उसमें ब्रिटिश की नीति पर पिछले ती बरसों में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। नेपोलियन के जमाने में हिन्दुस्तान बड़ा दिवाड़े देता था, क्योंकि अगर नेपोलियन की लड़ाइयों का हाल आप पढ़ें तो देखेंगे कि हिन्दुस्तान का नाम कहीं-कहीं ही आया है। लेकिन वह में वह हर वकत खोजेंगे। वहाँ ब्रिटीश-युद्ध ही या मिन पर कब्जा; लेकिन हिन्दुस्तान का और उनसे सन्धियों का सवाल हमें उभरती वह में बना ही रहा। हिन्दुस्तान के सन्धियों का सवाल ब्रिटिश राजनीतियों के सामने उभरता रहा है। साफ़ भाषण में कुछ को याद हो कि महायुद्ध के बाद भी एक दिवाण था,—जिसमें सि० विन्स्टन चर्चिल ने और ब्रिटिश सरकार के कुछ नाम देनाओं में योग्य किया था—कि एक बड़ा महायुद्ध के बाद भारत का नाम हिन्दुस्तान के विचारों से लेकर हुए-हुए-हुए बना दिया हो। लेकिन वह विचार पूरा नहीं हुआ। अब

यह बात कुछ अजीब-सी लगती है; लेकिन उस वक़्त, लड़ाई के बाद, इतनी जगह अंग्रेजों के कब्ज़े में थी। ईरान, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, अरब के कुछ हिस्से, और कुस्तुनतुनिया, ये सब अंग्रेजों के कब्ज़े में थे। इसलिए यह विचार उस समय उतना खयाली नहीं था जितना कि अब लगता है। लेकिन बहुत-सी बातें हुईं जिनकी वजह से वह कोई शकल अस्तित्वार न कर सका। रूस की सरकार थी, टर्की और ईरान के अपने-अपने झगड़े थे। ऐसी ही और बातें थीं। सारा मामला तरह-तरह के झगड़ों से गड़बड़ हो रहा था। ऐसा होते हुए भी, अंग्रेजी-सरकार की मसला थी कि हिन्दुस्तान के खुदकी के रास्ते पर अपना कब्ज़ा करले; क्योंकि हवाई जहाजों और मोटरो की तरक्की से खुदकी के रास्तों की अहमियत बढ़ती जाती है। मोसल के सवाल ने टर्की और इंग्लैण्ड के बीच करीब-करीब लड़ाई पैदा कर दी—मुख्यतः इसलिए कि हिन्दुस्तान के रास्ते पर मोसल का कब्ज़ा है।

इसलिए बहुत-से दृष्टिकोणों से हिन्दुस्तान का सवाल दुनियाभर की समस्याओं पर अपना बहुत असर डालता है। जो कुछ हिन्दुस्तान में होता है, उसका लाजिमी असर दूसरे मुल्कों पर पड़ता है।

इस सम्बन्ध में शायद राष्ट्र-मण्डल कुछ मदद कर सकता है, अगर हिन्दुस्तान का दृष्टिकोण उसके सामने ठीक-ठीक रक्खा जाय और उस-पर जोर दिया जाय। लेकिन अबतक तो हालत ऐसी रही है कि राष्ट्र-संघ से हिन्दुस्तान का कोई वास्ता नहीं रहा है, सिर्फ उसका सध में प्रतिनिधित्व होता रहा है। राष्ट्र-संघ में तयकथित हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों की नामजदगी भारत-सरकार के जरिये ब्रिटिश-सरकार के मलाह-मसाविरे से होती है, इसलिए असल में वे मण्डल में ब्रिटिश-सरकार के दृष्टिकोण का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, हिन्दुस्तान के लोकमत का वे जरा भी प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसलिए आप कह सकते हैं कि राष्ट्र-संघ में हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व बिलकुल नहीं होता और ब्रिटिश सरकार को एक और अतिरिक्त प्रतिनिधि मिल जाता है। अगर हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व ठीक-ठीक हो तो मैं समझता हूँ कि



राष्ट्र-संघ कुछ फायदा पहुँचा सकता है। लेकिन बुनियादी तौर से राष्ट्र-संघ दुनिया में मौजूदा हालतों को कायम रखने के लिए एक संगठन है और हिन्दुस्तानी न्यायन्य ने अपनी मौजूदा हालत को बदलना चाहेगा है। इसलिए अगर वे राष्ट्र-संघ के सामने कोई खास प्रस्ताव रखते हैं तो उनपर सभ के अहदनामों या नियम के अनुसार, जिनके अर्थात् संघ को बदलना पड़ना है, रोक लगाई जा सकती है और कह दिया जा सकता है कि उनमें ब्रिटिश-साम्राज्य की घरेलू नीति में सम्मिलनाही होती है।

चीना न्याय है—

“साम्प्रदायिक समस्या आर्थिक कारणों से फहाँतक है ?”

यह न्याय न्याय ठीक तरह से नहीं रखा गया इसके लिए कुछ-कुछ जिम्मेदारी लेनी भी है। क्योंकि साम्प्रदायिक न्याय बुनियादी तौर पर आर्थिक कारणों की वजह से नहीं होता। उनके पीछे आर्थिक कारण होते रहते हैं—जो अगर धनगर अपना असर डालते हैं; लेकिन उनसे बड़ी बुराई उनसे सामान्य राजनैतिक होते हैं। मजहूबी कारणों की वजह से यह नहीं होता, इस बात को में चाहता हूँ आप याद रखें। मजहूबी लड़ाई का मुसलमानों में साम्प्रदायिक न्याय का कोई बान्ता नहीं होता। अगर कोई बान्ता है तो उनका ही कि उनसे पीछे थोड़ा-सा मजहूबी विचार है, जो पिछले दिनों कभी-कभी जुल्मों वसूला में लड़ाई की जड़ साबित हुआ है और उनसे फिर फूटे हैं। लेकिन मौजूदा साम्प्रदायिक न्याय मजहूबी न्याय नहीं है, क्योंकि कभी-कभी यह मजहूबी भावनाओं का कायम-कायम उद्वेग है और उनमें मुनीबत पैदा होती है। यह तो एक उच्च मध्य-वर्ग के लोगों का राजनैतिक न्याय है, जो कुछ तो सरकार के साम्राज्य आन्दोलन को समझने करने या उनमें फूट पैदा करने की कोशिश से पैदा हुआ है, और कुछ हिन्दुस्तान में अनेकान्नी राजनीतिक सत्ता से प्राप्त होने की भासा और पदों के साजायत फायदे में हिस्सा बँटाने से उभरकर भी उद्वेग से पैदा हुआ है। एक हद तक यह न्याय आर्थिक भी है; क्योंकि साम्राज्य सभ में मुसलमान हिन्दुओं की

बनिस्वत गरीब है। कभी-कभी आप देखते हैं कि कर्जदाता हिन्दू है तो कर्जदार मुसलमान, कभी-कभी जमींदार हिन्दू है, तो कास्तकार मुसलमान। हिन्दू भी कास्तकार है और भर्दुमशुमारी में उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि असल में झगडा तो कर्जदाता और उसके कर्जदार के बीच या जमींदार और उसके किसान के बीच होता है; लेकिन वह अखबारों में छप जाता है और उसकी अहमियत हिन्दू-मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक झगड़े की होजाती है। वुनियादी तौर पर यह साम्प्रदायिक समस्या उच्च मध्य-वर्ग के हिन्दुओं और मुसलमानों में नये विधान में नौकरियों पाने और ताकत पंदा करने के लिए लड़ाई की समस्या है। जनता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। एक भी साम्प्रदायिक माँग किसी आर्थिक मसले से सम्बन्ध नहीं रखती और न जनता से ही उसका कोई वास्ना है। अगर आप साम्प्रदायिक माँगों की जाँच करे तो आप देखेंगे कि वे सिर्फ अमेम्बलियों या कौंसिलों में आपस में मिलने-वाली सीटों के लिए हैं या तरह-तरह की नौकरियों के लिए हैं।

पाँचवाँ सवाल है—

“उत्तर-पश्चिमी सरहद और बंगाल की समस्या को मुलज्ञाने में आप और कौन-सा तरीका इस्तमाल करेंगे ?”

संक्षेप में दूसरा तरीका मैं यही बतलाऊँगा कि समझौता किया जाय और समस्या के मुलज्ञाने की आर्थिक आधार पर कुछ कोशिश की जाय, क्योंकि जरूरी तौर पर सरहदी लोगों की मुश्किल उनका कहत है। पहाड़ों पर वे रहने हैं। जमीन कड़ी है। खाने की तलाश में और लूटमार करने के लिए ही वे नीचे उतरकर आते हैं। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो नहीं सोचता कि सरहद की समस्या को हल करना मुश्किल है। अगर उसे ठीक और हमदर्दी के साथ मुलज्ञाया जाय, तो मेरा खयाल है कि वह बहुत आसानी से मुलज्ञा सकती है। मेरा खयाल है कि दरअसल ऐसी ही—विलकुल वही नहीं लेकिन ऐसी हो—समस्या उन्नीसवीं सदी में रूस की सरकार यानी जार की सरकार के सामने थी; क्योंकि उसकी सरहद बहुत पास थी और करीब-करीब ऐसे ही आदिमियों के साथ उसे व्यवहार करना

या । जहाँतक मैं जानता हूँ, उन आदमियों के साथ व्यवहार करने में सरकार को कभी कोई कठिनाई नहीं हुई; निश्चय ही इतनी कठिनाई ना कभी नहीं हुई जितनी की ब्रिटिश-सरकार को करीब सौ बरस से हो रही है । नाक़ बान है तो यह है कि ब्रिटिश-सरकार को सरहद्दी-नीति भयानक और एतदम नाक़ामयाब रही है । और सरहद्दी-सवाल को पुश्तों तक मुद्दामाने पर भी वे तय नहीं कर पाते और हर साल या हर दूसरे साल यह सवाल उठ गड़ा होता है, और फ़ौजी चढ़ाई करके कलक करने, बम बरसाने और ऐसी ही बहुत-सी बातें करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता, तो नाक़ हूँ कि उनकी नीति में ही कोई कमी है । ज़ार की सरकार को तो कभी उन सब कठिनाइयों का मुक़ाबिला नहीं करना पड़ा, जिनका कि ब्रिटिश सरकार कर रही है । इसका कारण, मैं मानता हूँ, यह है कि ज़ार की सरकार ने सरहद्दी लोगों को कहीं ज्यादा गोपनी-माफी ज़िन्दगी बिताने की सुविधा दी थी । उसने उनसे उपनियेन बनाने की कोशिश की और देश में उन्हें बनाना चाहा । यह मैं अपनी सलाह के तौर पर पेश कर रहा हूँ । निश्चित रूप से कहने के लिए मैं काफ़ी बातें नहीं जानता कि क्यों ज़ार की सरकार को उनकी कठिनाई नहीं हुई जितनी कि ब्रिटिश-सरकार को सरहद्दी आदमियों ने मुद्दामाने में ही रही है । फिर भी, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित आदमी ज्यादा नहीं हूँ और आर्थिक आधारों पर उनसे व्यवहार करने में, जितने कि उनकी आर्थिक स्थिति दूर हो जाए, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । और चाक़ी के लिए यह है कि उनसे सम्बन्ध स्थापन करने में महानुभूति की भावना होनी चाहिए, ऐसे नहीं जैसे कि हाल ही में इटलीयानों ने जर्मनीयों से स्थापन किये हैं । यह तरीक़ा तो एतदम नाक़ामयाब रहा है । सरहद्दी आदमी सबे ब्यापक आदमी हैं । उन्हें इसकी ज्यादा परवा नहीं होनी कि वे औरों से या अपने; लेकिन वे दूसरों के आर्थिक स्थिति परखद नहीं करते । वे आर्थिक-समर्थ आदमी हैं, जैसे कि पहाड़ी आदमी अक्सर हुआ करने हैं । ब्रिटिश-सरकार उन्हा स्याही रूप से स्थान करने में कामयाब नहीं हुई । यह उन्हें सम्बन्ध-समर्थ पर और मदती है; लेकिन उन्हा समर्थ नहीं करगवती ।

जहाँतक महानुभूति के साथ सम्बन्ध कायम करने का सवाल है, वरमों में सरहदी लोग गांधीजी को वहाँ आने का निमन्त्रण दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि कुछ बरस पहले वह सरहदी मूबे में गये भी थे, लेकिन उन्होंने सरहद पार नहीं की। और न ठेठ बहोतक पहुँचे ही। सरहद के दोनों तरफ़ उनका नाम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। सरहदी आदमियों में वह बहुत मशहूर हैं और बार-बार उधर आने के लिए उन्हें न्योता दिया गया है; लेकिन सरकार ने उन्हें वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी। सरकार की भर्जों के खिलाफ़ वह वहाँ नहीं जाना चाहते। इस मसले पर उन्होंने सरकार से झगडा भोल लेना पसन्द नहीं किया। इसलिए जब कभी उन्होंने जाना चाहा, तब यह कहकर उन्होंने वाइसराय या भारत-सरकार के सामने यह बात रखी कि—“मुझे वहाँ बुलाया गया है, और मैं वहाँ जाना चाहूँगा।” और हमेशा उन्हें एक ही जवाब मिला, “हमारी जोरदार राय है कि आप वहाँ न जायें।” यह करीब-करीब मनाही के ही बराबर होता है। इसलिए वह नहीं गये। गांधीजी के अन्धावा सरहदी मूबे के बड़े नेता अब्दुलगफ़ारख़ा का उस तमाम हिस्से पर बहुत असर है और वह वहाँ मशहूर भी है। यह ताज्जुब की बात है कि वह उस हिस्से में ऐसी जबरदस्त हस्ती कैसे बन गये? और यही बात काफी थी जिससे ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बेहद नापसन्द किया। ऐसे फिसादी पठानों पर भी जिस आदमी का इतना भारी असर है, वह तो ऐसा आदमी होगा जिसे कोई भी सरकारी अफसर पसन्द नहीं करेगा। इसलिए वह अपना वकन जेल में फाट रहे हैं। इस वकन भी वह जेल में हैं। बिना मुकदमा चलाये दो-तीन साल जेल में रह चुकने के बाद वह पिछले साल छूटे थे; लेकिन बाहर वह सिर्फ़ तीन महीने ही रह पाये और फिर दो साल की सजा काटने के लिए जेल भेज दिये गये। वही सजा अब वह काट रहे हैं। आप शायद जानते हों कि सवमे ऊँची वायेंस-कार्यमिति के वह मेम्बर हैं। वह सरहद के ही नहीं, बल्कि नमान हिन्दुस्तान के सबसे लोकप्रिय आदमियों में से एक हैं। उनके नाम से आप महमूस करोगे कि वह मुसलमान हैं, हिन्दू नहीं। वह हिन्दुस्तान

की जगह के सबसे बड़े मनुष्यगत नेताओं में से एक है। कांग्रेस-आन्दोलन में जैसी-से-जैसी जगहों में उनका स्थान है। आज ही यह याद रखना चाहिए कि कांग्रेस-आन्दोलन के पीछे, हालाँकि उसमें अनिवायें रूप से मूलतः हिन्दू हैं, मनुष्यों की बड़ी ताकत है। इसलिए अच्युतमपत्तार नहीं और गाँधीजी मनुष्य में जानें तो। मेरी राय में उनका बहुत मानदार स्थापन दिया जाता और बड़ी से दूरी और बातों के साथ सहृदी समस्याएँ पर भी गौर कर सकते। मैं नहीं सोचता कि उन समस्याओं को मुझजाना मुझजाना होगा। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि उनके जाने से बड़े-से-सारी मुसोबतों का समाप्ता होजायगा। ऐसा कहना तो किञ्चल होगा। कुछ मुसोबतों का बार-बार उठना ही रहेगी; लेकिन पायेदारी की सोच जाती जा सकती थी। और अगर कुछ आर्थिक उपाय भी काम में लाये जाते तो मैं समझता हूँ कि इन बार-बार आनेवाली मुसोबत का निम्नतम ही समाप्ता होजाता।

बंगाल के बारे में यह है कि बंगाल आत्मकवाद को जितने कि यह याद रखें हमने बड़ी अधिक नाम और विज्ञापन दिया गया है। हमने तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आत्मकवाद बंगाल में रहा है और अब भी है। लेकिन आतिशय आता सोचिए कि अगर हिन्दुस्तान जैसे मुसलमानी या बंगाल जैसे बड़े मुसलमानी देशों में एक-दो आत्मक के मामलों का भी सचेत हो गया ? ( बिल्कुल दो मामलों में, मैं समझता हूँ, एक भी मामला नहीं हुआ। तीसरे मामले में शायद एक या दो हुए हैं। ) आत्मकवाद की ऐसी हीन शक्त है और यह उनका समझना भी नहीं है। इन मामलों में हमें अपनी आत्म को नहीं सोचना चाहिए। यह पहली धारणा है जिसे मैं आत्मिक नामने रखना चाहता हूँ। हमने जहाँतक मैं जानता हूँ (मसलमानी में गाँधी और मुसलमानी मुसलमानी नहीं हैं; क्योंकि मैं दो-तीन साल के बच्चे में ही रहा हूँ) बड़ी-बड़ी भी मनुष्यगत आत्मकवादी आत्मकवाद अब नहीं है। परन्तु धारणा: लेकिन शायद बंगाल का नहीं भी हिन्दुस्तान में अब कोई आत्मकवाद नहीं है। मेरा मतलब हमने यह नहीं है कि बंगाल का और बड़ी के आत्मिक विज्ञापन परीकों में

विश्वास ही नहीं रखते। ऐसे आदमी बहुत-से हैं जो हिमात्मक तरीकों में और शक्ति में विश्वास करते हैं; लेकिन मेरा खयाल है कि वे आदमी भी जो पहले आतंकवादों का मोर्चा में विश्वास करते थे, अब वैसा नहीं करते, यानी, पुराने आतंकवादी या उनमें से बहुत-से अब भी सोचते हैं कि सभी सभावनाओं में शासक सत्ता से लड़ने के लिए मगसत्र बल-प्रयोग की ज़रूरत हो सकती है; लेकिन वैसा वे बलवा, बल-प्रयोग या किसी तरह के मगसत्र विद्रोह की ही परिभाषा में सोचते हैं। अब वे धम फेंकने या आदमियों को गोली मार देने की बात नहीं सोचते। मेरे खयाल में बहुत-से तो गांधीजी के अहिंसा के आंदोलन की वजह से आतंकवादी आंदोलन में एकदम दूर हट गये हैं। जो रहे, वे भी निरे आतंकवादी खयाल के नहीं रहे, जोकि, जैसा आप जानते हैं, राजनैतिक आन्दोलनों में एक बड़ा बर्छों का-सा खयाल है। जब एक राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू होता है तो उसकी जड़ में जोश, बेवसी और मायूसी होती है, जो भड़के हुए जवानों को आतंकवादी काम करने के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन ज्यों-ज्यों आंदोलन बढ़ता जाता है और मजबूत होता जाता है, त्यों-त्यों आदमियों की ताकत एक मगसत्र काम करने में, सामूहिक-आंदोलन चलाने वगैरा में, लगती है। ऐसा ही हिन्दुस्तान में हुआ है, और फलस्वरूप आतंकवादी आंदोलन करीब-करीब खत्म हो गया है। लेकिन बगाल में जो खौफनाक सस्त्रियों की जा रही है उन्होंने ज़रूर ही पुराने आतंकवादियों के दल की आँखें बदला लेने के लिए खोल दी है। मिसाल के तौर पर, एक शस्त्र जब अपने दोस्तों पर अपने ही शहर में बड़ी खौफनाक बातें होते देखता है, तो उसका खून खौलने लग जाता है। संभव है उन्हीं अत्याचारों का वह अकेला आदमी या दो-तीन मिलकर बदला लेना निश्चय करते हैं। मगसत्र के रूप में उसका आतंकवाद में कोई सरोकार नहीं है। वह तो एकदम बदला लेने के लिए शस्त्री कार्रवाई है। ऐसे आतंकवादी काम कभी-कभी होते हैं; लेकिन, जैसा कि मैंने कहा, पिछले दो सालों में यह भी नहीं हुआ। फिर पुराने आतंकवादियों का पुलिमा अच्छी तरह से जानती है। उनमें से बहुत-से तो बाहर निकाल दिये गये हैं या जेल में डाल दिये गये हैं,

कुछ को फाँसी पर लटकवा दिया है; लेकिन मेरा रायल है, कुछ अब भी उधर-उधर है। दो-तीन साल हुए उनमें से एक से मैं मिला था। पुराने दिनों में आनन्दवादी आन्दोलन का यह एक चार आदमी था। वह मुझसे मिलने आया और सहने लगा—“निश्चित रूप से मेरी राय है कि आनन्दवाद के काम ठीक नहीं है। मैं उन्हें अब नहीं करना चाहता। अपने आदर्शियों पर भी मैं जोर डाल रहा हूँ कि वे भी न करें। लेकिन अब मैं क्यों क्या? कुनो की तरह मेरा पीछा किया जाता है। मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब कभी पकड़ा जाऊँगा, मुझे मौत की सजा मिलेगी। यँसा मैं नहीं करना चाहता। जब पकड़ा जाऊँगा, सब कामें बचाव के लिए गोली चलाऊँगा।” यह अक्सर देखा जाता है कि पुराना आनन्दवादी जब पकड़ा जाता है और पकड़ लिया जाने वाला होता है, तभी यह गोली चलाता है। जाल उसे फाँस देना है और सब उस फाँसी के तख्त पर लटकने की अनिश्चय गोली चलाता और गोली सातम मर जाना पसन्द करता है।

मैं जो करना चाहता हूँ, उनका मतलब यह है कि प्राग्निकारी आन्दोलन आनन्दवादी रूप में विकसित नहीं चल रहा है। कभी-कभी फाँसी नाम भयवचन या बचाव के लिए, जबकि वह पकड़ा जाता है, तब आनन्दवादी काम कर बैठता है; नहीं तो आनन्दवाद स्वतः ही ही गया है। जब ऐसी बात होती है, तब उनकी जड़ में मनोवैज्ञानिक या हमारे पक्षक रहते हैं, और यह तो विद्यमान सिद्धान्त की बात है कि फौजी कानूनों के स्थलों तरीकों से उमराव उमराव किया जाय। अंग्रेज फौजी आदमी या किसी समस्या का तब सिद्धे फौजी कानूनों की ही परिभाषा से सीधे सहाय है। हमारी धर्मात्मता से हमारे गैर-फौजी आदर्शियों के भी उमराव उमराव फौजी तरीकों पर ही चलते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि फौजी आदर्शों से उमराव है। कौन जानता है कि हमारे उमराव उमराव पर ही नहीं पाली जाऊँगा, जिन पर ही यह आनन्दवादी काम करता है? सब को सिद्ध एक आदर्शों भी-भरे हाल में जाता है और हमारे आदर्शों की गोली से भार देता है। ऐसी हालत से उमराव

जान भी बच नहीं सकती। मेरी समझ में नहीं आता कि जो आदमी अपनी जिन्दगी की बाँझों लगाने के लिए तैयार है, वह फौजी कानूनों में, जो उसके खिलाफ लगाये जा सकते हैं, कैसे भयभीत किया जा सकता है? वह तो जानता है कि जब वह अपना आनकवादी काम करता है, तब उमका मरना भी निश्चित है। आमतौर पर वह अपनी जेब में थोड़ा-सा जहर ले जाता है और काम करने के बाद उसे खा लेता है। होना क्या है; बंचारे बहुत-से भाले-भाले बंक्मूर आदमियों की मुमोवत आती है।

छठा सवाल है—

“इस मुल्क के आदमी किस तरीके से मदद कर सकते हैं? आपके विचार में मेल-जोल करनेवाला कोई दल कितना काम कर सकता है?”

इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, हालाँकि बहुत-सी जगहों पर मैंने इनका जवाब दिया है—क्योंकि किस तरीके से मदद कर सकते हैं, यह यहाँ की बदलती हालतों पर निर्भर है, लेकिन निश्चय ही बहुत-कुछ किया जा सकता है, अगर लोग हिन्दुस्तान की समस्याओं में जिनकी जरूरत है उनको दिलचस्पी ले और हिन्दुस्तान और दुनिया दोनों के दृष्टिकोणों को सामने रखकर सोचें कि उसके लिए ठीक हल की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि मौजूदा हालतों में अकेले दलों का कुछ प्रभाव पड़ सकता है। यानी अकेले दल सरकार की नीति को नहीं बदल सकते, हालाँकि मामूली बातों में वे उममें कुछ हेरफेर कर सकते हैं; लेकिन आपके जैसे दल हिन्दुस्तान के हालात को हमेशा यहाँ लोगों के सामने रख सकते हैं। मिनाल के तौरपर लीजिए। अब भी अंग्रेज लोग यह नहीं जानते कि हिन्दुस्तान में कितनी महिलाएँ हो रही हैं और हिन्दुस्तानियों को उनकी नागरिक स्वतन्त्रता में कैसे बचिन किया जा रहा है। मुझे बतलाया गया है कि कोई एक महीना पहले पार्लमेण्ट में राजनैतिक कैंदियों के बारे में कुछ कहा गया था। कुछ लेबर मेम्बरो ने सवाल उठाया था और कुछ कन्जर्वेटिव मेम्बरो ने कहा था—

“आप क्या कहते हैं? क्या अब भी हिन्दुस्तान में राजनैतिक कैंदी हैं?”



उस सभासद ने कहा कहा है कि उन बारे में कितना अज्ञान फैला हुआ है। हिन्दुत्वान में बहुत-से आदमी ऐसे हैं, जो जैनों में शक दिये जाने हैं और पाप-पाप दूर-दूर ब्रह्म-तक या और ज्यादा मान्यो तक उनकी अज्ञानता में पैसी भी नहीं होती। बहुत-से मामूली राजनैतिक कठिणों को रोज नज़रों से ही नहीं है और ज़ुल्म की मशीन भी रोज चलाती रहती है। मैं समझता हूँ कि अँगरेज अंग्रेज सर-ओम्बों के लिए हिन्दुत्वानियों की सामाजिक व्यवस्था की समझना का मतलब के लिए पढ़ाती समझाओं की बहुत ज़रूरत है। अँगरेज अँगरेज समझने हैं कि सामाजिक व्यवस्था ज़रूरी चीज है और हिन्दुत्वान की पढ़नाएँ जब उनके सामने रखी जाती हैं तो उन्हें अज्ञान-या लज्जा है। उनको यह पसंद नहीं है कि हिन्दुत्वान की सामाजिक व्यवस्था न ही शायद। मैं समझता हूँ, उन बातों का उस तरह के लोगों के सामने रखने में ही बहुत काम ही सकता है। और ज़ुल्म-ज़ुल्म दलों के मिच्छान काम करने में ऐसा बहुत-बहुत किया जा सकता है। मुझे पसंद है कि 'सामाजिक-व्यवस्था' की रक्षा के लिए जायस 'नेशनल कोनिस' है, वह जो दिना में बतलाई है उस दिना में, हमारे दलों में मिच्छान काम कर सकते हैं।

हिन्दुत्वान ही विशेष समझाओं और सामाजिक आर्थिक स्थितियों का जन्म कर सकता है। हमें देखना है कि किस तरीके में राज-नैतिक समझाओं आर्थिक समझाओं पर निर्भर होती है। यह बात समझना है। क्योंकि एक उस बारे में विचार किया जाता है, वह राज-नैतिक समझाओं की ही दृष्टि में जीव ही जाती है। ऐसा न करने में आसानी काम हम न किये चलाने जैसा होगा, ऐसा कि हम इन संवेदनशीलताओं और ज़रूरी समझाओं में रहने रहे हैं। बहुत-से सारांश बैठ जाने हैं और ज़रूरी विचार-विचार कर रहे हैं। किन्तु हिन्दुत्वान की मौजूदा स्थिति और ज़रूरत में कोई समझना नहीं होगा। उनका समझना तो निकले हुए बाद में होता है, और वह वह कि हिन्दुत्वान में उनका स्वाभाविक स्थिति और ज़रूरत हीन प्राप्त रहे। इसलिए एक बहुत-सा कोई भी एक विचार ही हिन्दुत्वान ही जारी रख कर सकता है। हिन्दुत्वान की ही

क्यों, बल्कि, जैसा मैं सोचता हूँ कोई कह सकता है, नागरिक स्वतंत्रता और उसके साथ दूसरे मामलों के प्रश्न पर तमाम मानव-जाति की मदद कर सकता है।

'रिक्सीलियेशन दल' के बारे में मुझमें कहा गया है कि वह कोई मगठन नहीं है; बल्कि एक दल है जिसकी कोई निश्चित मर्यादाये नहीं हैं। ऐंम दल ने, मेरा खयाल है, पिछले दिनों अच्छा काम किया है और मैं समझता हूँ कि वह निश्चय ही आगे भी अच्छा काम कर सकता है। मैंने सलाह दी है कि सामूहिक रूप में हिन्दुस्तान के बारे में या किन्हीं खाम सवालों में, जैसे नागरिक स्वतन्त्रता का सवाल, दिलचस्पी रखने वाले जुदा-जुदा दलों के लिए यह उचित होगा कि वे एक-दूसरे के मर्क में रहें। अपने मुस्तलिफ खयालात होने की वजह से अगर वे एक-दूसरे में मिल नहीं सकें तो कोई बात नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि एक दल दूसरे दल के दृष्टिकोण को लेकर चले। यह भी नहीं कि एक दल अपने लिए वही मान्यताये पैदा करले जो दूसरे दल ने अपने लिए पैदा करली हैं; लेकिन फिर भी उन दोनों में बहुत-सी समानताये हो सकती हैं। कभी-कभी वे आपस में मिलें या उनके प्रतिनिधि आपस में मलाह-मगविरा करे, जिससे उनकी कारंवाइयाँ एक-दूसरे के ऊपर न आजायें बल्कि एक-दूसरे की पूरक हो।

आखिरी और सातवा सवाल है—

“क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कोई क्रियाशील एजेंसी लंदन में नहीं रखनी चाहिए, जो ठीक-ठीक खबरे फैलाती रहे?”

मैं सोचता हूँ यह बहुत अच्छी चीज होगी और उमूलन कोई भी इसका विरोध करेगा, इसमें मुझे शक है। आपको याद रखना चाहिए कि पिछले छ. बरसों में हिन्दुस्तान बड़ी मुर्मीवती में से होकर गुजरा है। उन छ. बरसों में चार बरस तक कांग्रेस एक गैरकानूनी जमान रही। हम हमेशा गैरकानूनी हलचल के किनारे ही चक्कर लगाते रहते हैं। कौन जाने, किस घड़ी गैर-कानून करार दे दिये जायें, हमारे कोप ज्वल हों जायें, हमारी जायदाद ज्वल होजाय और पद छिन जायें। इसलिए

ऐसे समय में विदेशी एजेंसी कायम करने में कुछ मुश्किल मालूम पड़ती है; लेकिन ऐसा होना जरूरी है। मेरी बड़ी इच्छा है कि एक समाचार-पत्र बन जाय, और पूरे हिस्सों में हो, जो प्रचार के अलावा ही-हीन न बने, विनाश और कायम मुहय्या करे, जिससे वे नये-नये आदमियों को मिल सकें जो उन्हें पाना चाहते हैं।

यह चीन में आगे बढ़ा दिया गया—

“कभी-कभी यह आपत्ति की जाती है या यह आलोचना सुनने में आती है कि अगर अंग्रेज हिन्दुस्तान से चले आते हैं तो इससे जापान के लिए रास्ता खुल जायगा। अबसे पहले यह रास्ता रुक के लिए खुलता; लेकिन अब उस बारे में जापान का नाम लिया जाता है। क्या उस बारे में आप अपने विचार व्यक्त करेंगे?”

मुझे ऐसा दिगम्बर देना है कि वे लोग जो ऐसा कहते हैं हिन्दुस्तान के बारे में जापान की मौजूदा या आगे की हालत ज्यादा नहीं जानते। उन मकाल पर बहुत-से तरीकों में विचार दिया जा सकता है; लेकिन सबसे से मैं आपसे बस एकना कूंगा—जापान के हिन्दुस्तान में किस रास्ते से आने की आर उम्मीद करते हैं? समुद्र से या जमीन से? क्या आर उम्मीद करते हैं कि जापान बनाम चीन की जीतने के बाद हिन्दुस्तान जायगा या उसे जीतने से पहले आयगा?

अब तक यह जानना चाहिए कि समुद्र द्वारा हिन्दुस्तान में इंग्लैण्ड आने की वास्तविक संभावना आने में ज्यादा बुरा लगता है। जमीन से या समुद्र द्वारा इंग्लैण्ड से हिन्दुस्तान आने में बहुत-थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन जापान आने में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हिन्दुस्तान, मेरी राय और चीन के दूसरे राज्यों की पार करना आसान नहीं है। इसलिए, आगेसे समझना चाहिए कि अगर जापान चीन में जीत लेता है तो जापानों से हिन्दुस्तान में प्रवेश नहीं कर सकता। जापान को सिवायक भारत के छोड़-करे राज्यों में आना होगा और यदि भी मुश्किल-सम्पत्तियों के बिना हिन्दुस्तान आना मुश्किल कर सकता है। उनका लक्ष्य पर भी भारत जापान का सकता है; लेकिन अगली मकाल से यह

है कि जापान तबतक हिन्दुस्तान जीतने की बात नहीं सोच सकता, जबतक कि वह चीन का पूरी तरह से नहीं जीत लेता और उसे अपने राज्य का एक हिस्सा नहीं बना लेता। चीन को जीतना बड़ा मुश्किल काम है। इस वक़्त जापान ने उत्तरी चीन को जीत लिया है और वह चायद आगे दक्षिण की ओर और बढ़ जाय; लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी, जो चीन के इतिहास को जानता है या चीन की मौजूदा हालत या अन्तर्राष्ट्रीय हालत जानता है, वह कभी भी सोच सकता है कि जापान अपना राज्य तमाम चीन में कायम कर सकेगा। चीन जापान के लिए बहुत बड़ी विकट समस्या है। अगर उसे जीत भी लिया गया तो भी वह उसके लिए एक समस्या बनी ही रहेगी, और वास्तव में जापान की मारी ताकत उसमें लगी रहेगी। चायद इसने उसका पतन ही होजाय। दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में आज जो जापान की हालत है, उसे देखिए। वह बहुत मजबूत दिखाई देता है। कोई भी उसके राज सम्बन्धी विचारों और कार्यों में दखलदराजी नहीं करता। वह उत्तरी चीन और मञ्चूरिया में मनमानी कर रहा है, लेकिन अमल में दुनिया में जापान की हालत बड़ी दौन है। बाकी दुनिया में वह अलङ्कार कर दिया गया है और दुनिया में उसका कोई भी दोस्त नहीं है। उसके एक तरफ बहुत बड़ी ताकत अमरीका है और जापान व अमरीका के मध्य-राष्ट्र में ज्यादा प्रेमभाव नहीं है। दूसरी तरफ चीन है, जो कि एक दृष्टि में कमजोर होते हुए भी बहुत-सी बातों में बहुत मजबूत है। वह असल में मजबूत है, क्योंकि उसकी निदृष्ट ताकत ज्यादा है। उसकी जड़ता भी बहुत भारी है। लेकिन इसके अलावा बलात्कार के मामले में हुए भी आज चीन को कमजोरी का कारण जो मैं समझता हूँ वह यह है कि कुछ चीनी नेता चीन के प्रति सच्चे नहीं हैं। चीन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। चीन की कमजोरी इतनी नहीं है, जितनी है। उसके नेता चांग-काई-शेक वर्ग की कमजोरी हैं। हमसे चांग-काई-शेक का पतन हो सकता है और बाद में मजबूत रूप में और मजबूती में जापान का मुकाबिला किया जा सकता है। इसलिए इस हालत में जापान

को विरोधी चीन का मुकाबिला करना पड़ेगा, चाहे वह पराजित कर दिया जाय या नहीं। इसलिए जापान के बहादुरी के साथ हिन्दुस्तान में आने के समय हत्यन यह होगी—एक तरफ़ अमरीका, दूसरी तरफ़ चीन, उनमें से एक की गिराविलक, जिसके हमें विरोधी रहने की उम्मीद है। ऐसे में जापान चीन हाने का लम्बा मकर करके हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करेगा, यह मेरी नी नमज में नहीं आता है। और तबतक हिन्दुस्तान भी सामान नहीं बँधा रहेगा। वह चाहे मजबूत मुल्क न हो, लेकिन गिरी भी यन्त्राज्ञान से आनेकी बचाने में कोई कमर न उठा सकेगा।

४ फरवरी १९३६



नाओं के निर्माण में उनका बड़ा गहरा असर पड़ेगा। हिन्दुस्तान और चीन ज़रूरी तौर पर दुनिया-भर की समस्यायें हैं। उन्हें दरगुज़र करना या उनकी महत्ता कम करना दुनिया के घटना-चक्र का अज्ञान बढ़ाना है। इससे वह बुनियादी बीमारी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आवेगी, जिससे हम सब पीड़ित हैं।

हिन्दुस्तान की समस्या भी इस तरह आज की समस्या है। उसके बीते दिनों की सराहना करने या निन्दा करने से हमें कोई मदद नहीं मिलती। मदद सिर्फ उसी हद तक मिलती है जहाँतक कि बीते दिनों की बातें समझने से और मौजूदा बातें समझने में सहूलियत हो जाती है। हमें महसूस करना चाहिए कि अगर कोई बड़ी घटना वहाँ घटेगी, तो दुनिया पर भी उसका भारी असर पड़ेगा और हममें से कोई भी, हम चाहे कितनी ही दूर क्यों न रहें, चाहे किसी भी राष्ट्र या दूसरे में निष्ठा रखते हों, बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। इसलिए इस विशद दृष्टिकोण से इसपर यह सोचकर विचार करना चाहिए कि तात्कालिक समस्याओं का, जो आज हमारे सामने हैं, यह एक अंग है।

सब जानते हैं कि हिन्दुस्तान पर डेढ़ सौ वर्ष से ज्यादा से शासन करने में अंग्रेजों की विदेशी और घरेलू नीति पर बड़ा भारी असर पड़ा है। हिन्दुस्तान के धन-शोषण से औद्योगिक क्रान्ति के शुरू के दिनों में अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए इंग्लैंड को आवश्यक पूंजी मिली। उसके तैयार माल के लिए बाज़ार भी मिला। नेपोलियन की लड़ाइयों और क्रिमियन-युद्ध में भी हिन्दुस्तान जड़ में था, और उसके रास्तों को संरक्षण में रखने की इच्छा से ही इंग्लैंड को मिस्र और मध्य-पूर्वीय मुल्कों में दखलदराज़ी करनी पड़ी। रास्तों पर अधिकार रखने की नीति लड़ाई के बाद की दुनिया में भी चलती रही और अब भी इंग्लैंड आग्रह पूर्वक इन रास्तों से चिपटा हुआ है। महायुद्ध के बाद फौरन ही अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों के दिमाग में एक शांतदार ख़ाब आया कि एक विस्तृत मध्य-पूर्वीय राज्य क़ायम करें, जो कुस्तुनतुनिया से हिन्दुस्तान तक फैला हो; लेकिन सोवियट रूस और कमालपाशा की वजह से और फारस में रिज़ाशाह

और अफगानिस्तान में अमानुल्ला के उत्थान और मीरिया में फ्रांस के गामनादेश के कायम होने से वह हवाब पूरा न हो सका। हालांकि वह बृहद् विचार कोई शकल अस्तित्व न कर सका, फिर भी इंग्लैंड हिन्दुस्तान के खुशकी के रास्तों पर काफ़ी कब्ज़ा किये रहा और इसी कारण मोसल के प्रश्न पर टर्की के सघर्ष में आया। इसी अधिकार की नीति की वजह से इंग्लैंड को प्रोत्साहन मिला कि इथोपिया में अनायास ही यह राष्ट्र-सघ का सर्वेसर्वा बन जाय। इंग्लैंड की नैतिक भावना उस समय इतनी नहीं जगी थी, जब मचूरिया में सघ का मज़ाक बनाया गया था।

दुनिया की समस्या आखिर साम्राज्यवाद—वर्तमान आर्थिक साम्राज्यवाद—की है। इस समस्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यूरोप तथा दूसरी जगहों में फासिज्म फैला है, सोवियट रूस का उत्थान हुआ है, ताकत बढ़ी है और उसने एक ऐसी नई समस्या का प्रतिनिधित्व किया है जो खास तौर से साम्राज्यवाद की विरोधी है। यूरोप के मुखालिफ और फासिस्ट-विरोधी दलों में बँट जाने से लड़ाई अब साम्राज्यवाद की और उन नये दलों की हो गई है जो उसे सतरे में डालने की धमकी देने हैं। औपनिवेशिक और अधीन देशों में इसी झगड़े ने आजादी के लिए लड़नेवाले राष्ट्रवादी आन्दोलन की शकल अस्तित्व कर ली है। बढ़ते हुए सामाजिक मसले राष्ट्रवाद को और उभारते रहते हैं। अपने अधीन औपनिवेशिक राज्यों में साम्राज्यवाद फासिस्ट तरीक़ों पर काम करता है। इस तरह इंग्लैंड घर पर प्रजातन्त्रीय विधान की शान बघारते हुए हिन्दुस्तान में फासिस्ट उमूलों के मुताबिक चले रहा है।

यह माफ़ है कि कहीं भी जब साम्राज्यवादी मोरचा भग होता है तो उसकी प्रतिक्रिया तमाम दुनिया पर होती है। यूरोप में या और कहीं फासिज्म की जीत से साम्राज्यवाद की मज़बूती होती है, जिसकी प्रतिक्रिया सब जगह होती है। उसमें गफलत होने से साम्राज्यवाद कमजोर होता है। इसी तरह औपनिवेशिक या अधीन मुल्क में आजादी के आन्दोलन की जीत से साम्राज्यवाद और फासिज्म को धक्का लगना



है, और इसलिए यह बात आसानी से समझ में आ जाती है कि नार्जी नेता क्यों भारतीय राष्ट्रवाद पर नाराजी जाहिर करते हैं और अपनी पसंदगी दिखाते हैं कि हिन्दुस्तान अंग्रेजी शासन के अधीन ही रहे। इस समस्या पर अगर उसके दुनियादी पहलुओं में विचार किया जाय तो वह मामूली समस्या है; परन्तु फिर भी दुनिया की तरह-तरह की शक्तियों के चक्कर में पड़कर वह कभी-कभी बड़ी पेचीदा बन जाती है। जैसे कि जब दो साम्राज्यवाद एक-दूसरे का विरोध करने लगते हैं और दूसरे के अधीन देशों में राष्ट्रवादी या फासिस्टविरोधी प्रवृत्तियों का घोषण करना चाहते हैं। इन पेचीदगियों से निकलने का सिर्फ़ एक रास्ता यही है कि उनके खास पहलुओं पर विचार किया जाय और अस्थायी फ़ायदा उठाने के लिए मौकों से ललचाया न जाय, नहीं तो अस्थायी फ़ायदा बाद में बड़ा नुक़सान देनेवाला साबित होगा और बोज़ होगा।

हिन्दुस्तान ऐतिहासिकता और महत्ता की दृष्टि से आधुनिक साम्राज्यवाद का पहले दर्जे का मुल्क रहा है और है। अगर हिन्दुस्तान पर साम्राज्यवादी अधिकार में ज़रा भी विघ्न पड़ता है तो उसका दुनियाभर की स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा। ग्रेट ब्रिटेन की दुनिया की स्थिति में अजीबोगरीब हालत हो जायगी और उससे दूसरे औपनिवेशिक मुल्कों के आजादी के आंदोलनों को बड़ी ताक़त मिलेगी और इस तरह साम्राज्यवाद का हिला दिया जायगा। आजाद हिन्दुस्तान ज़रूर ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ज्यादा हिस्सा लेगा, वह हिस्सा दुनिया में शान्ति पैदा करने और साम्राज्यवाद और उसके अंगों का विरोध करने के लिए होगा।

कुछ लोग सोचते हैं कि हो सकता है हिन्दुस्तान अंग्रेज़ों के राष्ट्रदल का एक स्वतन्त्र राज्य होजाय, जैसे कनाडा और आस्ट्रेलिया हैं। यह तो एक अजीबोगरीब विचार लगता है। मौजूदा स्वतंत्र राज्य भी ग्रेट-ब्रिटेन से बंधे हुए होने पर भी धीरे-धीरे अलहदा हटते जा रहे हैं; क्योंकि उनके आर्थिक हितों में विरोध होता है। आयरलैण्ड (कुछ ऐतिहासिक कारणों से) और अफ़्रिका तो बहुत हट गये हैं। हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड के बीच कुछ कुदरती संबंध हैं और साथ ही उनमें तारीखी और



अब भी हिन्दुस्तानी मामलों में वे सबसे खास सवाल हैं। आर्थिक स्थितियाँ इस सवाल को आगे बढ़ा रही हैं। सोवियट रूस के सफल उदाहरण से भी मदद मिल रही है।

हिन्दुस्तान को आज़ादी कब मिलेगी? इसपर भविष्यवाणी करना खतरनाक है; लेकिन दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। घटनायें एक के बाद एक हो रही हैं। सारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद जल्दी-से-जल्दी कमज़ोर पड़ जायगा। इतनी जल्दी कि बहुतसे आदमी सोच भी नहीं सकेंगे। हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय आंदोलन पिछले सोलह सालों में, जवसे महात्मा गांधी ने उसका नेतृत्व लिया है और करोड़ों की संगठित प्रयत्न करने और बलिदान करने के लिए प्रेरित किया है, वेहद बढ़ गया है। इन सोलह वर्षों में बिना रुकावट के वह चलता ही गया है। हालाँकि उसमें उथल-पुथल होती रही है और तीन बार १९२०-२२में, १९३०-३१में, १९३२-३४ में उसने असहयोग-आंदोलन और सविनय अवज्ञा के ताक़तवर आंदोलनों से भी काम लिया, जिन्होंने हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य की जड़ हिला दी। अंग्रेज़ों पर जो इसकी प्रतिक्रिया हुई है, उससे इन आंदोलनों की ताक़त का अन्दाज़ा किया जा सकता है। एकदम फ़ासिस्ट तरीक़े की सख्तियों की खीफ़नाक शकल अंग्रेज़ों ने अख्तियार की। नागरिक स्वतंत्रता का अपहरण हुआ; प्रेस, व्याख्यान, सभा की आज़ादी छिनी; कोप, ज़मीनें, इमारतें ज़ब्त हुईं; सैकड़ों संगठन जिनमें स्कूल, यूनीवर्सिटी, अस्पताल, बच्चों की सांसाइटी, सामाजिक काम करनेवाले क्लब शामिल थे, उनपर प्रतिबन्ध लगे; लाखों आदमियों और औरतों को जेल में डाल दिया गया; और क़ैदियों और दूसरे आदमियों को वहशियाना तरीक़े से मारा गया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। दूसरी तरफ़ राष्ट्रवादी दलों में, रिश्वत दे-देकर और अल्पसंख्यक दलों को लालच देदेकर और मुल्क की तमाम सामंत-शाही, प्रतिक्रियावादी और अज्ञान प्रवृत्तियों को संगठित करके फूट डालने का प्रयत्न किया गया। इन सब प्रतिक्रियावादियों के आपस में इकट्ठे होने का बाहरी निशान था गोलमेज कान्फ़्रेंस जो लंदन में हुई। इन मेल का नतीजा निकला 'नये विधान' का क़ानून, जिसे ब्रिटिश सरकार

ने पाम किया। वह असल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मत्ता को और मजबूत करना है और मुल्क में प्रतिश्रियावादी प्रवृत्तियों को ज्यादा महत्त्व देना है।

इसी बीच में हिन्दुस्तान में नई सामाजिक शक्तियों ने तानना इकट्ठी कर ली है और समाजवादी और भावर्मवादी विचार संगठित मजदूरों के दलों में और राष्ट्रीय कांग्रेस में फैल गये हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी मुख्य अल्पसंख्यक दल है और उसका अमर बड़ रहा है। इन समाजवादी विचारों के बढने से कांग्रेस में कुछ फूट की प्रवृत्तियाँ पैदा हो गई हैं। और ज्यों-ज्यों उसका विकास होगा, त्यों-त्यों इन विचारों की दृढ़ता और बढती जायेगी। नये मिश्रकर कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक सयुक्त मोरचा है (जिममें बहुतमें दल शामिल हैं) और उसके खिलाफ साम्राज्यवाद के महयोगी प्रतिश्रियावादी और पचूडल तन्त्रों का सयुक्त मोरचा है। इस स्थिति का यूरुप के फामिस्ट-विराधी और फामिस्ट-दलबन्दी में मुवाविला किया जा सकता है। इन दो गाम दलों के बीच कुछ आदमियों के छोटे-छोटे दल हैं। ये आदमी शर्मापत्र में हैं, हालाँकि उनकी हमदर्दी राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ है।

हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत बड़ी जटिल हो रही है, क्योंकि मुल्क पिछड़े नविनय-अवज्ञा आन्दोलन की थकावट में स्वम्भ होना जा रहा है। ऐसे वकत में गडबड जरूरी तौर पर हो ही जाती है। नये विचारों को बहुतमें तो तुरन्त स्वीकार कर लेने हैं, बहुतमें उनमें भयभीत होजाने हैं। हालाँकि नविनय-अवज्ञा आन्दोलन अब नहीं चल रहा है और स्थिति माधारण होगई है; लेकिन ब्रिटिश सरकार का दमन और नागरिक स्वतन्त्रता का अपहरण अब भी चल रहा है। कम्युनिज्म को दलान्त के नाम पर मजदूर-आन्दोलन को सताया जा रहा है, बहुतमें मजदूर-सभ गैर-कानूनी करार दे दिये गये हैं, मजूरों के नेता जेल भेजे दिये गये हैं, आतङ्कवाद का दवाने के नाम पर मुल्क के बहुतमें हिस्सों में राजनैतिक कामों की रोक दिया गया है। बहुतमें महत्वपूर्ण राजनैतिक और मजदूरों के संगठनों पर अब भी प्रतिबन्ध हैं। जिन कानून, की व्यवस्था-

सभा ने नफ़रत से दूर फेंक दिया था, उसी पर वाइसराय की कार्य-कारिणी द्वारा अमल किया गया है। उससे शासकों और पुलिस को बड़े-बड़े अधिकार दिये गये हैं, जिससे वे अच्छी तरह से नागरिक स्वतन्त्रता और सार्वजनिक कार्रवाई को दबा दें। हजारों को स्थायी रूप से जेलों में डाल दिया गया है। न उनकी पेशी होती है, न उनपर जुर्म लगता है। हजारों को साज़िश और राजनैतिक अपराधों के लिए जेलों में ठूस दिया गया है। साधारण परिस्थितियों में अंग्रेज़ों की हुकूमत का यह रवैया है। इससे हिन्दुस्तान के आज़ादी के आन्दोलन की ताक़त का और अंग्रेज़ों को जो उससे डर है उसका पता चलता है। अंग्रेज़ सरकार बराबर भयभीत रह रही है, और जब किसी सरकार को डर लगा रहता है तो वह अजीब और जंगली तरह से व्यवहार करती है।

यह साफ़ है कि ब्रिटिश-सरकार आज़ादी के इस आन्दोलन का खात्मा करने में कामयाब नहीं हो सकती। हाँ, जब राष्ट्र शिथिल हो जाता है तब थोड़े वक्त के लिए उसे भले ही दबा कर रख सकती है। यह भी साफ़ है कि नये विधान ने मुल्क के सब प्रगतिशील तत्त्वों को नाराज कर दिया है और भड़का दिया है। अब लोग उस विधान को राज़ी से स्वीकार नहीं कर सकते। हिन्दुस्तान में शाही हुकूमत के खिलाफ़ जितनी नाराज़ी और मुखालिफ़त अब है उतनी पहले कभी नहीं हुई। फ़िलहाल सक्रिय राजनीति से गाँधीजी अलहदा होगये हैं; लेकिन हिन्दुस्तान के वह बहुत ही जबरदस्त और प्रभावशाली आदमी रहे हैं और रहेंगे। करोड़ों आदिमियों का नेतृत्व करने की उनमें शक्ति है। और जब कभी कोई ज़रूरत का मौका आयगा, वह राजनैतिक क्षेत्र में फिर आजायेंगे। यह सोचना कि हिन्दुस्तान की राजनीति में उनकी मदद न मिलेगी, ग़लत और फ़िज़ूल है। हिन्दुस्तान में विचारों का संघर्ष है और ख़ोचतान भी है, जैसा कि एक बड़े मुल्क के जीतेजागते आन्दोलन में स्वाभाविक होता है; लेकिन जहाँतक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध का सवाल है, सब एक हैं। उन जमातों को छोड़िए, जिनका साम्राज्यवाद से फायदा पहुँचता है या जो साम्राज्यवाद की वजह से ही पैदा हुई हैं। इसमें शुबह नहीं है कि जल्दी

ही हिन्दुस्तान में बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ होंगी और आजादी पाम आयगी।

तमाम दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक मघपों के पीछे एक आध्यात्मिक हलचल है, प्राचीन मूल्यों और विश्वासों का विरोध है, और झगड़े से बाहर निकलने के लिए रास्ते को खोज है। हिन्दुस्तान में भी शायद दूसरी जगहों में ज्यादा, अध्यात्मवाद की उथल-भुथल है; क्योंकि भारतीय संस्कृति की जड़े अब भी गहरी हैं और पुरानी जमीन में फँसी हुई हैं, और हालाँकि भविष्य इशारे में आगे बुला रहा है लेकिन भूत उभरे मजबूती में रोकें हुए हैं। प्राचीन संस्कृति में आधुनिक समस्याओं का हल नहीं मिलता। पूँजीवादी पश्चिम, जो कि उन्नीसवीं सदी में इतनी तेजी से चमक रहा था, अब अपनी गान खा चुका है और अपने ही विरोधों में इतना फँसा हुआ है कि कुछ बहा नहीं जा सकता। सोवियट मुल्कों में जो नई सम्यता चलाई जा रही है उसमें कुछ बुराइयाँ होते हुए भी वह अपनी ओर खींचती है। वह आगा दिलाती है कि वह दुनिया में अमन तो कायम कर देगी, साथ ही उसमें यह भी उम्मीद दिखाई देती है कि लाखों के शोषण और दुःख का खात्मा होजायगा। शायद हिन्दुस्तान इस नई सम्यता की ज्यादा-से-ज्यादा अपनाकर इस आध्यात्मिक हलचल का हल निकाले; लेकिन जब वह ऐसा करेगा तो सारे ढाँचे का अपने आदर्शों की योग्यता से मेल बैठकर अपने ही तरीके से करेगा।

सन् १९३६।

## आज़ादी के लिए हिन्दुस्तान की हलचल

हिन्दुस्तान की हालत पर कुछ लिखना आसान नहीं है। विदेशों में पक्षपातपूर्ण और इकतरफ़ा प्रचार इतने दिनों से होता चला आ रहा है कि हरेक अहम मसला गड़बड़ हो गया है और उससे हिन्दुस्तान की स्थिति का एकदम झूठा अंदाज होता है। हिन्दुस्तान में पिछले तीन-चार वरसों से आर्डिनेंस का राज्य है, जिसका कुछ क़ानूनी तरीक़ों में फ़ौजी क़ानून से निकट-सम्बन्ध है। अख़बारों के ऊपर कड़ी निगाह रखकर न सिर्फ़ लोगों को अपने ख़यालत जाहिर करने से ही रोका गया है, बल्कि वे ख़बरें भी दवा दी जाती हैं जो हिन्दुस्तान में ब्रिटिश-सरकार को नागवार लगती हैं। अख़बारों के हाथ-पैर बाँध दिये गये हैं; राजनैतिक मसलों पर सार्वजनिक सभायें करने की इजाज़त नहीं है; किताबें और बुलेटिन तक जो सच बातें देते हैं, उनपर रोक लगा दी गई है; चिट्ठियों और तारों की निगरानी होती है और कभी-कभी तो वे पते पर पहुँचते भी नहीं हैं। मुल्क के बहुत-से हिस्सों में उन आदमियों के नाम या फोटोग्राफ़ छापना, जो आर्डिनेंस के मातहत गिरफ़्तार किये गये हैं, जुर्म है। कुछ महीने पहले पण्डित मोतीलाल नेहरू की मृत्यु की स्मारक-सभा रोक दी गई थी, हालाँकि उसे बुलानेवाले ज्यादातर गैर-कांग्रेसी थे और सर तेजबहादुर सप्रू जैसे शान्ति-प्रिय नरम आदमी उसके सभापति होनेवाले थे। बंगाल के कुछ हिस्सों में और सरहद्दी सूबे में फ़ौजी शासन है। चटगांव और मिदनापुर में बेचारे छोटे बच्चों तक को शनाख्तगी का कार्ड अपने साथ ले जाना पड़ता है। लोगों की हलचल पर सख्ती से निगाह रखी जाती है और लोगों को कपड़े अक्सर सरकारी आदमियों के कहने के मुताबिक पहनने पड़ते हैं और तमाम क़स्बों और गाँवों पर भारी जुमनि किये जाते हैं,

जिन्हें वहाँके वाग्निन्दों को अज्ञात करना पड़ता है, चाहे कमूर हो या न हो।

अंग्रेज अखबार तरह-तरह की बातें लेकर भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर हमला करते हैं। उनके वक्त्रव्यो में अनगति माफ़ दिखाई देती है, पर इसका उन्हें खयाल नहीं है। एक तरफ काँग्रेस को प्रतिगामी मस्था बहकर उभार मिल-भालिकों का बच्चा बतलाया जाता है, दूसरी तरफ़ वे लगाने-बन्दी को बोलगोविको का काम कहा जाता है। यह कहकर वे शान्ति-प्रिय किमानों को अपनी चालाकी में भडकाने हैं। ऐसे अखबार तक जो सब बातें सब-सब जानते हैं, एकदम ऐसी झूठी खबरें फैलाने हैं जिनका घटनाओं में कोई संबंध नहीं होता। कुछ समय पहले, अंग्रेजी के सर्वोत्कृष्ट माप्नाहिकों में से एक ने लिखा था कि अस्पृश्यता-निवारण और हरिजन-उद्धार का आन्दोलन पिछले साल गार्गीजी के उपवाम ने चलाया था और कांग्रेस ने इन वर्गों के लिए अपने डार बन्द कर दिये हैं। असलियत यह है कि यह आन्दोलन पुराना है और मन् १९२० में गांधीजी के कहने पर कांग्रेस ने इसे अपने प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा बनाया था। तबसे हिन्दुस्तान के सबसे बड़े आन्दोलनों में से एक रहा है। कांग्रेस ने कभी हरिजनों को बाहर नहीं किया है, और पिछले तेरह बरसों में उसने बराबर जोर दिया है कि ऊँची-से-ऊँची कार्यकारिणियों में हरिजनों के प्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए। यह उच्च है कि गार्गीजी के उपवाम ने इस आन्दोलन को बहुत आगे बढ़ाया है।

हिन्दुस्तान और दूसरे पूर्वी देश आमतौर में रहस्यमय समझे जाते रहे हैं और कहा जाता है कि उनमें जानियाँ विचित्र तरीकों से काम करती हैं; पर उन्हें समझने की कभी मच्छी कांशिन नहीं की गई। यह इतिहास और भूगोल का जादूमय विचार शायद किमी औमन कजरवेडिव या तिचरल रात्रनीनिज्ञ के विचित्र और वेदुनिय्याद विचारों में मेल खाता है, जिनके पास और कोई ऐसी दृष्टि ही नहीं है जिसका वह महारा ले सके। लेकिन मजदूर तो इतिहास और चालू घटनाओं की धैज्ञानिक और आर्थिक व्याख्या में विश्वास करता है, और यह अचरज की बात है कि



अंग्रेज-मजूर भी उसी भ्रम में रहे हैं। शायद साम्राज्यवादी शासन के पीढ़ियों तक रहने से ब्रिटिश-मजदूरों के विचारों पर असर पड़ गया है और उनके लिए यह भी मुमकिन नहीं रहा कि जहाँपर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित हैं वहाँ पर ठीक और वास्तविक रूप में निष्पक्ष गौर कर सकें। हमें मजदूर-नेताओं ने बतलाया है कि राष्ट्रवाद तो संकुचित मत होता है और इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद भी प्रतिगामी है। इसी सिद्धान्त की आड़ में वे ब्रिटिश-साम्राज्यवाद को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उसे ब्रिटिश राष्ट्रों के पंचायती राज्य के ऊँचे नाम से पुकारते हैं। आजकल की दुनिया में राष्ट्रवाद, चाहे वह इंग्लैण्ड में हो या हिन्दुस्तान में, प्रतिगामी है; लेकिन औपनिवेशिक मुल्कों में साम्राज्यवाद की वह अनिवार्य प्रतिक्रिया है जिससे वास्तविक अन्तर्राष्ट्रवाद की ओर बढ़ने में बचा नहीं जा सकता। साम्राज्यवाद को बचाने के लिए औपनिवेशिक राष्ट्रवाद को प्रतिगामी कहना एकदम कायरता है।

यह सभी जानते हैं कि बड़े आन्दोलन व्यक्तियों या थोड़ेसे आन्दोलनकारियों द्वारा शुरू नहीं किये जाते, बल्कि उनके कारण खास तौर से उनके आर्थिक होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन इसी तरह शुरू हुआ और शुरू के दिनों में उस पर उच्च मध्य वर्ग का कब्जा था। लाजिमी तौर पर वह साम्राज्यवाद का विरोधी नहीं था, क्योंकि वह वर्ग खुद अंग्रेजी राज्य का पैदा किया हुआ था और चाहता था कि साम्राज्यवाद के रेशों में वह खुद गुँथ जाय। लेकिन आर्थिक घटनाओं के चक्र ने उसमें तब्दीली पैदा की और उसपर कब्जा निम्न मध्यवर्ग के और वर्गरहित बुद्धिवादियों का होने लगा। महायुद्ध के बाद राष्ट्रवाद की लहर में, जिसने तमाम एशिया को हिला दिया, हिन्दुस्तान ने एक खास हिस्सा लिया। एक बड़े राष्ट्रवादी नेता ने लोगों को जगाया और पहली बार सर्वसाधारण और खासतौर से किसानों ने राष्ट्रीय लड़ाई में बड़ा हिस्सा हिस्सा लिया। लड़ाई के बाद के वरसों में कांग्रेस के साथ सर्वसाधारण का सम्बन्ध बढ़ता ही गया और कुछ प्रान्तों में किसानों ने नीति-निर्माण में और सरकार के खिलाफ़ प्रत्यक्ष विरोध में भाग लिया। यह बहुत ही महत्व-

पूर्ण काम था। औद्योगिक कार्यकर्ताओं ने, खामतीर से बम्बई में, मजूर-आन्दोलन खड़ा कर दिया और आगे बढ़कर उन्होंने क्रान्तिकारी विचार बना लिये। एक मगठित दल की हैसियत में उन्होंने कांग्रेस का महयोग नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस का उसपर बहुत असर पड़ा। बहुतों ने कांग्रेस की लड़ाई में हिम्सा लिया। साथ ही साथ भारतीय मजूर हड़तालों के जरिये पूंजीवादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई चलाते रहे।

ज्यों-ज्यों कांग्रेस स्वतंत्र विचार की होती गई और जन-साधारण की मदद उसे मिलती गई, त्यों-त्यों भारतीय स्थापित स्वार्थ, जो उसमें अपना स्वान रखते थे, भयभीत होते गये और उसमें से बाहर भी निकल गये। जो वधे उन्हींमें से एक छोटासा मामूली नरम या उदारदल कायम हुआ। जन-साधारण के सम्पर्क में आने से आर्थिक मामले कांग्रेस के सामने आये और समाजवादी विचार-धारा फलने लगी। समय-समय पर बहुत-से गोलमोल समाजवादी प्रस्ताव पास हुए। मन् १९३१ में कांग्रेस ने कराची में इस दिशा में, आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पास करके, एक निश्चित कदम बढ़ाया। पिछले चार बरसों में कांग्रेस की प्रत्यक्ष लड़ाई और मौजूदा जमाने में दुनिया में मदी और आर्थिक घटनाओं का तेजी से आगे बढ़ना, इन सबने कांग्रेस को मजबूती में समाजवादी दिशा में मोड़ा है और आजादी की लड़ाई का अर्थ ज्यादा-से-ज्यादा समाज-व्यवस्था में तब्दीली करना और जन-साधारण के दुख दूर करना होगया है। अभी हाल ही के एक पत्र में गांधीजी ने लिखा था कि असली आजादी का मतलब हिन्दुस्तान में स्थापित स्वार्थों को मिटा देना है। कांग्रेस अब भी एक राष्ट्रीय मगठन है और इस कारण उसके अन्दर वे सब दल और वर्ग भी आ जाते हैं जिनके सामाजिक हित आपस में टकराने हैं। लेकिन हाल ही की घटनाओं ने आर्थिक मवाल को बहुत अहम बना दिया है। नतीजा यह हुआ है कि कांग्रेस और भी जन-साधारण का मगठन हो गई है और उसके खिलाफ भारतीय स्थापित स्वार्थों, देशी नरेशों, जमींदार, ताल्लुकेदार, पूंजीपति आदि सब—हिन्दुस्तान के ब्रिटिश स्थापित स्वार्थों से तमाम राजनैतिक और सामाजिक

तद्दीलियों को रोकने के लिए मिल गये हैं। लन्दन की गोलमेज कान्फ्रेंस स्थापित स्वार्थों की ऐसी ही दलबन्दी थी। इस तरह हमारी आजादी की लड़ाई लाजिमी तौर पर सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई भी होती जा रही है।

'आजादी' शब्द अच्छा शब्द नहीं है। उसका मतलब है तनहाई। और मौजूदा दुनिया में ऐसी तनहाई आजादी नहीं हो सकती। लेकिन इस शब्द का इस्तमाल इसलिए किया गया है कि उससे अच्छा और दूसरा कोई शब्द नहीं है। इस शब्द से यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम बाकी दुनिया से अपनेको अलग कर लेना चाहते हैं। हम एक संकीर्ण और हमलेवर राष्ट्रवाद में यकीन नहीं करते। हम तो आपस में एक-दूसरे पर निर्भर होना चाहते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग चाहते हैं; लेकिन साथ ही हमें यकीन है कि साम्राज्यवाद पर कोई निर्भरता या उसके साथ सच्चा सहयोग नहीं हो सकता। इस तरह हम हर तरह के साम्राज्यवाद से एकदम आजादी चाहते हैं। लेकिन इससे उन अंग्रेजों तथा दूसरे आदमियों के साथ का हमारा सहयोग खत्म नहीं हो जाता, जो हमारा शोषण नहीं करना चाहते। साम्राज्यवाद के साथ किसी भी हालत में समझौता न हो सकता है और न होगा।

इसलिए जरूरी तौर पर हमारी आजादी की लड़ाई सामाजिक व्यवस्था को जड़ से बदल डालने और जन-साधारण के शोषण का खात्मा कर देने के लिए है। ऐसा तभी होसकता है जब हिन्दुस्तान के स्थापित स्वार्थों का खात्मा कर दिया जाय। सिर्फ अफसरों को बदलने से या महज भारतीयकारण से, जैसा कि उसे कहा जाता है, या ऊँचे ओहदे पर अंग्रेज की जगह किसी हिन्दुस्तानी को रख देने से हमें कोई फायदा नहीं है। हम तो उस पद्धति की मुखालिफत करते हैं जो हिन्दुस्तान के आम लोगों का खून चूसती है। उसके यहाँ से विदा हो जाने पर ही आम लोगों को आराम मिलेगा।

लन्दन की गोलमेज कान्फ्रेंस तो विलकुल दूसरी ही बुनियात पर चली है। उसका पूरा मतलब करीब-करीब यह रहा है कि हरेक स्थापित

स्वार्थ को वह बचावे और ऐसा बनादे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुँचा सके। इस 'जी हुजूरो' की भीड़ को वह और बड़ाना चाहती है। इस तरह गोलमेज की तमाम योजना आम लोगों के शोषण को कम करने के बजाय उनपर और नया बोझ लाद देती है। भारत-मंत्री हमें बताते हैं कि बंधानिक तब्दीलियाँ होने से लाखों का खर्च बच जायगा। इसलिए जबतक दुनिया की मौजूदा आधिक मदी दूर नहीं होती और हिन्दुस्तान खुगहाल नहीं होता तबतक इन्तजार किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय अगर इस बेजारी को अपनी ही तरह से दूर करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत दिनों तक इन्तजार करना पड़ेगा। उनके वक्तव्य से पता चलता है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है और आगे होनेवाला है, उसको उन्होंने विलकुल नहीं समझा है। यह 'व्हाइट हाल' और 'इण्डिया ऑफिस' के प्रभुओं की दलील की अजीबोगरीब मिसाल है।

हिन्दुस्तान विद्रोह की हालत में है; क्योंकि मजदूर, किसान और निम्न मध्यश्रेणियों का शोषण करके चूसा जा रहा है। उन्हें तुरन्त सहायता चाहिए। उन्हें तो अपने भूखे पेट को भरने के लिए रोटी की दरकार है। बहुत-से जमींदार तक भिखारी की हालत में हो गये हैं; क्योंकि ज़मीन की जमाबन्दी का तरीका सतम होता जा रहा है। इस सबनाश और चारों तरफ फैली मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय यह निकाला जा रहा है कि स्थापित स्वार्थों की मदद की जाय, जिसकी वजह से कि यह सब हुआ है, और एक अर्धसामन्त-प्रथा को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी उपयोगिता कभीकी खत्म हो चुकी है और जो तरक्की के रास्ते में एक रोड़ा है। इनके अलावा जनता पर और बोझ लादा गया है और तब हममें कहा जाता है कि जब स्थिति अपनेआप ही ठीक होजायगी, तब तब्दीलियाँ करने का यत्न आयगा।

यह साफ है कि इस तरीके से काम करना मानव-जाति के बहुत-से प्राणियों से सम्बन्ध रखनेवाले एक बड़े भगले को टालमटोल करना है। गोलमेज की योजना, चाहे ब्रिटिश पार्लमेण्ट उगे उमी रूप में रखे या बदल-बदल करके मजूर करे; हिन्दुस्तान की एक

भी समस्या को नहीं सुलझा सकती। चर्चिल-लॉयड-ग्रुप ने जो इसका विरोध किया है और मि० वाल्डविन ने वहादुरी के साथ जो उसकी तरफ़दारी की है, उसके बारे में इंग्लैंड में बड़े तूल-तवील वाँधे गये हैं। जहाँतक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध है, इन सब मज्जाक्रिया लड़ाइयों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है; क्योंकि इन लड़ाइयों का नतीजा कुछ भी हो, उससे उस योजना के बारे में जो एकदम प्रतिगामी, निकम्मी और अव्यावहारिक है, उसका मत नहीं बदल सकता। ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तान के अपने पिछलग्गुओं, ज़मींदारों और प्रतिगामी दलों को, जिनमें कट्टर धार्मिक अज्ञानी भी शामिल हैं जिन्हें गांधीजी ने उनके मोरचे पर हमला करके भयभीत कर दिया है, लेकर दलबन्दी कर सकती हैं। इन जुदा-जुदा दलों को साथ लेने से सरकार को अगर मज्जा आता है, तो हमें कोई शिकायत नहीं है। उससे तो हमारी सामाजिक तब्दीली करने और साथ ही राजनैतिक तब्दीली करने का काम और आसान हो जाता है।

इस तरह जहाँतक काँग्रेस का सम्बन्ध है, गोलमेज़ कान्फ़ेंस और जॉइण्ट सिलेक्ट कमेटी ने हमारी आज़ादी की लड़ाई पर कोई असर नहीं डाला। उलटा उसने उस मसलों को साफ़ कर दिया है और जाहिर कर दिया है कि ब्रिटिश-साम्राज्यवाद उन्हीं सबका पोषक है जो हिन्दुस्तान के लिए प्रतिक्रियात्मक हैं। ऐसी हालतों में आज़ादी की लड़ाई और सामाजिक तब्दीलियाँ होती ही जायेंगी। असल में यह किसी एक आदमी या दल के बस की बात है भी नहीं कि इस लड़ाई को रोक दे। काँग्रेस भी ऐसा नहीं कर सकती; क्योंकि यह आज़ादी की लड़ाई आर्थिक स्थितियों से कुदरतन पैदा हुई है और जबतक ये स्थितियाँ रहेंगी तबतक लड़ाई का रास्ता भी बना रहेगा। अगर काँग्रेस के नेता हट जाते हैं तो दूसरे आदमी या संगठन उनकी जगह ले लेंगे।

लड़ाई का राजनैतिक हल तभी मिल सकता है जब हिन्दुस्तानी अपने विधान को आम जनता में से चुनी हुई विधान-सभा (राष्ट्रीय पंचायत) में तय करें। ऐसी सभा, मुझे सन्देह नहीं, अल्पसंख्यक तथा

दूमरी समस्याओं को भी सुलझा देगी। ये समस्याएँ अहम बन गई हैं; क्योंकि उन्हें हल करने का काम उन्हींके चुने हुए आदमियों के हाथ में न सौंपकर सरकार के चुने हुए आदमियों के हाथ में सौंप दिया गया है। यही प्रतिक्रियावादी मनोनीत व्यक्ति है जो आपस में एकमत नहीं हुए और दिखाया यह गया कि हिन्दुस्तानी आपस में राजी नहीं हो सकते। हिन्दुस्तानियों को कभी असली मौका दिया भी गया है कि वे अपनी समस्याओं को अपनेआप सुलझा लें? जहाँतक काँग्रेस का सबब है, उसे ज्यादा मुश्किल नहीं है; क्योंकि उसने तो बहुत दिनों से अल्पमस्यको को अधिकार देने के लिए अपनेको तैयार कर लिया है।

काँग्रेस अपने लिए कोई ताकत नहीं चाहती। मुझे यकीन है कि वह राष्ट्रीय पचायत के फैसले को खुशी से मानेगी और जिस घड़ी राजनैतिक आजादी मिल जायगी, वह अपनेको खत्म कर देगी। लेकिन मौजूदा हालातों में या निकट-भविष्य में ऐसी राष्ट्रीय पचायत बुलाई भी जा सकेगी, इसमें सन्देह है।

जिनकी इसमें देर की जायगी, उतनी ही ज्यादा हिन्दुस्तान की राजनैतिक समस्या आर्थिक समस्या बनती जायगी और आखिरकार सामाजिक और राजनैतिक तब्दीली होकर रहेगी। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई जरूरी तौर पर दुनिया की लड़ाई का हिस्सा है जो हर जगह शोषितों के छुटकारे के लिए और एक नई सामाजिक-संस्था स्थापित करने के लिए चल रही है।

अक्टूबर १९३३।

## राष्ट्रीय पंचायत और साम्प्रदायिकता

मैंने सलाह दी थी कि राजनैतिक और साम्प्रदायिक दोनों समस्यायें विधान-सभा यानी राष्ट्रीय-पंचायत के द्वारा मुलझाई जानी चाहिए। इस बात को काफ़ी पसन्द किया गया। गांधीजी ने इसकी प्रशंसा की। और दूसरे बहुतों ने भी की है, फिर भी कुछ लोगों ने इसे ग़लत समझा है या समझने की तकलीफ़ ही गवारा नहीं की है।

अगर इसे स्वीकार किया जाय, जैसा कि होना चाहिए, कि राज-नैतिक और राष्ट्रीय रूप से हिन्दुस्तानी ही अपने भाग्य के एकमात्र निर्णायक हों और इसलिए अपना विधान तैयार करने की उन्हें पूरी आज़ादी हो, तो इससे यह अर्थ निकलता है कि ऐसा एक राष्ट्रीय-पंचायत द्वारा ही हो सकता है, जिसका निर्वाचन अधिक-से-अधिक मताधिकार पर हो। जो आज़ादी में विश्वास करते हैं, उनके लिए दूसरा मार्ग नहीं है। जो लोग साम्राज्यन्तर्गत स्वराज्य की बात करते हैं, वे भी इस बात से सहमत होंगे कि निर्णय हिन्दुस्तानियों को ही करना होगा। यह निर्णय किस प्रकार किया जायगा? नेताओं के दल या व्यक्तियों द्वारा नहीं और न उन आत्म-निर्वाचित संस्थाओं द्वारा जिन्हें 'आल पार्टीज कान्फ़ेस' कहते हैं और जो अगर किसीका प्रतिनिधित्व करती हैं तो छोटे स्वार्थी दलों का करती हैं और अधिकांश जनसंख्या को छोड़ देती हैं। हमें यह मानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय काँग्रेस इतनी शक्तिशाली और अधिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व करनेवाली होती हुए भी वह यह निर्णय नहीं कर सकती। काँग्रेस को आज़ादी है कि वह आदमियों के सहयोग से राष्ट्रीय-पंचायत पर अपना प्रभाव डाले और उसपर क़ाबू रखे, लेकिन

अन्तिम राजनैतिक निर्णय हिन्दुस्तान के आदमी ही जन-मत से निर्वाचित राष्ट्रीय पंचायत द्वारा ही करेगे ।

इस पंचायत का उन झूठे और बेजान कौंसिलों और सभाओं से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा, जिन्हे विदेशी शासन ने हमपर लाद दिया है । उसे तो अपनी शक्ति जनता से ही प्राप्त करनी होगी । उसपर कोई बाहरी दबाव नहीं होगा । मैंने सलाह दी है कि इस पंचायत का निर्वाचन वयस्क या निकट-वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए । निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, यह बाद में विचार करके तय कर लिया जायगा । निजी तौर पर मैं यथासम्भव चुनाव की क्रियाशील पद्धति को चलाना पसन्द करता हूँ; क्योंकि वास्तविक हितों का वह वही अधिक प्रतिनिधित्व करती है । भौगोलिक पद्धति अक्सर इन हितों को ढक लेती है और उनमें गड़बड़ डाल देती है । लेकिन इनमें से किसी भी पद्धति को या दोनों को संयुक्त रूप में स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ । राष्ट्रीय पंचायत के चुनाव और काम करने में एक कठिनाई को छोड़कर, जो महत्वपूर्ण है, मुझे और कठिनाई नहीं दिखाई देती । पंचायत का काम विधान बनाने तक ही सीमित होगा और तब उस नये विधान के आधार पर चुनाव होगा ।

जिस एक कठिनाई के बारे में मैंने ऊपर कहा है वह एक बाहरी नया यानी ब्रिटिश-सरकार की मौजूदगी और शासन है । यह स्पष्ट है कि जब तक यह शासन चलता है, तब तक कोई असली विधान-सभा या राष्ट्रीय पंचायत नहीं बन सकती और न काम ही कर सकती है । इसलिए जल्द ही पहले इन बातों की है कि राष्ट्र की ताकत काफी बढ़े, जिससे हिन्दुस्तान के आदमियों की इच्छा पूरी हो सके । दो विरोधी इच्छायें एक साथ नहीं चल सकती । उन दोनों में सघर्ष होगा और शासन के लिए लड़ाई होगी, जैसा कि आज हम हिन्दुस्तान में देखते हैं । लाजिमी तौर पर यह स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के स्वार्थों को कायम रखने के लिए है और इन्हीं पेपर उन्हींको स्थायी बनाने की कोशिश है । कोई भी राष्ट्रीय पंचायत इन ज़बोरो से नहीं जकड़ी जा सकती और जब तक राष्ट्र इन बर्बरों के



तोड़ने के लिए काफ़ी ताक़त पैदा नहीं कर लेता तबतक ऐसी सभा काम नहीं कर सकती ।

यह पंचायत साम्प्रदायिक समस्या को भी हाथ में लेगी और मैंने सलाह दी है कि अल्प-मत के दिमाग से बक दूर करने के लिए अगर वह चाहे तो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव पृथक् निर्वाचक-समूहों द्वारा कर सकती है । लेकिन यह पृथक् चुनाव केवल विधान-सभा के ही लिए होगा । आगामी चुनाव का तरीका तथा विधान से संबंध रखनेवाली और सब बातें यही सभा अपने आप तय करेगी ।

मैंने यह भी कहा है कि अगर इस विधान-सभा के निर्वाचित मुसलमान प्रतिनिधि कुछ साम्प्रदायिक माँगें पेश करते हैं तो उन्हें स्वीकार कराने पर मैं जोर दूंगा । साम्प्रदायिकता को मैं बुरा समझता हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि दमन से वह नहीं मिट सकती, बल्कि डर की भावना को दूर करने या हितों को जुदा कर देने से मिट सकती है । इसलिए हमें इस डर को दूर करना चाहिए और मुस्लिम जनता को यह महसूस करा देना चाहिए कि जो रक्षा वे वास्तव में चाहते हैं वह उन्हें मिल सकती है । यह बात महसूस कराने से, मैं समझता हूँ, कि साम्प्रदायिकता की भावना बहुत-कुछ कम होजायगी ।

लेकिन मुझे पक्का यक़ीन होगया है कि असली उपाय यह है कि साम्प्रदायिक सवाल के चारों ओर और आज की असलियतों तक जो वनावटीपन पैदा होगया और फैल गया है, उससे हितों को अलग किया जाय । आजकल की अधिकांश साम्प्रदायिकता राजनैतिक प्रतिक्रिया है और इसलिए हम देखते हैं कि साम्प्रदायिक नेता अनिवार्यतः राजनैतिक और आर्थिक मामलों में प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं । उच्च-वर्गीय आदमियों के ग्रुप यह दिखाकर कि वे धार्मिक अल्पमत या बहुमत की साम्प्रदायिक माँगों को पूरा कराना चाहते हैं, अपने वर्ग के स्वार्थों को ढक लेते हैं । हिन्दुओं, मुसलमानों या दूसरे लोगों की तरफ से पेश की गई साम्प्रदायिक माँगों को अगर अच्छी तरह से देखा जाय तो पता चलेगा कि जनता से उनका कोई संबंध नहीं है । ज्यादा-से-ज्यादा

माँगें कुछ बेकार दिमागी आदमियों के लिए नौकरियों के बारे में होती हैं; लेकिन यह स्पष्ट है कि बेकार मध्यवर्गीय दिमागी आदमियों की भी मनम्या राज्य की नौकरियों के फिर से बटवारे से पूरी नहीं हो सकती। मध्यवर्ग के बेकार आदमी इतने होते हैं कि राज्य में या दूमरी नौकरियों में वे सब-के-सब नहीं खप सकने और उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। जहाँतक जनता का या उसकी जरूरतों का सवाल है, वहाँतक साम्प्रदायिक मगठनों द्वारा रक्खी गई माँगों का कोई संवध नहीं है। स्पष्टरूप से सम्प्रदायवादी उन्हें ध्यान देने लायक नहीं समझते। इन साम्प्रदायिक युक्तियों में दुखी किसानों, उनके लगान और मालगुजारी या उन्हें कुचलनेवाले कर्ज के बोझ के बारे में क्या है? और क्या है उनमें फँकटरी, रेलवे, या दूनरे मजदूरों के बारे में जिनके वेतन लगातार कम हो रहे हैं और उनके रहन-सहन का दर्जा एरुदम नीचा गिर गया है? या उन निम्न मध्य वर्गों के बारे में, जिन्हें बेकारी की वजह से जिन्दगी दूभर हो रही है? कौंसिलों में सौटों और पृथक् या मयुक्त निर्वाचनों और प्रातों को अलहदा करने पर बड़ी गरमागरम बहम होती है। कितनों पर ये बातें अमर डालती हैं या कितनों को उनमें दिलचस्पी है? क्या एक भूखा आदमी, जिसके पेट को भूख कचोटती है, इसमें दिलचस्पी ले सकता है? लेकिन हमारे साम्प्रदायिक दोस्त इन असली ममलों को उडाने का अच्छी तरह से ध्यान से रखते हैं; क्योंकि उनके हल से हो सकता है उनके स्वार्थों पर ही उलटा अमर पड़े। और वे लोगों का ध्यान बिलकुल अवास्तविक और जनता के दृष्टिकोण से छोटी-छोटी बातों की ओर लगाते हैं।

साम्प्रदायिकता जरूरी तौर पर तीसरी ताकत—शासक-सत्ता—की कृपा पाने की कोशिश है। सम्प्रदायवादी तो विदेशी शासन के चालू रहने की परिभाषा में ही साँच मक्ने हैं और उममे अपने ही ग्रुप को ज्यादा-से-ज्यादा फायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अगर विदेशी सत्ता को हटा दिया जाय तो साम्प्रदायिक बहम और माँगें सब खत्म हो जायेंगी। विदेशी सत्ता और सम्प्रदायवादी दोनों ही उच्चवर्गीय

दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए राजनैतिक और आर्थिक विधान में कोई तब्दीली नहीं चाहते। दोनों ही अपने स्वार्थों को कायम और स्थायी बनाये रखने में दिलचस्पी रखते हैं। इसीकी वजह से दोनों असली आर्थिक समस्याओं को, जो आज देश के सामने हैं, हल नहीं करते; क्योंकि उनके हल से मौजूदा सामाजिक विधान बदल जायगा और स्थापित स्वार्थ भी कायम नहीं रहेंगे। दोनों को असली मसलों को दर-गुजर करने की शत्रुमर्ग-जैसी यह नीति आखिर में वर्दाद कर देगी। सरकारों और साम्राज्यों से कहीं ज्यादा ताकतवर असलियतें और आर्थिक शक्तियाँ होती हैं और अपने खतरे पर ही उन्हें भुलाया जा सकता है।

इस तरह साम्प्रदायिकता राजनैतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया का दूसरा नाम हो जाता है। और अंग्रेजी सरकार हिन्दुस्तान में इस प्रतिक्रिया का केन्द्र है, इसलिए कुदरतन वह अपना साया फायदेमन्द मित्र के ऊपर डालती है। असली मसले को गड़बड़ाने के लिए बहुत-से झूठे रास्ते बनाये गये हैं। इस्लामी संस्कृति और हिन्दू संस्कृति, धर्म और प्राचीन रीति-रिवाज, प्राचीन गौरव तथा ऐसी ही बातें हमसे कही जाती हैं। लेकिन इस सबके पीछे राजनैतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया है। और इसलिए साम्प्रदायिकता से सब तरफ़ से लड़ना चाहिए, कोई जगह छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि साम्प्रदायिकता के अन्दरूनी रूप को अच्छी तरह से महसूस नहीं किया गया, इसलिए अक्सर उसने आडम्बर से काम लिया है और बहुत-से अनजान लोगों को फँसा लिया है। यह निस्सन्देह ठीक है कि बहुत-से कांग्रेसी करीब-करीब अनजान में उसके वशी-भूत हुए और इस संकीर्ण और प्रतिक्रियावादी मत से अपने राष्ट्रवाद का मेल बैठाने की उन्होंने कोशिश की। अगर इसके असली रूप को अच्छी तरह से देखा जाय तो पता चलेगा कि दोनों के बीच में कोई सामान्य धरातल नहीं हो सकता। उनकी क्रिस्में भिन्न हैं। वक्त आगया है कि कांग्रेसी और दूसरे आदमी, जो हिन्दू या मुसलमान, सिक्ख या अन्य सम्प्रदायवाद से मज़ाक करते रहे हैं, इस स्थिति को समझें और अपना रास्ता निकालें। दोनों ही तरह से कोई उसे ग्रहण नहीं कर सकता।

राजनैतिक और सामाजिक उन्नति और खुली प्रतिक्रिया में मे किसी एक का पसन्द करना होगा। साम्प्रदायिकता के किसी भी स्वरूप में सबध रखने का अर्थ होता है प्रतिक्रिया के साधनों को और हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मजबूत करना; उसका अर्थ होता है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का विरोध और अपने आदिमियों के मौजूदा दुःख को वर्दासत करना; उसका अर्थ होता है आँख बन्द करके दुनिया की ताकतों और घटनाओं को दरगुजर करना।

साम्प्रदायिक सगठन क्या है? वे मजहबी नहीं हैं, हालांकि वे अपनेको मजहबी ग्रुपों में ही मानते हैं और मजहब नाम का नाजायज फायदा उठाते हैं। सांस्कृतिक भी वे नहीं हैं। संस्कृति के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, हालांकि वे बहादुरी के साथ प्राचीन संस्कृति की बात करते हैं। वे नैतिक ग्रुप भी नहीं हैं; क्योंकि उनकी शिक्षा में नैतिकता बिल्कुल नहीं है। आर्थिक दलबन्दी भी वह निश्चय ही नहीं है; क्योंकि उनके सदस्यों को बाँधनेवाली कोई आर्थिक कड़ी नहीं है और न आर्थिक कार्यक्रम की ही छाया उनमें है। उनमें में कुछ तो राजनैतिक होने का दावा भी नहीं करते। तब वे हैं क्या?

असल में राजनैतिक ढंग से वे काम करते हैं और उनकी माँगें भी राजनैतिक हैं; लेकिन जब वे अपनेको अ-राजनैतिक कहते हैं तो वे अमली मसले को दरगुजर करते हैं और दूसरों के रास्ते को रोकने में ही वे कामयाब होते हैं। अगर ये राजनैतिक सगठन हैं तो हमें हक है कि यह जाने कि उनका उद्देश्य क्या है। वे हिन्दुस्तान की मुकम्मिल आजादी चाहते हैं या आंशिक आजादी—अगर वंशी भी आजादी कोई चीज है तो? क्या वे आजादी चाहते हैं या साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य? अच्छे-मे-अच्छे शब्द भी भ्रम पैदा कर देने हैं और बहुत-से आदमी अब भी माँचते हैं कि साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य आजादी के ही बराबर है। असल में वे दोनों बिल्कुल भिन्न हैं, विरोधी दिशाओं में जानेवाले वे दो रास्ते हैं। यह आनों का सवाल नहीं है कि चौदह आने हैं या सोलह आने; बल्कि भिन्न-भिन्न मिक्कों-जैसा सवाल है, जिनका आपस में विनिमय नहीं हो सकता।

साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य का अर्थ है अंग्रेजों की आर्थिक व्यवस्था के मजबूत ढांचे और स्वार्थों के अन्तर्गत काम किये जाना । साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य में इस गला घोटनेवाले अधिकार से कोई छुटकारा नहीं है । आजादी का मतलब है इन बोज़ों से मुक्त होने की संभावना और अपने सामाजिक विधान को तै करने की आजादी । इसलिए साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य में हमें चाहे जितनी अधिक सीमित आजादी मिल जाय, फिर भी वह इंग्लैण्ड के बैंक और ब्रिटिश पूंजी के मुख्य अधिकार में होगी । हमारे मौजूदा आर्थिक विधान के चलने पर भी उसे निर्भर होना होगा । इसका अर्थ है कि हम अपनी आर्थिक समस्याओं को नहीं सुलझा सकते और न कुचलनेवाले बोज़ से जनता को ही मुक्त कर सकते हैं । हम दलदल में और गहरे ही फँस सकते हैं । तब इन साम्प्रदायिक संगठनों का क्या उद्देश्य है—आजादी या साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य ?

व्हाइटपेपर में जो मजाकिया विधान दिया गया है, उसका जिक्र करने की हमें जरूरत नहीं है । उससे तो सिर्फ़ हमें इसी बात की याद दिलाई जाती है कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश पूंजी और स्वार्थों को हर तरह से क्रायम रक्खा जायगा, जबतक कि ब्रिटिश-सरकार में उन्हें क्रायम रखने की ताकत है । सिर्फ़ वही आदमी जिन्हें ब्रिटिश स्वार्थों के क्रायम रखने में दिलचस्पी है या जो बहुत सीधे-सादे हैं, व्हाइटपेपर या उसके भागों को पसन्द कर सकते हैं ।

राजनैतिक ध्येय से भी अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक ध्येय है । यह बात चारों तरफ़ फैली है कि राजनीति का युग गया और हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें अर्थशास्त्र राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर शासन करता है । साम्प्रदायिक संगठन इन आर्थिक मामलों के बारे में क्या चाहते हैं ? या उन्हें जनता या निम्न मध्यम वर्गों की भूख और बेकारी का कोई पता ही नहीं है ? अगर वे जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, तो उन्हें जानना चाहिए कि इन अभागे और दुखी लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या भूख की है और इस समस्या का हल, कम-से-कम उमूली ही, मिल जाना चाहिए । व्यवसाय और खेती में इन संगठनों

के विचार से क्या होना चाहिए ? मजदूरों और विमानों के दुर्घों को दूर करने का वे क्या उपाय निकालते हैं ? जमीन के क्या कानून होने चाहिए ? किसानों के कर्जों का क्या होगा ; क्या उसका शोध होगा या सिर्फ उसकी आवाज को दबा दिया जायगा, या वह वाकी रहेगा ? और बंबारी के बारे में क्या ? क्या वे समाज की मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था में विरवात रखते हैं, या वे नई व्यवस्था कायम करना चाहते हैं ? ये कुछ अजीब सवाल हैं जो उठते हैं और उनका और ऐसे ही दूसरे सवालों का जवाब हमें सम्प्रदायवादियों की भाँगों के दावे और आन्तरिकता को समझने में मदद देगा । अगर ये जवाब जनता तक पहुँच सके तो उसे भी बड़ी मदद मिलेगी । हिन्दू जनता की वनिस्वत शायद मुस्लिम जनता तो और भी गरीब है ; लेकिन मसहूर 'चौदह बाते' इन गरीबी के बारे में मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहता । हिन्दू सम्प्रदायवादी भी अपने स्वार्थों के कायम रखने पर जोर देते हैं और जनता की परवा नहीं करते ।

मुझे डर है कि इन सवालों का स्पष्ट या शायद कोई भी उत्तर मुझे नहीं मिलेगा ; क्योंकि प्रश्न असुविधाजनक हैं, कुछ तो शायद इसलिए भी कि सम्प्रदायवादी नेता आर्थिक बातों के बारे में बहुत कम जानते हैं और उन्होंने जनता की परिभाषा में कभी नहीं सोचा है । वे तो 'फ्री सदी' के बारे में ही सोचने में उस्ताद हैं और उनकी लडाई का मैदान उनकी समा का कमरा है, खेत, फँकटरी या बाजार नहीं । लेकिन चाहे वे पसन्द करे या न करें, ये सवाल तो आगे आयेंगे ही और जो इनका ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे सकेगे उनको सार्वजनिक मामलों में स्थान नहीं मिलेगा । इन सब सवालों का जवाब हम एक व्यापक शब्द में दे सकते हैं । वह शब्द है—समाजवाद और समाज का समाजवादी विधान ।

लेकिन ठीक जवाब सोशलिज्म या कम्यूनिज्म हो या और कोई हो, एक बात निश्चित है—वह यह कि जवाब अर्थशास्त्र की परिभाषा में हो, केवल राजनीति की परिभाषा में नहीं, क्योंकि हिन्दुस्तान और दुनिया आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं और उनमें बचा नहीं जा सकता । जब तक पूरी आर्थिक आजादी न मिलेगी, तबतक राजनैतिक विधान चाहे

जैसा हो, हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। आर्थिक आज़ादी में राज-नैतिक आज़ादी भी शामिल है। आज की असलियत यही है। और सब आडम्बर है, भ्रम है, और इसमें भी साम्प्रदायिक आडम्बर से बढ़कर और कोई आडम्बर नहीं है।

अब राष्ट्रीय पंचायत के मामले पर वापस लौट चलें। अगर वास्तविक जनता की चुनी हुई सभा आज़ादी के साथ असली मसलों पर विचार करने के लिए बैठती है, तो तुरन्त ही इन आर्थिक समस्याओं में उसका ध्यान लग जायगा। साम्प्रदायिक समस्या पीछे पड़ जायगी; क्योंकि जनता की दिलचस्पी 'फ्री सदी' के सवाल से ज्यादा अपने पेट भरने में होगी। यह सभा उन साधनों को मुक्त कर देगी जो अबतक विदेशी शासकों और हिन्दुस्तानी स्थापित स्वार्थों के कारण दबे पड़े हैं। नेतृत्व जनता के हाथ में जायगा, और जनता जब स्वतन्त्र होगी तो कभी-कभी भूल करने पर भी वह असलियत की परिभाषा में सोचेगी और आडम्बरों से उसके लिए कोई लाभ न होगा। कार्यकर्ताओं और किसानों के हाथ में परिस्थिति होगी और उनका निर्णय, कभी-कभी अपूर्ण होने पर भी, हमें आज़ादी की ओर ले जायगा। मैं नहीं कह सकता कि राष्ट्रीय-पंचायत क्या तय करेगी। लेकिन जनता में मुझे श्रद्धा है और उसके निर्णय को मानने के लिए मैं तैयार हूँ, और मुझे विश्वास है कि जब असली जनमत की बड़ी परीक्षा होगी तब साम्प्रदायिक समस्या खत्म होजायगी। वह कमरों की गर्मी से पैदा हुई है और सभा के कमरों के वायुमण्डल में और तथाकथित 'सर्वदल-सम्मेलनों' में उसका पालन-पोषण हुआ है। उस बनावटी वायुमण्डल में उसको नष्ट करने का हल नहीं मिलेगा; बल्कि ताज़ा हवा और धूप में वह क्षीण होकर नष्ट होगी।

## फेडरेशन

मुझे ताज्जुब होता है कि लोग अब भी फेडरेशन की सम्भावना के बारे में बात करते हैं। फेडरेशन की जोरों में मुगलकृत करनेवाले तक उम्र के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि शायद फेडरेशन उनपर लागू कर दिया जाय। मैंने तो बहुत पहले से ही फेडरेशन का राम्ना बन्द कर दिया है—मिफं इमीलिए नहीं कि मैं उसे तापमन्द करता और उसे हिन्दुस्तान के लिए नुकसान करनेवाला समझता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मौजूदा हालातों में उसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस बात को मैं और अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं कोई पैगम्बर नहीं हूँ और आज की बदलती हुई दुनिया में या तो कोई बहुत बहादुर या कोई बहुत मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि आगे क्या होगा। हिन्दुस्तान में चाहे जो कुछ हो सकता है और यह भी सम्भव है कि हमारे टुकड़े-टुकड़े होजायें और फेडरेशन से भी बुरी किसी चीज के आगे हमें झुकना पड़े। यह नामुमकिन नहीं है कि कुछ वक्त के लिए दुनियाभर पर फ्रांसिज्म का शासन होजाय और आजादी को कुचल दिया जाय।

फेडरेशन के सवाल पर हमने पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रवाद, भाग्य के स्वतन्त्र होने की इच्छा और ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के बीच मध्यम की परिभाषा में विचार किया है। साफनौर में यह उमरा एक खास पहलू है और यह स्पष्ट है कि यह मध्यम उमर में छिपा है और अगर फेडरेशन को लागू करने की कोशिश की गई तो वह मध्यम मामने आजायगा। फेडरेशन की योजना की अच्छाई या बुराई पर हमें बहम करने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में काफी बहस और लिखा जा...



खास बात तो यह है कि हिन्दुस्तान उसे एकदम नापसन्द करता है और उसे स्वीकार नहीं करेगा। वस इतना ही हमारे लिए काफी है। लार्ड जेटलैण्ड और उनके साथी जो कुछ इस बारे में सोचते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है।

लेकिन एक और बड़ा पहलू है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन हाल के वरसों में हमने हिन्दुस्तान की समस्या पर उसके दुनिया की समस्या के सम्बन्ध में विचार करने की कोशिश की है। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो भी घटनायें हमसे और दूसरों से ऐसा करा लेतीं। हरेक आदमी को यह महसूस करना चाहिए कि हम उस अवस्था में पहुँच गये हैं जबकि किसी समस्या के अलहदा राष्ट्रीय हल नहीं निकाले जा सकते; क्योंकि वे दुनिया के असली हल के संघर्ष में आते हैं। हमें दुनिया की परिभाषा में सोचना चाहिए। आज दुनिया सुगठित होकर एक इकाई बन गई है और एक हिस्से की हलचलें दूसरे हिस्सों को बिना छुए नहीं रहतीं। अधिक-से-अधिक लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं; फिर भी हमेशा की तरह असलियत तक हमारे दिमाग नहीं पहुँचते। लोग कहते हैं : शान्ति अखंड है, स्वतन्त्रता भी अविभाज्य है, हिन्दुस्तान को भी बाँटा नहीं जा सकता, और आज किसी भी अहम मसले पर दुनिया भी एक है।

इसलिए हमारी आज्ञादी की बात पर हमें दुनिया की और उसके सहयोग की परिभाषा में विचार करना चाहिए। वे दिन चले गये जब राष्ट्र अलहदा-अलहदा थे। अब तो आपस में सहयोग न होने से दुनिया छिन्न-भिन्न होजायगी और लड़ाई अगर मची और राष्ट्रों में लगातार संघर्ष चला तो सबके सब बरबाद होजायँगे।

आज दुनियाभर के अधिक-से-अधिक सहयोग के बारे में सोचना मुश्किल है; क्योंकि कुछ शक्तियाँ और कुछ ऐसे ताकतवर राष्ट्र हैं जो दूसरी ही नीति चलाने पर कमर कसे हुए हैं। लेकिन यह मुमकिन हो-सकता है कि ध्येय ठीक रक्खा जाय और सहयोग की नींव डाली जाय, शुरू में चाहे वह दुनियाभर का सहयोग न भी हो। दुनिया के बुद्धिमान और

हमारे बहुत-से लोग इसी बात की राह देख रहे हैं; लेकिन सरकारें, स्थापित स्वार्थ और बहुतसे दल इसके रास्ते में रोड़ा अटवाते हैं।

बीस बरस पहले प्रेसिडेंट विलसन को दुनिया के सहयोग की झलक मिली थी और उन्होंने उसे महसूस करने की कोशिश की थी। लेकिन उस युग की लड़ाइयों की सधियाँ और राजनीतियों ने उस विचार को उड़ा दिया और बहुत बड़ी आगा की कत्र पर बने मकबरे की तरह आज जेनेवा में राष्ट्र-मंघ शोक-पीड़ित खड़ा है। फेडरेशन को तो खत्म होना ही था, क्योंकि वह अच्छे मुहूर्त में शुरू नहीं हुआ था और मृत्यु के बीज उसके अन्दर मौजूद थे। वह तो एक ऐसी चीज को मजबूत बनाने की कोशिश थी जोकि साम्राज्यवादों और सामक राष्ट्रों के विशेष स्वार्थों की रक्षा नहीं कर सकती थी। उसकी शान्ति की पुकार का मतलब था तमाम दुनिया में नामनामिद हमलों को जारी रखना और उसका प्रजातन्त्र बहुत-से राष्ट्रों को गुलामी में रखने के लिए लबादा था। फेडरेशन को खत्म होना पड़ा; क्योंकि उसमें जिन्दा रहने का काफी साहम नहीं था। उस मुद्दे का अब पुनर्जीवन नहीं हो सकता।

लेकिन उस विचार का पुनर्जीवन हो सकता है जिसके लिए राष्ट्र-मंघ बना है। लेकिन उस मक़ीर्ण, चक्करदार या उलट्टे तरीके से नहीं जिसने पेरिस और जेनेवा में मक़द अख्तियार की थी; बल्कि स्वस्थ, ज्यादा ताकतवर और एक ऐसे रूप में जिसका आधार सामूहिक शान्ति, स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र पर हो। और किसी भी दुनियाद पर उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता और न उसे पोषण ही मिल सकता है।

पिछले कुछ बरसों में सामूहिक सुरक्षितता की बड़ी बातें हुई हैं; लेकिन इंग्लैंड और फ्रान्स में सुरक्षितता को खत्म कर दिया और उसके साथ राष्ट्र-मंघ को भी खत्म कर दिया। नये-नये खतरों के सामने होने में जिनमें खुद उन्हें अपनी जिन्दगी का डर है, इंग्लैंड और फ्रान्स लड़ाई होने के डर से, अपने साथी दूढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वे शान्ति के लिए सामूहिक-सुरक्षितता की परिभाषा में नहीं सोचते।

बहुत-से कारणों से यह सामूहिक सुरक्षितता का विचार नाबामयाव

रहा। नाकामयावी की एक खास वजह यह थी कि उसने साम्राज्यवाद का साथ दिया। सामूहिक सुरक्षितता का तो निकट-संबन्ध प्रजातन्त्र और आजादी से है और ऐसी दुनिया में जहाँ प्रजातंत्र और आजादी सिर्फ एक सीमित हिस्से में है उसका नाकामयाव होना निश्चय है। इस तरह असली कठिनाई, जैसे कि मि० ल्यूनार्ड वार्न ने अपनी हाल ही की किताब में बताया है, रह जाती है साम्राज्यवाद का अंत और हिन्दुस्तान की आजादी।

बहुत-से आदमी इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि शान्ति और प्रगति के लिए राष्ट्रों के बीच निकटवर्ती सहयोग जरूरी है। अनिश्चित तौर से वे एक दुनियाभर की पंचायत (कामन-वेलथ) कायम करने के पीछे पड़ते हैं जो राष्ट्र-संघ से कहीं ज्यादा बड़ी है। कुछ उत्साही अंग्रेज सोचते हैं कि ऐसी पंचायत के लिए ब्रिटिश-साम्राज्य या राष्ट्र-पंचायत आधार रूप है। वे यह भूल जाते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का आधार साम्राज्यवाद है और अपने गुलाम देशों का शोषण करना है। साम्राज्य पर निर्भर हिस्से को छोड़ कर भी अर्ध-स्वतंत्र औपनिवेशिक राज्य भी साम्राज्य के दायरे से संबन्ध तोड़ रहे हैं। कॅनेडा आज भी बहुत-सी बातों में इंग्लैण्ड की वनिस्वत अमेरिका से अधिक संबन्धित है। यह सम्भव है कि यह संबन्ध राजनैतिक शकल अस्तित्कार करले। अगर लड़ाई होती है तो यह बहुत शुबहतलव बात है कि ब्रिटिश-साम्राज्य अपने इस रूप में जीवित रहेगा।

कुछ लोगों की राय है कि ब्रिटिश-साम्राज्य के राष्ट्र एक-दूसरे के पास आयें और संघीय व्यवस्थापक मण्डल बनावें। इसका मतलब या तो यह हो सकता है कि अंग्रेज सबपर राज्य करें या यह कि हिन्दुस्तान में और ब्रिटिश उपनिवेशों में साम्राज्यवाद का परिशोध हो। परिशोध के मामले में हिन्दुस्तान अपने शक्ति-गर्भित साधनों और आदमियों की ताकत से दूसरे हिस्सों पर बहुत असर डालेगा, जिसे ये दूसरे हिस्से शायद पसंद न करें। किसी भी हालत में हिन्दुस्तान नहीं सोच सकता कि ब्रिटिश साम्राज्य या पंचायत रहे। इतिहास और घटनायें ही इस बात की मुखालफत करते हैं कि ऐसे सीमित दल से हमारा सम्बन्ध हो।

आज दक्षिण अफ्रिका में हमारी जमीन हालत है, वहाँपर हमारे देशवासियों को जैसा नीचा दिखाया जा रहा है, उसे देखते हुए हमें यह कहना कि हम ऐंमे समूह के मेबर बने रहे, हमारी बेइज्जती करना है ।

लेकिन दुनियाभर का सहयोग होना जरूर चाहिए और तमाम राष्ट्रों की आजादी पर रोक लगाकर ऐसा कर देना चाहिए जिससे दुनियाभर में व्यवस्था और शान्ति रहे । वह सहयोग ब्रिटिश दल तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, चाहे वैसा होना मुमकिन ही क्यों न हो । ब्रिटिश दल तक सीमित करना तो उसके उद्देश्य को ही खोना है ।

हाल ही में क्लेरेंस स्ट्रीट की पुस्तक 'यूनियन नाउ' निकली है, जिसने बहुत-से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है । उसमें इसी समस्या पर विचार किया गया है । मि० स्ट्रीट तथाकथित प्रजातंत्रों के यूनियन की सिफारिश करते हैं । वह कहते हैं कि शुरू-शुरू में १५ मेम्बर हो— मयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मयुक्त साम्राज्य (इंग्लंड), फ्रान्स, कनाडा, आस्ट्रेलिया, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रिका, न्यूजीलैंड, बेलजियम, हालैंड, स्वीजरलैंड, डेनमार्क, नावों, स्वीडन और फिनलैंड । ये मुल्क एक मधीय यूनियन बनावें जिनकी एक पारलैमेण्ट हो । सिर्फ एक सध या सधि ही न रखें । यह विचार जरूर ही ब्रिटिश साम्राज्य के विचार से बढकर है; लेकिन इसमें दो खराबियाँ हैं । एक तो यह कि इसमें रूस, चीन, हिन्दुस्तान तथा दूसरे कुछ देश शामिल नहीं हैं; दूसरे साम्राज्यवाद के बारे में उसमें कुछ नहीं कहा गया है । रूस, चीन, हिन्दुस्तान की अलहदगी शायद ज्यादा दिन न रहे; लेकिन शुरू से ही ऐसा करना ठीक नहीं है । उसमें बहुत-सी खतरनाक सम्भावनाएँ हैं । इस यूनियन के बहुत-से देश पहले ही नें अर्ध-फासिस्ट और साम्राज्यवादी हैं । हो सकता है कि वे फासिस्ट देशों की तरफ बढें और उनसे समझौता करले और इस की मुलालफत करे और चीन और हिन्दुस्तान की आजादी के आन्दोलनों का भी विरोध करें । किसी भी प्रगतिशील यूनियन के जीवित रहने की तबतक सम्भावना नहीं है जबतक कि रूस उसमें शामिल न हो ।

और न साम्राज्यवाद के खत्म कर देने की बुनियाद के अलावा और

किसी दुनियाद पर वास्तविक यूनियन बनाया ही जा सकता है। नहीं तो यूनियन साम्राज्यवादी सत्ताओं का होजायगा और गुलाम देशों में अपने स्थापित स्वार्थों की रक्षा करने के लिये ही होगा। पर स्वार्थों की रक्षा भी वे नहीं कर सकेंगे; क्योंकि वे आपस में लड़ेंगे। साम्राज्यवाद में से शान्ति पैदा नहीं होती। साम्राज्यवाद तो लड़ाई को ही जन्म देता है।

आज दुनियाभर के यूनियन की जरूरत तो है; पर वदक्रिस्मती से ऐसा यूनियन बन नहीं सकता; क्योंकि जिनके हाथ में ताकत है वे तो पुरानी दुनिया के, जो खत्म हो चुकी है, भक्त हैं और नई दुनिया की परिभाषा में न सोच सकते हैं, न काम कर सकते हैं। यूनियन तबतक कायम न हो सकेगा जबतक दुनिया लड़ाई से छिन्न-भिन्न न होजायगी और लाखों की जानें नहीं चली जायेंगी। लेकिन यूनियन कायम होगा जरूर; क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे यूनियन का साम्राज्यवाद से कोई वास्ता नहीं होगा, न फ्रांसिज्म से। वह तो पूरे जन-तंत्र और आज्ञादी पर कायम होगा। हरेक राष्ट्र को औपनिवेशिक स्वराज्य होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में वे सब यूनियन के व्यवस्थापक-मण्डल के आधीन होंगे, जिसमें उनके प्रतिनिधि होंगे। लाज़िमी तौर पर उन्हें मौजूदा झगड़ों को खत्म करने के लिए एक आयोजित और समाज-वादी अर्थशास्त्र के मातहत काम करना होगा।

ऐसे संघीय यूनियन में हिन्दुस्तान खुशी से भाग लेगा और दुनिया की शान्ति और प्रगति के लिए जो कुछ कर सकता है, करेगा। उसमें शामिल हिन्दुस्तान का अपना फेडरेशन होगा, जो ब्रिटेन द्वारा हमपर थोपे गये अनुचित और अनुपयुक्त फेडरेशन से बहुत भिन्न होगा। इस फेडरेशन को तो हम स्वीकार नहीं कर सकते।

मैं नहीं सोचता कि यह फेडरेशन ज्यों-का-त्यों या उसमें कुछ तब्दीली करके हिन्दुस्तान पर लागू किया जा सकेगा। लोग उसके बारे में बात करते हैं; लेकिन उसका विचार तो 'डोडो' की तरह एकदम खत्म हो चुका है। यह मुमकिन है कि लार्ड जेटलैंड और हमारे दूसरे आचार्यों

१. मारीशस की एक चिड़िया जिसका अन्त कभी का होगया।

ने इस बात को महसूस न किया हो या महसूस करके उस बात को कहना न चाहते हों; लेकिन फेडरेशन अपनी इस शक्ति और रूप में नहीं लागू किया जा सकता। हिन्दुस्तान बदल गया है और दुनिया भी एकदम बदल गई है। गोलमेज-कान्फ्रेंसों का जमाना भी प्राचीनता के धुंधलेपन में विलीन होगया है। अगर अंग्रेज अकलमन्दी करके अब भी उमे लागू करना चाहते हैं तो उसका मतलब होगा खतरनाक लड़ाई, और आज जो कुछ उनका हिन्दुस्तान में है वह भी छिन्न-भिन्न होजायगा। हमारे लिए उमका आखिरी नतीजा चाहे बुरा हो या अच्छा, लेकिन फेडरेशन लागू नहीं होगा।

इसलिए मेरे खयाल में फेडरेशन लागू नहीं किया जा सकता। वह तो अब मुर्दा है और कोई भी जादू का अंक उमे जिन्दा नहीं कर सकता।

३१ मई १९३९।

## साम्प्रदायिक निर्णय

कई मौकों पर अपने भाषणों में मैंने साम्प्रदायिक निर्णय पर चर्चा की है। हिन्दुस्तानी में दी हुई मेरी लम्बी-लम्बी तक्रारीयों की छोटी रिपोर्टें अंग्रेजी अखबारों में छपी हैं। वे अनिवार्यतः मैंने जो कुछ कहा था, उसका कुछ-कुछ गलत अन्दाज़ कराती हैं और उसकी आलोचना कभी-कभी गलत बातों पर निर्भर होती है। यह हमेशा जाहरी है कि मतभेद के मामलों पर विचार स्पष्ट हों, जिससे हममें मतभेद होते हुए भी हम कम-से-कम यह तो साफ़ तौर से महसूस करें कि मसले आखिर हैं क्या। इसलिए थोड़े-से में मैं साम्प्रदायिक निर्णय पर अपने विचार यहाँ दिये देता हूँ। ये विचार मैं पहले भी अपने लखनऊ-कांग्रेस के भाषण में जाहिर कर चुका है। मैंने कहा था कि साम्प्रदायिक निर्णय और जन-तंत्र दोनों साथ-साथ कभी भी नहीं चल सकते। इस साम्प्रदायिक निर्णय की बुनियाद ही जन-तंत्र का इन्कार करती है और जरूरी तौर पर वह आजादी के रास्ते में और सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के विचार में एक बड़ी रुकावट होगी। वे समस्यायें असली समस्यायें हैं, जो हिन्दुस्तान में हमारे सामने हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी आदमी, जो स्पष्ट रूप से आजादी या सामाजिक तब्दीली की परिभाषा में सोचता है, इस साम्प्रदायिक निर्णय को स्वीकार या पसन्द करेगा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और अफ़सोस भी हुआ है कि हमारे बहुत-से मुसलमान दोस्तों और साथियों ने, जिनका उद्देश्य हिन्दुस्तान की आजादी था, इस घातक निर्णय को इतना पसन्द किया है।

इस निर्णय से मेरे तटस्थ या गैरज़िम्मेदार होने का सवाल नहीं है, और न, जहाँतक मैं जानता हूँ, कांग्रेस की ही ऐसी ही स्थिति है।

अहम मामलों में तटस्थ रहने की मेरी आदत नहीं है। साम्प्रदायिक निर्णय की मैं मुगालफत करता हूँ और विभी भी वक्त में राजी से उमे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उमे स्वीकार करने का मतलब मेरे लिए होगा स्वतन्त्रता, सामाजिक आजादी और जन-तंत्रीय परम्परा को भूल जाना।

इसलिए मेरे सामने मवाल यह है कि इस निर्णय को पसन्द न कहें या तटस्थ रहें। तटस्थ में नहीं हूँ और जोरों से मैं उमे नापसन्द करता हूँ। अपनेआप ही उसका मतलब यह होता है कि इस बेहद नामुनासिब चीज से पीछा कैसे छुड़ाया जाय? मुझे तो इसके लिए दो ही रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता तो आजादी का है, जब ज़हरी तीर पर ऐसी व्यवस्थाएँ होजायेंगी कि ऐसी चीजों को अलहदा होना पड़ेगा और जन-तंत्रीय तरीके आयेंगे। दूसरा रास्ता यह है कि निर्णय में दिल-चस्पी रखनेवाले बड़े-बड़े दल आपस में फंसला और समझौता करेंगे। इसमें मैं यह भी कहूँगा कि मेरे खयाल में आजादी को उद्देश्य बनाकर चलनेवाले और ब्रिटिश साम्राज्य की छाया में हमेना रहने की उम्मीद करनेवाले इन दो दलों में कोई सच्चा समझौता नहीं हो सकता। उनके विचार जुदा-जुदा हैं और वे अलहदा-अलहदा ध्येय के लिए काम करते हैं।

यह आशा करना कि इस बारे में अग्रज हमारी मदद करेंगे, एक असंभव बात की कल्पना करना है। मदद न देने में ही साफ तीर ने उनका फायदा है। साम्प्रदायिक नेताओं में भी मदद की उम्मीद करना उतना ही नामुमकिन है। इस तरह एक ही रास्ता रह जाता है। यह यह कि जनता का ध्यान उसमें कहीं ज्यादा सम्बन्ध रखनेवाली राष्ट्रीय और आर्थिक समस्याओं की तरफ खींच दिया जाय, जिससे वे साम्प्रदायिक सवाल को उसके असली रूप में देख सकें। साम्प्रदायिक निर्णय पर जोर दिये जाना तो अपने ध्येय को ही खो देता है, क्योंकि उसमें आदर्शियों को दूसरे मतलों पर विचार करने का मौका नहीं मिलता।

साम्प्रदायिक सवाल पर कांग्रेस की स्थिति तो बहुत पहले से साफ है। उसने यह दिया है कि उसका उद्देश्य राष्ट्रीय जन-तंत्रीय हल निवा-



लना है; लेकिन अगर साम्प्रदायिक सवाल से सम्बन्ध रखनेवाले दलों में समझौता होजाता है तो शायद वह इस निर्णय को स्वीकार करले। इसके अलावा, वह बाज़ाद हिन्दुस्तान के लिए विधान बनाने के लिए और साम्प्रदायिक मतलों पर फैसला देने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पर जोर देती है।

२ जून १९३६

## पद-ग्रहण का निर्णय

कांग्रेस कार्य-समिति की बैठक खत्म होने के बाद ही कुछ पत्र-प्रतिनिधियों ने मुझमें पूछा कि कार्यसमिति के पद-ग्रहणवाले प्रस्ताव के बारे में आपकी क्या राय है ? मैंने उनसे कह दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कार्य-समिति के मेम्बर उसके प्रस्तावों पर बहस नहीं करने। और तब सहज भाव हीसे मैंने यह भी कह दिया कि कार्य-समिति के मेम्बर के लिए कार्य-समिति का प्रस्ताव ठीक ही होना चाहिए। जबतक वह मेम्बर है तबतक उसे मानना चाहिए कि राजा की तरह, कार्य-समिति भी गलती नहीं कर सकती।

फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि इस सवाल को मैं योही नहीं उल्लेख सकता और कांग्रेस के अपने साथियों को उस प्रस्ताव के महत्व को बताने की मुझे कोशिश करनी चाहिए। दो-तीन घण्टों से मुझमें पद-ग्रहण के सवाल पर बड़ा भारी वादविवाद उठ सड़ा हुआ है। बट्टनसे लोगो ने और दलों ने उसपर बहस-मुवाहिजा किया है और वे अपने-अपने विचारों पर पक्के हैं। वे विचार बँसे ही रहने हैं, लेकिन उन विचारों के पीछे क्या है ? मैं खयाल करता हूँ कि कुछ ही आदमियों ने पदग्रहण की उम्मीद लन मुखालफत की और जो श्रातिकारी तस्रीलियों की परिभाषा में सोचते हैं, उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा कि पदग्रहण निरर्थक ही था। वे और बट्टन से डरे कि पदग्रहण में एक बड़ा खतरा है। 11 मम मूली-सी मुधार की कारंवाइयों में फग जायेंगे और अन्त ममर का छ वक्त के लिए मूल जावेंगे। उन्हें डर हुआ कि माग मृत्र त्रक्त के प से चला जायगा और हमारी कारंवाइयों ज्यादातर कौमिद-बँडव घिरे और तग दायरे तक ही सीमित श्रायगी। इमि मुमर के

वजह से कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कार्यसमिति ने बार-बार जोर देकर कहा कि ज़रूरी काम तो असेम्बलियों और कौंसिलों के बाहर है, जनता के सम्पर्क में है। अगर हम इस बात को याद रखें, हमारा ध्येय हमेशा आज्ञादी रहे और हम उसके लिए काम भी करें तो खतरा कम-ही-कम होता जायगा और अपने ध्येय की पूर्ति में कौंसिल-चैम्बर से भी फ़ायदा उठाया जा सकेगा।

कार्य-समिति ने वर्धा की बैठक में जो प्रस्ताव पास किया है उसके पीछे आज की कांग्रेस के ज्यादा-से-ज्यादा लोगों की राय है इसमें मुझे संदेह नहीं है। यह राय पदग्रहण के पक्ष में है। लेकिन इससे भी ज्यादा तेज़ी से और मिलकर वह कांग्रेस की बुनियादी नीति के पक्ष में है कि नये विधान से लड़ा जाय और उसका खात्मा किया जाय। पदग्रहण हमारी आज्ञादी की लड़ाई का एक पहलू हो सकता है; लेकिन हमारा मुख्य ध्येय तो विधान का खात्मा करना और एक राष्ट्रीय पंचायत कायम करना है। वह ध्येय आज भी वैसा ही है जैसा कल था। पद-ग्रहण का रत्तीभर भी यह मतलब नहीं है कि 'गुलाम' विधान को स्वीकार कर लिया गया। उसका तो अर्थ है असेम्बलियों और कौंसिलों के भीतर और बाहर अपनी ताकत के सब साधनों से आनेवाले फेडरेशन के खिलाफ़ लड़ाई लड़ना।

इन्हीं सब बातों पर कार्यसमिति के प्रस्ताव ने जोर दिया है और इस बात को फिर साफ़ कर दिया है कि साम्राज्यवाद के साज़ीदार हम नहीं हो सकते, न उसे मदद ही दे सकते हैं। हमारे और ब्रिटिश-साम्राज्य के बीच की खाई पाटी नहीं जा सकती। हमारे दृष्टिकोण और ध्येय एक-दम भिन्न हैं। इस तरह विधान को साधारणतया चलाने के विचार से हम असेम्बलियों में नहीं जाते, न पद स्वीकार करते हैं। यह तो फेडरेशन को फलीभूत होने से रोकने के लिए कोशिश करना है और उससे विधान को असफल बनाना और राष्ट्रीय पंचायत और आज्ञादी के लिए ज़मीन तैयार करना है। यह सब जनता को मज़बूत बनाने के लिए है और विधान के तंग धरे में, जहाँ कहीं मुमकिन हो, उसे सहायता देने के लिए है। हरेक कांग्रेसी को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए।



## ब्रिटेन और हिन्दुस्तान ?

आप कहते हैं कि "ब्रिटेन पुराने साम्राज्यवाद को छोड़ता जा रहा है। और अब उसका सक्रिय सम्बन्ध तो उस अराजकता को रोकने का रास्ता निकालना है जो विश्वव्यापी राष्ट्रीय आत्म-निर्णय से फैल जाती है और जिससे नई-नई लड़ाइयाँ उठ खड़ी होती हैं या साम्राज्यवाद के वारे में जिससे नई-नई बातें फैल जाती हैं।" मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं देता कि ब्रिटेन ऐसा कुछ भी कर रहा है। और न मुझे यही दिखाई देता है कि पुराना साम्राज्यवाद खत्म हो रहा है। हाँ, उसे कायम रखने, मजबूत बनाने की जी-जान से बार-बार कोशिश की जा रही है, हालाँकि कहीं-कहीं पर जनता को दिखाने के लिए बातें कुछ और ही रक्खी गई हैं। ब्रिटेन निश्चय ही नई-नई लड़ाइयाँ सिर नहीं लेना चाहता। वह तो एक सन्तुष्ट और अघाई हुई सत्ता है। इसलिए जो कुछ उसके पास है, उसे वह खतरे में क्यों डाले ? वह तो अपनी मौजूदा हालत को ही कायम रखना चाहता है, जो कि खास तौर से उसीके फायदे के लिए है। नये साम्राज्यवादों को वह पसन्द नहीं करता; इसलिए नहीं कि साम्राज्यवाद उसे नापसन्द है; बल्कि इसलिए कि वे उसके पुराने साम्राज्यवाद के संघर्ष में आते हैं।

आप हिन्दुस्तान के 'वैधानिक मार्ग' के वारे में भी कहते हैं। लेकिन यह 'वैधानिक मार्ग' है क्या ? मैं समझ सकता हूँ ऐसी जगह जहाँ प्रजातन्त्रीय विधान होता है, वैधानिक कार्रवाइयाँ हो सकती हैं; लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ वैधानिक तरीकों का कोई अर्थ

१. जनवरी १९३६ में वेडनवीलर में मिले एक अंग्रेज मित्र के खत के उत्तर में।

नहीं होता। 'वैधानिक' शब्द का मतलब तब मित्र 'कानूनी' होता है और 'कानूनी' का मतलब होना है कि एक स्वेच्छाचारी कार्य-कारिणी की 'मर्जी के मुताबिक'—जो कानून बना सकती है और बिना लोकमन का खयाल किये आज्ञा-पत्र और आर्डिनेन्स जारी कर सकती है। आज जर्मनी या इटली में वैधानिक तरीका क्या है ? उन्नीसवीं या बीसवीं सदी के शुरू के या अन्तके हिन्दुस्तान में वैधानिक तरीका क्या है ? किसी वैधानिक तंत्र में, जिसपर हिन्दुस्तानी ज्यादा-से-ज्यादा असर डाल सके, हिन्दुस्तान में कोई तब्दीली होने की सम्भावना नहीं थी। (अब भी नहीं है।) हिन्दुस्तानियों के मामले तो घस दो ही रास्ते हैं। या तो वे प्रार्थना करें और नहीं तो विद्रोह करें। ज्यादा-से-ज्यादा हिन्दुस्तानी अपने मत को प्रभावशाली नहीं बना सकते, इसीमें यह जाहिर है कि वैधानिक मार्ग उनके लिए खुला हुआ नहीं है। वे या तो उस चीज को स्वीकार करें जिसे वे बेहद नापसन्द करते हैं, या तथा-कथित वैधानिक तरीके के अलावा और कोई तरीका इस्तिहार करें। ये तरीके खास परिस्थितियों में ठीक हों या नहीं; लेकिन उनके वैधानिक या अवैधानिक होने का सवाल तो नहीं उठता।

मेरा खयाल है, हममें से बहुत-से अपने खास राष्ट्रीय पक्षपात को नहीं छोड़ सकते और अपनी आँख के सहतीर को अक्सर दरगुजर कर देते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि मैं भी पक्षपात किये बिना नहीं रह सकता; खास तौर से जब कि मैं ब्रिटेन और हिन्दुस्तान के सम्बन्धों पर विचार करता हूँ। उसके लिए आप माफ़ करेंगे। मैं यह कहूँ कि मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब होता है कि अंग्रेज किस तरह अपने भौतिक हितों के पीछे अपना नैतिक जोश लगा देते हैं और किस तरह उस अकाट्य मान्यता को लेकर चलने हैं कि वे हमेशा से दुनिया की भलाई ही कर रहे हैं, मूमीबत, लड़ाई, कठिनाई तो दूसरों की हठ और बददिमागी की वजह से पैदा होती है। यह मान्यता, जैसा आप जानते हैं, सबको मान्य नहीं है और यूरोप, अमरीका और एशिया में तो इस बात पर हँसी-मजाक की टिप्पणियाँ भी होती हैं। हिन्दुस्तान में अगर हम उसे खास

तौर से अंग्रेजी राज्य के अपने पिछले और मौजूदा तजुरबों से एकदम अस्वीकार करते हैं तो क्षमा मिलनी ही चाहिए। हिन्दुस्तान में जो कुछ हुआ है, और हो रहा है, उसे देखते हुए प्रजातंत्र और विधानवाद की बात करना मुझे उन युद्धों के महत्व को ही तोड़ना-मरोड़ना मालूम होता है। राज्य करने वाली ताकतें या जमातें अपनी खुशी से ही राज्य छोड़ कर चली गई हों, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं मिलता। और अगर इतिहास का ही सबक काफ़ी नहीं है तो हिन्दुस्तान में सच्चे मामलों के आधार पर हमें काफ़ी तजुरबा है।

मैं जानता हूँ कि यह ठीक है कि ब्रिटिश शासक-वर्ग में कुछ हद तक अपने को मुनासिब बातों के अनुकूल बना लेने की भावना है; लेकिन जब उनकी सत्ता की बुनियाद को ही चुनौती दी जाती है, तब इस दिखावटी भावना के लिए गुंजाइश कम रह जाती है। अगर कोई यह सोचता है कि ब्रिटिश-सरकार या पार्लमेण्ट हिन्दुस्तान की आजादी के द्रुस्ती हैं और वे उसीकी तरक्की के लिए राज्य कर रहे हैं तो यह बात मुझे सबसे ज्यादा फ़रेव की मालूम होती है। मुझे यकीन है बहुतसे अंग्रेज़ ऐसे हैं जो हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तानियों के साथ हमदर्दी महसूस करते हैं; लेकिन नीति-निर्माण में उनका हाथ विलकुल नहीं रहता और वे लोग भी, या उनमें से अधिकतर, सोचते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी ऐसी हो जो अंग्रेजों की इच्छाओं और हितों से मेल खा सके। हमसे कहा गया है कि हमें आजादी और जिम्मेदारी तब मिलेगी जब हम अपनेको उसके लायक साबित करेंगे। इसकी परख यह है कि कहाँतक हम ब्रिटिश-योजना में ठीक बैठ सकते हैं। ऐसी हालत में कोई भी महसूस करेगा कि वह इंग्लैण्ड के हमारे सलाहकारों और शुभचिन्तकों को यह राय दे कि वे ईसप की कहानियों की जानकारी फिर से ताज़ा करें और खास तौर से भेड़िये और मेमने की कहानी दोबारा पढ़ें।

यह विलकुल ठीक है कि और-और बहुत-सी चीज़ों की तरह राजनीति में भी हम कोरी स्लेट लेकर काम नहीं कर सकते। और यह भी ठीक है कि जिन्दगी अक्सर बड़ी जटिल होती है। आदमी की दलीलों से

काम नहीं चलता। चीजों का जैसी वे हैं, वैसी ही हमें स्वीकार करना पड़ना है, चाहे हम उन्हें पसन्द करें या न करें, और अपने आदर्शों का उनमें मेल बैझना होता है, लेकिन जाना हमें सही दिशा में चाहिए। आपके कहें अनुमार इसका मतलब है सबसे पहले हिन्दुस्तान की एकता कायम रखना, तब साम्प्रदायिकता का वहिष्कार करना, स्थापित म्बायों पर कब्जा और धीरे-धीरे उनका खात्मा करना, धार्मिकों की रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करना, एक हिन्दुस्तानी फौज तैयार करना और हिन्दुस्तान के नौजवानों को रचनात्मक व्यावहारिक काम की शिक्षा देना, जो एक प्रजातन्त्रीय राज्य में जरूरी होता है। इन सबके पीछे मनाजवादी आदर्श हैं। आम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वे गहरी प्रवृत्तियाँ और आदर्श और वृद्धे जो इस आदर्श को सच्चे तौर पर पूरा करने के लिए जरूरी हैं। मेरे अन्दाज में हममें से बहुत-से इस कथन पर, जहाँतक उमका फौलाद है, एकराय होंगे, चाहे हम उसे हमारे शब्दों में रखें और कुछ उममें जोड़ दें और कुछ बातों पर हमारी बातों की बनिस्बत ज्यादा जोर दें। मैं आपके साथ यह भी मानता हूँ कि राजनैतिक पहलू पहलू आते हैं, वास्तव में उन पहलू के बिना हमारा और कोई पहलू मुमकिन नहीं है, सामाजिक तब्दीलियाँ (चाहे उन राजनैतिक पहलू के साथ ही) आवे या फौरन ही बाद में। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है मैं राजनैतिक प्रजातन्त्र को ही स्वीकार करने के लिए पूरी तौर से तैयार हूँ। उम्मीद यह कर्ना कि उनमें सामाजिक प्रजातन्त्र ही जायगा। राजनैतिक प्रजातन्त्र तो उन लक्ष्य का सिर्फ एक रास्ता है, आखिरी ध्येय वह नहीं है। उमकी सब्बी माँग तो कभी-कभी अनजाने ही आर्थिक तब्दीलियों की चाह से पैदा होती है। अगर ये तब्दीलियाँ फौरन ही नहीं होंगी तो राजनैतिक ढाँचा स्पर्धी नहीं होता। मैं यह मोखता हूँ कि हिन्दुस्तान को आज जैसी हालत है, उममें आर्थिक तब्दीली होना बहुत जरूरी होपया है। इसलिए अगर कोई बड़ी राजनैतिक तब्दीली होनी है तो जरूरी तौर पर उसके साथ खास आर्थिक तब्दीलियाँ भी होंगी। हर हालत में राजनैतिक तब्दीली ऐसी होनी चाहिए कि वह सामाजिक तब्दीलियों के



लिए सहूलियतें पैदा करदे। अगर राजनैतिक तब्दीली उसके रास्ते में रोड़ा अटकाती है, तो वह माकूल तब्दीली नहीं है, और न वह ऐसी ही है कि उसे किया जाय।

मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई जिम्मेदार हिन्दुस्तानी है जो हिन्दुस्तान की एकता की परिभाषा में न सोचकर दूसरी परिभाषा में सोचता है। हमारे राजनैतिक धर्म की वह जरूरी आयत है। और हम जो-कुछ भी करते हैं, उसका लक्ष्य वही होता है। मैं मानता हूँ वह एकता संघीय एकता होगी; लेकिन उससे नये कानून—फेडरेशन—जैसी किसी चीज से मतलब नहीं है। वह एकता सामान्य जुए के नीचे की गुलामी की भी एकता नहीं है। यह मुमकिन है कि गड़बड़ी के काल में नाइतिफ़ाक़ी पैदा होजाय और हिन्दुस्तान में जुदा-जुदा रियासतें क्रायम हो जायें; लेकिन यह खतरा मुझे बहुत ही अवास्तविक दिखाई देता है। सारे मुल्क में एकता की ओर प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है।

आपके कहने के मुताबिक़ फूट के कारण हैं मजहब, श्रेणी और भाषा। श्रेणी की अहमियत मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देती। हिन्दुस्तान में श्रेणी तो मजहब के साथ जुड़ गई है और कुछ-कुछ उसने जाति की शकल अस्तित्कार कर ली है। हिन्दू और मुसलमान जुदा-जुदा श्रेणियाँ नहीं हैं, वे जरूरी तौर पर श्रेणियों का एकीकरण है। इस तरह, हालाँकि बहुत-सी श्रेणियाँ हैं; लेकिन वे सब एक-दूसरे में मिल जाती हैं और सब मिलाकर उनसे जातीय और सांस्कृतिक रूप में एक निश्चित इकाई बन जाती है।

हिन्दुस्तान की तथाकथित सैकड़ों भाषायें हमारे आलोचकों के लिए एक प्रिय विषय हैं। वे उनमें से किसी-किसी को थोड़ा-बहुत जानते हैं। असल में हिन्दुस्तान भाषाओं के हिसाब से बड़ी अच्छी तरह गुंथा हुआ है। यह तो सार्वजनिक शिक्षा न होने की वजह से वहाँ बहुत-सी बोलियाँ चल पड़ी हैं। कुछ थोड़े हिस्सों को छोड़कर मुल्क भर में दस बड़ी भाषायें हैं। वे दो ग्रुपों में आ जाती हैं—इंडो-आर्य और द्रविड—और इन दोनों के बीच सामान्य भाषा है संस्कृत। इंडो-आर्य भाषाओं में

में, मैं समझता हूँ, दायद आप जानते हैं कि हिन्दुस्तानी मय अपनी ओर भापाओं के १२,००,००,००० व्यक्तियों की भापा है। वह और फ़ैल रही है। दूसरी इंडो-आर्य भापायें—बंगाली, गुजराती और मराठी उमने बहुत मिलती-जुलती हैं। मुझे मर्कान है कि हिन्दुस्तान की एकता के लिए ओर-ओर चाहे जितनी कठिनाइयाँ पैग आवें; लेकिन भापा के मवाल में कभी कोई बड़ी मुश्किल पैदा नहीं होगी।

आप हिन्दुस्तान की मजहबी हालत का यूँप के पुनरुद्धार और धार्मिक-मुपार के जमाने से मुकाबिला करते हैं। यह ठीक है कि हिन्दु-स्तानियों की एक मुनिश्चित धार्मिक दृष्टि है, जिसका मध्य-काल के यूँप की दृष्टि में मुकाबिला किया जा सकता है। फिर भी आपका मुकाबिला मनह में नीचे नहीं जाता। हिन्दुस्तान के अपने लम्बे इतिहास में कभी इनकी मजहबी लड़ाई नहीं हुई जितनी कि यूँप में हुई और जिमने यूँप का खून चूसा। हिन्दुस्तान के धर्म, संस्कृति और दर्शन सबके पीछे महनगीलना है; दूसरे धर्मों तक को वे प्रोत्साहन देते हैं। जब इस्लाम आया तो कुछ झगडा उठ खडा हुआ; लेकिन वह भी मजहबी होने की बनिम्बन वही ज्यादा राजनैतिक था, हालाँकि जोर मजहबी पहलू पर ही हमेशा दिया गया है। वह शासक और शासित का झगडा था। हाल को ये मय बातें हो जाने पर भी मुझे हिन्दुस्तान में किमी खास पैमाने पर मजहबी लड़ाई आमानी में नहीं दिखाई देती। आज की साम्प्रदायिकता तो जरूरी तौर पर राजनैतिक, आर्थिक और मध्य-वर्गीय है। मैं खयाल करता हूँ (लेकिन ऐसा मैं बिना निजी जानकारी के कहता हूँ) कि आज अरमटर में मजहबी कटुता जितनी गहरी फ़ैली हुई है, उतनी गहरी हिन्दुस्तान में कही नहीं है। यह एक सचाई है जिस किमीको कमी नहीं भूलना चाहिए कि हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता वाद की चीज है और उमका फ़ैलाव हमारी आँखों के सामने हुआ है। इससे उसकी अहमियत कम नहीं हो जाती और न उसको हम दरगुजर ही कर सकते हैं; क्योंकि मौजूदा वक़्त में वह हमारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है और उमने हमारी आगामी तरक्की में बिघन पड़ने की सभावना है। फिर भी

मेरा खयाल है उसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है और जोर भी उस-पर ज़रूरत से ज्यादा दिया गया है । ज़रूरी तौर पर उसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ता, हालाँकि कभी-कभी जनता में जोश भड़क उठता है । सामाजिक मसलों के आगे आने से वह पीछे पड़ जायगी । कट्टर सम्प्रदायवादियों की साम्प्रदायिक भाँगों की जाँच करने से आपको पता चलेगा कि उन भाँगों में से एक का भी ताल्लुक जनता से नहीं है । सब दलों के ये साम्प्रदायवादी नेता भी सामाजिक और आर्थिक सवालों से बहुत घबराते हैं और यह एक दिलचस्पी की बात है कि सामाजिक तरक्की का विरोध करने में वे मदद देते हैं ।

हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य ने ज़रूर ही राजनैतिक एकता कायम करने में मदद दी है । सबके गुलाम होने से यह ज़रूरी था कि सबमें ही उससे छुटकारा पाने की चाह हो । यह याद रखना चाहिए—यह ऐसी बात है जिसे अभी काफ़ी महसूस नहीं किया गया—कि तमाम इतिहास में हिन्दुस्तान में सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता रखने की भावना रही है । और आमदरफ्त की मौजूदा हालतों में राजनैतिक एकता की इच्छा का बढ़ना लाजिमी था । सारे ब्रिटिश काल में सरकार की, कुछ जानबूझकर और कुछ अनजान में, यह कोशिश रही है कि इस एकता के रास्ते में रोड़े अटकाये जायँ । यही उससे उम्मीद भी की जा सकती थी; क्योंकि तमाम साम्राज्यों और शासकवर्गों की हमेशा ऐसी ही नीति रही है । उन्नीसवीं सदी में हिन्दुस्तान में जो बड़े-बड़े अफसरों ने अपनी रायें जाहिर की हैं, वे पढ़ने में बड़ी दिलचस्प हैं । उस समय यह समस्या ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं थी; लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलन के बढ़ने से, और खास तौर से पिछले तीस वरसों में, वह बड़ी विकट होगई । ब्रिटिश-सरकार पर तो उसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि फ़िरकों को पैदा करने और अगर संभव हो तो उन्हें पुष्ट करने के नये-नये तरीक़े निकाले जायँ । साफ़ तौर से कोई नहीं कह सकता कि हिन्दुस्तान में फ़िरकेवन्दी पैदा करने की आन्तरिक प्रवृत्ति नहीं थी और राजनैतिक ताक़त के पाने की उम्मीदों से तो उसके और भी बढ़ने की आशा थी । यह मुमकिन था

कि उस प्रवृत्ति को बन्द करने की कोश करने के लिए प्रयत्न की जाय। यह भी मुझे पता है कि इन लोगों ने जो प्रयत्न किए पर सरकार ने दूसरी नीति को बतला दिया है जो मुझे फूट फूट डालनेवाली प्रवृत्ति को बन्द करने के लिए भी यह मुझको पता है कि वह लोगों को हिन्दुत्व के प्रति रोक दे; लेकिन वे उनके समझे में रोक लगा सकते हैं जो अटक सरने हैं, और ऐसा उन्होंने किया भी है। इन सबमें हमें हमें का अर्थ सबसे अहम 'नया कानून' है। आज इन कानून को मंजूर करने हैं क्योंकि हिन्दुस्तानी एकता की वह अत्यान्त है। कानून से वह हिन्दुत्व बिल्कुल उलटा है। यह तो ज्यादा फूट फैलने की सुरक्षा है। (उन्होंने उते रोका नहीं गया)। वह हिन्दुस्तान को मजबूत तब तक इनके बहूत-से हिस्सों में बाँटता है। बहुत-से हिस्से को वह सामन्ती डलाका बनाए रखता है, जिसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता; लेकिन वह दूसरे हिस्सों पर अपना असर डाल सकता है और सामाजिक और आर्थिक मनलों पर, जिन्हें आप "आज के हिन्दुस्तान को सबसे अहम और टाली न जानेवाली जहर" मानते हैं, वने मजबूत राजनैतिक दलों की भी तरक्की को वह रोकता है।

सामाजिक मनलों पर भी अंग्रेजी सरकार की वैसी ही नीति है। समाजवाद को किसी भी रूप में अमानना या स्थापित स्वार्थों पर कब्जा करना या उन्हें महत्त्व करना तो दूर रहा, जानबूझकर उसने बहुत-से स्थापित स्वार्थों को बचाया है, नये को पैदा किया है और जहरी तौर पर हिन्दुस्तान में राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रतिगाभियों की तरफशरी की है। फिर नया कानून तो इस नीति की पराकाष्ठा है। सबसे पहले कभी भी इन स्थापित स्वार्थों और अज्ञानियों और प्रतिक्रियावादियों को इनको ताकत नहीं मिली थी जितनी कि नये सघाय हिन्दुस्तान में उन्हें मिलेगी। आपके लिखे अनुसार उन सामाजिक तरक्की का, जो हमारा लक्ष्य होता चाहिए, यह नया कानून हिन्दुस्तान के अन्तर्गत बाहरी स्थापित स्वार्थों को बचा के और उनकी मदद उन्हें बढ़ाएगा

दरवाजा बन्द करता है। मामूली सामाजिक मुद्धार भी पहुँच के बाहर हैं, क्योंकि राज्य के आमदनी करने के सारे जरिये स्थापित स्वार्थों के पोषण के लिए रहन हो गये हैं और विशेषाधिकारों के अन्तर्गत हो गये हैं।

आज हरेक मुल्क को प्रतिक्रिया की ताकतों और बुराई के खिलाफ भारी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हिन्दुस्तान भी उससे बाहर नहीं है। स्थिति की दुखभरी बात तो यह है कि अंग्रेज अनजाने आज अपनी पार्लमेण्ट और अफसरों के जरिये हिन्दुस्तान में एकदम बुराई की ही तरफ़दारी करते हैं। जिस चीज़ को वे अपने मुल्क में थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे हिन्दुस्तान में प्रोत्साहन देते हैं। आप अब्राहम लिंकन का बड़ा नाम लेते हैं और यूनियन को जो उसने अहमियत दी थी उसकी याद मुझे दिलाते हैं। मेरे खयाल में आप सोचते हैं कि ब्रिटिश-सरकार का कांग्रेस के आन्दोलन को दमन करने की कोशिश में यही ऊँचा उद्देश्य रहा था कि फूट डालनेवाली स्थितियों के होते हुए भी हिन्दुस्तान की एकता को कायम रखे। मुझे तो दिख्वाई नहीं देता कि किस तरह उस आन्दोलन से हिन्दुस्तान की एकता के भंग होने का डर था। वास्तव में मेरा तो खयाल है कि सिर्फ़ यह या ऐसा ही कोई आन्दोलन मुल्क में अंगांगी-एकता पैदा कर सकता है। अंग्रेजी सरकार की कार्रवाइयाँ तो हमें दूसरी तरफ़ ढकेलती हैं इसके अलावा क्या आप यह नहीं सोचते कि लिंकन का साम्राज्यवादी ताकत के अपने शासित मुल्क के आज़ादी के आन्दोलन के दमन करने की कोशिश से मुक़ाबिला करना बहुत दूर की बात है ?

आप चाहते हैं लोगों की बुरी और खुदगर्जी की आदतें और भावनाएँ दूर हों। क्या आप सोचते हैं कि अंग्रेज हिन्दुस्तान में इस दिशा में कुछ भी मदद कर रहे हैं ? प्रतिगामियों को जो मदद दी गई है उसके अलावा, अंग्रेजी राज्य के आधार पर विचार करना जरूरी है। उसका आधार बड़ी-बड़ी और चारों ओर फैली हिंसा पर है और डर उसका प्रधान कारण है। एक राष्ट्र की तरक्की के लिए जो आज़ादी जरूरी

ममझी जाती है, उमीका यह सरकार दमन करती है। निदर, बहादुर और काविल आदमियों को यह कुचलनी है और डरपोक, अवमरवादी, दुनियासाज, बुजदिल और दगाइयों की आगे बढ़ाती है। उसके चारों-तरफ खुफिया पुलिस, खबर देनेवाले और भड़कानेवाले आदमियों की फौज रहती है। क्या यह ऐसा वायुमण्डल है जिनमें अच्छे-अच्छे गुणों या प्रजातन्त्रीय मन्थाओं की तरक्की हो ?

आप मुझमें पूछने हें कि क्या काँग्रेस कभी बहुमत में तमाम हिन्दु-स्नान के लिए अमली तौर पर सम्प्रदायवादियों, देशी नरेशों और मन्वत्ति के लिए एक्की रियायते देने के अलावा कोई उदार विधान कायम कर सकती थी ? हममें यह मतलब निकलता है कि मौजूदा कानून रजामंदी में लिबरल विधान कायम करना है। अगर इस विधान को उदार कहा जा सकता है तो मेरे लिए यह ममसना मुश्किल है कि अनुदार विधान फिर कैसा होगा। और बहुमत का जहाँतक सवाल है, मुझे मन्देह है कि जो कुछ अप्रेजी सरकार ने हिन्दुस्नान में किया है उसके लिए कभी इतनी नाराजगी और नापसन्दगी दिखाई गई हो जितनी कि इस नये कानून के लिए दिखाई गई है। जल्दो रजामंदी लेने के लिए तमाम मुन्क में खूवार दमन हुआ है और अब भी नये कानून को चालू करने के लिए अखिल भारतीय और प्रांतीय कानून पाम किये गये हैं, जो हर तरह की नागरिक आजादी का दमन करते हैं। ऐसी हालतों में बहुमत की धान करना बड़ा अजीब-सा लगता है। इस बारे में इम्पेण्ड में बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। अगर ममस्या का मुकाबिला करना है, तो बड़ी-बड़ी बातों को दरगूजर नहीं किया जा सकता।

यह मच है कि सरकार ने देशी नरेशों और कुछ अल्पसंख्यक दलों के साथ कुछ ममझौता करलिया है, लेकिन ये दल भी, कुछ हद तक, अपने प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ मामूली समझौतों को छोड़कर, बेहद अमनुष्ट है। मुख्य अल्पसंख्यक मुमलमानों को ही लीजिए। कोई नहीं कह सकता कि गोलमेज काँग्रेस के रईस, अधे-सामन्त, और दूसरे चुने मेम्बर मुस्लिम जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। आपको यह जानकर ताज्जुब

होगा कि कांग्रेस के पीछे अब भी मुसलमानों की काफ़ी ताक़त है।

क्या कांग्रेस इससे और अच्छा कर सकती थी ? मुझे सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय आन्दोलन, जिसकी कि कांग्रेस प्रतीक है और खास निशान-वरदार है, इससे और अच्छा कुछ कर सकता था। कांग्रेस फिर भी मध्य-श्रेणी का संगठन है (मेरी इच्छा है कि वह और समाजवादी होती) इसलिए सम्पत्ति की योग्यता का सवाल इस अवस्था में तीक्ष्ण रूप से नहीं उठ सकता था। मैं समझता हूँ कि कम-से-कम बहुमत से साम्प्रदायिक सवाल का सामना करना पड़ता और कुछ वक्त के लिए उस सवाल को सुलझा लेना पड़ता। मुमकिन था कि थोड़ी-सी साम्प्रदायिकता फिर भी शुरु-शुरु में रह जाती, लेकिन नये क़ानून में जितनी साम्प्रदायिकता पाई जाती है उससे तो कम ही होती। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जल्दी-से-जल्दी साम्प्रदायिकता को दूर करने के लिए और सामाजिक आधार पर उन्नति करने के लिए स्थितियाँ पैदा की जातीं और धरती-सम्बन्धी समस्या का भी हल निकाला जाता। असली मुश्किलें तो दो होतीं : अंग्रेज़ी सरकार के स्थापित स्वार्थ व लन्दन शहर और देशी नरेश। असल मुश्किल तो पहली है। बाक़ी सब तो बिलकुल मामूली हैं। ऐसी हालतों में देशी नरेश बहुत हदतक नई परिस्थिति के मुताबिक अपनेको बना लेते और कांग्रेस, जैसी कि आज उसकी रचना है, उन्हें कहीं ज्यादा आज्ञादी दे देती। उनकी प्रजा और जनमत का दबाव बहुत ज्यादा होता और उसका मुक़ाबला वे न कर पाते। मुमकिन है कुछ अस्थायी समझौता हो जाता, जिससे जनमत को अपना काम करने और सुधार की रूप-रेखा बनाने का मौका मिल जाता। अंग्रेज़ी सरकार देशी नरेशों की अधुण स्वच्छाचारिता की मदद नहीं करती तो निस्सन्देह देशी राज्य धीरे-धीरे सीधे रास्ते पर आजाते। घरेलू लड़ाई का सवाल उठाने की ज़रूरत ही न होती।

जो मैं चाहता हूँ, उससे यह बहुत दूर ही होता; लेकिन कम-से-कम वह एक ठीक दिशा में निश्चित राजनैतिक और जनतंत्रीय कदम होता। जब विधान या राजनैतिक ढाँचा बनाया जाता है तो उससे

नम्बन्धन भयको राजी कर लेना स्पष्ट रूप में नामुमकिन होता है। अधिक-से-अधिक लोगों को राजी करने की कोशिश की जाती है; और बाक़ी जो रजामन्द नहीं होंगे, वे या तो जनतन्त्रीय कार्य-पद्धति के मूलाधिक उगमों आ मिलने हूँ या दबाव और जोर से उनसे बैसा कराया जाता है। अंग्रेज़ी सरकार ने स्वेच्छाचारिता और अधिकारपरम्परा का प्रतिनिधित्व करके और मुख्यतः अपने ही फायदों की रक्षा करने पर कमर कमके देशी नरेशों और कुछ प्रविगामी लोगों की रजामन्दी पाने की कोशिश की और बहुत-से लोगों को दबाया। कांग्रेस की कार्य-श्रणाली निश्चय ही इसमें भिन्न होनी।

ये सब हवाई बातें हैं, तब्र इनमें कुछ नहीं है; क्योंकि इसमें एक ख़ाम माधन ब्रिटिश सरकार कां मुला दिया जाता है।

एक और विचार है जो ध्यान देने योग्य है। गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अहिंसा पर जोर दिया है। उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि दुश्मन को दवाने के बजाय उसका हृदयपरिवर्तन होना चाहिए। इस सिद्धान्त के आत्मवादी पहलुओं को और अतिम अर्थों में, वह क्रियात्मक है या नहीं, इसका छोड़कर, इसमें सन्देह नहीं कि इसमें घरेलू क्षमताओं के खिलाफ एक दृढ़ भावना पैदा हुई और हिन्दुस्तान के जुदा-जुदा दलों को जीतने की कोशिश की गई। हिन्दुस्तान में एकता रखने और विरोध को दवाने में यह भावना हमारे लिए एक बड़ी कीमती चीज़ है।

लोगों में चर्चा है कि असहयोग और सविनय-क्रान्त-भंग आन्दोलन वैधानिक कार्रवाइयाँ थी या नहीं। मैं आपके सामने निवेदन करूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर कौसा असर डाला है? इन आन्दोलनों ने अंग्रेज़ी सरकार के ऊपर बेहद जोर डाला है और सरकार की मशीनरी को हिला दिया है; लेकिन मेरे ख़याल में उसकी असली अहमियत तो इस बात में है कि उसने हमारे ही आदिमियों के ऊपर, खास तौर से देहाती जनता पर, कौसा असर डाला है। ग्रामीणों और लम्बे स्वेच्छाचारी राज्य और उसमें पैदा हुए लाजिमी दबाव और डर ने लोगों को हीन और जलील बना दिया था। एक सम्य नागरिक में जिन गुणों की जरूरत होती है,



वे मुश्किल से उनमें मिल सकते थे। मामूली अफसरों ने, टैक्स कलेक्टरों ने, पुलिसमैनों ने, जमींदारों के गुमास्तों तक ने उन्हें मारा-पीटा, डाँट-डपट कर घमकाया। हिम्मत उनकी एकदम खत्म होगई थी और मिलकर काम करने या जुल्म का मुक्कावला करने की ताकत उनमें नहीं बची थी। वे वृजदिलों की तरह दुबकते फिरते थे और एक-दूसरे की बुराई करते थे। और जब जिन्दगी मुहाल हो उठी तो उन्होंने उससे मौत में छुटकारा पाया। यह तमाम बड़ा संकटापन्न और शोकजनक था; लेकिन इसके लिए उन्हें दोषी कोई मुश्किल से ही ठहरा सकता था। वे तो सर्व-शक्तिमान परिस्थितियों के शिकार थे। गाँधीजी के असहयोग ने उन्हें इस दलदल में से बाहर खींचा और उनमें आत्म-विश्वास और स्वावलम्बन पैदा किया। उनमें मिलकर काम करने की आदत पड़ी; हिम्मत से उन्होंने काम किया और नाजायज जुल्म के सामने वे आसानी से नहीं झुकने लगे; उनकी दृष्टि फैली और थोड़ा-बहुत वे सामूहिक रूप से हिन्दुस्तान के बारे में सोचने लगे। वे राजनैतिक और आर्थिक सवालों पर (निस्सन्देह उलटे-पुलटे तौर पर) वाज्जारों और सभाओं में चर्चा करने लगे। निम्न मध्यम-वर्ग पर भी वही असर पड़ा; लेकिन जनता पर जो असर पड़ा, वह बहुत महत्वपूर्ण था। वह जबरदस्त परिवर्तन था। और इसका श्रेय गाँधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस को है। वह विधानों या सरकारों के ढाँचों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। सिर्फ इसी नींव पर ही मजबूत इमारत या विधान खड़ा किया जा सकता था।

इस सबसे पता चलता था कि हिन्दुस्तानी जिन्दगी में एक गैबी हलचल मची थी। दूसरे मुल्कों में ऐसे मौकों पर अक्सर बहुत ज्यादा हिंसा और नफरत हो आती है; लेकिन हिन्दुस्तान में महात्मा गाँधी की कृपा से अपेक्षाकृत कहीं कम हिंसा और नफरत हुई। लड़ाई के बहुत-से गुण हमने अपना लिये और उसकी खौफनाक बुराइयों को छोड़ दिया, और हिन्दुस्तान की असली मौलिक एकता इतनी पास आगई जितनी पहले कभी नहीं आई थी। मजहबी और साम्प्रदायिक झगड़ों तक की आवाज दब गई। आप जानते हैं कि सबसे खास सवाल जो देहाती—

हिन्दुस्तान यानी हिन्दुस्तान के ८५ फीसदी हिस्से पर अमर डालता है, वह जमीन का सवाल है; किसी भी दूसरे मुल्क में ऐसी हलचल और खूबार आर्थिक सकट में किमानों का विद्रोह मच जाता। यह गैर-मामूली बात है कि हिन्दुस्तान उस सबने बच गया। ऐसा सरकार के दमन की वजह से नहीं हुआ; बल्कि गांधीजी की शिक्षा और कांग्रेस के सन्देश के बशीलत हुआ।

इस तरह कांग्रेस ने मुल्क में सब जीवित शक्तियों को आजादी दी और बुराई और फूट डालनेवाली प्रवृत्तियों का दमन किया। ऐसा उमने शांत, व्यवस्थित और सभ्य तरीके से किया, जहाँतक कि उन परिस्थितियों में मुमकिन हो सकता था, हालांकि इस तरह जनता को आजादी देने में खतरा भी था। सरकार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उसे आप अच्छी तरह जानने हैं। सरकार ने उन जीवित और बहादुराना ताकतों को कुचलने की कागिश की; तमाम बुरी और फूट डालनेवाली प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन दिया। यह सब उसने बड़े ही असभ्य ढंग से किया। पिछले छः सालों में सरकार बिल्कुल फासिस्ट तरीके पर चली है। फर्क सिर्फ इतना रहा है कि उसने खुले तौर से इस बात में गबन नहीं दिखाया है, जैसा कि फासिस्ट मुल्क करते हैं।

पत्र बेहद लम्बा हो गया है और अब मैं नये वैधानिक कानून पर विस्तार से विचार नहीं करना चाहता। यह जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हिन्दुस्तान में बहुत-से आदमियों ने उसका विश्लेषण किया है और उसकी आलोचना की है। उन सबके मन अलहदा-अलहदा होने पर भी सबने एकमत होकर इस नये कानून को एकदम नापसन्द किया है। अभी हाल ही में भारतीय लिबरलो के एक खास नेता ने नये विधान के बारे में खानगी में कहा था कि वह "हमारी तमाम राष्ट्रीय तमन्नाओं का तीव्र-से-तीव्र विरोध है"। यह कोई कम मार्क की बात नहीं है कि हमारे नरम दल के राष्ट्रनीतिज्ञ भी ऐसा ही सोचते हैं। फिर भी आप, हिन्दुस्तान की तमन्नाओं के लिए बड़ी हमदर्दी रखते हुए, इस कानून को पसन्द करते हैं और कहते हैं कि "वह हिन्दुस्तानियों के हाथ में महान शक्ति

सोंपता है।" क्या हमारे सोचने के तरीके इतने भिन्न हैं ? ऐसा क्यों है ? यह तो राजनैतिक या आर्थिक समस्या की वनिस्वत कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक समस्या बन जाती है ।

मनोवैज्ञानिक पहलू आखिर है भी बहुत महत्त्वपूर्ण । पिछले कुछ सालों में हिन्दुस्तान में क्या-क्या होगया है, क्या इंग्लैण्ड में इसे महसूस किया गया है ? मानवीय गौरव और भद्रता को कुचलने की जिस तरह कोशिश की गई, उसकी छाप कितनी गहरी हिन्दुस्तानियों पर पड़ी है ? शरीर से कहीं ज्यादा वह आत्मा की चोट थी । इतना अच्छी तरह मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था कि ताकत का जल्लादी इस्तीमाल ताकत का प्रयोग करनेवाले और उसे सहनेवाले दोनों को जलील बना देता है । जबतक हममें भद्रता और स्वाभिमान है, तबतक इसे हम कैसे भूलें ? जुल्म जब रोजमर्रा होते हैं तो हम उन्हें कैसे आँख-ओझल करें ? क्या यह आज्ञादी की शुरुआत है और क्या यही महान् शक्ति का हिन्दुस्तानियों के हाथ में सोंपा जाना है ?

लोगों में जुल्म की अलहदा-अलहदा तरीकों से प्रतिक्रियाएँ होती हैं । कुछ तो छिन्न-भिन्न होजाते हैं; कुछ मजबूत होजाते हैं । हिन्दुस्तान में भी और जगहों की तरह ये दोनों प्रतिक्रियाएँ मौजूद हैं । हममें से बहुत-से अपने साथियों को, जो जेल में या दूसरी तरह से दुःख उठाते हैं, नहीं छोड़ सकते, इसके लिए चाहें जो क्यों न भुगतना पड़े । हममें से बहुत-से गाँधीजी का अपमान सहन नहीं कर सकते, चाहें हम उनके विचारों से सहमत हों या न हों; क्योंकि हमारे लिए गाँधी हिन्दुस्तान का गौरव है । उनके जैसा कोई भी आदमी लड़ाई और दुःख को पसन्द नहीं करता और न आफ़तों को । भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ने यथा-शक्ति इस तरीके को छोड़ने की कोशिश की है, यद्यपि साथ ही उसकी मौजूदगी की वुनियाद को नहीं छोड़ा; लेकिन अंग्रेज़ी सरकार उसी रास्ते पर बढ़ती गई है और उसका आहिंसात्मक हल निकालना मुश्किल-से-मुश्किल बना दिया है । अगर सरकार सोचती है कि सिर्फ़ उसी दिशा में चले चलने से उसे कामयाबी मिल जायगी, तो मालूम होता है कि

उसने इतिहास और हिन्दुमनानियों के मौजूदा स्वभाव को बड़े गलत तरीके से समझा है। अगर मुसीबत टालनी है तो अंग्रेजी सरकार को ज़रूर अपने कदम पीछे रखने होंगे।

## विद्यार्थी और राजनीति

आजकल हिन्दुस्तान की हालत बड़ी विचित्र होरही है और जो सवाल उठाये जाते हैं, वे हमें अचरज में डाल देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आज़ादी भारत के लिए बुरी साबित होगी और असल में आज़ादी न मिलना ही उसके लिए फायदेमंद होगा। शैवी ताकत मेरे पास नहीं है, इसलिए इन जटिल समस्याओं को समझने में मुझे कुछ कठिनाई होती है। एक और अजीब सवाल है, जो विद्यार्थियों और राजनीति से सम्बन्ध रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में हर्गिज हिस्सा नहीं लेना चाहिए। राजनीति है क्या? भारत में (सरकारी भारत में) आमतौर से जो उसका मतलब लगाया जाता है, उसके अनुसार सरकार की मदद करना या उसका समर्थन करना राजनीति नहीं है; राजनीति तो भारत की मौजूदा सरकार की आलोचना करना या सरकार के खिलाफ़ काम करना है।

विद्यार्थी कौन हैं? प्राथमिक स्कूलों के बच्चों से लेकर कालेजों के नवयुवक और नवयुवतियों तक सब विद्यार्थी हैं। स्पष्टतः एक-से सिद्धान्त दोनों पर लागू नहीं हो सकते।

आज बहुत-से बयस्क विद्यार्थियों को आनेवाले प्रांतीय चुनावों में वोट देने का अधिकार है। वोट देना राजनीति में हिस्सा लेना है। समझवृद्धकर वोट देने के लिए जरूरी होता है कि राजनैतिक मसलों को समझा जाय, मसलों के समझने से अक्सर एक राजनैतिक नीति को भी मानना पड़ जाता है। नीति मानने पर नागरिक का कर्तव्य होजाता है कि उस नीति का प्रचार करे और दूसरों का मत बदलकर उन्हें उस-पर चलावे। इस तरह वोटर जरूरी तौर पर राजनीतिज्ञ होना चाहिए। और अगर वह एक तेज़ नागरिक है तब तो उसे एक चतुर राजनीतिज्ञ

होना चाहिए। जिनमें राजनैतिक या सामाजिक भावनाएँ नहीं हैं वे ही निष्क्रिय, तटस्थ या उदासीन रह सकने हैं।

वोटर के इस कर्तव्य में जुदा भी हरेक विद्यार्थी को, अगर उसे ठीक-ठीक गिशा मिली है, जिन्दगी और उसके ममलों के लिए अपनेको तैयार करना चाहिए; नहीं तो उसकी गिशा पर की गई मेहनत बेकार होजायगी। राजनीति और अर्थशास्त्र ऐसे ममलों को मुल्जाने हैं। इसलिए आदमी जबतक उन्हें नहीं समझता, तब तक उसे ठीक पडा-लिखा नहीं कहा जा सकता। बहुतसे आदमियों के लिए शायद यह मुश्किल है कि जीवन के निबिड वन में गाफ-साफ रास्ता देखें। पर इसमें क्या ? चाहे हम उन ममलों का हल जानने हों, या न जानने हों, कम-से-कम हमें उसकी खासियत का अन्दाज तो होना ही चाहिए। जिन्दगी कौन-कौनसे सवाल हमसे करती है ? जवाब इसका मुश्किल है, लेकिन अर्जाव बात तो यह है कि आदमी बिना सवालों को ठीक-ठीक समझे उनका जवाब देने की कोशिश करे। ऐसा बेकार हथु कोई गभीर या विचारवान विद्यार्थी नहीं ले सकता।

तरह-तरह के वाद जो आजकल की दुनिया में अपनी अहमियत रखने हैं—राष्ट्रवाद, उदारवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, फामिज्म वगैरा—में जुदा-जुदा दलों के इन्हीं जिन्दगी के सवालों के हल करने की कोशिशें हैं। इनमें कौनसा हल ठीक है ? या वे सब गलती पर हैं ? हर हालत में हमें अपना निर्णय करना है और निर्णय करने के लिए जरूरी है कि ठीक-ठीक निर्णय करने की हमसे समझ हो और ताकत हो। विचारों और कार्यों की स्वतंत्रता पर दबाव होने में ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता। अगर विनाश मत्ता हनारें भिर पर बैठती हैं और हमें आजादी में सोचने में रोकती हैं, तब भी ऐसा नहीं किया जा सकता।

इस तरह सब विचारवान लोगों के लिए, खास तौर में और लोगों की बनिस्बत विद्यार्थियों के लिए, यह जरूरी हो जाता है कि वे राजनीति में पूरा-पूरा मैदान्तिक भाग लें। कुदरतन यह बात कम उमर के विद्यार्थियों की बनिस्बत, जिनके सामने जिन्दगी के मसले सपने में भी

नहीं हैं, बड़ी उमर के विद्यार्थियों पर ही लागू होगी जो ज़िन्दगी में पैर रख रहे हैं। लेकिन सैद्धान्तिक विचार ही ठीक तरह से समझने के लिए काफ़ी नहीं हैं। सिद्धान्त के लिए भी व्यवहार की ज़रूरत होती है। पढ़ाई के खयाल से ही विद्यार्थियों को चाहिए कि वे लेक्चर-हॉल को छोड़कर गाँवों, शहरों, खेत और कारखानों में जायें और वहाँकी अस-लियत की जाँच करें और आदमियों के कामों में, जिनमें राजनैतिक काम भी शामिल हैं, कुछ हद तक हाथ बंटावें।

आमतौर से हरेक को अपने काम की हद बाँधनी होती है। विद्यार्थी का पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने दिमाग और जिस्म को शिक्षित करे और उन्हें विचार करने, समझने और काम करने के लिए तेज़ औज़ार बनाये। जबतक विद्यार्थी को शिक्षा नहीं मिलती, तबतक वह चतुराई के साथ न तो सोच सकता है और न काम कर सकता है। पर शिक्षा पवित्र सलाह पाकर ही नहीं मिल जाती। उसके लिए थोड़ा-बहुत काम में लगना पड़ता है। उस काम के लिए, मामूली हालतों में, सैद्धान्तिक शिक्षा मिलनी चाहिए; लेकिन काम को उड़ाया नहीं जा सकता, नहीं तो शिक्षा ही अधूरी रहेगी।

यह हमारी बदकिस्मती है कि भारत में पढ़ाई का तरीका एकदम नामीज़ूँ है; लेकिन उससे भी बड़ी बदकिस्मती उच्चाधिकार का वायु-मण्डल है, जो उसको चारों ओर से घेर रहा है। अकेली शिक्षा में ही नहीं; बल्कि हिन्दुस्तान में हर जगह लाल पोशाक वाली दिखावटी और अक्सर खाली मगज़ वाली ताक़त आदमियों को अपने ही तरीके के ढाँचे में ढालने की कोशिश करती है और दिमाग की तरक्की और खयालात के फैलाव को रोकती है। हाल ही में हमने देखा है कि उस ताक़त ने खेल-कूद के राज्य में भी कितनी गड़बड़ कर डाली है और इंग्लैंड में हमारी क्रिकेट-टीम को, जिसमें हौशियार खिलाड़ी थे, उन नाजानकारों ने लँगड़ा कर दिया जिनका उसपर अधिकार था। क्राविल आदमियों का बलिदान किया गया, जिससे उस ताक़त की जीत हो। हमारी यूनीवर्सिटियों में यही ताक़त की भावना फैली हुई है और व्यवस्था रखने के वहाने वह उन सबको कुचल

डालती है जो चुपचाप उसके हुक्म को नहीं मान लेते। वे ताकते उन गुणों को पसंद नहीं करती जिन्हे आजाद मुल्को में प्रोत्साहन दिया जाता है। वे साहम की भावना और आजाद हिस्सों में आत्मा के बहादुराना कामों को भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तब अगर हममें से ऐसे आदमी नहीं पैदा हो सकते जों ध्रुवों को या एवरेस्ट को जीतने की कोशिश करे, तस्वों को जीतकर आदमी के लिए फायदेमन्द बनावे, आदमी की नाजानकारी और डरपोकपन, मुस्ती और छुटाई को दूर करे और उसे ऊँचा बनाने की कोशिश करे, तो इसमें अचरज क्या है ?

क्या विद्यार्थियों को जहर ही राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए ? जिन्दगी में भी क्या वे हिस्सा ले—जिन्दगी की तरह-तरह की क्रियाओं में पूरा-पूरा हिस्सा ? या बलक वने ऊपर से आये हुक्मों को बजाते रहे ? विद्यार्थी होते हुए वे राजनीति से बाहर नहीं रह सकते। भारतीय विद्यार्थियों को और भी राजनीति के सम्पर्क में रहना चाहिए। फिर भी यह सच है कि मामूली तौर से अपनी बढोतरी के काल में दिमागी और जिस्मानी शिक्षा की ओर उनका विशेष ध्यान होना चाहिए। उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन नियम ऐसे न हों कि उनके दिमाग को ही कुचल डाले और उनके जोश को ही खत्म करदे।

ऐसा मामूली तौर से हो, लेकिन जब मामूली कायदों को नहीं माना जाता तो गैर-मामूली हालतें पैदा हो जाती हैं। महायुद्ध में इंग्लैण्ड, फ्रान्स, जर्मनी के विद्यार्थी कहाँ थे ? अपने कॉलिजों में नहीं, बल्कि खाइयों में मौत का मुकाबिला कर रहे थे और मर रहे थे। आज स्पेन के विद्यार्थी कहाँ हैं ?

एक गुलाम मुल्क में कुछ हद तक गैर-मामूली हालतें होती हैं। भारत भी आज वैसा ही मुल्क है। इन हालतों का खयाल करते बकन हमें अपनी परिस्थितियों और दुनिया की बढ़ती हुई गैर-मामूली हालतों का भी खयाल रखना चाहिए। और चूँकि हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए घटनाओं के निर्माण में, चाहे कितना ही थोडा क्यों न हो, हमें हिस्सा लेना पडता है।

१ अक्टूबर १९३६।



## फ्रासिज्म और साम्राज्य

'व्हाइट इंडिया कमेटी' ने किंग्सवे हॉल में जिस प्रदर्शन का आयोजन किया है, उसमें-में खुशी के साथ शामिल होता हूँ। चाहे हम पड़ोस के यूरोप के दूसरे देशों में हों, चाहे दूर हिन्दुस्तान में, स्पेन और उसका दुःख-भरा नाटक, जो वहाँ खेला जा रहा है, हमारे मन पर चढ़ा हुआ है; क्योंकि यह नाटक और झगड़ा सिर्फ स्पेन का ही नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया का है। हमारे इतना खयाल करने का एक सबब और है। स्पेन में आखिर में जो होगा, उसीपर हमारा भविष्य निर्भर करता है। बहुत-से आदमी जान गये हैं कि स्पेन की लड़ाई अब स्पेन की ही लड़ाई नहीं रही है, और न स्पेन के जुदा-जुदा दलों का वह घरेलू झगड़ा ही है। वह तो स्पेन की घरती पर यूरोपभर की लड़ाई है। और सही कहा जाय तो, वह बाहर से दो फ्रासिस्ट ताकतों का और खुदगर्जों का स्पेन पर हमला है। इसलिए स्पेन में दो विरोधी ताकतें—फ्रासिज्म और फ्रासिज्म-विरोधी—अपने-अपने प्रभुत्व के लिए लड़ रही हैं। और प्रजानन्ध, जो यूरोप के बहुत-से देशों में कुचल दिया गया है, अपनी जिन्दगी के लिए जी-जान से लड़ रहा है।

एक तरफ इटली के फ्रासिज्म और जर्मनी के नाज़ीज्म हैं तथा दूसरी ओर स्पेन का प्रजातन्त्र। उन्हीं की यह लड़ाई है। यह बात तो विलकुल साफ़ दिखाई देती है। और मेरा खयाल है कि ज्यादातर अंग्रेज़ जो प्रजातन्त्र और आज़ादी के समर्थक हैं, वे स्पेन के आदमियों के साथ हमदर्दी रखते हैं। लेकिन इन्हीं आदमियों में से बहुत-से ऐसे हैं जो स्पेन के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार की नीति को शायद उतना साफ़-साफ़ नहीं समझते; लेकिन जब वे कुछ और आगे बढ़कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हिन्दुस्तान

के सम्बन्ध पर विचार करते हैं तो एकदम उलझन में पड़ जाते हैं।

स्पेन में हमें अमली बात यह मालूम होती है कि फासिज्म और साम्राज्यवाद महोदर हैं। साथ-साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। उनके मुँह एक-दूसरे के खिलाफ हो तो क्या, और कभी-कभी उनमें आपस में झगड़ा भी हो पड़े तो क्या? अंग्रेज तो देखते हैं कि उनकी सरकार का प्रजातन्त्र-पटलू कम या ज्यादा घरेलू घरे में काम करे और वे इसमें नजीजा निहालते हैं कि दूसरी जगहों पर भी उनकी सरकार का प्रजातन्त्रीय आधार है; लेकिन पिछले चार वर्षों की उसकी तमाम विदेशी नीति में पना चला है कि जो ताकते उसे चला रही हैं, उनका प्रजातन्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह नीति तो फासिस्ट ताकतों के ही बढ़ने में मदद देनी है, हालाँकि जब-जब उन्होंने पाया है कि उसमें ब्रिटिश-साम्राज्य के हितों की हानि पहुँचेगी, तब-तब उसे रोकने की उन्होंने बे-मन और निष्पल्ल कोशिश की है। एबीसीनिया के साथ लज्जाजनक विश्वासघात, मध्य-यूरोप के पडयन्त्र में और स्पेन में अ-हन्तक्षेप का प्रहसन, जिसमें फलतः फासिस्ट इटली ने खुले तौर से प्रतिज्ञा की कि वह स्पेन के आदिमियों का महार करने के लिए फौजें भेजता रहेगा,—यही सुदूर-पूर्व में ब्रिटिश-नीति की क्या है।

बहुत-से आदमी ब्रिटिश विदेशी नीति की इन असम्बद्धताओं और अनिकूलताओं को देखकर अचरज में भर जाते हैं; लेकिन जसली असम्बद्धता कुछ नहीं है। असम्बद्धता तो उन लोगों के दिमागों में है जो यह मोचने हैं कि ब्रिटिश घरेलू नीति का प्रजातान्त्रिक रूप ही उसकी विदेशी नीति में भी काम करता है। या कभी उन विदेशी मन्त्रियों और दूसरे राजनीतिज्ञों के वक्तव्यों से असम्बद्धता पैदा हो जाती है, जो शब्दों की बाज्रोगरी दिखाकर लोगों को इन विरोधी प्रवृत्तियों और नीतियों में मेल-मिलाप करने के लिए भ्रम में डाल देने हैं। लड़ाई के क्षेत्र में भी ब्रिटिश विदेशी-नीति लगातार बिना हिचकिचाहट के फासिज्म के साथ सम्बन्ध बनाये रखने की रही है। स्पेन का तमाम दारुण विध्वंस भी उसे अपने निश्चित मार्ग में नहीं हटा सका और न एडिस अबाबा का रक्तपात

ही रत्तीभर भी उसे इधर-उधर कर सका है। उत्तरी और मध्ययूरोप और भूमध्यसागर में फ्रांसिस्ट ताकतों के बढ़ने पर ब्रिटेन की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति खतरे में पड़ जायगी, इस डर ने भी उसकी नीति में कोई खास तब्दीली नहीं की है।

ऐसा क्यों है? क्योंकि साम्राज्यवाद और फ्रांसिज्म में जरूरी तौरपर निकट का संबन्ध है और दोनों एक-दूसरे में समा जाते हैं। कभी-कभी साम्राज्यवाद के दो रूप हो जाते हैं। घरेलू जो प्रजातन्त्र की बात करता है, और औपनिवेशिक जो फ्रांसिज्म में परिणत हो जाता है। इन दोनों में औपनिवेशिक रूप मुख्य है, और आखिर उसीका बड़ी-बड़ी नीतियों पर हाथ है। इसलिए हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कोई भी सरकार हो, चाहे वह कंजरवेटिव हो या लेबर या नेशनल, हिन्दुस्तान में तो उसका रूप फ्रांसिस्ट ही रहेगा। हिन्दुस्तान में फ्रांसिज्म की तरफ़ रफ़्तार अभी जारी है और नया विधान प्रांतों में प्रजातन्त्रीय रूप होते हुए भी सिद्धान्त और शायद व्यवहार में निश्चय ही फ्रांसिस्ट है—खास तौर पर फ़ेडरल रूप में। प्रजातन्त्रीय हिस्सा तो उसका सिर्फ़ प्रांतों में बड़ा निर्वाचक-समूह है। इस निर्वाचक-समूह ने नये कानून को रद्द करने की घोषणा की है; लेकिन कानून और विधान चल रहे हैं और नये विधान के अन्तर्गत जो बहुत-से आदमी चुने गये हैं, वे शक्तिहीन हैं और कुछ नहीं कर सकते।

साम्राज्य और प्रजातन्त्र दोनों परस्पर-विरोधी हैं। एक दूसरे को हड़प कर जाता है। और आज-कल की दुनिया की राजनैतिक और सामाजिक हालतों में साम्राज्य को या तो अपने को समाप्त कर देना चाहिए या फ्रांसिज्म की ओर बढ़ जाना चाहिए। और इस तरह फ्रांसिज्म की तरफ़ बढ़ने में अपनी घरेलू व्यवस्था को भी साथ लेलेना चाहिए।

यहाँ आकर हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ब्रिटिश घरेलू-नीति से बहुत निकट संबन्ध होजाता है और साम्राज्यवाद घरेलू नीति को चलाता है। जबतक साम्राज्य का बोलवाला है तबतक ब्रिटेन में कोई खास सामाजिक परिवर्तन हो सकेगा, ऐसा विचार भी नहीं किया जा सकता, और न विदेशी नीति में ही किसी खास तब्दीली की आशा की

जामकनी है। यह अधिक सभव दिखाई देता है कि हिन्दुस्तान में बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, जिससे साम्राज्य का अन्त होजायगा, और इसमें ब्रिटेन में भारी परिवर्तन होंगे। यह भी हो सकता है कि दोनों साथ-ही-साथ हों।

इसलिए स्पेन की लड़ाई के पीछे प्रजातन्त्र और हर जगह आजादी की ताकतों तथा फासिज्म और साम्राज्यवाद का तमाम दुनिया का संघर्ष है। यही सबक है जो आज स्पेन अपने दुःख, रक्त और पीडा से हमें सिखाता है। स्पेन के अभिभावकों को तमाम बातों के साथ इस सबक को मोखना चाहिए और दुःखता में खड़े होकर फासिज्म और साम्राज्य तथा उनके साथ की अन्य बातों का अन्त कर देने का प्रयत्न करना चाहिए। मुसीबत को हमें समूल नष्ट करना चाहिए।

लेकिन जब हम तर्क और बहस-मुवाहिमे में लगे हैं, स्पेन में खून बह रहा है और वीर पुरुष, स्त्री और बच्चे तक लड़ाई में जूट रहे हैं—मनुष्य-जाति की स्वाधीनता के लिए अपनी जानें जोख रहे हैं। सरकार उन्हें उनकी मदद नहीं दे रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए; लेकिन मदद के लिए उनकी पुकार को दुनियाभर के आदमियों ने सुन लिया है और मदद भी उन्हें दी है, क्योंकि स्पेन की पुकार हर जगह के शोषितों की पुकार है।

हिन्दुस्तान में हम खुद विवश हैं। जहाँ देखो वही धुंधा और गरीबी से पीड़ित लोग हमें दिखाई देने हैं। हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और साथ ही उस साम्राज्य से छुटकारा पाने के लिए, जो हमारा शोषण करता है, हमें कुचलता है। अकाल, बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोप भी हमारे पीछे लगे रहते हैं और साम्राज्य के बोझ को और भारी कर देते हैं। लेकिन अपनी भूख और गरीबी के होने हुए भी जो सहायता हम अपने स्पेन के साथियों को भेज सकते हैं, भेजेंगे। वह सहायता चाहे काफी न हो, लेकिन उसके साथ हिन्दुस्तानियों की मक्ची शुभकामनायें होंगी; क्योंकि जो खुद मुसीबत उठाये हुए होते हैं, वे दुःख से पीड़ित भाइयों का दुःख अधिक महसूस कर सकते हैं।

२७ मार्च १९३७।

## फ़ासिज्म और कम्यूनिज्म

हिन्दुस्तानी अख़बार मेरे ऊपर बड़े महरवान रहे हैं और उन्होंने मेरा बड़ा खयाल रक्खा है। और अपनी राय के प्रचार के भी बहुत-से मौक़े उन्होंने मुझे दिये हैं। मैं इसके लिए उनका अहसानमंद हूँ। लेकिन कभी-कभी वे मुझे सदमा भी पहुँचाते हैं। बहुत बड़े सदमे जो हाल ही में मुझे पहुँचे हैं, उसमें एक सदमा आज का है, जो मुझे दिल्ली में कुछ मुलाक़ातियों की मुलाक़ात की रिपोर्ट से पहुँचा है। सबसे पहले दिल्ली के 'नेशनल काल' ने उसे छपा। उसे पढ़कर मुझे ताज्जुब हुआ कि मैंने जो कुछ कहा था, उसकी कैसी-कैसी बातें बना ली गई हैं। वम्बई का 'फ्री प्रेस जरनल' तो कुछ क्रदम और आगे बढ़ गया और सात कालम के शीर्षक में उमने लिखा कि मैंने अपने भेद को जाहिर कर दिया और कहा कि कम्यूनिज्म से फ़ासिज्म का मैं ज्यादा पसन्द करता हूँ। मैं नहीं जानता कि अबतक मैंने कोई वान छिपा रक्खी थी। पिछले तीन महीनों में मेरी यही कोशिश रही है कि लिखकर और व्याख्यान देकर जितनी सफ़ाई के साथ मैं अपने विचारों को जाहिर कर सकता हूँ, करदूँ। वे विचार चाहे ग़लत हों या सही हों; लेकिन मैंने तो कम-से-कम यही उम्मीद की थी कि वे त्रिलकुल स्पष्ट हैं और कोई भी उनके बारे में ग़लती नहीं कर सकता। मुझे बड़ा सदमा हुआ है और मायूसी हुई है कि जो मैं यकीन करता था और जो मेरा मतलब था, ठीक उससे उलटा मतलब उसका लगाया गया है।

दिल्ली की मुलाक़ात की रिपोर्ट में इतनी ग़लतियाँ और झूठी बातें हैं कि उसे नये सिरे से दोबारा ही लिखा जा सकता है। सुधार की उसमें गुंजाइश नहीं है। दोबारा मैं लिखना नहीं चाहता। मैं जो विश्वास

करता हूँ, उममें दिलचस्पी रखनेवालों में मैं यही कहूँगा कि वे उस विषय पर लिखी हुई मेरी रचनाओं को पढ़ें। लेकिन फ़ासिज़्म और कम्यूनिज़्म के बारे में अपना रुख़ साफ़ कर देना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ, आज ज़रूरी तौर पर दुनिया की पसन्दगी कुछ-कुछ कम्यूनिज़्म और कुछ-कुछ फ़ासिज़्म के बीच में है, लेकिन मैं तो एकदम कम्यूनिज़्म को पसन्द करता हूँ। फ़ासिज़्म मुझे बेहद बुरा लगता है और वास्तव में मैं नहीं सोच सकता कि किसी भी तरह से अपनेको वापस रखने के लिए वह मौजूदा पूँजीवादी मय्या को बेतरतीब और हँवानी कोशिश के अलावा और कोई चीज़ है। फ़ासिज़्म और कम्यूनिज़्म के बीच का रास्ता कोई नहीं है। दोनों में से एक को ही पसन्द करना होगा। और मैं तो कम्यूनिस्ट आदर्श को पसन्द करता हूँ। जहाँतक उम आदर्श के तरीकों और उसके पाम पहुँचने का सम्बन्ध है, हो सकता है, कि बेदूर कम्यूनिस्ट जिन बातों को मानते हैं, उन्हें मैं न मानूँ। मेरा ख़याल है कि तरीकों को बदलनी हुई हालतों के मुताबिक़ अपनेको बनाना होगा। भिन्न-भिन्न मुल्कों में वे जुदा-जुदा हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख़याल में कम्यूनिज़्म के बुनियादी विचार और उसकी तवारीख़ की वैज्ञानिक व्याख्या ठीक़ है।

मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने विचारों को साफ़ कर दिया है। मिर्क ख़राब दिमाग़ का आदर्मी ही अपनी धान की मुसालऊत करेगा, जैसी मुसालफ़त मुलाकात की रिपोर्ट में दिखाई गई है। वह आदर्मी पागल ही होगा जो एक दिन कम्यूनिज़्म को पसन्द करेगा और दूसरे दिन फ़ासिज़्म को। मेरा विश्वास है कि मेरा न तो दिमाग़ ख़राब है और न मैं पागल हूँ। मुझमें तो समझ भी है और शापद में ग़म्भीर भी हूँ।

१८ दिसम्बर १९३३।

## कांग्रेस और समाजवाद

समाजवाद भला हो या बुरा, सुदूर भविष्य का एक सपना-मात्र हो या इस जमाने की अहम समस्या; पर इतना तो जरूर है कि इसने आज हम हिन्दुस्तानियों के दिमाग में एक अच्छी जगह करली है। इस शब्द की काफ़ी खींचातानी हुई है और हमसे जोर देकर कहा जाता है कि इसमें हिंसा की बू है या इसके पीछे कम्यूनिज्म की छाया है।

सच तो यह है कि समाजवाद क्या है, यह बहुतेरे आलोचकों की समझ में ही नहीं आया है। उनके दिमाग को इसकी एक धुंधली तस्वीर ही नज़र आती है। पेशेवर अर्थशास्त्री भी, सरकारी प्रचारकों की तरह, इसमें ईश्वर और धर्म को घसीटकर या विवाह और स्त्रियों के चरित्र-भ्रष्ट होने की बातें कहकर इसकी असलियत को खराब कर देते हैं। हमें इसके लिए उलाहना नहीं देना है, हालाँकि ऐसे लोगों को, जो कहें कि हम अच्छी तरह पढ़-लिख सकते हैं, वर्णमाला समझाना एक झंझट का काम है। आश्चर्य तो यह है कि इस तरह की बातें, समाजवाद के वारे में यह गर्जन-तर्जन, वे करते हैं, जिन्हें यह पसन्द नहीं, जो इस शब्द को कोश में भी रहने देना नहीं चाहते, जो इस विचार-धारा के विरोधी हैं।

समाजवाद तो—जैसा कि हरेक स्कूली छात्र को जानना चाहिए— एक ऐसे आर्थिक सिद्धान्त का नाम है जो मौजूदा दुनिया की उलझनों को समझने और उन्हें सुलझाने की कोशिश करता है। यह इतिहास समझने का नया दृष्टिकोण और उससे मानव-समाज को संचालित करनेवाले नियमों को ढूँढ़ निकालने का नया तरीका भी है। दुनिया की एक काफ़ी तादाद के लोग इसमें विश्वास करते हैं और इसे कार्य-रूप में परिणत

करना चाहते हैं। प्रगान्त महासागर से बाल्टिक सागर तक फैला हुआ प्रगस्त भूखण्ड तो इसके अधीन हो ही गया है, साथ ही फ्रांस-स्पेन जैसे दूसरे-दूसरे मुक्त भी इसकी परिधि तक पहुँच गये हैं। इस समय दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा, जहाँ इसके पक्के अनुयायी काफी तादाद में न हों। इसके सिद्धान्त को माननेवाले किसी पर खामखाह इसकी सचाई मढ़ना नहीं चाहते, लेकिन वे हम हिन्दुस्तानियों से इतनी आशा तो जहर करते हैं कि हम इसपर गौर के साथ निष्पक्ष होकर मनन करें। वे हमसे जानना चाहते हैं कि हम अपनी आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं को किस तरह हल कर सकते हैं। हमपर सोचने के बाद हमें हक है कि हम इसे एकदम अस्वीकार कर दे या अगर सोलहो आने कबूल न करें तो कम-से-कम कुछ सबक तो सीखें। जो आन्दोलन दुनिया के करोड़ों दिलों और दिमागों पर कब्जा किये हुए है, उसकी तरफ से एकदम आँखें बन्द कर लेना अकलमन्दी का रास्ता तो न होगा।

लेकिन हाँ, यह कहना सही है कि इस समय राजनैतिक समस्या ही प्रमुख चीज है। बिना आजादी के समाजवाद या हमारे आर्थिक मगडनों के आमूल परिवर्तन की बात बिलकुल योथी, सिर्फ खयाली पुलाव है। समाजवाद पर किसी तरह का वहस व मुवाहिस्ता करने से गडबड मच जाती है और हम काम करनेवालों में फूट पैदा हो जाती है। राजनैतिक आजादी पर ही हमें अपनी ताकत केन्द्रित करनी चाहिए। यह दलील गौर करने लायक है; क्योंकि हमारी कोई हरकत ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे साम्राज्यवाद के विरुद्ध लिया गया हमारा समुक्त मोरचा टूट जाय और हम कमजोर पड़ जायें। कट्टर-से-कट्टर समाजवादी भी कुछ हद तक इस बात को मानना है; क्योंकि वह समझता है कि इस समय राजनैतिक स्वतंत्रता ही हमारा सबसे पहला और जरूरी मकसद है। दूसरी-दूसरी चीजें तो इसके बाद आप-से-आप खुद चली आयेंगी। यद्यपि इसके दूसरा ठोस परिवर्तन ही नहीं सकता।

इस तरह हमारे लिए एक बड़ा 'कामन प्राउण्ड' है। राष्ट्रीयता



हमारी सबसे पहली आवश्यकता और चिन्ता है, यह तय है; लेकिन फिर भी इस सम्मिलित लक्ष्य को देखने का तरीका भी एक नहीं है।

कोई नहीं चाहता कि हम कार्यकर्त्ताओं में फूट पैदा होजाय। यह तो सभी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम अपने शक्तिशाली दुश्मन से संघुक्त मोरचा लें; लेकिन हम यह कैसे भुला सकते हैं कि हमारे अन्दर परस्पर स्वार्थों के संघर्ष मौजूद हैं और जैसे-जैसे हम सियासी तरक्की करते जाते हैं, समाजवाद और आर्थिक बातें तो दूर रहीं, हमारे ये संघर्ष ज्यादा साफ होते जाते हैं। जब कांग्रेस गरमदलवालों के हाथ में आई तो नरमदल वाले हट गये। इसका सबब आर्थिक पहलू नहीं था; बल्कि जब हम राजनैतिक प्रगति में बहुत आगे बढ़ने लगे और नरमदलवालों ने समझकर या बिना समझे देखा कि इतना आगे बढ़ना उनके स्वार्थ के लिए खतरनाक साबित होगा, तो वे अलग होगये। ताज्जुब की बात तो यह है कि वावजूद इसके कि हमें अपने कुछ पुराने साथियों से जुदा होने पर बहुत अफसोस होता, इससे कांग्रेस कमजोर नहीं हुई। कांग्रेस ने एक दूसरी बड़ी तादाद को अपने अन्दर खींच लिया; और वह एक अधिक शक्तिशाली और ज्यादा प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था होगई। इसके बाद असहयोग का जमाना आया और फिर कुछ आदमी बहुमत के साथ लम्बी छलांग मारने में असमर्थ होगये। वे भी हटे (इस बार भी राजनैतिक बुनियाद पर ही, हालाँकि इसकी आड़ में बहुतेरी दूसरी बातें भी थीं)। वे हट गये, फिर भी कांग्रेस कमजोर नहीं हुई। एक बड़ी तादाद में नये लोग इसमें शामिल हुए और अपनी लम्बी तबारीख में पहली बार यह हमारे देहातों में एक ज्वरदस्त शक्ति बनी। इस तरह यह पहलेपहल भारत का प्रतिनिधित्व करनेवाली और अपने आदेशों से करोड़ों नर-नारियों को जीवन-मय करनेवाली सिद्ध हुई। यहाँ जैसे ही हम राजनैतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, छोटे-छोटे गिरोहों और हमारी विशाल जन-राशि के बीच का पुराना संघर्ष ज्यादा साफ़ मालूम पड़ा। यह संघर्ष हमने पैदा नहीं किया। इसकी ओर बिना खयाल किये हम आगे बढ़े और इससे हमारे बल और प्रभाव में तरक्की हुई।

धीरे-धीरे हमारे राजनैतिक आवाग में नये मामलों के नये रंगों का आविर्भाव हुआ। गांधीजी ने किसानों के बारे में आवाज उठाई। उनके नेतृत्व में चम्पारन और खेड में जबदस्त आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ। यह कोई राजनैतिक चाल नहीं थी, हालाँकि राजनीति का ही कुपरिणाम था, जिसमें बचना नामुमकिन था। हमारे आन्दोलन में उन्होंने यह नई उलझन क्यों पैदा की? जनता की भयकर दरिद्रता का प्रचार वह क्यों करने लगे? हमारे आन्दोलन की गहराई के केन्द्र का बदलने के लिए यह एक नई चर्चा, हमारे रास्ते का नया मोड़ था। वह इसे अच्छी तरह जानते थे और जानबूझकर हमारी राजनैतिक समस्या के आधिक पहलू के लिए लड़े। क्या इसी वजह से और उनके व्यक्तित्व के कारण ही कांग्रेस के झण्डे के नीचे लाखों व्यक्ति नहीं आ जुटे? तब हम में से हर आदमी 'किसान-किसान' चिल्लाते लगे और वह पीड़ित, कुचन्द्रा हुआ समाज हमारी तरफ कुछ मान्यता और आशा लेकर मुत्तातिव हुआ।

गांधीजी हिन्दुस्तान के करोड़ों की दरिद्रता पर जोर देने लगे। उमूलन हम यह बात जल्द जानते थे—क्योंकि हमने अपनी आँखें देखा था और दादाभाई, डिग्वी, रानाडे, रमेशचन्द्र दत्त आदि हमारे पहले के नेताओं ने हमें मिखाया था। फिर भी यह हम पड़े-लिपे मध्यमवर्गियों के लिए किताबों और आँकड़ों की ही चीज थी। गांधीजी ने इसे एक जीता-जागता पहलू बनाया। हमने पहले-पहल भूख से मरते हुए पीड़ित जन-समूह का, अपने देश भारत की भयकर दरिद्रता का, दर्शन किया। इस भूख और बेकारी को दूर करने के लिए ही उन्होंने चरणों और करघों का पुनरुद्धार करने पर जोर दिया। बहुत-से लोग जो अपने-की बहुत-से अवलमन्द समझते थे, इसका मज़ाल करने लगे, लेकिन चरगा, हालाँकि यह गरीबी की समस्या को बहुत ज्यादा मुलज्ञा न मका, बहुतों के लिए एक बड़ा आधार सिद्ध हुआ। इससे बढ़कर इसके जरिये स्वावलम्बन और सहयोग की भावना जागृत हुई, जिसका हममें सबसे ज्यादा अभाव था। हमारे राजनैतिक आन्दोलन में चरणों का जबदस्त हाथ रहा। यही फिर हमने देखा कि हमारी राष्ट्रीय वनामकता में एक वादरी चीज पैर-

सियासी मामले, को महत्व मिल गया ।

कुछ सालों के बाद गांधीजी हरिजन-समस्या पर भी जोर देने लगे । उनकी इस हरकत से सनातनियों के कुछ गिरोह गुन्म में आगये । यह पुराने रिवाजों के प्रतिनिधियों, स्वाधियों और प्रगतिशील ताकतों के दरम्यान संघर्ष था । फूट के हीरे में उरकर गांधीजी ने इस अपने बड़े आन्दोलन को बन्द नहीं कर दिया । यह सीधा राजनैतिक मामला नहीं था, फिर भी उठाया गया, और मुनासिब तौर से उठाया गया ।

इस तरह हम देखते हैं कि कांग्रेस के अन्दर और बाहर स्वार्थ सम्बन्धी संघर्ष हमेशा से ही आगे आते रहे हैं । ग्वाह यह बात थारदा-एक्ट जैसी समाज-मुधार-सम्बन्धी हो, या बहुत-से गिरोहों में सम्बन्ध रखनेवाली राजनैतिक या मजदूर-किसानों में शरोकार रखनेवाली कोई चर्चा हो, ये स्वार्थों के संघर्ष हमेशा से ही पैदा होते रहे हैं । हम फूट से बिलकुल बचना चाहिए; पर इसके अस्तित्व को हम अवहेलना कैसे कर सकते हैं ? आखिर, हम इसके लिए कर ही क्या सकते हैं ? सोलह साल तक जोर देकर कहते आये कि हम जनता के लिए हैं । इनके बाद हमें एक ही बात देखनी है और वह यह कि इस संघर्ष से जनता का कहीं तक नुकसान होता है ? इस सवाल का जवाब गांधीजी ने अपने गोलमेज कांफ्रेंस (लन्दन १९३१) के एक व्याख्यान में दिया था । उन्होंने कहा था :—

“सबसे बढ़कर कांग्रेस उन करोड़ों मूक, भूख से अधमरे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जो ब्रिटिश भारत या तथाकथित भारतीय भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक सात लाख गाँवों में फैले हुए हैं । हरेक स्वार्थ को, अगर वह कांग्रेस की राय में सुरक्षित रखे जाने के काबिल है, इन गूंगे करोड़ों किसान-मजदूरों के स्वार्थों का सहायक बनना होगा । इसलिए आप बार-बार कुछ स्वार्थों में परस्पर साफ़-साफ़ मुठभेड़ होते देखते हैं । और अगर कहीं सच्ची विशुद्ध मुठभेड़ हुई, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के, कांग्रेस की ओर से, घोषित करता हूँ कि कांग्रेस इन गूंगे करोड़ों किसानों के हितों की खातिर हर तरह के हितों का बलिदान कर देगी ।”

किसानों के माथे हमारे उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सरोकार ने हमें उनके मुँह-दुःख के दृष्टिकोण से ज्यादा-से-ज्यादा सोचने को बाध्य किया। बांग्‌डोली, मयूरनप्रान्त और दूसरी-दूसरी जगहों में किसानों के आंदोलन मड़े हुए। न चाहते हुए भी स्थानीय कांग्रेस कमेटियों को 'स्वार्थों के मर्षों' की समस्या का मुकाबिला करना पड़ा और अपने किसान मेम्बरों को कौन-सी कार्रवाई की जाय, इसका रास्ता भी बताना पड़ा। कुछ सूबों की सूबा-कमेटियों ने ऐसा ही किया।

मार्च १९२९ के गर्मी के दिनों में खुद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेट्री ने अपनी बम्बईवाली बैठक में इस समस्या का हिम्मत के साथ मुकाबिला किया और इसके मुतन्विक मुल्क को एक आदर्श नेतृत्व दिया। अपने राष्ट्रीय आधार के रहते और राजनैतिक स्वतन्त्रता को महत्व देने हुए भी उमने जोरदार शब्दों में घोषित किया कि हमारे समाज का वर्तमान आर्थिक सगठन हमारी गरीबी के मूल कारणों में से एक है। उमका प्रस्ताव इस तरह का था :—

“इस कमेट्री की राय में भारतीय जनता की भयंकर गरीबी और दरिद्रता का कारण सिर्फ विदेशियों द्वारा उसका शोषण नहीं है, बल्कि हमारे समाज का आर्थिक सगठन भी है, जिसे कि विदेशी हुकूमत कायम रखे हुए है ताकि यह शोषण जारी रहे। इसलिए इस गरीबी और दरिद्रता को दूर करने, साथ ही भारतीय जनता की दुरवस्था को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि समाज के वर्तमान आर्थिक और सामाजिक सगठन में श्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जाय और घोर विषमता हटाई जाय।”

‘श्रान्तिकारी परिवर्तन’ ये शब्द जब मंने, थोड़े दिन हुए, लखनऊ शहर में इस्तमाल करने का साहम किया तो कुछ लोगो ने समझा कि कांग्रेस के प्लेटफार्म के लिए ये बिलकुल नये है। कांग्रेस के इस दृष्टि-बिन्दु और नीति की आम घोषणा में आगे शायद ही कोई समाजवादी जा सकता है। इमपर भी यह कहना कि कांग्रेस समाजवादी हीगई है, कमी भूखना है! उमने नार्वीन जनता को गरीबी और दरिद्रता में

ज्यादा-से-ज्यादा सम्बन्ध बढ़ाती हुई देखकर महसूस किया है कि सिर्फ राज-  
नैतिक तवाबला ही काफी नहीं है, कुछ और आगे जाने की जरूरत है।  
वह 'कुछ और' मौजूदा आर्थिक और सामाजिक संगठन में परिवर्तन—  
क्रान्तिकारी परिवर्तन—ही है। वह परिवर्तन कैसा होगा, यह इसने नहीं  
बताया। और उस वक्त यह स्वाभाविक ही था। इसलिये हमने इसे अनि-  
श्चित और अस्पष्ट ही रख छोड़ा।

कानून-भंग शुरू हुआ। यह राजनैतिक उद्देश्य से एक राजनैतिक  
आन्दोलन था। हमने देखा, स्वार्थों की मुठभेड़ फिर सामने आई और बड़े-  
बड़े जमींदारों और पूंजीपतियों ने आनेवाले परिवर्तन से डरकर अंग्रेजी  
सरकार का साथ दिया। संयुक्तप्रान्त-जैसे कुछ सूवों में तो किसान-  
आन्दोलन के सत्र से स्वार्थों की मुठभेड़ ज्यादा स्पष्ट थी।

करांची में तो हमारा रास्ता आर्थिक परिवर्तन की तरफ मुड़ा हुआ  
साफ़ दीख पड़ा। कांग्रेस इतनी दूर जाने में हिचकिचाती थी; लेकिन  
वह अपनेको रोक नहीं सकी। उसने फिर ऐलान किया :—

“जनता के शोषण का अन्त करने के लिए राजनैतिक स्वतन्त्रता का  
अंग होगा भूख से मरते हुए करोड़ों किसान-मजदूरों की सच्ची आर्थिक  
स्वतन्त्रता।” इसने गुजारे की मजदूरी (“लिविंग वेज”) जैसी चीजों की  
चर्चा की और ऐलान किया कि राज्य (सरकार) बड़े-बड़े कल-कारखानों,  
खानों, रेलवे और जहाज आदि की मालिक खुद होगा या उनका  
इंतजाम करेगा। यह एक समाजवादी प्रस्ताव था, फिर भी कांग्रेस समाज-  
वाद से दूर रही।

इस तरह कांग्रेस घटनाओं के जोर और असलियत के दबाव से  
आर्थिक पहलू की तरफ बढ़ने को बाध्य हुई। राजनैतिक आजादी के  
लिए बड़ी इच्छा रखते हुए भी वह इसे आर्थिक आजादी से जुदा न कर  
सकी। ये दोनों एक-दूसरे से ऐसे बँधे हुए हैं कि अलग नहीं होसकते।  
हमने उन्हें अलग-अलग रखने की और राजनैतिक स्वतन्त्रता पर ही सारी  
ताकत लगाने की कोशिश की; लेकिन आर्थिक समस्याओं ने इसमें  
दखल दिया। स्वार्थों के संघर्ष की तरफ से हमने आँखें बन्द करलीं, फिर

भी, राजनैतिक स्तर पर भी, ये मध्यम ज्यादा माफ़ नज़र आने लगे। गॉल्डमेज़ वाल्फ्रेन्स ने अच्छा नज़ारा पेन किया। मनी भारतीय पूजीवादी ब्रिटिश साम्राज्यवादी के नीचे एक पक्ष में खड़े हांगमे और भारतीय स्वतन्त्रता के लिए अपनेको बलिदान करनेवाली ताकत का एक स्वर में विरोध करने लगे।

कोई बात ज्यादा दिन तक माद नहीं रहा करती। बहुत-से लोग भारत और कांग्रेस का यह आधुनिक इतिहास भूल जाते हैं। कांग्रेस में समाजवाद या समाज की आधिक स्थिति में परिवर्तन जैसे शब्द ऐसे नये नहीं हैं जो पहले कभी सुने नहीं गये हों। स्वाधी का मध्यम भी कोई नई चीज नहीं है। फिर भी यह एकदम सच है कि कांग्रेस आज समाजवादी नहीं है। समाजवादी है या नहीं, इसे जाने दीजिए, पर इतना तो जरूर है और बहुत साफ़ है कि यह पहले से ही ऐसी सस्या नहीं है जो आधिक बातों की अवहेलना करके सिर्फ़ राजनैतिक पहलू पर ही सोंचे। इन पक्षियों के लिखने समय विमानों की तकलौकों की जीव करना और उनके लिए कोई कार्यक्रम निश्चिन करना इसके प्रमुख कामों में एक है। इसे इसका और दूसरी जरूरी समझाओं का मुक्ताबिला करना ही होगा। और, ऐसा करने में जब कभी स्वाधी की मुठभेड सामने आयगी, जैसी कि हमेशा आया करती है, तो जनता के हितों के आगे उन सबका बलिदान किया जायगा।

यह साफ़ है कि अपने राजनैतिक पहलू यानी भारत की आजादी पर ही अपनी ताकतों को केन्द्रित करना चाहिए। यह हमारे लिए बेहद जरूरी है। कोई भी ऐसी हरकत, जिसमें इनमें घबरा पहुँचे, अवाछनीय और त्याज्य है। इस बात पर, मैं समझता हूँ, कांग्रेस के हर दल के लोगों का एकमत है। फिर यह समाजवाद की चर्चा क्यों ?

जैसा कि मैं समझता हूँ, यह इसलिए नहीं कि कोई समाजवादी कल्पना करता है कि मुक्त आजाद होने के पहले ही समाजवाद का जगह मिल जायगी। वह तो स्वराज्य के बाद ही तभी जगह पा सकता है जब कि मुक्त उसके लिए तैयार होगा और बहुतन चाहेगा। ९७

दृष्टिकोण सियासी कशमकश में मदद पहुँचाता है। यह हमारे सामने की बातों को साफ़ कर देता है और हमें अनुभव कराता है कि सच्ची राज-नैतिक स्वतन्त्रता में—सामाजिक जाने दीजिए—क्या-क्या बातें होंगी। 'स्वतन्त्रता' की ही कई तरह से व्याख्या की गई है; लेकिन समाजवादियों के लिए तो इसका एक ही अर्थ है, और वह है साम्राज्यशाही से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद। इसीलिए हमारे राजनैतिक संग्राम के 'साम्राज्यशाही-विरोधी' पहलू पर जोर दिया जाता है और इससे हमारी बहुतेरी कार्र-वाइयों की जाँच की जा सकती है।

इसके अलावा समाजवादी दृष्टिकोण (जैसा कि पिछले पन्द्रह सालों से कांग्रेस भिन्न-भिन्न रूपों में करती आ रही है) जोर देता है कि हमें जनता के लिए खड़ा होना चाहिए और हमारी लड़ाई जनता की होनी चाहिए। आज्ञादी के माने होना चाहिए जनता के शोषण का अन्त।

इससे हम समझ सकते हैं कि किस किस के स्वराज्य के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। डाक्टर भगवानदास असें से आग्रहपूर्वक कह रहे हैं कि स्वराज्य की परिभाषा होजानी चाहिए। उनके बहुत-से विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ; लेकिन उनके इस कथन से तो सहमत हूँ कि हमें अब स्वराज्य के बारे में अस्पष्ट अर्थ न रखकर, किस किस का 'स्वराज्य' हम चाहते हैं, यह साफ़ कर देना चाहिए। क्या अंग्रेजों के वाद मौजूदा पूंजीपतियों के ही हाथों में मुल्क का भावी शासन-सूत्र जायगा? स्पष्टतः यह कांग्रेस की नीति नहीं हो सकती है; क्योंकि हमने अक्सर यह ऐलान किया है कि हम जनता के शोषण के विरुद्ध हैं। इसलिए हमें बाध्य होकर जनता को शक्तिशाली बनाने का उद्योग करना चाहिए, ताकि भारत से साम्राज्यशाही का अन्त होते ही वह सफलतापूर्वक अपने हाथों में हुकूमत रख सके।

जनता को और उसके जरिये कांग्रेस-संगठन को मजबूत बनाना अपने उद्देश्य के लिए ही जरूरी नहीं है; बल्कि लड़ाई के लिए भी जरूरी है। सिर्फ़ जनता ही उस लड़ाई को सच्ची ताकत दे सकती है; सिर्फ़ वही राजनीतिक लड़ाई को आखिर तक लड़ सकती है।

इस तरह समाजवादी दृष्टिकोण हमारी मौजूदा लड़ाई में हमें मदद देता है। यह बेकार विनाबी बातों की बहम बढ़ाने और उलझनों में भरे हुए मुद्दों भविष्य का मवाल नहीं है; बल्कि अपनी नीति को अभी निश्चित कर लेने का प्रश्न है, ताकि हम अपने राजनैतिक मंत्राम को अधिक शक्तिशाली और पुरजमर बना सकें। यह समाजवाद नहीं है। यह साम्राज्यवाद-विरोधी बात है। समाजवादी दृष्टिकोण से देखा गया राजनैतिक पहलू है।

समाजवाद हमें आगे आगे जाना है। उसका ध्येय है पूँजीवाद की लाग पर समाज का निर्माण। यह आज मुमकिन नहीं है। इसलिए कुछ लोगों का इसपर सोचना बेमौक़े और सिर्फ़ ज्ञान-वर्धन की ताव होगी, लेकिन ऐसा देखना दोषपूर्ण है, क्योंकि ध्येय का स्पष्टीकरण—मले ही उसका हम निश्चय न करें—और उसपर सोचना आगे बढ़ने में मदद करता है। राजनैतिक स्वतन्त्रता हासिल होने के बाद शासन किसके हाथों में आयेगा? क्योंकि सामाजिक परिवर्तन इसपर निर्भर करेगा। और, अगर हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं तो उन्हींको यह 'शासन' का पहलू में लाने के लिए मिलना चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य यह नहीं है, तो इसका मनलव होना है हमारा यह मंत्राम 'अपरिवर्तनवादी' पूँजीपतियों का मार्ग निष्कण्टक बनाने के लिए है।

समाजवादी तरीका मार्क्सवादी तरीका है। यह भूत और वर्तमान इतिहास का अध्ययन करने का तरीका है। मार्क्स की महत्ता आज कोई अस्वीकार नहीं करेगा; लेकिन बहुत कम आदमी अनुभव करेंगे कि उसने घटनाओं का जैसा मन्वा मनलव लगाया है उसमें इतिहास का लम्बा और थकाऊ मार्ग प्रकाशमय होगा, वह कोई आकस्मिक और चमत्कारपूर्ण नई बात नहीं थी। इसकी जड़ें भूतकाल में ही गहराई तक चली गई थीं। वह पुराने ग्रीकों, रोमनों तथा रिनैसी (जागृति) के और उसके आगे के विचारकों को मालूम था। उन्होंने इतिहास का आन्दोलन के रूप में समझा और समझा विचारों तथा स्वायत्तों के मर्षण के रूप में। मार्क्स ने इस पुराने दर्शन (फिलामकी) को विज्ञान का आधार



देकर विकसित किया और दुनिया के आगे ऐसे सुन्दर ढंग से रक्खा कि लोग मुग्ध होगये। हो सकता है कि इसमें कोई गलती हो या इधर-इधर कुछ बातों पर ज्यादा जोर डाला गया हो। ऐसे तयशुदा सिद्धान्तों के रूप में नहीं; बल्कि सामाजिक परिवर्तन और इतिहास समझने के एक नये वैज्ञानिक ढंग के रूप में हमें इसे देखना चाहिए। इस व्यर्थ बात को तूल देकर कहा जाता है कि मार्क्स ने जीवन के आर्थिक पहलू को ही अधिक महत्व दिया है। उसने ऐसा ज़रूर किया है; क्योंकि यह आवयश्यक था और लोग इसे भुला देने की तरफ झुक रहे थे; लेकिन उसने दूसरे पहलुओं की कभी अवहेलना नहीं की है और उन ताकतों पर ज्यादा जोर दिया है जिनकी वजह से लोगों में जान आ गई है, और घटनाओं को रूप मिला है।

मार्क्स एक ऐसा नाम है, जो उसके बारे में कम जाननेवालों को भयभीत कर देता है। उनके लिये इस सम्बन्ध में एक बहुत आदरणीय और सम्मानित ब्रिटिश लिबरल ने, जो हार्गिज क्रान्तिकारी नहीं हैं, थोड़े दिन पहले जो-कुछ कहा है, वह दिलचस्प हो सकता है। जून १९३१ में लार्ड लोथियन ने लण्डन-स्कूल आफ इकानामिक्स के सालाना जलसे के मौक़े पर अपने भाषण में कहा था :—

“हम लोग बहुत दिन से जो सोचने के आदी होगये हैं, क्या उसकी अपेक्षा मौजूदा समाज की बुराइयों की मार्क्स द्वारा की गई तजवीज़ में कुछ ज्यादा सचाई नहीं है? मैं मानता हूँ कि मार्क्स और लेनिन की भविष्यवाणियाँ अत्यन्त कठोर रूप में सच हो रही हैं। जब हम पश्चिमी दुनिया की तरफ, जैसीकि वह है, और उसकी हमेशा की तकलीफ़ों की ओर निगाह करते हैं, तो क्या यह साफ़ मालूम नहीं देता कि हमें उसके मूल कारणों को—अवतक हम जिस हद तक जाने के आदी होगये हैं उससे कहीं अधिक गहराई के साथ—ज़रूर ढूँढ निकालना चाहिए? और जब हम ऐसा करेंगे, तो मैं समझता हूँ, देखेंगे कि मार्क्स की तजवीज़ बहुत कुछ सही है।”

ऐसे व्यक्ति का, जो हिन्दुस्तान का वाइसराय आसानी से हो सकता

है, ऊपर लिखी बातों का स्वीकार कर लेना कुछ महत्व रमता है। अपने वानावरण के दबाव और अपनी श्रेणी की द्वेष-भावना के होने हुए भी उसकी तीव्र बुद्धि मार्कम की तजवीज की तरफ सिंचे बिना न रह सकी। हो सकता है, पिछले पाँच साल में लाई लॉयमन के विचार बदल गये हों। मैं नहीं कह सकता, १९३१ में उन्होंने जो कुछ कहा उसपर किम हद तक वह आज कायम है। लेकिन आज मार्कम का सिद्धान्त कांग्रेस के सामने नहीं है। उसके सामने बात तो यह है कि या तो हम फँसी हुई बुराइयों से लड़ें या उनके कारणों को दूर निकालें। जो लॉय बुराइयों के खुद शिकार हैं, वे ज्यादा कर क्या सकते हैं? "उन्हें याद रखना चाहिए, वे कुपरिणामों से लड़ने हैं, उनके कारणों से नहीं। वे अन्तर्मुखी आन्दोलन को रोकते हैं, उसके रूख को नहीं बदलते, वे मर्ज को दबाते हैं, दूर नहीं करते।"

वास्तविक समस्या है—परिणाम या कारण? अगर हम कारण दूर करना चाहते हैं, जैसा कि हमें जरूर चाहिए, तो समाजवादी विस्फेपण उसपर प्रकाश डालेगा। और इस तरह समाजवाद, हालांकि समाजवादी शासन-स्टेट—मुद्दर भविष्य का एक सपना हो सकता है और हममें से बहुतेरे उसे भांगने के लिए जिन्दा नहीं रह सकते, वर्तमान समय में खतरे से बचाने वाला प्रकाश है, जो हमारे पथ को आलोकित करना है।

समाजवादी ऐसा ही अनुभव करते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना जरूरी है कि बहुतेरे दूसरे लॉय, मौजूदा सशाम के उनके शार्थी, ऐसा नहीं सोचते। उन्हें अपनेकी ज्यादा अक्यमन्द समझकर—जैसा कि कुछ समझते हैं—अपना अलहदा गिरोह नहीं बना लेना चाहिए। वे दूसरे तरीकों से अपना काम निकाल सकते हैं और इनमें उनके दूसरे साथी और बहुत अशों में समूचा देश उनके तरीके से मोचने को जँते जा सकते हैं। क्योंकि हम भले ही समाजवाद के बारे में महमन या असहमन हैं, पर स्वाधीनता के लक्ष्य की ओर तो एकनाय कूच करते हैं।

देकर विकसित किया और दुनिया के आगे ऐसे सुन्दर ढंग से रक्खा कि लोग मुग्ध होगये । हो सकता है कि इसमें कोई गलती हो या इधर-इधर कुछ बातों पर ज्यादा जोर डाला गया हो । ऐसे तयशुदा सिद्धान्तों के रूप में नहीं; बल्कि सामाजिक परिवर्तन और इतिहास समझने के एक नये वैज्ञानिक ढंग के रूप में हमें इसे देखना चाहिए । इस व्यर्थ बात को तूल देकर कहा जाता है कि मार्क्स ने जीवन के आर्थिक पहलू को ही अधिक महत्व दिया है । उसने ऐसा जरूर किया है; क्योंकि यह आवश्यक था और लोग इसे भुला देने की तरफ झुक रहे थे; लेकिन उसने दूसरे पहलुओं की कभी अवहेलना नहीं की है और उन ताकतों पर ज्यादा जोर दिया है जिनकी वजह से लोगों में जान आ गई है, और घटनाओं को रूप मिला है ।

मार्क्स एक ऐसा नाम है, जो उसके बारे में कम जाननेवालों को भयभीत कर देता है । उनके लिये इस सम्बन्ध में एक बहुत आदरणीय और सम्मानित ब्रिटिश लिबरल ने, जो हार्गिज़ क्रान्तिकारी नहीं हैं, थोड़े दिन पहले जो-कुछ कहा है, वह दिलचस्प हो सकता है । जून १९३१ में लार्ड लोथियन ने लण्डन-स्कूल आफ इकानामिक्स के सालाना जलसे के मौके पर अपने भाषण में कहा था :—

“हम लोग बहुत दिन से जो सोचने के आदी होगये हैं, क्या उसकी अपेक्षा मौजूदा समाज की बुराइयों की मार्क्स द्वारा की गई तजवीज़ में कुछ ज्यादा सचाई नहीं है ? मैं मानता हूँ कि मार्क्स और लेनिन की भविष्यवाणियाँ अत्यन्त कठोर रूप में सच हो रही हैं । जब हम पश्चिमी दुनिया की तरफ, जैसीकि वह है, और उसकी हमेशा की तकलीफ़ों की ओर निगाह करते हैं, तो क्या यह साफ़ मालूम नहीं देता कि हमें उसके मूल कारणों को—अबतक हम जिस हद तक जाने के आदी होगये हैं उससे कहीं अधिक गहराई के साथ—जरूर ढूँढ निकालना चाहिए ? और जब हम ऐसा करेंगे, तो मैं समझता हूँ, देखेंगे कि मार्क्स की तजवीज़ बहुत कुछ सही है ।”

ऐसे व्यक्ति का, जो हिन्दुस्तान का वाइसराय आसानी से हो सकता

है, ऊपर लिखी बातों का स्वीकार कर लेना कुछ महत्व रखता है। अपने बानावरण के दबाव और अपनी श्रेणी की द्वेष-भावना के होते हुए भी उसकी तीव्र बुद्धि मार्क्स की तजवीज की तरफ सिंचे बिना न रह सकी। हो सकता है, पिछले पाँच साल में लाइबेरीयन के विचार बदल गये हों। मैं नहीं कह सकता, १९३१ में उन्होंने जो कुछ कहा उसपर किस हद तक वह आज कायम है। लेकिन आज मार्क्स का मिद्धान्त कांग्रेस के सामने नहीं है। उसके सामने बात तो यह है कि या तो हम फँसी हुई बुराइयों में लड़ें या उनके कारणों को दूढ़ निकालें। जो लोग बुराइयों के खुद शिकार हैं, वे ज्यादा कर क्या सकते हैं? “उन्हें याद रखना चाहिए, वे कुपरिणामों से लड़ते हैं, उनके कारणों से नहीं। वे अन्तर्मुखी आन्दोलन को रोकते हैं, उसके रस को नहीं बदलते, वे मज्र की दयाते हैं, दूर नहीं करते।”

वास्तविक समस्या है—परिणाम या कारण? अगर हम कारण दूढ़ना चाहते हैं, जैसा कि हमें जरूर चाहिए, तो समाजवादी विश्लेषण उसपर प्रकाश डालेगा। और इस तरह समाजवाद, हालांकि समाजवादी शासन-स्टेट—सुदूर भविष्य का एक मपना हो सकता है और हममें से बहुतेरे उसे भोगने के लिए जिन्दा नहीं रह सकने, वर्तमान समय में खतरे से बचाने वाला प्रकाश है, जो हमारे पथ को आलोकित करता है।

समाजवादी ऐसा ही अनुभव करते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना जरूरी है कि बहुतेरे दूसरे लोग, मौजूदा मप्राम के उनके साथी, ऐसा नहीं सोचते। उन्हें अपनेको ज्यादा अक्लमन्द समझकर—जैसा कि कुछ समझते हैं—अपना अलहदा गिरोह नहीं बना लेना चाहिए। वे दूसरे तरीकों से अपना काम निकाल सकते हैं और इससे उनके दूसरे साथी और बहुत अशो में समूचा देश उनके तरीके से सोचने को जीते जा सकते हैं। क्योंकि हम भले ही समाजवाद के बारे में महमत या असहमत हैं, पर स्वाधीनता के लक्ष्य की ओर तो एकमात्र कूच करने हैं।

१५ जौलाई १९३६।

## समाजवादियों से

यह तो आप जानते हैं कि तमाम मसलों पर समाजवादी तरीके से विचार करने में मुझे बेहद दिलचस्पी है। यह ठीक है कि इस समाजवादी तरीके के पीछे जो उमूल हैं उन्हें हम अच्छी तरह समझ लें। उससे हमारे दिमागों की उलझने दूर होंगी और हमारे काम को भी ध्येय मिलेगा। लेकिन हमारे दिमाग में सवाल के दो पहलू हैं। पहला तो यह कि उन तरीकों को हिन्दुस्तानी हालतों पर कैसे लागू किया जाय ? और दूसरे, हिन्दुस्तान की परिभाषा में समाजवाद को किस रूप में रक्खा जाय ? अगर हम चाहते हैं कि किसी मुल्क में हमारी बात समझी जाय, तो हमें उसी मुल्क की जुवान बोलनी चाहिए। मैं समझता हूँ यह बात अक्सर भुला दी जाती है। यहाँ पर मेरा मतलब हिन्दुस्तान की जुदा-जुदा जुवानों से नहीं है। उससे ज्यादा मैं तो मन और दिल की जुवान की बात कहता हूँ और उस जुवान के वारे में जो प्राचीन इतिहास और संस्कृति और मौजूदा परिस्थितियों के सम्पर्क से पैदा होती है। जबतक हम ऐसी जुवान में न बोलें कि जिसमें हिन्दुस्तानी भावनायें आजायँ तबतक हमारा प्रभाव बहुत कम होगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग तो, जिनका हमारे लिए तो मतलब है लेकिन हिन्दुस्तान की जनता में जिनका प्रचार नहीं है, अक्सर बेकार होता है। समाजवाद के तरीकों की यही समस्या मेरे मन को घेरे रहती है। हिन्दुस्तान की परिभाषा में समाजवाद को कैसे समझाया जाय और कैसे वह अपने आशाजनक और प्रेरणात्मक सन्देश को लेकर लोगों के दिलों में घर बनावे।

यही एक सवाल है जिसपर, मैं चाहता, कि समाजवादी अच्छी तरह गौर करें।

## किसान-मज़दूर संस्थायें और कांग्रेस

मेरे पास विभिन्न कांग्रेस कमेटियों और कांग्रेसमैनो के अनेको पत्र आये हैं, जिनमें यह पूछा गया है कि कांग्रेसमैनो का किसान-मज़दूर-संस्थाओं के प्रति क्या कर्तव्य है ? इस प्रकार के संघ बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए या नहीं ? यदि उनको बनने दिया जाय तो उनका कांग्रेस से क्या सम्बन्ध हो ? कई प्रान्तों में ये समस्यायें पैदा होगई हैं, इनपर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए । कभी-कभी ये समस्यायें पूर्ण-तया व्यक्तिगत, कभी-कभी प्रान्तीय होती हैं ; किन्तु इनके पीछे महत्वपूर्ण बातें छिपी होती हैं । स्थानीय समस्यायें जब हमारे सामने आती हैं तो हमें उनके विशेष अंगों तथा उनके साथ जिन व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उनके बारे में भी विचार करना आवश्यक है । इसके साथ ही हमें इन मामलों की तह में जाने में पहले सिद्धान्तों और मुख्य समस्याओं को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए ।

यह समस्या क्यों पैदा हुई ? यह कुछ व्यक्तियों के प्रयत्न से पैदा नहीं हुई ; बल्कि उस हलचल का परिणाम है जिसमें हम फसे हुए हैं । यह इस बात का चिन्ह है कि जनसाधारण में जागृति पैदा हो रही है और हमारा आन्दोलन जड़ पकड़ता जा रहा है । यह जागृति कांग्रेस के आन्दोलन में ही पैदा हुई है, अतः इसका श्रेय भी कांग्रेस को ही मिलना चाहिए । कांग्रेस ने इसके लिए लगातार कोशिश की है । इसलिए अगर कामयाबी मिलती है तो कांग्रेसमैनो को उसे अपनाते में सकोच नहीं करना चाहिए । इस आन्दोलन के साथ कभी-कभी हमारे सामने कठिनाइयाँ आजाती हैं ; किन्तु फिर भी इसका स्वागत हमें करना ही चाहिए । ऐसी स्थिति कुदरतन ही थोड़ी-बहुत विपन्न होती ही है । कांग्रेस ही

देश की एकमात्र राजनैतिक प्रतिनिधि संस्था है जो आजादी के लिए जद्दोजहद कर रही है। किसान या मजूर-संस्थाएँ तो वर्ग-विशेष की संस्थाएँ हैं। वे बस अपने वर्ग की उन्नति चाहती हैं। कांग्रेस राजनैतिक बातों को लेकर लड़ती है। कार्यकर्ताओं की संस्था क्रियाशील और आर्थिक दजों पर लड़ती है। दोनों की प्रगतियों में कोई विशेष भेद नहीं होता। साथ ही हमारी जद्दोजहद बढ़ने के साथ-साथ राजनैतिक जागृति पैदा होती जाती है, इससे दोनों की प्रगतियाँ बहुत दूर तक एकही-सी रहती हैं। कांग्रेस का जनसाधारण से सम्पर्क है, और कांग्रेस जन-साधारण की सबसे बड़ी संस्था है, इसलिए इसके लिए जनता की यानी कार्यकर्ताओं, किसानों और दूसरों की आर्थिक मांगों के लिए जद्दोजहद करना जरूरी है। किसान और मजूर-संस्थाएँ भी इसके अलावा और कुछ नहीं करतीं। कांग्रेस और मजूर-संस्थाओं को यह समझाना होगा कि आर्थिक कठिनाइयाँ तबतक हल नहीं हो सकतीं जबतक राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त होकर जनसाधारण के हाथों में सत्ता न आजाय। इस तरह से दोनों में सामंजस्य होजायगा और साम्राज्यवाद के खिलाफ संयुक्त मोरचा कायम किया जा सकेगा।

हर एक गुलाम देश में राजनैतिक समस्या ही सर्वोपरि होती है। इस कारण कांग्रेस स्वयं ही देश की सर्वोपरि संस्था हो जायगी। किन्तु गत वर्षों की आजादी की जद्दोजहद के कारण कांग्रेस को यह स्थान पहले ही प्राप्त हो चुका है। आज कांग्रेस अत्यन्त शक्तिशाली होगई है। उसे जनसाधारण का समर्थन प्राप्त है तथा किसान और मजूर भी अपने संघों की अपेक्षा उससे ही अधिक प्रभावित होते हैं। कांग्रेस को यह शक्ति केवल अपने राजनैतिक कार्यक्रम की वजह से नहीं मिली; किन्तु उसने जनता की सेवा की, त्याग किया तथा उससे अपना सम्पर्क स्थापित किया। जन-साधारण पूरी तरह समझ गये हैं कि कांग्रेस उनकी आर्थिक तंगी को दूर करना चाहती है। देश के कई स्थानों में कांग्रेस के शक्तिशाली होने का मुख्य कारण यही है।

आर्थिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से देखने से पता चलता है कि

काँग्रेस को शक्तिशाली बनाना बेहद जरूरी है। जिस काम में वह कम-जोर पड़ती है, उसमें आजादी की जद्दोजहद ही कमजोर नहीं पड़ती; बल्कि किसान और मजूर-आन्दोलन को भी हानि पहुँचती है। अभी किसान और मजूर-आन्दोलन इतना शक्तिशाली नहीं है कि बिना कांग्रेस के चल सके। इसी तरह से देश की समस्त संस्थायें आज यह कह रही हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में साम्राज्य-विरोधी मोरचा स्थापित किया जाय। काँग्रेस स्वयं ही संयुक्त मोरचा स्थापित करने पर जोर दे रही है।

इन बातों के अलावा कांग्रेस को राष्ट्रीय संस्था ही रहना है, इसलिए यह मदा मजूरों, किसानों तथा अन्य वर्गों की माँगों के लिए प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। यह मजूर-संघ या किसान-सभा की तरह का कार्य नहीं कर सकती। जहाँ इसका किसानों से बहुत अधिक सम्बन्ध है वहाँ यह किसान-सभा की तरह ही काम करती है। कांग्रेस की नीति देश-व्यापी किसान-आन्दोलन आरम्भ करने की है और यह सदा ही रहेगी। इसके साथ-ही-साथ जबतक कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगी और उसमें एकदम कोई तब्दीली नहीं होगी, तबतक नेतृत्व विशेषतया निम्न मध्यश्रेणी के हाथों में ही रहेगा।

ये तो भविष्य की बातें हैं। हमारा सम्बन्ध तो मौजूदा स्थिति में है। इस समय हमारे सामने ये दो समस्याएँ हैं—(१) कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो हमें हमारे उद्देश्य तक पहुँचा सकती है, अतः इसकी शक्तिशाली बनाना चाहिए और (२) जनसाधारण में बढ़ती हुई जागृति। यदि इन दोनों बातों में एकता होजाय तो आन्दोलन मजबूत होजायगा और उद्देश्य की पूर्ति भी होजायगी। इसी सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए जनसाधारण से सम्पर्क बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यह बात हिन्दू, सिख, मुसलमान और ईसाई जन-साधारण पर भी लागू होती है। साम्प्रदायिक मतभेद का इस कार्यक्रम पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। हम मुस्लिम जन-सम्पर्क की बात कहते हैं; किन्तु यह कोई साम्प्रदायिक आन्दोलन नहीं है जिससे मुसलमानों का ही सम्बन्ध हो। हमारा कार्यक्रम हिन्दू-मुसलमानों तथा अन्य सम्प्रदायों के लिये एकता ही है। मुसलमानों



में कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम 'मुस्लिम-जन-सम्पर्क' शब्द का प्रयोग करते हैं।

जन-साधारण से दो प्रकार से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। एक तरीका तो यह है कि हम उन्हें कांग्रेस का सदस्य बनायें और ग्राम-कमेटियों की स्थापना करें। दूसरा यह है कि किसान और मजूर-संघों से सम्बन्ध स्थापित करें। हमारे लिए पहला मार्ग ही उचित है। बिना पहले मार्ग को ग्रहण किये दूसरे पर चला ही नहीं जा सकता; क्योंकि दूसरा पहले से सम्बन्धित है। यदि कांग्रेस का जन-साधारण से सम्पर्क नहीं होगा तो उसपर मध्यम श्रेणी का प्रभाव होना अनिवार्य है। इस प्रकार वह अपना दृष्टिकोण जन-साधारण का दृष्टिकोण न रख सकेगी। अतः प्रत्येक कांग्रेसमैन का विशेषण उसका जो किसान-मजूरों के हितों को अधिक प्रिय समझता है, यह कर्तव्य है कि वह उन्हें कांग्रेस के सदस्य बनाकर ग्राम-कमेटियाँ स्थापित करे।

कुछ दिन हुए इस बात पर विचार किया गया था कि किसान और मजूर-संघों का कांग्रेस से सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय और इसके लिए उन्हें कांग्रेस में प्रतिनिधित्व दे दिया जाय। इसपर आज भी विचार हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस के विधान में परिवर्तन करना होगा। मैं नहीं जानता कि परिवर्तन हो सकेगा या नहीं और अगर हो सकेगा तो कब ? व्यक्तिगत रूप से मैं यह बात मान ली जाने के पक्ष में हूँ। युक्तयान्तीय कांग्रेस कमेटी ने जिस बात की सिफारिश की है उसपर धीरे-धीरे अमल होना चाहिए। कुछ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा; क्योंकि ऐसे संघ जो अच्छी तरह से संगठित हैं, बहुत कम हैं। साथ ही उन्हें अपने से सम्बन्धित करने के लिए कांग्रेस कुछ बातें भी रख देगी। इस समय तो यह सवाल ही पैदा नहीं होता; क्योंकि कांग्रेस के विधान में इसके लिए स्थान ही नहीं है। यह बहस का सवाल है, इसलिए इस समय हमें इधर अधिक ध्यान नहीं देना है। जो व्यक्ति इस प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में हैं, उन्हें जानना चाहिए कि इस परिवर्तन के लिए वह कांग्रेस से बाहर रहते हुए अधिक जोर

नहीं डाल सकते। उन्हें इसके लिए मजूरों और किसानों की अग्रिम संख्या में कांग्रेस का सदस्य बनाना पड़ेगा। यदि कांग्रेस के बाहर की संस्थाओं में इतनी शक्ति होजायगी कि वे कांग्रेस को किमी दान के लिए विवश करदें तो इसका अर्थ होगा कि उनकी कांग्रेस में अग्रिम शक्ति है। ऐसी दशा में तो उन्हें कांग्रेस से सम्बन्धित होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किन्तु ऐसा होना मुमकिन नहीं।

यह सब ठीक है, पर इस समय हमें इससे कुछ नहीं लेना। स्थानीय कांग्रेस कमेटियो और किसान-मजूर संस्थाओं में सहयोग की भावना बढ़ती जा रही है। कहीं-कहीं दोनों की बेजास्ता कमेटियाँ भी बनी हुई हैं। अधिकतर इनमें काम करनेवाले भी कांग्रेस-कार्यकर्ता ही होते हैं। इसलिए दोनों में सहयोग होने में कोई कठिनाई नहीं है। यह बात दोनों में है; किन्तु इसके अलावा चारों ओर इस बात पर जोर भी दिया जा रहा है कि दोनों में सहयोग होना चाहिए और यह है भी बहुत जरूरी।

किसानों और मजूरों को कांग्रेस का सदस्य बनाने के बारे में ऊपर विस्तार-पूर्वक विवेचना करली गई है। अब हमें यह भी विचार करना चाहिए कि मजूरों और किसानों का स्वतन्त्र संगठन होना चाहिए या नहीं। इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं कि किसानों और मजूरों को अपना संगठन करने का अधिकार पुस्तनी है। यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, जिसे कांग्रेस सदा स्वीकार करती रही है। इस सम्बन्ध में किसी भी दलील की आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस तो एक कदम और आगे बढ़ गई है। उसने मैदान्तिक रूप में ऐसी संस्थायें स्थापित करने का आश्वासन दिया है।

धमजीवी मजूरों का मामला तो किसानों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। मेरी धारणा है कि जो व्यक्ति मजूर-आन्दोलन में दिलचस्पी रखता है, उसे यह मानना पड़ेगा कि मजूरों का अपनेका संगठित करना मुख्य कर्तव्य है। मजूर-आन्दोलन वर्तमान उद्योग-धन्धों का अनिवार्य हिस्सा है। उद्योग-धन्धे जिनमें बढ़ेंगे, उतना ही यह आन्दोलन भी बढ़ेगा। कांग्रेस जन-साधारण में सम्पूरा रखने के कारण मजूर-संघों का कार्य नहीं

में कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम 'मुस्लिम-जन-सम्पर्क' शब्द का प्रयोग करते हैं ।

जन-साधारण से दो प्रकार से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है । एक तरीका तो यह है कि हम उन्हें कांग्रेस का सदस्य बनायें और ग्राम-कमेटियों की स्थापना करें । दूसरा यह है कि किसान और मजूर-संघों से सम्बन्ध स्थापित करें । हमारे लिए पहला मार्ग ही उचित है । बिना पहले मार्ग को ग्रहण किये दूसरे पर चला ही नहीं जा सकता; क्योंकि दूसरा पहले से सम्बन्धित है । यदि कांग्रेस का जन-साधारण से सम्पर्क नहीं होगा तो उसपर मध्यम श्रेणी का प्रभाव होना अनिवार्य है । इस प्रकार वह अपना दृष्टिकोण जन-साधारण का दृष्टिकोण न रख सकेगी । अतः प्रत्येक कांग्रेसमैन का विद्येपतया उसका जो किसान-मजूरों के हितों को अधिक प्रिय समझता है, यह कर्तव्य है कि वह उन्हें कांग्रेस के सदस्य बनाकर ग्राम-कमेटियाँ स्थापित करे ।

कुछ दिन हुए इस बात पर विचार किया गया था कि किसान और मजूर-संघों का कांग्रेस से सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय और इसके लिए उन्हें कांग्रेस में प्रतिनिधित्व दे दिया जाय । इसपर आज भी विचार हो रहा है । इसके लिए कांग्रेस के विधान में परिवर्तन करना होगा । मैं नहीं जानता कि परिवर्तन हो सकेगा या नहीं और अगर हो सकेगा तो कब ? व्यक्तिगत रूप से मैं यह बात मान ली जाने के पक्ष में हूँ । युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने जिस बात की सिफारिश की है उसपर धीरे-धीरे अमल होना चाहिए । शुरू में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा; क्योंकि ऐसे संघ जो अच्छी तरह से संगठित हैं, बहुत कम हैं । साथ ही उन्हें अपने से सम्बन्धित करने के लिए कांग्रेस कुछ शर्तें भी रख देगी । इस समय तो यह सवाल ही पैदा नहीं होता; क्योंकि कांग्रेस के विधान में इसके लिए स्थान ही नहीं है । यह बहस का सवाल है, इसलिए इस समय हमें इधर अधिक ध्यान नहीं देना है । जो व्यक्ति इस प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में है, उन्हें जानना चाहिए कि इस परिवर्तन के लिए वह कांग्रेस से बाहर रहते हुए अधिक जोर

अर्थ यह होगा कि काँग्रेसमयन इनके लीधे सम्पर्क में हैं और आवश्यकता पड़ने पर इनकी सहायता भी देने हैं ।

नगरी में जो अर्थमजूर मभायें और मस्याये बनती हैं, वे मफ्त नहीं होतीं; क्योंकि उनके हितों में सामजम्य नहीं होता । उनके काँग्रेस में आने में ही सहयोग पैदा हो सकता है ।

किमानों की अहम समस्या रह जाती है । उनकी समस्या हमारी तमाम समस्याओं की वनिस्वत उधरी है । किमान वर्ग में में किमानों की भाँति पजाब तथा अन्य प्रान्तों के छोटे-छोटे जमींदार, युक्तप्रान्त और बिहार के किमानों, बंगाल और उड़ीना के कृषकों को भी समझता है । इन सबपर एक ही व्यवहार लागू नहीं हो सकता । (उममें भिन्नता होगी ।) इस समय ता में काँग्रेस के साथ मस्याओं के सम्बन्ध पर विचार कर रहा हूँ ।

काँग्रेस ने किमानों के मगठन को अधिकारपूर्ण रूप में स्वीकार लिया है । मँढान्तिक रूप में मने जो विचार मजूर-मधों के प्रति प्रकट किये हैं, वे उनपर भी लागू होने हैं, किन्तु उनमें फरक भी है । कारमानों इत्यादि में काम करनेवाले मजूरों को मगठित करना मुगम है, क्योंकि वे एकसाथ रहते हैं और बन्धे-बन्धे-कन्धा भिड़कर काम करते हैं और उनकी कठिनाइयाँ भी करीब-करीब एक-सी ही होती हैं । किमानों का मंगठन करना उनकी वनिस्वत ज्यादा मुश्किल है; क्योंकि वे बिखरे रहते हैं और वे सामूहिक दृष्टि में नहीं मीचते, वन्कि व्यक्तिगत हितों में ही सोचते हैं । काँग्रेस का कार्य करने समय ही हमें इन सब कठिनाइयों का अनुभव हो चुका है और हमने देखा है कि यद्यपि किमानों पर काँग्रेस का ज्यादा-से-ज्यादा अमर है; किन्तु उनमें में काँग्रेस के मदम्य बहुत कम है । करोड़ों किमान काँग्रेस पर श्रद्धा रखते हैं, किन्तु मदम्य इसकी वनिस्वत बहुत ही कम है ।

जिन गाँवों में काँग्रेस-कमेटियाँ ज़ारों में काम कर रही हैं, वहाँ किसान-सघ बनाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसमें शक्ति का अपभ्यय होगा और दोहरा प्रयत्न भी करना पड़ेगा । ग्रामीण काँग्रेस को ही

अपनी संस्था समझते हैं। हमने देखा है, कई स्थानों में किसान-आन्दोलन शक्तिशाली होते हुए भी वहाँ किसान-संघों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। जिन गाँवों में कांग्रेस कमेटियाँ ठीक तरह कार्य नहीं कर रही हैं, वहाँ देर या जल्दी से किसान-संस्थायें जरूर उनकी पूर्ति करेंगी। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि किसानों में जागृति पैदा हो रही है और उनमें यह भावना आती जा रही है कि उन्हें इस असह्य दशा से अपना छुटकारा करना चाहिए। यद्यपि इस जागृति का मुख्य कारण आर्थिक तंगी है; किन्तु कांग्रेस के नेतृत्व में जो आजादी की जद्दोजहद हो रही है, उससे भी उन्हें प्रोत्साहन मिला है और उन्हें बहुत-सी ऐसी बातों का ज्ञान होगया है, जिन्हें वे आज तक निर्जीव प्राणी के समान सहन कर रहे थे। उन्हें संगठन की अहमियत तथा सामूहिक कार्यों की ताकत का भी पता चल गया है। इसलिए वे इंतज़ार में हैं। अगर कांग्रेस उनकी ओर आकर्षित न हुई तो कोई और संस्था उस ओर जायगी और वे उसका साथ देंगे। लेकिन वही संस्था उनके हृदय में स्थान प्राप्त कर सकती है जो उनकी मुसीबतों को दूर करने का उन्हें मार्ग दिखायगी।

हम देख रहे हैं कि आज ऐसे आदमी भी किसानों का दुःख दूर करने और उन्हें आर्थिक तंगी से मुक्त करने की बात कह रहे हैं जिन्होंने इससे पूर्व कभी भी किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया होगा। राजनैतिक प्रतिगामी भी आज किसान-कार्यक्रम की बातें कर रहे हैं। राजनैतिक प्रतिगामियों ने कभी उनको न लाभ पहुँचाया और न पहुँचा सकते हैं; लेकिन इससे हमें यह साफ़ तौर से मालूम हो जाता है कि आज हवा का रुख किस ओर है। अब हमें गाँवों के उन झोपड़ों की ओर ध्यान देना चाहिए, जिनमें हमारे मुसीबतजदा किसान भाई रहते हैं। यदि उनके दुःख दूर न किये गये तो एकदम भयानक उथल-पुथल मच जायगी। भारत की सबसे बड़ी समस्या अर्थात् किसानों की समस्या ही मुख्य है।

कांग्रेस ने पूरी तरह से इस बात को महसूस कर लिया है। इसलिए राजनैतिक कामों में लगे रहने के बावजूद कांग्रेस ने किसान-कार्यक्रम तैयार

किया है। हालांकि वह कार्यक्रम उनके दुःखों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, फिर भी उससे उनका बोझ कुछ हल्का होगा। मेरी समझ में कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया किसान-कार्यक्रम किसान-संघों द्वारा तैयार किए गये कार्यक्रम से बहुत भिन्न नहीं है। पर केवल कार्यक्रम तैयार करना ही काफी नहीं है। किसानों में हमें उस कार्यक्रम को फैलाना चाहिए। उसके आधार पर ही हमें अपनी योजनाएँ बनानी होंगी। भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न योजनाएँ बनेंगी। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों तथा धारा-सभाओं की कांग्रेस-पार्टियों को योजनाएँ बनानी चाहिए। हम इस कार्यक्रम को इस समय चाहे अमल में न ला सकें; लेकिन समय आने पर उसे अमल में लाने के लिये हमें तैयार रहना चाहिए।

दूसरे देशों में भी ऐसा ही हुआ है, इसलिए यहाँ भी किसान-संघों का बनना जरूरी है। जहाँ कांग्रेस कमेटियाँ हैं, उन गाँवों में किसान-संस्थाएँ नहीं चल सकती। जहाँ कांग्रेस कमेटियों का ग्रामीणों से सम्पर्क न हो, वहाँ किसान-संघों का जोर हो जायगा। कुछ भी हो, किसान-संस्थाएँ बनेंगी ही। हमें सोचना यह है कि उनके प्रति हमारा क्या रुख हो।

हम यह नहीं कह सकते कि किसान-संस्थाएँ नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहना कांग्रेस की निश्चित नीति के खिलाफ होगा। यह उमूल गलत होगा और इससे भोजूदा आन्दोलन से भी सघर्ष होगा। मैं यह नहीं कहता कि किसान-संघों कांग्रेस का एक अंग हो और किसान-सभा का मदस्य बनने के लिए कांग्रेस का मदस्य होना जरूरी हो। किसान-सभाओं को हम अखिल भारत चर्चा-संघ या अखिल भारत ग्राम-उद्योग-संघ के रूप में भी नहीं लेना चाहते।

यह बहुत जरूरी है कि किसान-संघों और कांग्रेस में आपस में लड़ाई न हो। यह दोनों के लिए ही, विशेषतया किसान-संघों के लिए, घातक होगा। यदि ग्रामीण अधिक संख्या में कांग्रेस-सदस्य होंगे तथा प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्ता उनके कार्य में दिलचस्पी लेंगे तो आपस के झगड़े की भावना आ ही नहीं सकती और एक प्रकार से वे कांग्रेस का ही एक अंग हो जायेंगे।

इस प्रकार सम्बन्ध स्थापित करने में कठिनाइयाँ भी पड़ेगीं और कभी-कभी मतभेद हो जाने का भी डर होगा। हमें इनका सामना करना होगा। हमारी राजनैतिक समस्याएँ जितनी वास्तविक होती जाती हैं, उतना ही उनका सम्बन्ध हमारी दैनिक समस्याओं से होता जाता है। समस्याओं का रूप नित्य बदलता रहता है। उनमें विपमता भी उत्पन्न होती रहती है। जीवन ही विपम है, हमें किसी-न-किसी प्रकार इन्हें सुलझाना होगा।

जो बात सैद्धान्तिक रूप से ठीक होती है, वह सदा काम में लाने पर ठीक उतरती हो, ऐसा नहीं है। किसान-संस्थाओं के प्लेटफार्म का उपयोग कभी-कभी कांग्रेस के खिलाफ़ भी होजाता है। प्रतिक्रियावादी भी उससे लाभ उठा लेते हैं और कभी-कभी स्थानीय कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों से असन्तुष्ट होकर कुछ व्यक्ति इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कांग्रेस-द्रोही तथा वे व्यक्ति जिनपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, इन्हें अपना अड्डा बना लेते हैं। मुझे रिपोर्ट मिली है कि किसी ज़िले में जिला-राजनैतिक कांग्रेस के अवसर पर कुछ दूरी पर किसान-सम्मेलन किये गये हैं। कहीं-कहीं जुलूसों और झण्डे के प्रश्न को लेकर भी झगड़ा हुआ है।

इस प्रकार की बातें सर्वथा आपत्तिजनक हैं। समस्त कांग्रेसमैनों को इनका विरोध करना चाहिए। इससे कांग्रेस के उद्देश्य को तो नुकसान नहीं पहुँचता; लेकिन किसानों में गोलमाल होजाती है। झण्डे के संबंध में मैं पहले ही लिख चुका हूँ और फिर उसे दोहरा देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय झण्डे का अपमान, चाहे कोई भी करे, सहन नहीं किया जा सकता। हमें लाल झण्डे से कोई शिकायत नहीं। मैं उसकी इज्जत करता हूँ। लाल झण्डा मजूरों की जद्दोजहद की निशानी है। लेकिन उसकी राष्ट्रीय झण्डे से होड़ लगाना ठीक नहीं।

कांग्रेस पर किये जानेवाले आक्रमण को हम सहन नहीं कर सकते। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वे कांग्रेस को हानि पहुँचाते हैं। इससे मेरा यह मतलब नहीं कि कांग्रेस की आलोचना न की जाय। आलोचना करने की सब को स्वतन्त्रता है। किसी भी संस्था के जीवन की यह निशानी है।

ऐसी घटनायें मामूली तोर पर स्थानीय होती हैं और उनपर स्थानीय रूप से विचार होना चाहिए। अगर ज़रूरत मालूम पड़े तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास इसकी रिपोर्ट भेजी जा सकती है। यदि कोई कांग्रेसमैन बार-बार कांग्रेस पर छोट डालने की कोशिश करता है और कांग्रेस की मर्यादा की हानि पहुँचाना है तो उसके मामले पर प्रांतीय कमेटी में विचार होना चाहिए।

इस महान् समस्या को मुलजाने के लिए हमें किसानों से सीधा संबंध स्थापित करना चाहिए। मेरा विचार है कि हमें किसान-मजदूरों के साथ सहयोग कर दोस्ती का सम्बन्ध कायम करना चाहिए और हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि दोनों में आपस में झगडा न होने पावे। जिन उमूलों पर हमें चलना है, वे बिल्कुल स्पष्ट हैं, लेकिन किसान भी उतने ही मुरय्य हैं, और अगर किसान ठीक-ठीक काम करते हैं तो मुमीबने और झगड़े कम-से-कम होने चाहिए।

२८ जून १९३७



## काँग्रेस और मुसलमान

मैंने कहा था कि ज़रूरी तौर पर मुल्क में सिर्फ़ दो दल हैं—सरकार और काँग्रेस। श्री जिन्ना ने अपने वक्तव्य में इसका प्रतिवाद किया है। उन्होंने मुझे याद दिलाई है कि एक तीसरा दल भी है, और वह है भारतीय मुसलमान। अपने व्याख्यान में उन्होंने कुछ बहुत मार्कों की बातें कही हैं। मैं बिहार में इधर-से-उधर दौड़ रहा हूँ और श्री जिन्ना की तक्ररीर पर ज़रूरी गौर करने के लिए मेरे पास वक्त कहाँ है? लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है, वह महत्वपूर्ण है और मेरे लिए ज़रूरी होगया है कि अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा-सा समय निकालूँ और दिनभर के भारी काम के बाद उसके बारे में कुछ कहूँ।

मुझे दिखाई पड़ता है कि श्री जिन्ना ने जो कुछ कहा है वह निश्चय ही परले सिरे की साम्प्रदायिकता है। बंगाल के इस्लामी मामलों में काँग्रेस के हस्तक्षेप करने पर उन्होंने आपत्ति की है और कहा है कि मुसलमानों को काँग्रेस खुदमुद्तार रहने दे। श्री जिन्ना की यह आपत्ति और माँग बिलकुल वैसी ही बात है जैसी कि हिन्दू-सम्प्रदायवादियों की और से भाई परमानन्द ने अक्सर पेश की है। नतीजा देखा जाय तो श्री जिन्ना के कहने का मतलब यह है कि सार्वजनिक विभागों में इस्लामी मामलों में गैर-मुस्लिमों को दस्तन्दाजी करने का कोई हक़ न हो। राजनीति में, सामाजिक और आर्थिक मामलों में मुसलमान एक दल के रूप में अलहदा काम करें, और दूसरे दलों के साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसे कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ करता है। ऐसा ही मजदूर-संघ, किसान-संघ, व्यापार, व्यापारी-संघ और ऐसी ही संस्थाओं और कामों में हो। हिन्दुस्तान में मुसलमान वास्तव में एक अलहदा राष्ट्र हैं और जो

इस बात को भूलते हैं, वे 'पाक-सह' के खिलाफ पाप करते हैं और श्री जिन्ना को नाराज करते हैं।

लेकिन ये मुसलमान कौन हैं? सिर्फ वे जो श्री जिन्ना और मुस्लिम-लीग के अनुयायी हैं? जब मौलाना मुहम्मदअली काँग्रेस में शामिल हुए थे, श्री जिन्ना बताते हैं कि वह मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे। यह तो एक मामूली-सी बात थी कि तब हजारों मुसलमान काँग्रेस के सदस्य थे और लाखों की हमदर्दी उनके साथ थी। सहयोग भी उन्होंने दिया। वे मुस्लिम-लीग के घेरे से बाहर थे और श्री जिन्ना के भी बहने में नहीं चलते थे। इसलिए उन्हें गैर-मुस्लिम माना जा सकता है। इसी तरह श्री जिन्ना के कहने के मुताबिक पंजाब और बंगाल के अहरार और किमान-पार्टी-जैसे ताकतवर मुसलमानी-दल भी निश्चय ही मुसलमान नहीं हैं; क्योंकि मुस्लिम-लीग के घेरे से वे बाहर हैं। धार्मिक कट्टरता की यह तो एक नई कसीटी है।

श्री जिन्ना मुसलमानों की बड़ी तादाद के साथ काँग्रेस में हम लोगों से क्या कराना चाहते हैं, यह मैं नहीं जानता। क्या वह चाहते हैं कि हम उनसे इस्तीफा देने के लिए कहें और कहे कि आप घुटने के बल श्री जिन्ना के पाम जाइए? और मुसलमान-किसानों और कार्यकर्ताओं से, जो मेरी बातें सुनने आते हैं, मैं क्या कहूँ?

यह तमाम मुझे अजीब और नुकसानदेह सिद्धान्त दिखाई पड़ता है। मुसलमानों के लिए वह बहुत ही बेजा है। उनकी 'तीसरे दल' की बात भी सुनी की बात नहीं है और न वह मुसलमानों के लिए तारीफ की चीज है। इस दल को ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय राष्ट्रवाद के बीच मुसलमानों का एक राजनैतिक सहायक दल रहना चाहिए था, न कि एक ऐसा दल जो आपस में एक-दूसरे को धोखा दे और सार्वजनिक भलाई को छोड़कर उसकी जगह साम्प्रदायिक फायदा उठाना चाहे।

इन या ऐसी ही साम्प्रदायिक लाइनो पर मैं तो बिल्कुल नहीं सोच सकता। श्री जिन्ना से भ्रमभेद रखते हुए मैं तो यह कहूँगा कि ऐसे विचार पुराने और अज्ञानमयिक हैं। उनका मौजूदा हालतों से और मसलों

से, जो ज़रूरी तौर पर आर्थिक और राजनैतिक हैं, कोई सम्बन्ध नहीं है। धर्म वैयक्तिक मामला है और श्रद्धा का बन्धन भी है। लेकिन धर्म को राजनैतिक और आर्थिक मामलों में ठूसना तो निरी अज्ञानता है। उससे असली मसले किनारे होजाते हैं। मुसलमान किसानों और हिन्दू किसानों के हितों में फ़र्क ही क्या है? और क्या मुसलमान मजूर, दस्तकार, व्यापारी, ज़मींदार, और तैयार माल पैदा करनेवाले, हिन्दुओं से भिन्न हैं? उनके बीच में बन्धन तो सबका आर्थिक-हित है और खास तौर से एक गुलाम मुल्क के वारे में वह राष्ट्रीय-हित है। धार्मिक मसले उन्हें, धार्मिक झगड़े हों। उनका मुकाबिला किया जाय। उन्हें तय किया जाय; लेकिन उनकी सुलझाने का तरीका तो यह है कि उनके झगड़े और असर के घेरे पर हद बाँध दी जाय और राजनीति और अर्थ-शास्त्र में दखलदराजी करने से उन्हें रोका जाय। राजनैतिक और आर्थिक मसलों में साम्प्रदायिक विचारों को प्रोत्साहन देना तो प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन देना है और मध्यकालीन युग में पहुँचना है। यह ठीक नहीं है; क्योंकि उससे असलियत भुलादी जाती है।

आज की असलियत तो गरीबी है, क्षुधा है, बेकारी है और ब्रिटिश-साम्राज्यवाद और भारतीय राष्ट्रवाद के बीच संघर्ष है। इन सबपर साम्प्रदायिक रूप से कैसे विचार किया जाय?

यों आज मुल्क में बहुत-से दल हैं, पार्टियाँ हैं, अजीबोगरीब आदमी हैं; लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, मौजूदा लड़ाई साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद की है। इस ऐतिहासिक दृष्टि से 'तीसरे दलों' और बीच के और अनिश्चित गुपों वगैरा की कोई अहमियत नहीं है। फलस्वरूप उनकी कोई बड़ी ताकत भी नहीं है। चुनाव या ऐसे ही मौक़े आते हैं तो वे भी काम करने लगते हैं। चुनाव बीतने पर वे भी ख़त्म हो जाते हैं। काँग्रेस भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करती है और उसपर एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है। इसी की वजह से सिर्फ़ काँग्रेस ही एक संगठन है, जिसने हिन्दुस्तान में बड़ा मान पाया है और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ़ खड़े होने के लिए ताक़त और इच्छा पाई है। इस तरह अन्तिम

विश्लेषण में पता चलता है कि हिन्दुस्तान में आज दो ही ताकतें हैं— ब्रिटिश साम्राज्यवाद और काँग्रेस जो भारतीय राष्ट्रवाद की प्रतिनिधि है। मुल्क में और भी बड़े तबकें हैं जो नये सामाजिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं; लेकिन वे काँग्रेस से सम्बद्ध हैं। साम्प्रदायिक दल-बन्धियों को हालांकि कभी-कभी अहमियत दे दी जाती है; लेकिन बान्धव में उनकी असली अहमियत कुछ भी नहीं है।

लेजिस्लेटिव एसेम्बली में एक दल के श्री जिन्ना नेता हैं। उन दल के सदस्यों ने दिवा दिया है कि वे एक-दूसरे से और दूसरे दलों से एकदम आजाद हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके बीच कोई मानान्य सिद्धांत या नीति नहीं है जो उन्हें एक-दूसरे से बांधे रखे और जब कोई इनकी समस्या सामने आती है तो वे अलहदा होजाते हैं। यही हालत काँग्रेस के तौर पर साम्प्रदायिक दलों का भी होगा।

डिक्टेटरों और उनके अनुयायियों का यहाँ सवाल नहीं है। काँग्रेस तो प्रजातन्त्रीय संगठन है जिसकी जड़ें गहरी हिन्दुस्तान की धरती में पंटी हुई हैं। उसका दरवाजा हरेक ऐसे हिन्दुस्तानी के लिए खुला है जो आजादी में विश्वास करता है। काँग्रेस के लिए अहम नतीजा ब्रह्मदंड का है, जिसमें हम गरीबों से और लोगों के शोषण में छुटकारा पा सकें। हो सकता है कि काँग्रेस कभी गलती कर दे; लेकिन वह हमेशा राष्ट्र और राष्ट्रीय आजादी की ही परिभाषा में सोचने की कोशिश करती है और जानबूझकर सकट या साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को दूर रखती है।

मुसलिम-लीग का आखिर उद्देश्य क्या है? क्या वह हिन्दुस्तान के लिए आजादी पाना चाहती है, और साम्राज्यवाद का विरोध करना चाहती है? मुझे यकीन है ये बातें वह नहीं चाहती। इसमें सन्देह नहीं कि उसमें बहुत बड़े नामी मुसलमान हैं; लेकिन उनका सम्बन्ध उच्च मध्यमश्रेणी के ऊँचे भागों में है और मुस्लिम-जनता में उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। निम्न मध्यमश्रेणी के साथ भी उनके सम्बन्ध बहुत कम हैं। श्री जिन्ना से मैं यह कहूँगा कि मुस्लिम-लीग के बहुत-से मेम्बरों की बनिस्बत मुस्लिम-जनता के सम्पर्क में मैं ज्यादा आना

हूँ। उन लोगों की वनिस्वत, जो कौंसिल में 'फ्री सदी' सीटों और स्टेट की नौकरी की बातें करते हैं, मैं उन लोगों की भूख, शरीबी और मुसीबतों को ज्यादा जानता हूँ। पंजाब और दूसरी जगहों पर मेरे भाषण सुनने के लिए मुसलमान ही ज्यादा आये। उन्होंने साम्प्रदायिक समस्या या 'फ्री सदी' या पृथक् निर्वाचकों के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा। उनकी दिलचस्पी तो बेहद मालगुजारी, लगान, कर्ज, आवपाशी, बेकारी तथा और बहुतसे बोझों के बारे में थी, जिन्हें वे सिर पर लादे फिरते हैं।

राष्ट्रपति (कांग्रेस का अध्यक्ष) की हैसियत से मुझे देशभर के उन असंख्य मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का गौरव और मौक़ा मिला है जिन्होंने आज़ादी के जंग में एक बहादुराना हिस्सा लिया है, जिन्होंने आज़ादी के लिए बड़ी मुसीबतें उठाई हैं और जो कांग्रेस के झंडे के नीचे दूसरों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाये हमारे ऐतिहासिक युद्ध में खड़े रहे हैं। मैं उन बहादुर मुसलमान-साथियों का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ जो अब भी हमारी फ़ौजों में आगे खड़े होते हैं और जो पिछले सालों के बोझ और मुसीबतों में भी कांग्रेस के प्रति सच्चे रहे हैं। लोग भूखे हैं, शरीब हैं, उनकी माँग है कि उन्हें रोटी मिले, ज़मीन मिले और काम मिले। और बहुत-से बोझ जो उन्हें कुचले डाल रहे हैं, उनसे भी वे छुटकारा चाहते हैं। असह्य दमन से छुटकारे की भावना उनमें है। इन बातों में मैं मुसलमानों और हिन्दुओं, दोनों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं सबका प्रतिनिधित्व करता हूँ; क्योंकि कांग्रेस उनका प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस ने मुझे आदेश दिया है कि मैं उसके सिद्धान्तों को ऊँचा उठाये रहूँ और हमारे देश में फ़ैले अन्धकार और हमारे उत्पीड़ित आदमियों को आशा, शक्ति और रोशनी देने के लिए उसने जो मशाल जलाई है, उसे भी ऊँचा रखूँ।

कांग्रेस हर तरह के सहयोग का स्वागत करती है। उसने साम्राज्यवाद के खिलाफ़ संयुक्त मोरचा लेने की ज़रूरत पर भी बार-बार जोर दिया है। वह तो खुशी के साथ मुसलिम-लीग तथा दूसरे संगठनों को सहयोग देगी; लेकिन इस सहयोग की बुनियाद में साम्राज्यवाद का

विरोध और जनता की भलाई होनी चाहिए । उसकी राय में मुट्ठीभर उच्चवर्ग के आदमियों की ऐसी किसी भी मधि या समझौते का सच्चा और स्थायी मूल्य नहीं है जो जनता के हितों को दरगुजर करता है । कांग्रेस तो जनता के साथ है जिससे उसका सम्बन्ध है; क्योंकि सबसे अधिक जनता के हितों से ही उसका सम्बन्ध है । लेकिन कांग्रेस जानती है कि हिन्दू और मुस्लिम जनता साम्प्रदायिक सवालों की ज्यादा परवा नहीं करती । उन्हें तो तात्कालिक और सतत आर्थिक सहायता चाहिए और उमे पाने के लिए राजनैतिक आजादी । इस विस्तृत आधार पर देश के उन सब तत्वों का सहयोग हो सकता है जो सामूहिक रूप में मानव-जाति का हित चाहते हैं और साम्राज्यवाद से छुटकारा चाहते हैं ।

१० जनवरी १९३७ ।

## मजदूर और कांग्रेस

आज दुनिया जिस भारी सामाजिक और आर्थिक संकट में होकर गुजर रही है, उसमें मजदूरों के सामने बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है; क्योंकि अनिवार्य रूप से आदर्शवादी नेतृत्व का बोल मजदूर के ही हाथ रहता है। हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय लड़ाई ने सामाजिक भेदों को ढक लिया है और छिपा दिया है; लेकिन दुनिया की घटनायें आज आगे बढ़ रही हैं और राष्ट्रीय आन्दोलनों को भी ज्यादा-से-ज्यादा आर्थिक और सामाजिक आन्दोलन बनाये दे रही हैं। दुनियाभर में मजदूरों और स्थापित स्त्रायों में भारी लड़ाई चल रही है। दाव जैने लगे हैं और इसलिए हम न तो अपनी राष्ट्रीय लड़ाई में, न सामाजिक लड़ाई में मामूली परिवर्तन करार ही समझीता कर सकते हैं। अगर हमें दुनिया की परिस्थिति से फायदा उठाना है तो हमें पक्का विचार कर लेना चाहिए कि शासन-पद्धति को एकदम पूरी तरह से बदलने के लिए हम लड़ेंगे। और किसी से हमें संतोष न होगा, न और किसीसे हमारी समस्यायें ही भुलजेंगी।

आज हिन्दुस्तान में विचारों की कुछ गड़बड़ी फैल रही है। हिन्दुस्तान के पुराने राष्ट्रवादी आदर्श दुनिया की मौजूदा हालातों से मेल नहीं खाते। इसलिए हिन्दुस्तान विचार करने का नया तरीका ग्रहण करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह प्राचीन को बदलकर नये पर आने की कोशिश बड़ा दुःख दे रही है और गड़बड़ी पैदा कर रही है; लेकिन कोशिश जारी ही रहनी चाहिए; क्योंकि सिर्फ इसी तरह सामाजिक क्रान्ति के प्रगतिशील आदर्श को लेकर हिन्दुस्तान आज्ञादी की ओर दुनिया की लड़ाई में अच्छी तरह हिस्सा ले सकता है।

ऐसी सामाजिक लड़ाई में मजदूर का स्थान हमेशा प्रमुख रहा है।

इसलिए हिन्दुस्तान के मजदूरों को अपनी मुस्ती छोड़कर उठ बैठना चाहिए और अपने साधियों को लेकर बहादुरी और विश्वास के साथ परिस्थिति का मुकाबिला करना चाहिए। अपने डरपोक रज को और मामूली मुद्धारों के लिए माँगों को छोड़ देना चाहिए और अहम मसलों में, जो हमारे और दुनिया के सामने हैं, हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे अवसर कम ही आते हैं। हिन्दुस्तानियों की आजादी के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन और सामाजिक और आर्थिक आन्दोलनों को साथ मिलकर चलना चाहिए।

मजदूर उत्पादक मजदूर-वर्ग का प्रतिनिधित्व करने हैं, यानी वह वर्ग जो भविष्य का आर्थिक और ऐतिहासिक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है। इसलिए मजदूर के लिए यह समभव है कि वह कांग्रेस की अपेक्षा अधिक स्पष्ट विचार रखे। उमूलन मजदूर मुल्क का बहुत ही क्रान्तिकारी दल होता है; क्योंकि भविष्य की शक्तियों का वह प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन दूसरे विदेशी शासन के मातहत मुल्कों की तरह, हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय समस्या सामाजिक समस्याओं को ढक देती है और राष्ट्रवाद सामाजिक लड़ाई की अपेक्षा अधिक क्रान्तिकारी है। फिर भी दुनिया की घटनायें आर्थिक मसलों को आगे-मे-आगे लाती जा रही हैं और राष्ट्रीय मस्यायें तक इन्हीं मसलों में प्रभावित हो रही हैं।

मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि मजदूरों को ट्रेड-यूनियनों में या बंसे ही सभों में बिल्कुल अलहदा अपना संगठन करना चाहिए, नहीं तो वह मिले हुए राष्ट्रीय दलों में विलीन होजायगे। साथ ही मजदूरों को यह भी महसूस करना चाहिए कि आज मुल्क में राष्ट्रवाद सबसे मजबूत शक्ति है और उसे पूरी तरह से उन्हें सहयोग देना चाहिए। उन्हें आर्थिक मसलों में उसपर प्रभाव डालने की कोशिश भी करनी चाहिए।

मैं कांग्रेस के अलावा मजदूरों की और कोई राजनैतिक पार्टी बनने के उमूलन खिलाफ नहीं हूँ; लेकिन मुझे डर है कि आज ऐसी पार्टी बनाने का नतीजा यह होगा कि कुछ व्यक्ति जो मजदूर की कीमत पर अपनेको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मजदूर का गोपण करेंगे।



राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा उसके नाम से पता चलता है, एक राष्ट्रीय संस्था है। उसका ध्येय हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय आजादी हासिल करना है। उसमें बहुत-सी ऐसी श्रेणियाँ और दल भी शामिल हैं, जिनके वास्तव में विरोधी सामाजिक हित हैं; लेकिन इस वक्त एक सामान्य राष्ट्रीय प्लेटफार्म उन्हें संगठित रख रहा है। पिछले सालों में कांग्रेस का झुकाव समाजवादी कार्यक्रम की ओर हुआ है; लेकिन समाजवादी होने से वह बहुत दूर है।

निजी तौर पर मैं चाहूँगा कि कांग्रेस खूब आगे बढ़े और पूरा समाजवादी कार्यक्रम ग्रहण करले। मैं यह भी मानता हूँ कि आज कांग्रेस में ऐसे बहुतसे दल हैं जो विचारों में बहुत पिछड़े हुए हैं और कांग्रेस को आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह सब मानते हुए भी, मुझे ज़रा भी शक नहीं है कि हाल के सालों में कांग्रेस हिन्दुस्तान में कहीं अधिक युद्धशील संस्था रही है। मुझे उन आदमियों पर बड़ी हँसी आती है जो खुद तो कुछ करते-कराते नहीं हैं और कांग्रेस पर दोष लगाते हैं कि वह युद्धशील नहीं है। हमारे बहुतसे तथाकथित समाजवादी युद्धशीलता को सिर्फ कहने तक ही या उसपर बढ़-बढ़कर वाते मारने तक ही सीमित रखते हैं। यह एक भारी खतरे की बात है।

उन कांग्रेसमैनों को जो मजदूरों के मामलों में दिलचस्पी रखते हैं, अपने काम का रास्ता इस प्रकार बनाना चाहिए: वे अलहदा-अलहदा मजदूर-संघों में काम करें और अपनी ही एक विचार-धारा और काम का कार्यक्रम बनाने में मजदूरों की मदद करें। वह कार्यक्रम जहाँतक हो, युद्धशील हो, चाहे कांग्रेस के कार्यक्रम से आगे हो। राष्ट्रीय कांग्रेस में, मजदूरों के कार्यक्रम से मेल रखते हुए आर्थिक-दिशा को रखने की कोशिश करनी चाहिए। अनिवार्यरूप से कांग्रेस का कार्यक्रम, जहाँतक विचारों का संबन्ध है, उतना आगे नहीं होगा जितना मजदूरों का कार्यक्रम होगा। लेकिन युद्धशील कार्रवाइयों में सहयोग रखना भी विलकुल संभव है।

## सरकार की सरहद्दी-नीति

दो महीने में कुछ कम हुए ब्रिटिश सरकार ने स्पेन की सरकार और वहाँ के विद्रोहियों को एक संदेश भेजा था। कहा गया था कि वे दोनों हवाई जहाज में नागरिक आवासी पर बम न बरसायें। यह संदेश स्पेन में लड़ने वाले दोनों दलों के लिए भेजा गया था; लेकिन अमल में उनका तात्कालिक कारण यह था कि वास्क मुक्त के कुछ क्रन्वीं पर बम बरसाये गये थे। ये बम अधिकतर जनरल फ्रंको के मातहत जर्मनी और इटली के हवाई जहाजों ने बरसाये थे। कोई मालूम नहीं, जबसे कि स्पेन में विद्रोह शुरू हुआ है और विदेशी ताकतों ने स्पेन पर हमला किया है, तबसे उस अभागे मुक्त में फ्लानिस्ट सैनिक गृह ने जो नृसंहारों की हैं, उनके हवाले मुनने-मुनने दुनिया परेशान हो गई है। गर्नीका के सले गहर पर आग लगाने वाले बम बरसाये गये त्रिमने आठमों नागरिकों की जानें चली गईं और गहर का बहुत बड़ा हिस्सा बरबाद हो गया। दुनिया के राष्ट्रों को यह खबर मुनकर भारी धक्का लगा।

ब्रिटिश-सरकार ने इसकी मुखालफत करने और नाराजी दिखाने के लिए एक समाचार भेजा। विदेशी मामलों में समाचार भेजना भर ही अब ब्रिटिश सरकार का मुख्य काम है। और फिर भी तभी उसने खुद हिन्दुस्तान को उत्तरी-पश्चिमी सरहद पर हवाई जहाज में बम बरसाये। जरा भी देर में मौजूदा साम्राज्यवाद को अमली मूरत और कायरता दिखाने का यह एक अजीबोगरीब और महत्वपूर्ण संयोग था।

एक ही चीज जो स्पेन के लिए विकराल और खूबार है, वह हिन्दुस्तान या उसकी सरहद के लिए कंमे मुनासिब हो सकती है? औचित्य उमवा चाहे जो कुछ हो, पर भयानकता तो भयानकता ही है और

आचरण के कुछ निश्चित मापों को दरगुजर और दूर सिर्फ उस सभ्यता और संस्कृति के खतरे पर ही किया जा सकता है जिसे सालों तक पसीना बहाकर दुनिया ने दुःख सह-सहकर तैयार किया है। दुनियाभर के आदमी इस बात को महसूस करते हैं और हवाई जहाज से नागरिकों पर बम बरसाने की नई क्रूरता के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन फ्रांसिज्म और साम्राज्यवाद पर इस चारों तरफ से उठती आवाज का कोई असर नहीं होता। वे दोनों तो जुड़वाँ भाई ठहरे न ! बेगुनाह आदमियों की वेदना और सभ्यता का विध्वंस और उस अनमोल चीज का पतन जिसका मनुष्यता पोषण करती है, ये सब उन्हें ज़रा भी नहीं छूते। उनका हवाई जहाज से बम बरसाना जारी रहता है और आदमियों और औरतों, लड़के और लड़कियों और दूध पीते बच्चों को नष्ट करना या अपाहिज करा भी बन्द नहीं होता।

लेकिन मनुष्यता को छोड़िए, सरहद पर बम बरसाने की बात पर हम विचार करें। कांग्रेस ने उसकी निन्दा की है, और हरेक अक्लमंद आदमी को उसकी निन्दा करनी ही चाहिए। बम बरसाने के पीछे जो असली उद्देश्य है सरहद की उग्र नीति, उसकी भी कांग्रेस ने निन्दा की है। हमसे कहा गया है कि ब्रिटिश-सरकार ने बम उन लड़कियों को बचाने और महफूज रखने के लिए बरसाये, जिन्हें भगाकर लेजाया गया था। यह कैसी अजीब बात है कि लड़कियों का भगाया जाना सरकार की सरहदी नीति से मेल खाये, जैसे कि सम्प्रदायवाद हिन्दुस्तान की बड़ी नीति से मेल खाता है। हमें याद आता है कि किस प्रकार मिशनरियों के दुनिया के भिन्न-भिन्न हिस्सों में भगाये जाने से विभिन्न साम्राज्यवादी ताकतों के साम्राज्य फैलने में मदद मिली थी। क्या वैसी ही प्रणाली सरहद में भी काम करती हमें दिखाई देती है ?

यह स्पष्ट है, वहस भी उसपर नहीं की जा सकती, कि लड़कियों को भगाकर ले जाना एक वहशियाना और अमानुषिक काम है और हम उसे वर्दाश्त नहीं कर सकते। वह सरकार जो इसे नहीं रोक सकती, यही जाहिर करती है कि वह अयोग्य है। लेकिन राजनीति के नीतिखिए

तब के लिए यह भी स्पष्ट है कि हवाई जहाजों ने बम बरमाने और फीजों चढ़ाई करने का कोई नतीजा नहीं निकलता जबतक कि उनके पीछे नीति मक्की कोई खाम कारण न हों। हिन्दुस्तान में वह नीति बना रही है, और है, यह हम सब जानते हैं। पुर्नो में सरकार मरहद में जुटी रही है, जाहिरा तौर से वहाँ की समस्या को मुलजाने की कोशिश भी उमने की है; लेकिन अमल में उसने उम समस्या को और भी बिगाड दिया है। पूछा जा सकता है कि इस नाकामयाबी का कारण सरकार की नितान्त अयोग्यता है, या सरकार की उमे मुलजाने की इच्छा ही नहीं है जिमसे कि वह लगानार भडकानेवाली बनी रहे और जिमसे बार-बार सरहदी बारंबाझ्या होनी रहे जिनको अनिवायं प्रतिक्रिया हिन्दुस्तान की राजनीति पर होती रहे, या दोनों। लेकिन करीब-करीब हरेक आदमी इस बात को मानता है कि मरहद में सरकार की नीति एकदम नावाम-याव रही है।

यह बात देखने में सच है। लेकिन ऐसी बात कह देना तो बहुत ही मामूली बात कह देना है, क्योंकि अंग्रेज मूर्ख नहीं है और अपनी साम्राज्यवादी नीतियाँ बनाने में वे सरहद तक ही नहीं बल्कि आगे तक देखते हैं। पुराने दिनों में उन्होंने अपनी निगाह जार तक फँलाई और उसके बढ़ते हुए राज्य को देखा। अब जार तो चला गया, लौटकर नहीं आयगा। लेकिन वही आकर्षण अभी बना हुआ है। वे करीब-करीब हिन्दुस्तान की मरहदो तक फैले मोवियट राज्यों पर निगाह डालते हैं। मध्य-एशिया के इस हिस्से में उन्हें अपने हिन्दुस्तान के राज्य, हिन्दुस्तान के रास्ते और दुनिया में अपने दर्जे के खाने का डर लगा रहता है। भारी संकट में, जो सिर पर गड़ा है, हिन्दुस्तान की मरहद और उसके आस-पाम के मुल्कों का एक निश्चित महत्व होमना है। यह सब है कि सोवियट यूनियन दुनिया के और दूसरे किसी भी मुल्क की बनिस्वत अधिक उत्तुवता में शान्ति चाहता है। यह भी सच है कि सोवियट यूनियन ने इंग्लैण्ड में शोम्ती करने की भारी कोशिश की है। फिर भी दोनों देशों में कुदरतन बैर तो बना ही है और संकट आने पर वह साक़ दिखाई देने

लग सकता है। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार इंग्लैण्ड के कर्मचारियों ने छोटे-छोटे हितां और नेकनामी की परवा न करके अप्रत्यक्ष रूप से स्पेन के विद्रोहियों को मदद दी है और यूरोप में नाज़ी-नीति का समर्थन किया है। अंग्रेजों की विदेशी नीति में और बहुतसे विचारों की अपेक्षा कहीं ज्यादा विचार साम्राज्यवाद और फ्रांसिज्म के सच्चे संबंध बनाये रखने का होता है।

इस तरह हिन्दुस्तान की सरहद और उससे आगे के मुल्कों के बारे में सरकार सोचती है कि आगे होनेवाली लड़ाई का मोरचा वहीं होगा और उसकी तमाम नीति लड़ाई के लिए अपनेको ताकतवर बनाने की है। यह नीति सरहद की जातियों से शान्ति रखने और सहयोग की नहीं है। वह तो आखिरकार आगे बढ़ने और अधिक-से-अधिक हिस्से पर काबू करने की है, जिससे लड़ाई का मोरचा उनके मौजूदा आधार से कुछ और आगे बढ़ जावे। उनके फ़ौजी विचार राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक बातों को दरगुज़र करके राज्य को बढ़ाकर और इस तरह उसे हमलों से महफ़ूज़ बनाने की ही परिभाषा में चलते हैं। वास्तव में यह ढंग किसी भी राज्य को अक्सर कमज़ोर बना देता है। हिन्दुस्तान में ग़ैरफ़ौजी विभागों में भी हम फ़ौजी दिमाग़ को काम करते पाते हैं; क्योंकि एक ग़ैरफ़ौजी आदमी सोचता है, और ठीक ही सोचता है, कि वह खुद विदेशी फ़ौज का उतना ही मेम्बर है जितना कि एक सिपाही।

इन्हीं सबसे सरहद में तयकथित 'उग्र नीति' चली है; क्योंकि एक उग्र कार्रवाई के लिए यह वहाना काफी अच्छा है जिसका फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। इस बुनियाद को लेकर ही हमें सरहद पर और उसके पार की मौजूदा घटनाओं पर विचार करना चाहिए।

यह उग्र नीति लड़ाई की भारी तैयारी ही बन जाती है; क्योंकि भविष्यवाणी की गई है कि वह समय दूर नहीं है, जब महायुद्ध होगा। इस उग्र नीति की तो हम मुखालफ़त करते हैं, साथ ही लड़ाई की तैयारी के रूप में भी हम उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस ने कह दिया है कि हिन्दुस्तान साम्राज्यशाही लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा और कांग्रेस के इस

बयन और नीति पर हमें दृढ़ रहना चाहिए। किन्हीं खयाली कारणों से नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के आदिमियों के ठोस और स्थायी हितों और उनकी आजादी के लिए हमें ऐसा करना चाहिए।

इस उग्र नीति का एक पहलू—साम्प्रदायिक—और है। जिस प्रकार साम्प्रदायिकता का कीड़ा साम्राज्यवाद में पोषण पाकर हमारे सार्वजनिक जीवन और हमारी आजादी की लड़ाई को कमजोर करता है और नुकसान पहुँचाना है, उसी तरह से यह उग्र नीति सरहद में उम कीड़े को पैदा करती है और हिन्दुस्तान और उसके पड़ोसियों में मुसीबत पैदा करती है। सरहद में ब्रिटेन की नीति सरहदी जातियों को रिश्तत देकर अपनी ओर मिलावे और फिर आतंकित करने की रही है। यह नीति तो मूर्खतापूर्ण है और उसका नाकामयाब होना जरूरी है। आजाद हिन्दुस्तान की नीति कभी भी उनके बारे में ऐसी नहीं होगी। कांग्रेस ने बार-बार कहा है कि अपने पड़ोसियों से उसका कैसा भी कोई झगडा नहीं है और वह उनके साथ दोस्ताना और सहयोग का सम्बन्ध कायम करना चाहती है। इस तरह ब्रिटिश-सरकार की उग्र नीति और हमारे इरादों में सीधा भ्रम पैदा होता है और उसमें नई समस्याएँ पैदा होती हैं, जिनका भविष्य में हल निकालना मुश्किल होगा। जहाँ तक हो सकता है, हमें ऐसा होने से रोकना चाहिए। इससे हमारे लिए जरूरी होता है कि अपने बुनियादी उमूलों पर हम पक्के रहे और किसी भी दूसरी बात का असर अपने ऊपर न होने दें।

मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम दोस्ताना तरीके से मिलें, अगर हमको मिलने की आजादी हो, तो सरहद की मुसीबत का खात्मा हो सकता है। सिर्फ एक ही आदमी खान अब्दुलगफ्फारखाँ, जिन में सरहद में हर तरफ प्रेम किया जाता है, सरहद की समस्या को तय कर सकते थे। लेकिन अंग्रेजों के इन्तजाम से वह अपने प्रान्त में घुम भी नहीं सकते। खान अब्दुलगफ्फारखाँ को भी छोड़िए, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस अगर समस्या को मुलज्ञाने की कोशिश करती है तो उसे कामयाबी मिलेगी। सरहदी जातियों के सरदार जल्दी ही इस

वात को महसूस करेंगे कि उनके और हमारे हितों में कोई-संघर्ष नहीं है और वे लड़कियों के भगाने और आक्रमणकारी हमले करने के अपवादों को खत्म करने में हमारी मदद करेंगे। वे यह भी महसूस करेंगे कि इस रास्ते के अलावा और किसी भी रास्ते से, उनकी जाँ कुछ आजादी है, वह भी खतरे में पड़ जायगी; क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी उग्र नीति को चलाने के लिए आगे-से-आगे बढ़ने पर कमर कसे हुए है। वे साम्राज्यवाद को उसके काम के लिए मौक़े देकर उसके हाथों की कठ-पुतली बने हुए हैं और लड़कियों के भगाने और हमले करने में हिस्सा लेकर वे हिन्दुस्तान के साथ ग़ैरदोस्ताना भावनाएँ पैदा करते हैं।

सरहद में हाल ही में जो घटनाएँ हुई हैं, उनपर हम विचार करें। पन्द्रह-सोलह वरस की लड़की रामकुँवर किसीके साथ गायब होगई। यह घटना त्रिलकुल स्थानीय और वैयक्तिक मामला था और उसकी कोई बड़ी अहमियत नहीं थी; लेकिन यकायक वह एक खास घटना बन गई और पड़ोस में उससे साम्प्रदायिक भावनाएँ भड़क उठीं। म्यूनिसिपल और असेम्बली के चुनावों के लिए खड़े हुए उम्मीदवारों ने उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया। यह है साम्प्रदायिक चुनावों की खासियत! मामला साफ़ तौर से ऐसा था कि उसे निजी तौर पर तय कर दिया जाता या लड़की की अपनी इच्छा के मुताबिक अदालत से तय करा दिया जाता। ऐसी घटना से न तो हिन्दू-धर्म को, न इस्लाम को कोई फ़ायदा पहुँचा, नुक़सान भी नहीं पहुँचा। अदालत बीच में आई और मज़े की बात यह कि रामकुँवर के साथ जानेवाले आदमी को सज़ा इस जुर्म की बुनियाद पर मिली कि लड़की नावालिग़ थी, उसकी उम्र सोलह वरस से कम थी। वह लड़की को ज़बरदस्ती भगाकर ले जाने का मामला नहीं ठहराया गया। प्रतिवाद में लड़की ने बहुत-से वक्तव्य दिये, जैसे कि उन ग़ैर-मामूली हालतों में कोई लड़की दे सकती थी।

शायद मामला वहीं ख़त्म होजाता; लेकिन असेम्बली के चुनावों ने उसे और आगे बढ़ा दिया; क्योंकि उम्मीदवारों ने उससे पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया। इस घटना से वज़ीरिस्तान या सरहदी जातियों से कोई सम्बन्ध

नहीं हैं। वजोरिस्तान में उम वक्त कुछ मुसीबत पहले में ही उठ खड़ी हुई थी, उसका रामकुँवर के मामले में कोई सम्बन्ध नहीं था। कुछ अपने ही कारणों से वजोरी ब्रिटिश-सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे। लेकिन चुनाव के दिनों में रामकुँवर के मामले के प्रचार में खासतौर से साम्प्रदायिक जोश बढ गया। उमने वजोरियों पर भी असर डाला और चुनाव खत्म होने पर उसके बड़े बुरे नतीजे निकले। चार हिन्दू लड़कियों को वहाँ के बुरे चाल-चलनवाले आदमियों की मदद में कुछ वजोरी जबरदस्ती भगाकर ले गये। ऐसा शायद रामकुँवर का बदला लेने के लिए हुआ। उमके बाद बहुतमो डकैतियाँ हुईं।

यह सब, जहाँतक मुझे याद है, बमू जिले में हुआ। यह एक ध्यान देने लायक बात है कि इसी जिले में एनेम्बली के चुनावों के दिनों में काँग्रेस के उम्मीदवारों की बुरी तरह हार हुई। जहाँ काँग्रेस मजबूत है, वहाँ ऐसी बात नहीं हुई। सम्प्रदायवाद और मुसीबतें साथ-साथ चलती हैं।

इन लड़कियों के भगाने और डकैतियों से दो बातें साफ निकलती हैं। एक तो देहातों में थोड़ी तादाद में रहनेवाले हिन्दू कुदरतन आतंकित हो गये और होश-हवास खो बैठे। सबसे ज्यादा तो वे इसलिए घबरामे कि उनके मुसलमान पड़ोसियों ने, जिनको मर्यादा उस आवादी में बहुत ज्यादा थी, न तो उन्हें मदद दी और न उन्हें बचाया। जो कुछ घटनायें घटीं सो तो घटीं ही, उनसे भी बुरी-बुरी खबरे इधर-उधर उड़ाई गईं।

दूसरी बात यह निकली कि उप्र नीति सामने आई। अब तो उमके लिए बहुत बहाना मिल गया है। तब तो उन्हें आगे बढ़कर लड़कियों को भगानेवाले आदमियों को और बेचारे अमहाय आदमियों के यहाँ डकैती डालनेवालों को सजा देनी थी न? इसलिए वे जिन्होंने कमजोरों के रक्षक होने का दावा किया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की योजनायें पूरी करने के लिए आगे बढ़े। इधर-उधर उन्होंने मनमाने बम बरसाये और वहाँपर बरवादी और मुसीबतें पैदा कर दीं।

अल्पमह्यक डरे हुए हिन्दुओं पर जो प्रतिक्रिया हुई, वह आसानी



से समझी जा सकती है। पहाड़ी जातियों के गुस्से की भी समझना आसान है, जिन्होंने अपने चारों तरफ़ बरवादी और मौत देखी और उसका कारण साम्प्रदायिक विवाद माना। उन दोनों के लिए सम्प्रदायवाद की परिभाषा में सोचना और काम करना मूर्खता की बात थी; क्योंकि वे दोनों ही साम्राज्यवाद की उस बड़ी नीति के शिकार थे, जो आदमियों के दुःख की परवा न करके अपना काम करती है। हिन्दुओं के लिए उस सरहदी सूबे में साम्राज्यवाद और उसकी नीति का समर्थन करना मूर्खता और कायरता की हद ही नहीं है; बल्कि अपने लिए बरवादी को न्योता देना है। उस सूबे में बिना अपने पड़ोसियों की मदद और इच्छा के वे न तो रह सकते हैं और न खुशहाल ही हो सकते हैं। गाँवों के उन मुसलमान पड़ोसियों के लिए अपनी आँखों के सामने लड़कियों को भगाते हुए और डकैतियाँ पड़ते देखते रहना, दुनिया के सामने अपनेको पतित बनाना है। पड़ोसियों के लिए ऐसा मुनासिब नहीं है। सरहदी जातियों के लिए लड़कियों के भगाने में या हमला करने में कोई मदद देना अपनेको बदनाम करना है और अपनी आजादी को खतरे में डालना है।

हमारी नीति साफ़ है। हम सरकार की इस उग्र नीति का समर्थन नहीं कर सकते; क्योंकि वह बुरी नीति है और वह हमारी आजादी की लड़ाई की जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारती है। वह हमारे दोस्तों को हमारा दुश्मन बनाती है। वह लड़ाई की तैयारी है और साम्राज्यवादी नीति है। हवाई जहाजों से बम बरसाने की हैवानियत और अमानुषिकता को हम नहीं सह सकते। सरहदी समस्या पर विचार करने का हमारा तरीका ही दूसरा होगा। उसकी बुनियाद दोस्ती, सहयोग और दूसरों की आजादी की इज्जत करना और उनकी कठिनाइयों का आर्थिक हल निकालने की कोशिश करना होगा।

यह भी इतना ही साफ़ है कि हम लड़कियों के भगाये जाने, डकैतियाँ डालने, हमले करने की वर्दाशत नहीं कर सकते। हमारी हमदर्दी इन सबसे पीड़ित लोगों के साथ है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा करें। हम महसूस करते हैं कि हम उनकी निश्चित रूप से रक्षा कर

सकेंगे, अगर हम दोस्ताना तरीके से उनकी समस्या को देखें और साम्प्रदायिक जोश को वे दूर करें। जो इस जोश को बढ़ाते हैं, चाहे हिन्दुओं का चाहे मुसलमानों का, वे न तो हिन्दुओं के दोस्त हैं, न मुसलमानों के। सरहदी सूबे में कांग्रेस ने पहले ही इस बारे में अच्छा काम किया है और यह ध्यान देने की बात है कि हाल की मुर्मावत ज्यादातर बन्नू जिले में है, जहाँ पर कि बदकिस्मती में कांग्रेस-भ्रमण कमजोर है। सरहदी सूबे के कांग्रेस के नेता डा० खान साहब ने पहले ही में एक साफ़ और बहादुराना रास्ता दिखाया है। मुझे यकीन है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों उसपर चलेंगे। यह हिन्दू या मुसलमानों का सवाल नहीं है, यह हमारे गौरव और नाम का सवाल है। हम किसी धर्म को माननेवाले हो, यह हमारी बुद्धिमानी और अच्छी भावनाओं का और हिन्दुस्तान की आजादी का सवाल है।

२२ जून १९३७।

## उचित दृष्टिकोण

छः सूबों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल कायम हो जाने से हिन्दुस्तान के शान-शोक से भरे और शासनानुकूल वायुमण्डल में एक ताजा हवा की लहर आ गई है। नई-नई आशाएँ उठ खड़ी हुई हैं और जनता की आँखों के सामने आशाओं से भरे सपने चक्कर लगाने लगे हैं। कम-से-कम फ़िल-हाल तो हम कुछ ज्यादा आजादी के साथ साँम ले रहे हैं। लेकिन हमारा काम अब कहीं ज्यादा जटिल है और खतरे और कठिनाइयाँ क्रम-क्रम पर हमें परेशान कर देती हैं। हमें ऐसा भ्रम हो सकता है कि ताकत हमारे हाथ में है, जब कि असल ताकत हमारी पहुँच के बाहर है और हम चल भी चल सकते हैं। लेकिन लोगों की निगाहों में जिम्मेदारी तो हमारी है। अगर हम उसे उनके संतोपलायक नहीं पूरा कर सकते, अगर उनकी आशाएँ पूरी नहीं होतीं और सपने अपूर्ण रह जाते हैं, तो भ्रम का बोझ हमारा भी होगा। कठिनाई तो यह है कि स्थिति में स्वाभाविक विरोधी बातें हैं। हिन्दुस्तान की समस्याएँ बड़ी हैं, जिनका प्रभावघाती और पूरा-पूरा हल मिलना चाहिए और वह मौजूदा हालातों में हमारी ताकत में नहीं है। हमें ठीक दृष्टिकोण को हमेशा सामने रखना है। कांग्रेस का ध्येय, हिन्दुस्तान की आजादी, लोगों की गरीबी को खत्म करना, इन बातों को भी हम आँखों से ओझल नहीं कर सकते। साथ ही हमें छोटी-छोटी बातों के लिए भी परिश्रम करना है, जिससे जनता को तात्कालिक राहत मिले। इन दोनों बातों को सामने रख कर हमें एकसाथ काम करना है।

अगर हमें अपने इस कठिन कार्य में सफलता पानी है, तो जरूरी होगा कि हम अपने लोगों में श्रद्धा रखें, उनके साथ खुलकर व्यवहार

करे, उन्हें अपनी कठिनाइयाँ बतावे और यह भी बतावे कि जबतक हमें ज्यादा ताकत मिलती है तबतक हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जिन मिद्दानों को लेकर हम चले हैं, उन्हें हमें अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, अपने लंगर का हमें अन्दाज होना चाहिए; क्योंकि इन बातों को भूलने में तो हम मामूली बातों में फँस जायेंगे और हमारे सामने रास्ता दिखानेवाला कोई भी नहीं होगा। हमें मनुष्य नहीं होना चाहिए।

( २ )

इसलिए हमारी सारी हलचलें हिन्दुस्तान की आजादी को ध्येय बनाकर होनी चाहिए। कोई भी काँग्रेसी, चाहे वह वजीर हो या गाँव का कार्यकर्ता, इस बात को नहीं भूल सकता, क्योंकि उसे भूलकर उमका ठीक दृष्टिकोण भी, जो कि हम सबके लिए जरूरी है, दरगुजर हाँ-जायगा। इस आजादी को पाने के लिये हमें नये विधान में पीछा छोड़ना होगा। इसलिए इसी विधान के मानदन काम करनेवाले वजीर हमें इसी परिभाषा में मोचेगे कि इस विधान की जगह एक दूसरा विधान लाकर रखें, जो कि एक राष्ट्रीय पचायत के जरिये हिन्दुस्तानियों का बनाया हुआ हो। यही विचार, चाहे वह कुछ समय तक पूरा न हो सके, हरेक वजीर के सामने रहना चाहिए। उस दिना में दूसरा बड़ा कदम ज़रूर लिया जायगा, जब हमारी इच्छा के विरुद्ध हमपर फ़ेडरेशन लागू करने की कोशिश की जायगी। उस कोशिश का हमें अनेकानियों के भीतर और बाहर मुकाबिला करना होगा और हमें अपनी पूरी ताकत फ़ेडरेशन को अमल में आने में रोकने में लगानी होगी।

वे लोग जिनपर राष्ट्रीय नीति को चलाने की जिम्मेदारी है और जिन्हें हमारे लोगों का नेतृत्व करना है, उन्हें बड़ी-बड़ी परिभाषाओं में माँचना होता है और हिन्दुस्तान की भरहूरी के बाहर भी देगना होता है। अपनी समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सवन्ध में, यानी बड़े मण्टों या लड़ाइयों की संभावना में, देखना होता है। काँग्रेस ने ऐंसे मण्टों के बन्ध के लिए हमारी नीति निर्धारित करदी है और अगर हमें उस नीति को

मानना है, जैसा कि हमें चाहिए, तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हाल ही में जो हमारी हिन्दुस्तान की टुकड़ियाँ शंघाई भेजी गई हैं, उन्हें इसी बात की याद दिलाई जाती है कि हमारे सावनों का उपयोग किस प्रकार साम्राज्यवादी हितों को बचाने के लिए किया जाता है। जबतक हम सतर्क न होंगे तबतक हिन्दुस्तान का शोषण चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। करीब-करीब बिना जाने ही इससे लड़ाई भी हो सकती है। हमारे लिये नहीं; बल्कि साम्राज्यवाद के, जिसको हम हिन्दुस्तान से हटा देना चाहते हैं, हितों के लिए। इसलिए कांग्रेसियों को हिन्दुस्तान में जो कुछ होता है, उसके अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों को नहीं भूलना चाहिए। हमारे वज्जिरीयों का इन बड़ी घटनाओं से कोई सीधा संबन्ध नहीं है; लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से वे उनके संबन्ध में आ सकते हैं और उनपर अपना असर डाल सकते हैं।

( ३ )

कांग्रेस ने बार-बार नागरिक स्वतंत्रता, विचारों का स्वतंत्र व्यक्तीकरण, स्वतंत्र सम्बन्ध और संगठन, स्वतंत्र प्रेस और आत्मिक और धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर दिया है। विशेष अवस्थानुकूल अधिकारों और आर्डिनेंस और हिन्दुस्तानियों को सताने के लिए विशेष कानून इस्तेमाल करने की हमने निन्दा की है और अपने कार्यक्रम में कहा है कि इन सब अधिकारों और कानूनों को खत्म करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, हम करेंगे। सुवों में पद-ग्रहण करने से इस नीति में कोई अन्तर नहीं पड़ता और वास्तव में उसे पूरा करने के लिए बहुत कुछ पहले ही से किया जा चुका है। राजनैतिक कैदी छूट गये हैं, बहुतसी संस्थाओं पर से जब्ती हट गई है और प्रेसों की जमानतें लौटा दी गई हैं। यह सच है कि इस बारे में अभी कुछ और होना बाकी है; लेकिन यह इसलिए नहीं है कि कांग्रेस-मंत्रिमण्डल और आगे कदम बढ़ाना नहीं चाहते; बल्कि बहुत सी कठिनाइयों के कारण है। मुझे यकीन है कि इस काम को जल्दी ही पूरा करना मुमकिन होगा और तमाम दमन करने-वाले, शैरमामूली प्रान्तीय कानूनों को रद्द कराकर हम अपनी प्रतिज्ञा

को दूरी करे। इन शीघ्र जनता को उरसाए कठिन शरीरों को पार  
रखना चाहिए जिनमें होकर शरीरों के शरीरों को बचाए रखना पड़ रहा  
है, और ऐसे कामों के लिए शिरोधार्य जिम्मेदारी उभरी गयी है उरसाए  
दोष लपाने के इच्छुक नहीं होगा चाहिए।

नागरिक स्वतंत्रता हमारे लिए गिरी हवाई विमान या परिवह  
इच्छा ही नहीं है। बल्कि एक ऐसी भीड़ है जिसे हम एक राष्ट्र की  
व्यवस्थित उन्नति और प्रगति के लिए आवश्यक समझते हैं। यह एक  
ऐसी समस्या है जिसके बारे में लोगों में मतभेद है। उसे सुलझाने का  
सब्य और अहिंसात्मक तरीका है। विरोधी मत को अवसरवश ही सुलझ  
देना और उसे अपने को जाहिर न करने देना, क्योंकि हम उसे लाभान्व  
करते हैं, तो लाजिमी तौर पर ऐसा ही है जैसे कि दुश्मन की शरण  
फोड़ देना; क्योंकि हम उसे बुरा समझते हैं। इससे सम्बन्ध नहीं  
मिलती। फूटी खोपड़ी का आदमी तो गिरकर मर सकता है। शिरित  
दमन किये गये मत या विचार को अतिसूक्ष्म समझ नहीं आता और  
ज्यो-ज्यो उन्हें दवाने और कुपलने की कोशिश की जाती है, वे भी  
तरबकी करते जाते हैं। ऐसे उदाहरणों से इतिहास भरा गया है। मानव  
अनुभव से हमने सीखा है कि शरीरों के शिर में मत और विचारों का  
दबाया जाना खतरनाक है। उसने हमें यह भी सिखाया है कि ऐसा  
खयाल करना भी बेवकूफी है कि हम ऐसा कर सकते हैं। यह नहीं  
ज्यादा आसान है कि शरीरों में सुलझाया गया जाय और उसे शीघ्र  
की निगाह में ठीक लड़ाई में लगाया जाय। बजाय इसके कि उसे धीरे-धीरे  
भीतर दबा दिया जाय, उसे बेकायू छोड़ दिया जाय या उसे हीन तरीके  
से न मुलझाया जाय। युगों-दिनों की शीघ्रता की धमकावट से  
अधिक पोषण पानी है।

लेकिन अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, यह भी स्पष्ट ही समझ-  
तलब बात है। और यह भी स्पष्ट बात है कि यह सब १९१९ के समय  
देने में सरकारें नमाम दुनिया में विशेष ध्यान नहीं दी। शीघ्रता से  
की भीड़ लगाना भी कोई आवश्यक चीज नहीं है। शीघ्रता से

नी मारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और वे जहाँपर काम की जरूरत होती है, वहाँ पर किसी मजदूर के नस्बजान पर बहस नहीं कर सकतीं। हमारी इस अबूरी दुनिया में बड़ी बुराई के सामने हमें छोटी बुराई को स्वीकार करना पड़ता है।

हमारे लिए जिस कार्यक्रम को लेकर हम चले हैं उसीकी क्रियाशील बनाने का ही मजदूर नहीं है। मजदूर तक पहुँचने का हमारा तरीका ही मनोवैज्ञानिक रूप से निश्चय होना चाहिए। वह पुलिसमैन का तरीका नहीं होना कता जो कि हिन्दुस्तान में अंग्रेज सरकार का मजदूर है, यानी बल, हिंसा और दबाव का तरीका। कॉंग्रेस-मन्त्रिमण्डलों को चाहिए कि जहाँ-तक सम्भव हो, वे तमाम दबाव की कार्रवाइयों को छोड़ दें और अपने आलोचकों को अपने कामों से जीतने की कोशिश करें और जहाँ सम्भव हो, उन्हें अपने निजी संपर्क में लें। अगर अपने आलोचक को या दुश्मन को बदलने में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, तो भी वे उसे ऐसा ना बना ही देंगे कि वह किसीको नुकसान न पहुँचा सके और तब जनता की हसदों, जो कि अनिवार्यरूप से सरकारी कार्रवाई से दुःखी आदमी के साथ होती हैं, उसके साथ नहीं होंगी। वे जनता को अपनी ओर कर लेंगे और इस तरह ऐसा वायुमण्डल पैदा कर देंगे जो गलत कार्रवाइयों के मुआकिल नहीं होता।

लेकिन इस तरीके और दबाव की कार्रवाई को छोड़ने की इच्छा रखने के बावजूद ऐसे सँकलित आ सकते हैं जब कॉंग्रेस-मन्त्रिमण्डलों को ऐसा करना ही पड़ता है। कोई भी सरकार हिंसा और साम्प्रदायिक झगड़ों के प्रचार को नहीं बढ़ाए कर सकती। अगर बदकिस्मती से ऐसा प्रचार होता है तो सामूहिक कानून की व्याव की क्रियाओं का सहारा लेकर उसे ठीक रास्ते लगाना होता है। हमारा विश्वास है कि पुलिस को निगरानी या क्लिफों और अड्डारों की जरूरत नहीं होनी चाहिए और नतीजों और विचारों के व्यक्तिकरण के लिए अधिक-से-अधिक आजादी दी जानी चाहिए। जिस तरीके से ब्रिटिश-सरकार की नीति ने हमें अंगनिशील साहित्य में हमरों में अलदृश कर दिया है, उसे सब

जानते हैं। इन अन्वियों और निगरानियों में हमें छुटकारा पाना चाहिए और ऐसी स्वतन्त्र भूमि का पोषण करना चाहिए जिसमें बुद्धिमानों के जीवन फूले-फले और मूल शक्तियाँ उपजें। लेकिन फिर भी इस बात को याद रखना चाहिए कि कुछ कित्तवों और अखवार ऐसे हो सकते हैं जो गन्दे हो, जो हिंसा का प्रचार करे या साम्प्रदायिक घृणा और मर्षप पैदा करे। उन्हें रोकने के लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए।

( ४ )

बहुत-से राजनैतिक कैदियों को, जिन्हें हिंसात्मक कार्यों के लिए सजा मिली थी, उन्हें लम्बी सजा के बाद हाल ही में कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों ने छोड़वाया है। जनता और कांग्रेसमैनो ने उनका स्वागत किया है। हमसे पूछा गया है कि क्या यह स्वागत हिंसा को पसन्द करना जाहिर नहीं करता? ऐसे सवाल से जनता के मनोविज्ञान और कांग्रेसमैनो के दिमागों की अज्ञानता का पता चलता है। जनता ने और कांग्रेसमैनो ने कैदियों का स्वागत किया तो इसलिए, कि उन्होंने जेल में बहुत दिनों तक कष्ट उठाये थे। उनमें कितनों ने अपनी जवानी जेल में खरम की और कितनों ने अडिग रहकर मौत का मुकाबिला किया। उन्होंने गलती की और वे गलत रास्ते पर चले और उन्होंने ऐसी नीति ग्रहण की जो उनके उसी उद्देश्य के लिए हानिकारक थी जिम्की सेवा वे करना चाहते थे। लेकिन उसका बदला उन्होंने दुःख, तकलीफें सहकर और लम्बे अर्से तक काल-कोठारियों में बन्द रहकर चुकाया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी पुरानी नीति एकदम गलत थी। इसीलिए जहाँ कहीं वे गये, जनता ने उनका स्वागत किया और उनके दोस्तों ने उनको बधाइयाँ दी। क्या इससे उन मरकारों को सवक नहीं मिलता जो मोचनी है कि कुछ लोगों को दबाकर वे समस्या को सुलझा सकनी हैं? इसमें वे समस्या को और गम्भीर ही बनानी है और जनता की हमदर्दी, जो कि अपराधी के कामों के खिलाफ होती, उसकी पीडा के कारण उसीके साथ हो जाती है।

अंडमान के कैदियों की समस्या आज हमारे सामने है और हम देखते हैं कि कौसी ताज्जुबमरी मूर्खता की नीति अस्तित्वार की गई है,



जिसने जनता में जोश भड़का दिया। इस तरह के जिस वायुमण्डल को सरकार ठीक करना चाहती है, उसीको उलटा भारी बना देती है।

काँग्रेस ने ठीक ही इससे भिन्न नीति ग्रहण की है; क्योंकि वह जनता की पसंदगी से आगे बढ़ना चाहती है और इन वहादुर नाँजवानों को अपनी ओर मिलाना चाहती है और ऐसा वायुमण्डल पैदा करना चाहती है जो काँग्रेस के कार्यक्रम के मुआफ़िक हो। उस मुआफ़िक वायुमण्डल में ग़लत प्रवृत्तियाँ ख़त्म होजायँगी। हिन्दुस्तान की राजनीति में हर कोई इस बात को जानता है कि आतंकवाद हिन्दुस्तान के लिए पुरानी बात होगई है। वह और जल्दी ख़त्म होजाता, अगर बंगाल में सरकार की जैसी नीति रही, वह न रही होती। हिंसा का खात्मा हिंसा से नहीं होता; बल्कि भिन्न तरीक़े से, हिंसा कराने के कारणों को दूर करने से, होता है।

हमारे इन साथियों पर, जो इतने बरसों की जेल की ज़िन्दगी बिताकर छूटे हैं, एक खास ज़िम्मेदारी है कि वे काँग्रेस की नीति के प्रति सच्चे रहें और काँग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए काम करें। उस नीति का आधार अहिंसा है और उसी मज़बूत नींव पर काँग्रेस की ऊँची इमारत खड़ी हुई है। यह ज़रूरी है कि काँग्रेसमैन इस बात को याद रखें; क्योंकि वह अबतक जितनी महत्त्वपूर्ण रही है, उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण वह आज है। बेकार की बातें जो हिंसा को और साम्प्रदायिक झगड़ों को प्रोत्साहन देती हैं, वे मौजूदा अवस्था में खासतौर से हानिकारक हैं और वे काँग्रेस के ध्येय को ही भारी नुक़सान पहुँचा सकती हैं और काँग्रेस-मन्त्रिमण्डलों को परेशान कर सकती हैं। राजनीति में अब हम वच्चे ही नहीं हैं, अब हम आदमी की अवस्था में आगये हैं और हमारे सिर पर बड़ा काम है, मुक़ाबिला करने के लिए बड़े-बड़े झगड़े हैं, दूर करने के लिए बड़ी-बड़ी मुश्किलें हैं। आदमियों की तरह हमें हिम्मत और गौरव और अनुशासन के साथ उनका मुक़ाबिला करना चाहिए। हम केवल एक बड़ी ऐसी संस्था द्वारा ही अपनी समस्याओं का मुक़ाबिला कर सकते हैं जिसके पीछे जनता की स्वीकृति हो। और जनता की बड़ी-बड़ी संस्थाएँ अहिंसात्मक तरीक़ों से ही बनती हैं।

( ५ )

हिन्दुस्तान की वुनियादी समस्यायें किमानो और मजदूरो के सम्बन्ध में हैं। इन दोनो में किमानो की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। काँग्रेस-मन्त्रिमण्डलों ने इसे मुलज्ञाने की पहले से ही कोशिश शुरू कर दी है और जनता को अस्थायी राहत देने के लिए मासन-सम्बन्धी हुक्म जारी होगये हैं। इस मामूली बात से भी हमारे किसानों को बड़ी खुशी हुई है, और आशायें हुई हैं, और अब वे बड़ी-बड़ी तब्दीलियों के लिए आँख लगाये बैठे हैं। इस स्वर्ग के आने की आशा में कुछ खतरा है; क्योंकि ऐसा तात्कालिक स्वर्ग अभी है नहीं। काँग्रेस-मन्त्रिमण्डल दुनिया में अच्छी-से-अच्छी इच्छा लेकर भी सामाजिक व्यवस्था और मौजूदा आर्थिक पद्धति को बदलने के अयोग्य हैं। सँकड़ो तरीको से उनके हाथ-पैर बंधे हैं और उनपर रोक-थाम है और उन्हें एक तग दायरे में चलना पड़ता है। वास्तव में नये विधान की मुखालफत करने का हमारा यही खास कारण था, और है। इसलिए अपने आदमियों के साथ हमें विलकुल खुला होना चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि मौजूदा हालतों में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। काम न कर सकने की हमारी असमर्थता ही इस बात की जवदस्त दलील देगी कि बड़ी-बड़ी तब्दीली होने की जरूरत है और उसीसे हमें असली ताकत मिलेगी।

लेकिन इस बीच में जहाँतक किसानों को हम राहत दे सकते हैं, हमें देनी होगी। इस कठिन परीक्षा का हमें हिम्मत से सामना करना होगा। स्थापित स्वार्थों से और हमारे रास्ते में रुकावट डालनेवालों से हमें नहीं डरना चाहिए। काँग्रेस-मन्त्रिमण्डलों की सफलता तो तभी मानी जायगी जब वे किसानों के कानूनों को बदल देंगे और किसानों को राहत देंगे। कानूनों में यह तब्दीली असेम्बलियों और कॉमिलो द्वारा होगी; लेकिन अगर असेम्बलियों और कॉमिलों के काँग्रेसी सदस्य अपने हलकों के निकट-सम्पर्क में रहे और अपनी नीति वहाँके किसानों को बताते रहे तो उस तब्दीली का मूल्य कहीं ज्यादा होगा। असेम्बलियों और कॉमिलो की काँग्रेस-पार्टियों को भी काँग्रेस-कमेटियों और आम-

तीर पर जनमत के साथ सम्पर्क रखना चाहिए। इस खुले तरीके से जनता का सहयोग मिलेगा और स्थिति की असलियतों से भी सम्पर्क रहेगा। इस तरह जनता को जनतन्त्रीय ढंग से शिक्षा मिलेगी; और उसपर अनुशासन रहेगा।

घरती-सम्बन्धी कानूनों में तट्टीली होने से हमारे किसानों को राहत मिलेगी; लेकिन हमारा ध्येय बहुत बड़ा है और उसके लिए ज़रूरत है कि किसानों की संगठित ताकत बढ़े। अपनी ताकत से ही वे आखिर अपने ऊपर आरुढ़ स्थापित स्वार्थों के आगे बढ़ सकते हैं और उनका मुकाबिला कर सकते हैं। ऊपर से गरीब किसानों को दिया गया बरदान वाद में छीना जा सकता है, और ऐसे अच्छे कानून का क्या मूल्य कि जिसको चालू ही न किया जा सके? इस तरह ज़रूरी है कि गाँवों की कांग्रेस-कमेटियों में किसानों का अच्छी तरह से संगठन हो।

( ६ )

मजदूरों के बारे में अभी तक कांग्रेस ने कोई विस्तृत कार्यक्रम तैयार नहीं किया है; क्योंकि हिन्दुस्तान में किसानों का सवाल ही सबसे अहम है। करांची के प्रस्ताव और चुनाव की विज्रप्ति में मजदूरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्त बनाये गये हैं। मजदूरों का संघ बनाने और हड़ताल करने का अधिकार स्वीकार कर लिया गया है और 'जीवन वेतन' का सिद्धान्त पसन्द किया गया है। हाल ही में बम्बई की सरकार ने मजदूरों के बारे में जो नीति बनाई है, उसे कार्य-समिति ने पसन्द किया है। वह नीति अन्तिम या आदर्श नीति नहीं है; लेकिन मौजूदा हालातों में और थोड़े बक्त में जो कुछ किया जा सकता है, उसका प्रतिनिधित्व वह करती है। मुझे शुबह नहीं कि अगर इस नीति को चालू किया जाता है तो उससे मजदूरों को राहत मिलेगी और उन्हें संगठित होने की ताकत मिलेगी, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम और नीति की बुनियाद ही मजदूरों की संस्थाओं को मजबूत बनाना है। बंबई की सरकार ने अपनी मजदूर-नीति में कहा है कि "उसका विश्वास है कि असेम्बलियों और कौंसिलों का कोई भी कार्यक्रम मजदूरों

की संगठित ताकत का मुकाबिला नहीं कर सकता और जबकि वह विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे ट्रेड-यूनियनों की लाइनो पर मजदूरों को न चलेगी, न बड़ेगी, तबतक कोई बहुत दिनोंतक चलनेवाली नहीं हो सकती। इसलिए सरकार मजदूरों की समस्याओं की दृष्टि में बाधक असली मुश्किलों को दूर करने में मदद करना चाहती है। मालिक और मजदूर के बीच सामूहिक हित की भावना पैदा करना चाहती है। मजदूरों के सत्तापे जाने को रोकने के लिए सन्ते निकाले जायेंगे और उनका सम्बन्ध मजदूर-सघो से कराया जायगा और जबकि ट्रेड-यूनियनों की कार्रवाई में उनके हिस्सा लेने का भी उपाय निकाला जायगा।”

मजदूर-सम्बन्धी झगड़ों के बारे में बर्बई की सरकार ने असेम्बलियों और कॉमिलो को राय दी है कि वे विश्वास दिलायें कि “मजदूरों की मजदूरों में कोई कमी न की जायगी या मजदूरों को काम में लगाने की हालतों में कोई ऐसी तब्दीली न की जायगी जो उनके लिए नुकसानदेह हो, जबकि कि उस तब्दीली की सारी बातों की अच्छी तरह से जांच न कराले और झगड़े के शान्तिपूर्वक समझौते के सभी रास्ते, आपस के समझौते द्वारा, या सुलह और पचायत द्वारा, या कानून की मदद से, न देख ले। इसी तरह का दायित्व उनकी मांगों के बारे में कार्यकर्ताओं का होगा।” इसका मतलब यह है कि मजदूरों-सम्बन्धी कोई झगडा बड़ने से पहले सुलह या पचायत द्वारा उसे तय करने की बीच की कोई अवस्था अवश्य होनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसी कोई अनिवार्य पचायत हो जिसका निर्णय सब पार्टियों को, चाहे वे उसे स्वीकार करे या न करे, पूर्णतया मान्य हो।

मजदूरों की इच्छा की परवा न करके दिये गये अनिवार्य फैसले का मजदूरों ने हमेशा विरोध किया है, क्योंकि वह उनके हड़ताल करने के अत्यन्त प्रिय अधिकार की जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारता है। उन्हें यह भी डर है, और वह डर काफ़ी मुनासिब भी है, कि पूंजीवादी मुल्क में अनिवार्य फैसले में राज्य का साथ मालिकों के ही साथ रहने की संभावना है।

इसलिए उनके हाथ-पैर बँध जायेंगे और वे उस हथियार को जो उनके पास है और वरसों के झगड़ों के बाद उन्हें मिला है, इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मौजूदा प्रस्ताव यह नहीं है; क्योंकि मजदूर के हड़ताल करने के अधिकार को स्वीकार करने की कांग्रेस की नीति के वह खिलाफ होगा। हड़ताल करने का अधिकार उनका पूरी तरह से माना जाता है; लेकिन उनके झगड़े को तय करने के लिए एक बीच की अवस्था भी जरूरी समझी जाती है। मुझे यकीन है कि यह नीति सबके लिए बहुत फायदे की होगी। हमारे मजदूर कमजोर हैं, अव्यवस्थित हैं और अपने अधिकारों के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। अव्यवस्थित रूप से जो हड़तालें हुई हैं, वे सब बराबर नाकामयाब रही हैं। यह ठीक है कि कभी-कभी नाकामयाब हड़तालें भी मजदूर-आन्दोलनों को मजबूत बनाती हैं; लेकिन उससे आंदोलन कमजोर भी पड़ जाते हैं, यह और भी सच है। और हमारे मजदूर-आंदोलन की मौजूदा कमजोर हालत इस बात की गवाही देती है। मजदूरी में कमी करने के खिलाफ मजदूर वरसों से लड़ रहे हैं; लेकिन उसे रोकने में वे करीब-करीब असमर्थ हैं। अगर ऐसा कानून, जैसा कि वम्बई की सरकार ने बताया है, होता तो मजदूरी को कम करना कहीं अधिक कठिन होता और मजदूर मालिकों के साथ बराबर की हालत में अच्छी तरह से सौदा करने में समर्थ होते और उनके पीछे दोस्ताना जन-मत भी होता।

हड़ताल एक मजबूत हथियार है, और मजदूरों का तो वह एकमात्र ही सच्चा हथियार है। उसका पोषण होना चाहिए, उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए और जहाँ कहीं जरूरत पड़े, उसे संगठित और अनुशासित ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसे अक्सर और अव्यवस्थित रूप से इस्तेमाल करके तो उसकी धार को ही खराब करना है और मजदूरों को खुद कमजोर करना है। हड़ताल के पीछे मजबूत संगठन और जन-मत होना चाहिए। अगर पक्षपाती और अव्यवस्थित हड़तालें बार-बार की जायें और वे असफल रहें, तो ऐसा संगठन शायद ही आगे बढ़ सकता है।

इसलिए संगठन मजदूरों की पहली जरूरत है। और वे लोग जो किसानों का भला चाहते हैं, उन्हें मजबूत ट्रेड-यूनियन बनाने में मदद देनी चाहिए।

उन्हे यह याद रखना चाहिए कि किसी तरह की भी हिमा, चाहे हड़ताल के समय में या और किसी समय में, मजदूरों के हितों के लिए हानिकारक है। इससे राज्य खिलाफ हो जाता है और उससे कहीं अधिक हिमा राज्य करने लगता है। मजदूरों में अव्यवस्था फैल जाती है और जन-जन उनके विरुद्ध हो जाता है। हिन्दुस्तान में उससे कभी-कभी साम्प्रदायिक झगड़े उठ खड़े होते हैं और मजदूरों की मांगों की तरफ से ध्यान खिचकर फौरन उन झगड़ों की तरफ हो जाता है। मजदूर साम्प्रदायिक नहीं हो सकते और न साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन ही दे सकते हैं।

कानपुर की हाल ही की हड़ताल से बहुतसी बातें हम सीखते हैं। वहाँपर गोली चलने के बारे में अखबारों में बड़ी तूल-तबील खड़ी की गई थी और मेरे बारे में गलत रिपोर्ट की गई थी कि मैंने कहा है कि मैं उस गोली चलने को पसन्द करता हूँ। असलियत तो यह थी कि मैं उस गोली चलने के बारे में कुछ जानता नहीं था और ऐसा मैंने कहा भी था। बाद में मैंने पाया कि वह गोली चलना एक मामूली और निजी बात थी और उसकी अहमियत ज्यादा नहीं थी। भड़ककर किसी आदमी ने गोली चला दी थी और खुशकिस्मती से उससे किसीके भारी चोट भी नहीं आई। लेकिन ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि मौके-मौके पर भीड़ ने, ज्यादातर सम्प्रदायवादियों ने, जो मुसीबत से बाहर थे, पत्थर फेंके। वे समझौता नहीं चाहते थे। समझौता होने पर भी इन सम्प्रदायवादियों ने उसे रद्द करने की ओर मजदूरों को मिल में लौटने से रोकने की भरसक कोशिश की। खुशकिस्मती से उनका असर ज्यादा नहीं था और मजदूरों के नेताओं को रातभर कड़ी मिहनत से मजदूरों को सारी परिस्थिति समझाने और काम पर फिर से लगा देने में कामयाबी मिली। अगर मजदूर ट्रेड-यूनियन में ठीक-ठीक संगठित होते तो ऐसी कठिनाई कभी नहीं आती।

इसलिए हमें सबक मिलता है : मजदूरों के संगठन को मजबूत किया जाय और साम्प्रदायिकता और हिंसा से सावधान रहा जाय।

मजदूर और उनके नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस-मन्त्रि-

मण्डल उनके मुआफ़िक हैं और यथासंभव हर तरीके से उनकी मदद करना चाहते हैं। जितना वे करना चाहते हैं, उतना अगर आज नहीं कर सकते तो उसका कारण वे परिस्थितियाँ हैं जिनपर उनका कोई क़ाबू नहीं है। लेकिन इतिहास में यह पहला ही मौका है जब मजदूरों के आन्दोलन से हमदर्दी रखनेवाली सात प्रांतीय सरकारें सूवों में हैं और बुराइयों को दूर करने और अपनी ताक़त बढ़ाने और संगठन करने का उन्हें मौका मिला है। इन सरकारों को अगर वे परेशान करेंगे और उन्हें अपना सहयोग नहीं देंगे तो इससे वे अपने ध्येय को ही नुकसान पहुँचावेंगे।

( ७ )

सवाल उठते हैं कि काँग्रेस कमेटियों और काँग्रेसमैनों का आम तौर से इन मन्त्रि-मण्डलों और प्रांतीय सरकारों के जहाँपर वे काम कर रही हैं, प्रति क्या रुख हो ? क्या वे उनकी आलोचना खुले तौर से करें, या सिर्फ़ खानगी में, या विलकुल ही न करें ? इन छः सूवों में अब हमारी सार्वजनिक कार्रवाइयाँ क्या होनी चाहिए ?

यह साफ़ है कि किसी भी मन्त्रिमण्डल से ज्यादा महत्वपूर्ण काँग्रेस है। मन्त्रिमण्डल चाहे कायम हों चाहे रद्द हो जाँय; लेकिन काँग्रेस जब तक हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय आज़ादी पाने का अपने ध्येय पूरा न कर लेती, तब तक वह चलेगी। अगर कुछ होगा तो वह मन्त्रिमण्डल द्वारा नहीं होगा; बल्कि काँग्रेस के जरिये काम करते हुए हिन्दुस्तान की संगठित ताक़त से होगा। जब आज़ादी पूरी तरह से मिल जाते तो काँग्रेस ख़त्म होसकती है। उसका काम पूरा होजायगा। लेकिन पूरा होने तक वह हमारी ताक़त, एकता और राष्ट्रीय ध्येय का रहेगी और उसे मजबूत बनाने की हमें हर तरह से कोशिश चाहिए। वह ताक़त उसे रोज-बरोज़ जनता की सेवा करने और मौलिकता पैदा करने और जनतन्त्रीय चर्चा की आदत डालने से मिलेगी।

यह स्पष्ट है कि किसी काँग्रेस कमेटी के लिए काँग्रेस-मन्त्रिमण्डल निन्दा करना ग़ैरमुनासिब और वाहियात है। यह तो ऐसा है

कांग्रेस-कमेटी दूमरी कांग्रेस कमेटी की ही निन्दा करती हो। मन्त्रिमण्डल कांग्रेस ने कायम किये हैं, कांग्रेस उनका खात्मा भी चाहे जय कर सकती है। अगर मन्त्रिमण्डल ठीक नहीं है, तो हमें उनका अंत कर देना चाहिए या उनको मुद्दा देना चाहिए। अगर हम वैसा नहीं कर सकते, तो हमें जैसे वे चलते हैं, वैसे उन्हें यदास्त करना चाहिए। इसलिए निन्दा करना तो बाहर की बात होजाती है। अगर किसी भी समय हम मोचते हैं कि मन्त्रिमण्डल का अन्त होजाना चाहिए, तो विधान के मुताबिक हमें ठीक कार्रवाई करके उनका अन्त कर देना चाहिए।

दूमरी तरफ, कांग्रेस कमेटियों और कांग्रेसमैनो का चुप और कांग्रेसी सरकारो के कामों का मूक दर्शकभर रहना भी उतना ही वाहियात है। किसानो की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषयो पर असेम्बलियाँ और कॉमिल्ले विचार करेगी और हम सबको उनमें दिलचस्पी है और होनी चाहिए। कांग्रेस कमेटियो को उनपर चर्चा करने का और अपने विचारो और सिफारिशो को और जनता की मागो को अपनी प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियो को भेजने का पूरा अधिकार है। यह तरीका असेम्बलियों, कॉमिल्लों और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियो को फायदेमन्द साबित होना चाहिए। मित्रतापूर्वक की गई आलोचनाओं और विचारों का हमेशा स्वागत होना चाहिए। मुख्य चीज तो मंत्री और उस समस्या तक पहुँचने का तरीका है। अगर हम कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों को परेशान करते हैं और उनके रास्ते में मुसीबतें पैदा करते हैं तो इससे हम अपनेको ही परेशान करेगे। एक ही लक्ष्य के हम सब सिपाही हैं, और एक ही महान् कार्य में हम सब साथी हैं, और हम चाहे मन्त्री हो, या गाँव के मजूर, हमें एक-दूसरे के साथ सहयोग की भावना से व्यवहार करना चाहिए, एक-दूसरे की मदद करने की इच्छा करनी चाहिए, एक-दूसरे का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। हाँ, रहना हमेशा सतर्क और तैयार चाहिए। खुशी से फूलना हमें नहीं चाहिए, जिससे हमारी सार्वजनिक कार्रवाइयाँ ही खत्म होजायें और धीरे-धीरे हमारे आन्दोलन की आत्मा ही कुचल जाय। यही भावना और उससे जो सार्वजनिक कार्रवाइयाँ निकलती हैं, वे महत्वपूर्ण हैं; क्योंकि



सिर्फ़ उनसे ही हमें आगे बढ़कर अपने ध्येय तक पहुँचने की शक्ति मिलती है और उसी बुनियाद पर हम प्रजातन्त्रीय स्वतन्त्रता की इमारत खड़ी कर सकते हैं। अगर उस भावना की कीमत पर हमें छोटे-छोटे फ़ायदे होते हों, तो हमें उन फ़ायदों की परवा नहीं करनी चाहिए।

हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय आज़ादी और एक प्रजातन्त्रीय राज्य पाने का है। प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता है; लेकिन वह अनुशासन भी है। इसलिए अपने आदमियों में हमें प्रजातन्त्र की आज़ादी और अनुशासन दोनों पैदा करने चाहिए।

३० अगस्त १९३७

## देशी राज्य?

हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड की हाल ही की घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि वहाँकी प्रतिगामी ताकतें हिन्दुस्तान की आजादी को रोकने या उसमें देर करने के लिए आपस में मिल रही हैं। इन ताकतों ने कोशिश की है कि हमारे आजादी के आन्दोलन को दबा दें और 'व्हाइट पेपर' तौ स्थापित स्वार्थों के अधिकार को ही मजबूत करने की एक कोशिश है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज देशी नरेशों का एकदम प्रतिगामी रह और सरकार से उन्हें मिली मदद है।

यह अनिश्चित है कि आजाद हिन्दुस्तान एक फ़ेडरेशन होगा; लेकिन यह बिलकुल निश्चित है कि 'व्हाइट पेपर' में दिये हुए फ़ेडरेशन से आजादी-जैसी कोई चीज भी नहीं मिल सकती। इस फ़ेडरेशन का मतलब तौ सिर्फ़ हिन्दुस्तान की तरक्की को रोकना और उसे फूँडल तथा गई-गुजरी पद्धतियों से और जकड़ देना है। इस फ़ेडरेशन में तरक्की करके आजादी पा लेना एकदम नामुमकिन है, जबतक कि फ़ेडरेशन के टुकड़े-टुकड़े न कर दिये जायें।

इसलिए मेरी राय में हम सबको—चाहे देशी राज्यों में रहते हों या उनमें बाहर हिन्दुस्तान में—इस स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि हमारा एक ही रास्ता है—ऐसे किसी भी झूठे फ़ेडरेशन को एकदम नामजूर करना। हमें तौ मुकम्मिल आजादी चाहिए, जिसका मतलब है विदेशी अधिकार का पूरी तरह से चला जाना और एक प्रजातन्त्रीय सरकार का कायम होना। देशी

१. ब्यावर में हुई राजपूताना स्टेट्स पीपिल्स कन्वेंशन के लिए दिया गया सन्देश।

राज्यों की पद्धति, जैसी कि वह आज है, समूल नष्ट हो जानी चाहिए। आपकी कन्वेंशन आजकल के बहुत-से अहम नमलों पर, नेज स्टेट्स प्रोटेक्शन बिल और इमनर, जो देशी राज्यों में किया जा रहा है, विचार करेगी। आपके मानने से नमले बड़े हैं; लेकिन जो प्रणाली आज चल रही है, आखिर उनीमें ये पैदा हुए हैं। इसलिए मैं उन्नीद करता हूँ कि आप अपना लक्ष्य स्पष्ट और निष्पक्ष बनायेंगे और उनीके मुताबिक आपका कार्य-क्रम होगा।

## देशी राज्यों में अधिकारों की लड़ाई

हिन्दुस्तान में कोई छ सी रियासतें हैं। कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी, और कुछ इतनी छोटी कि नक्सों पर उन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता। वे एक-दूसरी से बहुत भिन्न हैं। कुछ ने औद्योगिक और तालीमी तरक्की की हैं; और कुछ के राजा और मन्त्री बड़े लायक हैं। फिर भी उनमें से ज्यादातर में प्रतिक्रिया हो रही है और कभी-कभी खोटे और जलील शक्तों की अयोग्यता और मनमानी वहाँ ब्रे-रोक चलती है; लेकिन राजा चाहे अच्छा हो या बुरा, मन्त्री चाहे योग्य हो या अयोग्य, दोष तो उसमें राज्य की पद्धति का है। यह पद्धति दुनियाभर से उड़ गई है और अगर अपने-आप पर ही छोड़ दी जाती तो कब की हिन्दुस्तान से भी उड़ गई होती; लेकिन उसके स्पष्ट रूप से अवनत और बेकार होने पर भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने उसे सहारा दिया है और बनावटी तरीके से उसे कायम रखा है। ब्रिटिश सत्ता ने उसे पैदा किया है और उसका भरण-पोषण साम्राज्यवाद ने अपने ही फायदे के लिए किया है। इसलिए वह आज भी जिन्दा है, हालांकि बड़ी-बड़ी श्रान्तियों ने दुनिया को हिला दिया है, दुनिया को बदल भी दिया है, राज्य ढह गये हैं और नरेशों और मामूली राजाओं की भीड़-की-भीड़ गर्त में विलीन होगई है। उस प्रणाली में कोई अपनी आंतरिक विशेषता या शक्ति नहीं है। महत्व तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शक्ति का है। हमारे लिए तो हिन्दुस्तान में वह पद्धति साम्राज्यवाद का ही एक रूप है। इसलिए जब लड़ाई होती है तो हमें पहचानना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है।

अब हमसे रियासतों की आजादी और सर्वोच्च सत्ता के साथ पवित्र और सुरक्षित संधियों की बात कही जाती है, जो हमेशा कायम रहती



सतरा ले। भारत-सरकार का राजनैतिक-विभाग बाजे के तारों पर उगुली फेरता है और उसकी तानपर ये पुनलियाँ नाचती हैं। स्थिति का मालिक लीकल रेजीडेंट है और बाद का खयाल यह रहा है कि सरकारी अपमरही रिमासतों के राजाओं के मन्त्री मुबारर किये जाने हें। अगर यही आजादी है, तो यह जानना बड़े मठे की चीज होगी कि बुरी-से-बुरी गुलामी और उसमें क्या फर्क है ?

रियासतों में आजादी नहीं है और न होनेवाली है; क्योंकि भौगोलिक रूप से यह नामुमकिन है और वह हिन्दुस्तान के मयूकन और आजाद होने के विचार के एकदम खिलाफ है, और बड़ी रियासतों के लिए यह विचारणीय बात है और उचित है कि उन्हें फेडरेशन में ज्यादा-से-ज्यादा स्वायत्त मिले। लेकिन हिन्दुस्तान का उन्हें मयूक अंग रहना पड़ेगा और सामान्य हिन्दों के बड़े मामलों पर एक प्रजातन्त्रीय फेडरल केन्द्र का अधिकार रहेगा। अपने राज्य के भीतर उन्हें उत्तरदायी सरकार मिल जायगी।

यह साफ है कि रियासतों की समझा आमाती में हल हो जानी, अगर झगडा सिके प्रजा और राजा का ही होता। बहून-से राजों की आजादी हो तो ये प्रजा का साथ देंगे। अगर साथ देने का उनका विचार डाँवाडोल है, तो नीचे में जोर पड़ने पर जल्दी ही वे अपने विचार बदल देंगे। ऐसा न करने में उनकी स्थिति खतरों में पड जायगी और तब एक ही रास्ता रहेगा कि वे राज्य-से हाथ धो बैठें। काँप्रेस और बूदा-बूदा प्रजा-मन्डल हर तरह की कोशिश अबतक कर चुके हैं कि राजा अपनी प्रजा का साथ दे और रियासतों में डिमेशर हकूमत ब्रामन करें। उन्हें समझ लेना चाहिए कि ऐसा न करने में और उनके राजों न होने पर भी उनकी प्रजा की आजादी मिलने में रकनी नहीं, उनके विरोध से उनके और उनकी प्रजा के बीच एक मजबूत दीवार और पड़ी होजायगी और तब दोनों में समझौता होना बेहद मुश्किल होजायगा। पिछले सौ बरनों में दुनिया का नकला बहून-सी मरतका बदला है, राज्य मिट गए हैं और नये मयूक उठ खडे हुए हैं। अब भी हम अपनी बाँतों में की बदलते हुए देख रहे हैं। विश्वास के साथ यह कहने के लिए



अपनी इज्जत, परम्परा और शिक्षा के वायजूद जब अंग्रेजी-शासक-वर्ग नाकामयाव होता दिखाई दे रहा है तो हम अपने देशी नरेशों की क्या कहे, जिनका पीढ़ियों से ह्वास हो रहा है और गैर-जिम्मेदारी जिनमें भर आई है ? पोलो के टट्टुओं को चलाने की शिक्षा या कुत्तों की नस्ल पहचानने या बहुत-से घेगुनाह जानवरों को मार डालने की चतुराई से ज्यादा सरकारी समस्याओं के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है ।

लेकिन अगर रियासतों के राजा रजामन्द भी हो तो भी वे कुछ नहीं कर सकते; क्योंकि उनके भाग्य का तात्कालिक मालिक तो ब्रिटिश-सरकार का एजेण्ट है । उसको नाराज करने की हिम्मत वे नहीं कर सकते । राजकोट के मामले में हम देख ही चुके हैं कि वहाँ का राजा जो अपनी प्रजा से समझौता करना चाहता था, उसे किम तरह से गद्दी से उतार देने की धमकी दी गई और ब्रिटिश एजेण्टों के दबाव में किस तरह बाद में उसे अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हट जाना पडा ।

इस तरह रियासतों में राजाओं के साथ तो झगडा सिर्फ यो ही है । वाम्बव में वह झगडा तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद में है । यही मसला है जो माफ है और निश्चित है । और इसीलिए ब्रिटिश सत्ता का प्रजा के खिलाफ रियासतों में ह्मन्क्षेप करना विरोधरूप में महत्वपूर्ण है । हम देखने हैं कि सरकार का ह्स्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है । ह्स्तक्षेप सिर्फ भारत-सरकार के राजनैतिक विभाग और उसके एजेण्टों और रेजीडेण्टों का ही नहीं है; बल्कि सगस्थ फ़ौजों द्वारा भी ह्स्तक्षेप होना है, जैमाकि उड़ीसा में हुआ है । जनमाधारण के आन्दोलन को कुचल डालने के लिए ह्मन्क्षेप को हम अब और वर्दास्त नहीं कर सकते । अगर भारत-सरकार प्रजा का कुचल डालने के लिए बीच में पड़ती है तो राष्ट्रीय काँग्रेस भी जरूर पूरी ताकत में उसमें ह्मन्क्षेप करेगी । हमारे तरीके जुदा हैं, वे अहिंसात्मक तरीके हैं; लेकिन वे प्रभावशाली हैं, यह पिछले दिनों में साहिर हो ही गया है ।

गांधीजी ने बार-बार ब्रिटिश-सरकार और हिन्दुस्तान के उमके एजेण्टों को इस लड़ाई के खतरनाक नतीजों में आगाहो दी है । यह तो



साफ़ तौर से नामुमकिन है कि लड़ाई बस कुछ रियासतों और कांग्रेस तक ही रहे और साथ ही प्रान्तीय शासन भी चलता रहे, जिसमें ब्रिटिश-सत्ता के साथ कुछ सहकारिता भी रहे। अगह यह अहम लड़ाई ही है, तो उसका असर हिन्दुस्तान के दूर-से-दूर कोनों तक फैलेगा और इस या उस रियासत तक ही सीमित नहीं रहेगा; बल्कि ब्रिटिश सत्ता को एक-दम उड़ा देने तक सीमित होगा।

आज उस झगड़े का रूप क्या है? यह साफ़ तौर से समझ लेना चाहिए। रियासत-रियासत में उसका रूप जुदा-जुदा है। लेकिन हर जगह माँग पूरी जिम्मेदार सरकार के लिए है। झगड़ा इस वक्त उस माँग को पूरा कराने का नहीं है, बल्कि उस माँग के लिए लोगों को संगठित करने के हक़ को क्रायम करने का है। जब वह हक़ नहीं दिया जाता और नागरिक स्वतन्त्रता कुचली जाती है, लोगों के लिए हलचल मचाने के वैधानिक तरीकों का रास्ता खुला नहीं रह जाता। तब चुनाव के लिए उनके सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं कि वे या तो तमाम राज-नैतिक और सार्वजनिक हलचलों को छोड़ दें और आत्मा की जलालत सहें और उन्हें सतानेवाले जुल्म चलते रहें, या वे उससे सीधी टक्कर लें। वह सीधी टक्कर, हमारी विधि के अनुसार, बिलकुल शान्तिदायक सत्याग्रह है और हिंसा और बुराई के सामने झुकने से, नतीजा चाहे जो कुछ हो, इन्कार कर देना है। इस तरह आज का तात्कालिक मसला तो ज्यादातर रियासतों में नागरिक स्वतन्त्रता का है, हालाँकि लक्ष्य हर जगह जिम्मेदार सरकार क्रायम करने का है। जयपुर में तो कुछ हद तक समस्या और भी सीमित हो जाती है; क्योंकि वहाँ की सरकार प्रजामण्डल के दुर्भिक्ष-सहायता के काम के संगठन की मुखालफ़त करती है।

ब्रिटिश-सरकार के सदस्य अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति का समर्थन करते हुए हमसे अक्सर कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में वे अमन-चैन पसन्द करते हैं और ताक़त और हिंसा के तरीकों से तो वे डरते हैं। अमन-चैन के नाम पर उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय धन बुरी-से-बुरी तरह ऐंठने और गोलबन्दी में मदद की है और प्रोत्साहन दिया है

और यूरोप में प्रजातन्त्र और आजादी को सख्त चोट पहुँचाई है। अपनी नीति में उन्होंने यूरोप में निर्लज्ज हिंसा का राज्य फैला दिया है। स्पेन की रिपब्लिक की, जो इतने दिनों तक शान के साथ भारी फौजों के साथ युद्ध करती रही, हमारे जमाने की सबसे दुखान्त कहानी में भी इनका हाथ रहा है। फिर भी ये ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ शान्तिदायक समझौते के गुणों की और बल-प्रयोग और हिंसा की बुराई की बात करते हैं। ऐसी पवित्र भावनाएँ उन्होंने यूरोप में फैलाई हैं, ताकि प्रतिक्रिया और हिंसा को खुला क्षेत्र मिल जाय और आजादी को कुचलने का उन्हें काफ़ी मौका मिले।

हिन्दुस्तान में और खामनीर से रियासतों में हमें क्या दिखाई देता है? हमारे शान्तिदायक प्रचार, शान्तिदायक संगठन और शान्तिदायक समझौते की तमाम कोशिशों का रियासतों के अधिकारी बहुशियानी हिंसा के साथ मुकाबिला कर रहे हैं। उनके पीछे ब्रिटिश सत्ता की सशस्त्र ताकत और राजनैतिक प्रभाव है। इस तरह जनतंत्र और आजादी की दिशा में जहाँ कहीं तब्दीली कराने की, वह तब्दीली चाहे जितनी जायज और लाभदायक हो, कोशिश की जाती है, वहाँ निर्दयता और ताकत के खोर पर उन्हें दबा दिया जाता है। लेकिन जहाँ फ्रांसिज्म और साम्राज्यवाद अपने निजी हितों के लिए और जनतंत्र और आजादी को दबाने के लिए कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो हिंसा और ताकत को पूरी मदद दी जाती है। शान्ति की नीति का अर्थ केवल उन आदमियों के रास्ते में रोड़ा अटकाना होता है जो अपनी स्वतन्त्रता कायम रखना चाहते हैं।

क्या अब भी कोई इस बात को कहता है कि जुल्म, स्वेच्छाचार और गन्दा शासन रियासतों में चालू रहना चाहिए? क्या कोई कहेगा कि ये सब वहाँसे नहीं उठ जाने चाहिए और उनकी जगह स्वतन्त्र सस्थाएँ नहीं कायम होनी चाहिए? अगर उन्हें दूर करना है तो मामूली तौर से यह तब्दीली कैसे की जाय, जबतक कि शान्तिपूर्ण-संगठन और चतुर स्वावलम्बी जन-मत का विकास न हो? उन्नति के लिए जरूरी है कि नागरिक स्वतन्त्रता पूरी तौर से कायम की जाय। हिन्दुस्तान से यह कहना

उसकी वेइज्जती की बात है कि वह रियासतों में आर्डिनेन्स राज्य को, संगठनों और सार्वजनिक सभाओं के दमन को और अक्सर गोलों से सम्बन्धित तरीकों को वर्दाश्त कर ले। क्या रियासतें बड़े-बड़े जेलखाने हैं, जहाँ मानवीय आत्मा को खत्म किया जाता है? और लोगों की धन-सम्पत्ति इसलिए है कि दरवारों के दिखावे और भोग-विलास में खर्च हो, जबकि जनता भूखों मरे और अनपढ़ और असभ्य बनी रहे? क्या वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रक्षा में मध्यकालीन हिन्दुस्तान में चालू रहने के लिए हैं?

हममें से कोई भी संघर्ष नहीं चाहता। लेकिन इस विध्वंस के काल में हर कदम पर हमारे चारों ओर संघर्ष है और दुनिया में अशान्ति और हैवानी हिंसा का राज्य फैला हुआ है। हममें से कोई भी उस अशान्ति को हिन्दुस्तान में नहीं चाहता; क्योंकि आजादी की प्रस्तावना वह नहीं है। फिर भी हम जानते हैं कि ज्यों-ज्यों हमारी ताकत बढ़ेगी, त्यों-त्यों भेद और फूट, साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयता, गैर-जिम्मेदारी और मन की संकीर्णता के साधन भी बढ़ते जायेंगे। हमें यह याद रखना होगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद, हालाँकि केन्द्र में कमजोर होता जा रहा है, प्रबल शत्रु है और आजादी के लिए न जाने कितनी लड़ाइयाँ हमें लड़नी होंगी। न तो हम और न कोई दूसरा भविष्य को खुशदिली से देख सकता है; क्योंकि मौजूदा समय दुःख और उपद्रवों से भरा हुआ है और हिन्दुस्तान का निकट-भविष्य अंधकार के आवरण में लिपटा हुआ है। फिर भी हिन्दुस्तान में आशा की किरणें हैं, हालाँकि काले-काले बादल हमें घेरे हुए हैं। आशा की इन किरणों में सबसे अधिक चमकीली किरण है रियासत के लोगों में नवीन जागृति। हम जोकि उनके झगड़े के बोझ में सहारा देना चाहते हैं, उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आ पड़ती है। उसे सचाई के साथ पूरा करने के लिए हमारी तमाम हिम्मत और चतुराई की जरूरत होगी। आडम्बरी भाषा से हमें मदद नहीं मिलेगी। वह तो अक्सर कमजोरी का निशान है और काम नहीं करना होता तो उसका सहारा लिया जाता है। आज तो काम की जरूरत है—उस होशियारी के और प्रभावशाली काम की जो हमें जल्दी ही हमारे

मजिले-मकमूद पर पहुँचा देगा, जो फूट के साधनों को रोकता है और जो मयुक्त भारत के हमारे सपने को पूरा करता है ।

मामूली-से फ़ायदे और लाभ कभी-कभी चाहे हमें ललचा ले; लेकिन अगर वे हमारे महान् लक्ष्य के रास्ते में आते हैं तो हमें उनको अम्बीकार कर देना चाहिए और दूर कर देना चाहिए । मीको पर भडक-कर हम अपने सिद्धान्त को भूल सकते हैं । अगर हम सिद्धान्तों को भूले तो अपने खतरे पर भूले । हमारा ध्येय तो महान् है, हमारे साधन भी इसलिए ऐसे होने चाहिए कि कोई उनकी ओर उँगली न उठा सके । बड़ी बात पर हम बाजी लगाते हैं । हमें उसके योग्य होना चाहिए । महान् ध्येय और छोटे-छोटे आदमी साथ नहीं चल सकते ।

फरवरी १९३९ ।

## नरेश और फेडरेशन

नये विधान के गुरु होते ही जो वैधानिक संकट उठ खड़ा हुआ है, उससे बहुतों ने विधान की खासियत को समझा है। अर्थ या विश्लेषण से विधान उतना नहीं समझा जा सकता। चाहे नया कानून कानून की किताव में रहा आवे, ब्रिटिश सत्ता की मदद से चाहे छायामात्र मंत्रिमण्डल काम करते रहें, लेकिन यह सब हवाई है, भूत-प्रेतों के देग-जैसा। आजकी असलियत तो यह है कि एक ओर ब्रिटिश साम्राज्यवाद है और दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रवाद, जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है। यही तरवीर के दो पहलू हैं। नये कानून को उसमें स्थान नहीं है। इसी लिए वह जरा-से छूने पर ही ढह रहा है। लेकिन उसे ढहाने में हमें और जल्दी करनी चाहिए। यह हमें याद रखना चाहिए कि नये कानून का संघीय भाग भविष्य के धुंधलेपन में अब भी सिर उठाता है। कांग्रेस ने हमें आदेश दिया है कि इस संघीय विधान के विरुद्ध हम लड़ें और उसके प्रचार को रोकें; क्योंकि सारे कानून में संघीय भाग के बराबर घातक और कोई चीज नहीं है।

देशी नरेशों का क्या हाल है ? उड़ती हुई खबरें हमारे पास आती हैं कि कुछ उससे राजी हैं और कुछ उसमें संदेह करते हैं। पिछले सालों के राष्ट्रीय युद्ध में ये देशी नरेश, करीब-करीब सब-के-सब, ब्रिटिश सरकार के निकटतम साथी रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति वे अनुदार रहे हैं। क्या राष्ट्रभर के विरोध करने पर भी फेडरेशन को स्वीकार करके वे अनुदारता का एक और काम करेंगे ? ऐसा फैसला करना उनके लिए बड़ी गम्भीर बात होगी; क्योंकि पहले से भी अधिक हिन्दुस्तानियों का विरोध उन्हें करना होगा। देशी राज्यों की आजादी, विशेष

मधियो आदि के बारे में बहुत-सी बातें कही जा रही हैं, लेकिन भविष्य में महत्व की बात तो वह सधि होगी जो हिन्दुस्तानी दूमरों में करेगी। नया कानून तो खत्म होगा और उसकी मकड़ों दफ़ायें, विशेष अधिकार और फेडरेशन, सब यो ही पड़े रहेंगे। इसलिए मैं देशी नरेशों में कहूँगा कि वे इस दृष्टिकोण से इस मामले पर विचार करें और अनावश्यक माहम न दिखावे।

३ मई १९३७।

## हिन्दू महासभा और साम्प्रदायिकता?

बहुत दिनों से मेरी राय है कि हिन्दू महासभा एक छोटा-सा प्रतिगामी गुट है जो दावा करता है कि हिन्दुस्तान के तमाम हिन्दुओं का, जिनका वह ज़रा भी प्रतिनिधित्व नहीं करता, पक्ष लेता है। उसके ऊँचे नाम से और परिभाषा से भ्रम भी फैला है। उस भ्रम को दूर करने का यह वक्त है। किसी भी चीज़ से मुझे इतना दुःख नहीं पहुँचा जितना हिन्दू महासभा के गुट को कार्रवाइयों से पहुँचा है।

राष्ट्रवाद की आड़ में महासभा वुरी-से-वुरी और तंग-से-तंग साम्प्रदायिकता को ही नहीं छिपाती, बल्कि वह यह भी चाहती है कि बड़े-बड़े हिन्दू जमींदारों और नरेशों के स्वार्थों को कायम रखे। महासभा की नीति से, जिसको उसके जिम्मेदार नेताओं ने जाहिर किया है, पता चलता है कि विदेशी सरकार को महासभा सहयोग देना चाहती है, जिससे चापलूसी करके और सरकार के सामने अपनेको ज़लील करके शायद कुछ टुकड़े उसे मिल जाँय। यह आज़ादी की लड़ाई के साथ विश्वासवात करना है, राष्ट्रवाद के प्रत्येक रूप से इन्कार करना है और हिन्दुओं की माननीय भावनाओं का दमन करना है। महासभा ने समाजवाद और सामाजिक परिवर्तन के हरेक तरीके की खुले तौर पर निन्दा करके दिखा दिया है कि स्थापित स्वार्थों से उसका सम्बन्ध है। यह सोचना मुश्किल है कि हिन्दू महासभा की मौजूदा नीति से ज़लील, प्रतिक्रियात्मक, राष्ट्र-विरोधी, प्रगति-विरोधी, और नुक़सानदायक और कोई भी नीति हो सकती है। हिन्दू महासभा के नेताओं को महसूस करना

१. हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस, के विद्यार्थियों के सामने दिया गया भाषण।

चाहिए कि हिन्दुस्तान की आजादी के दुश्मनों और मुल्क के तीव्र प्रतियोगी तत्वों के पक्ष लेने की नीति का ताजिमी तौर पर यह नतीजा होगा कि बाकी हिन्दू और गैर-हिन्दू मुल्क मिलकर उनका मुकाबिला करें, और विरोध करें और अपनी आजादी और ध्येय का, जिनके लिए हम सब कोगिन कर रहे हैं, उन्हें दुश्मन समझें। यह निन्दा या अलहदा होने की ही बात नहीं है, हालांकि निन्दा और अलहदागी दोनों होगी ही, बल्कि नितान्त असरवादियों और मूर्खतापूर्ण नीतियों के मन्त्रिय और सतत विरोध की बात है।

१२ नवम्बर १९३३।



## दो मस्जिदें

आजकल अखबारों में लाहौर की शहीदगंज मस्जिद की प्रति-दिन कुछ-न-कुछ चर्चा होती है। शहर में काफ़ी खलवली मची हुई है। दोनों तरफ़ मजहबी जोश दीखता है। एक-दूसरे पर हमले होते हैं, एक-दूसरे की बदनीयती की शिकायतें होती हैं, और बीच में एक पंच की तरह अंग्रेज़ी हुकूमत अपनी ताकत दिखलाती है। मुझे न तो वाक्यात ही ठीक-ठीक मालूम है कि किसने यह सिलसिला पहले छेड़ा था, या किसकी गलती थी, और न इसकी जाँच करने की मेरी कोई इच्छा ही है। इस तरह के धार्मिक जोश में मुझे बहुत दिलचस्पी भी नहीं है; लेकिन दिलचस्पी हो या न हो, पर जब वह दुर्भाग्य से पैदा हो जाय, तो उसका सामना करना ही पड़ता है। मैं सोचता था कि हम लोग इस देश में कितने पिछड़े हुए हैं कि अदना-अदनासी बातों पर जान देने को उत्तारू हो जाते हैं, पर अपनी गुलामी और फ़ाकेमस्ती सहने को तैयार रहते हैं।

इस मस्जिद से मेरा ध्यान भटककर एक दूसरी मस्जिद की तरफ़ जा पहुँचा। वह एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिद है और करीब चौदह सौ वर्ष से उसकी तरफ़ लाखों-करोड़ों निगाहें देखती आई हैं। वह इस्लाम से भी पुरानी है, और उसने अपनी इस लम्बी ज़िन्दगी में न जाने कितनी बातें देखीं। उसके सानने बड़े-बड़े साम्राज्य गिरे, पुरानी सल्तनतों का नाश हुआ, धार्मिक परिवर्तन हुए। खामोशी से उसने यह सब देखा, और हर क्रान्ति और तवादले पर उसने अपनी भी पोशाक बदली। चौदह सौ वर्ष के तूफ़ानों को इस आलीशान इमारत ने बरदाश्त किया; वारिश ने उसको धोया; हवा ने अपने वाजुओं से उसको रगड़ा; मिट्टी ने उसके बाज हिस्सों को ढंका। बुजुर्गी और शान उसके एक-एक पत्थर

से टपकती है। मान्द्रुम होता है, उमकी गग-रग और रेने-रेमों में दुनिया-भर का तजूर्वा इम डेड़ हठार वर्ष नें भर दिमा है। इवने लम्बे उमाने नक प्रकृति के गेन्नों और तूकानों को बरसादन करना कठिन था; लेकिन उमने भी अधिक कठिन था मनुष्यों की हिमाकतों और बहगनों को महता। पर उमने यह महा। उमके पत्थरों की छामोंग निगाहों के मामने साम्राज्य लडे हुये और गिरे। मडहव उठे और बडे; बडे-मे-बडे वादगाह, सूब-मूरन-मे-सूबमूरन औरतें, लायक-मे-लायक आदमी धमके और फिर अपना राप्ता नापकर गायब होगये। हर तरह की बोरता उन पत्थरों ने देखी और देखी हर प्रकार की नीचना और बमीनापन। बडे और छोटे, अच्छे और बुरे, मव आये और चल बसे; लेकिन वे पत्थर अभी ब्रायम हें। क्या मोचते होंगे वे पत्थर, जब वे आज भी अरनी ऊँचाई में मनुष्यों की भीडों को देखने होंगे—उनके बच्चों का गेन्, उनके बडों की लडाईं, फरेब और बेंबकूकी? हठारो वर्षों में इन्होंने कितना बम मोंगा। कितने दिन और लगगे कि इनको अकल और ममस आये?

ममुद्र की एक पत्थरी-भी बांह एगिया और यूरोप को बही अलग करती है—एक चौडी नदी की भाति वामफोरम बहता है और दो दुनियाओ को जुदा करता है। उमके यूरोपियन किनारे की छोटी-छोटी पहाडियों पर वाइजेन्टियम की पुरानी बम्नी थी। बहुत दिनों में वह रोमन साम्राज्य में थी, जिसकी पूर्वी सरहद ईसा की गुरु की शताब्दियों में ईराक तक थी; लेकिन पूरब की ओर से इम साम्राज्य पर अकबर हमले होने थे। रोम की शक्ति कुछ कम हो रही थी, और वह अपनी दूर-दूर की सरहदों की ठीक तरह रक्षा नहीं कर सकता था। बमी पश्चिम और उत्तर में जर्मन बहगी (जैसा कि रोमन लोग उन्ह बहने थे) चड आने थे, और उनका हटाना मुश्किल हो जाता तो बमी पूरब में ईराक की तरफ से या अरब में एगियाई लोग हमले करते और रोमन फौजों को हरा देने थे।

रोम के सम्राट कॉन्स्टेण्टाइन ने यह फैसला किया कि अपनी राजधानी पूरब की ओर लेजाय, ताकि वह पूर्वी हमलों में साम्राज्य की

रक्षा कर सके। उसने वासफोरस के सुन्दर तट को चुना और वाइजेण्टियम की छोटी पहाड़ियों पर एक विशाल नगर की स्थापना की। ईसा की चौथी सदी खतम होने वाली थी, जब कॉन्स्टेण्टिनोपल (उर्फ कुरन्तुनियुनिया) का जन्म हुआ। इस नवीन प्रबन्ध से रोमन साम्राज्य पूरब में ज़रूर मजबूत हो गया; लेकिन अब पश्चिमी सरहद और भी दूर पड़ गई। कुछ दिन बाद रोमन साम्राज्य के दो टुकड़े होगये—एक पश्चिमी साम्राज्य और दूसरा पूर्वी साम्राज्य। कुछ वर्ष बाद पश्चिमी साम्राज्य को उसके दुश्मनों ने खतम कर दिया; लेकिन पूर्वी साम्राज्य एक हजार वर्ष से अधिक और कायम रहा। और वाइजेन्टाइन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध रहा।

सम्राट् कॉन्स्टेन्टाइन ने केवल राजधानी ही नहीं बदली; बल्कि उससे भी बड़ा एक परिवर्तन किया। उसने ईसाई धर्म स्वीकार किया। उसके पहले ईसाइयों पर रोम में बहुत सख्तियाँ होती थीं। जो उनमें से रोम के देवताओं को नहीं पूजता था, या सम्राट् की मूर्ति का पूजन नहीं करता था, उसको मीत की सज़ा मिल सकती थी। अक्सर उसे मैदान में भूखे शेरों के सामने फेंक दिया जाता था। यह रोम की जनता का एक बहुत प्रिय तमाशा था। रोम में ईसाई होना एक बहुत खतरे की बात थी। वे बायीं समझे जाते थे। अब एकाएक ज़मीन-आसमान का फर्क होगया। सम्राट स्वयं ईसाई होगया, और ईसाई-धर्म सबसे अधिक आदरणीय समझा जाने लगा। अब वेचारे पुराने देवताओं को पूजनेवाले मुश्किल में पड़ गये, और बाद के सम्राटों ने तो उनको बहुत सताया। केवल एक सम्राट फिर ऐसे हुए (जूलियन), जो ईसाई-धर्म को तिलांजलि देकर फिर देवताओं के उपासक बन गये; परन्तु तब ईसाई-धर्म बहुत जोर पकड़ चुका था, इसलिए वेचारे रोम और ग्रीस के प्राचीन देवताओं को जंगल की शरण लेनी पड़ी, और वहाँसे भी वे धीरे-धीरे शायब होगये।

इस पूर्वी रोमन साम्राज्य के केन्द्र कुस्तुन्तुनियुनिया में सम्राटों की आज्ञा से बड़ी-बड़ी इमारतें बनीं, और बहुत जल्दी वह एक विशाल नगर हो-

गया। उम समय यूरोप में कोई भी दूसरा शहर उसका मुकाबिला नहीं कर सकता था—रोम भी विलकुल पिछड़ गया था। वहाँकी इमारतें एक नई तर्ज़ की बनी, एक नई भवन बनाने की कला का प्रादुर्भाव हुआ, जिममें मेहराब, गुम्बज़, बुजियाँ, खम्भे इत्यादि अपनी तर्ज़ के थे, और जिसके अन्दर खम्भो वर्गों पर वारीक मोजाइक (पच्चीकारी) का काम होता था। यह इमारती कला वाइजेण्टाइन कला के नाम से प्रसिद्ध है। छठी सदी में कुस्तुन्तुनिया में एक आलीशान कैथीड्रल (बड़ा गिरजाघर) इस कला का बनाया गया, जो सांक्टा सोफिया या मेण्ट सोफिया के नाम से मशहूर हुआ।

पूर्वी रोमन साम्राज्य का यह सबसे बड़ा गिरजा था, और सम्राटों की यह इच्छा थी कि वह बेमिसाल बने और अपनी शान और ऊँचे दर्जे की कला में साम्राज्य के योग्य हो। उनकी इच्छा पूरी हुई, और यह गिरजा अवनक वाइजेण्टाइन कला की सबसे बड़ी फतह समझा जाता है। बाद में ईसाई-धर्म के दो टुकड़े हुए (हुए तो कई, लेकिन दो बड़े टुकड़ों का जिक्र है), और रोम और कुस्तुन्तुनिया में धार्मिक लड़ाई हुई। वे एक-दूसरे से अलग होगये। रोम का बिशप (बड़ा पादरी) पोप हो गया, और यूरोप के पश्चिमी देशों में बड़ा माना जाने लगा। लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य ने उसको नहीं माना, और वहाँका ईसाई फिरका अलग होगया। यह फिरका ऑर्थोडॉक्स चर्च कहलाने लगा था, क्योंकि वहाँकी बोली ग्रीक होगई थी। यह ऑर्थोडॉक्स चर्च रूस और उसके आसपास भी फैला था।

मेण्टसोफिया का कैथीड्रल ग्रीक चर्च (धर्म) का केन्द्र था, और नौ-सौ वर्ष तक वह ऐसा ही रहा। बीच में एक दफे रोम के पक्षपाती ईसाई (जो आये थे मुसलमानों से क्रूमेड्स—जैहाद—लड़ने) कुस्तुन्तुनिया पर दूट पड़े और उसपर उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया; लेकिन वे जल्दी ही निकाल दिए गये।

आखिर में जब पूर्वी रोमन साम्राज्य एक हजार वर्ष में अधिक चल चुका था और मेण्टसोफिया की अवस्था भी लगभग नौमी वर्ष की

हो रही थी, तब एक नया हमला हुआ, जिसने उस पुराने साम्राज्य का अन्त कर दिया। पन्द्रहवीं सदी में ओस्मानली तुर्कों ने कुस्तुन्तुनिया पर फ़तह पाई। नतीजा यह हुआ कि वहाँका जो सबसे बड़ा ईसाई कैथीड्रेल था, वह अब सबसे बड़ी मस्जिद होगई। सेण्टसोफ़िया का नाम आया सुफ़ीया होगया। उसकी यह नई ज़िन्दगी भी लम्बी निकली—संकड़ों वर्षों की। एक तरह से वह आलीशान मस्जिद एक ऐसी निशानी बन गई, जिसपर दूर-दूर से निगाहें आकर टकराती थीं और बड़े-बड़े मनसूबे गाँठती थी। उन्नीसवीं सदी में तुर्की साम्राज्य कमजोर हो रहा था, और रूस बढ़ रहा था। रूस इतना बड़ा देश होते हुए भी एक बन्द देश था। उसके साम्राज्य-भर में कोई ऐसा खुला बन्दरगाह नहीं था, जो सदियों में बर्फ़ से खाली रहे और काम आ सके, इसलिए वह कुस्तुन्तुनिया की ओर लोभभरी आँखों से देखता था। इससे भी अधिक आकर्षण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक था। रूस के ज़ार (सम्राट) अपनेको पूर्विय रोमन सम्राटों के वारिस समझते थे, और उनकी पुरानी राजधानी को अपने कब्ज़े में लाना चाहते थे। दोनों का मज़हब वही ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च था, जिसका नामी गिरजा सेण्टसोफ़िया था। रूस को यह असह्य था कि उसके धर्म का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित गिरजा मस्जिद बना रहे। उसके ऊपर जो इस्लाम की निशानी हिलाल या अर्द्ध-चन्द्र था, उसके बजाय ग्रीक क्रॉस होना चाहिए।

धीरे-धीरे उन्नीसवीं सदी में ज़ारों का रूस कुस्तुन्तुनिया की ओर बढ़ता गया। जब करीब आने लगा, तब यूरोप की और शक्तियाँ घबराईं। इंग्लैण्ड और फ्रांस ने रुकावटें डालीं, लड़ाई हुई; रूस कुछ रुका। लेकिन फिर वही कोशिश जारी हो गई, फिर वही राजनैतिक पेंच चलने लगे। आखिरकार सन् १९१४ की बड़ी लड़ाई आरम्भ हुई, और उसमें इंग्लैण्ड, फ्रान्स, रूस और इटली में खुफ़िया समझौते हुये। दुनिया के सामने तो ऊँचे सिद्धान्त रखे गये आजादी के और छोटे देशों की स्वतन्त्रता के; लेकिन परदे के पीछे गिद्धों की तरह लाश के इन्तज़ार में उसके बँटवारे के मनसूबे निश्चित किए गये।

पर ये मनगूबे भी पूरे नहीं हुए। उस गान के मिलने के पहले जारो का रुम ही खत्म होगया। वहीं शान्ति हुई, और हुकूमत और समाज दोनों का ही उलट-फेर होगया। बोलशेविको ने तमाम पुराने खुफिया समझौते प्रकाशित कर दिये, यह दिखाने को कि ये यूरोप की बड़ी-बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियाँ कितनी धोखेवाज है। भाय ही इस बात की घोषणा की कि वे (बोलशेविक) साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं, और किमी दूसरे देश पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहते। हरेक जाति को स्वतन्त्र रहने का अधिकार है।

यह सफ़ाई और नेकनीयती पश्चिम की विजयी शक्तियों को पसन्द नहीं आई। उनकी राय में खुफिया सन्धियों का ढिंढोरा पीटना शराफत की निशानी नहीं थी। खैर, अगर रुम की नई हुकूमत नालायक है, तो कोई बजह न थी कि वे अपने अच्छे शिकार में हाथ धो बैठे। उन्होने—छामकर अँग्रेजों ने—कुस्तुन्तुनिया पर कब्जा किया। ४८६ वर्ष बाद इम पुराने शहर की हुकूमत इस्लामी हाथों से निकलकर फिर ईसाई हाथों में आई। मुलतान-खलीफा जहर मौजूद थे, लेकिन वह एक गुट्टे की भाँति थे; जिधर भौड़ दिये जायें, उधर ही धूम जाते थे। आया मुकीया भी हस्वमामूल सड़ी थी और मस्जिद थी, लेकिन उसकी वह शान कहाँ, जो आज़ाद वक़्त में थी, जब स्वयं मुलतान उसमें जुमे की नमाज़ पढ़ने जाते थे ?

मुलतान ने सिर मुकाया, खलीफा ने गुलामी तसलीम की, लेकिन चन्द तुर्क ऐसे थे, जिनको यह स्वीकार न था। उनमें में एक मुस्तफा कमाल था, जिसने गुलामी से बगावत को बेहतर समझा।

इस असें में कुस्तुन्तुनिया के एक ओर वारिस और हकदार पैदा हुये—ये ग्रीक लोग थे। लडाई के बाद ग्रीम को मुफ्त में बहुत-सी जमीन मिली, और वह पुराने पूर्वी रोमन साम्राज्य का स्वप्न देखने लगा। अभी-तक रुम रास्ते में था, और तुर्की तो मौजूद ही था। अब रुस मुकाविले से हट गया, और तुर्क लोग हारे हुए परेशान पड़े थे। रास्ता साफ़ मालूम होता था। इंग्लैण्ड और फ्रान्स के बड़े आदमियों को भी राजी कर लिया गया, फिर दिक्कत क्या ?

लेकिन एक बड़ी कठिनाई थी। वह कठिनाई थी मुस्तफ़ा कमालपाशा। उसने ग्रीक हमले का मुक़ाविला किया और अपने देश से ग्रीक फ़ौजों को बुरी तरह हराकर निकाला। उसने सुलतान-खलीफ़ा को जिसने अपने मुल्क के दुश्मनों का साथ दिया था, एक गद्दार (देश-द्रोही) कहकर निकाल दिया। उसने मुल्क से सल्तनत और खिलाफ़त दोनों का सिलसिला ही मिटा दिया। उसने अपने गिरे और थके हुए मुल्कों को, हजार कठिनाइयों और दुश्मनों के सामने खड़ा किया और उसमें फिर नई जान फूंक दी। उसने सबसे बड़े परिवर्तन धार्मिक और सामाजिक किये। स्त्रियों को परदे के बाहर खींचकर जाति में सबसे आगे रक्खा। उसने धर्म के नाम पर कट्टरपने को दबा दिया और सिर नहीं उठाने दिया। उसने सबमें नई तालीम फैलाई—हजार वर्ष पुराने रिवाजों और तरीक़ों को ख़त्म किया।

पुरानी राजधानी कुस्तुन्तुनिया को भी उसने इस पदवी से उतार दिया। डेढ़ हजार वर्ष से वह दो बड़े साम्राज्यों की राजधानी रही थी। अब राजधानी एशिया में अंगोरा नगर होगया—एक छोटा-सा शहर; लेकिन तुर्की की नई शक्ति का एक नमूना कुस्तुन्तुनिया नाम भी बदल गया—वह इस्ताम्बूल होगया।

और आया सुफ़ीया ? उसका क्या हशर हुआ ? वह चौदहसीं वर्ष की इमारत इस्ताम्बूल में खड़ी है, और जिन्दगी के ऊँच-नीच को देखती जाती है। नौसीं वर्ष तक उसने ग्रीक धार्मिक गाने सुने और अनेक सुगन्धियों को, जो ग्रीक पूजा में रहती हैं, सूँघा। फिर चार सौ अस्सी वर्ष तक अरबी अज्ञान की थावाज़ उसके कानों में आई और नमाज़ पढ़नेवालों की क़तारें उसके पत्थरों पर खड़ी हुईं।

और अब ?

एक दिन, कुछ महीनों की बात है,—इसी साल १९३५ में—शाज़ी मुस्तफ़ा कमालपाशा (जिनको अब खास खिताब और नाम अतातुर्क का दिया गया है) के हुक्म से आया सुफ़ीया मस्जिद नहीं रही। वग़ैर किसी धूमधाम के वहाँके होजा लोग (मुस्लिम मुल्ला वग़ैरा) हटा

दिए गये और अन्य मस्जिदों में भेज दिए गये। अब यह तय हुआ कि आया मुफीया बजाय मस्जिद के एक म्यूजियम (मग्रहालय) हो—खाम-कर वाइजेण्टाइन कलाओं का। वाइजेण्टाइन जमाना तुर्कों के आने के पहले का ईसाई जमाना था। तुर्कों ने कुस्तुन्नुनिया पर कब्जा १४५२ ई० में किया था। उस समय से समझा जाता है कि वाइजेण्टाइन कला खत्म होगई, इसलिए अब आया मुफीया एक प्रकार से फिर ईसाई जमाने को वापस चली गई—मुस्तफा कमाल के हुबम से।

आजकल वहाँ जोरी से खुदाई होरही है। जहाँ-जहाँ मिट्टी जम गई थी, हटाई जा रही है, और पुराने मोजाइक्स निकल रहे हैं। वाइजेण्टाइन कला के जाननेवाले अमेरिका और जर्मनी से बुलाये गये हैं, और उन्हीं की निगरानी में काम हो रहा है। फाटक पर मग्रहालय की तस्वी लटकती है और दरवान बँठा है। उनको आप अपना छाता-छड़ी दीजिए, उनका टिकट लीजिए और अन्दर जाकर इस प्रसिद्ध पुरानी कला के नमूने देखिये। और देखते-देखते इस ससार के विचित्र इतिहास पर विचार कीजिये; अपने दिमाग को हजारों वर्ष आगे-पीछे दौडाइये; क्या-क्या तमवीरे, क्या-क्या तमाने, क्या-क्या जुल्म, क्या-क्या अत्याचार आपके सामने आते हैं। उन दीवारों से कहिए कि वे आपको अपनी कहानी सुनावें, अपने तजुरबे आपको दें। शायद कल और परसों जो गुजर गये, उनपर गौर करने से हम आज को समझें; शायद भविष्य के परदे को भी हटाकर हम झाँक सकें।

लेकिन वे पत्थर और दीवारे खामोश हैं। उन्होंने इतवार की ईसाई पूजा बहुत देखी और बहुत देखी जुमे की नमाजें। अब हर दिन की नुमायश है उनके साथे में ! दुनिया बदलती रही, लेकिन वे कायम हैं। उनके घिसे हुए चेहरे पर कुछ हलकी मुसकराहट-सी मालूम होती है, और धीमी आवाज-सी कानों में आती है—'इन्सान भी कितना बेवकूफ और जाहिल है कि वह हजारों वर्ष के तजुरबे से नहीं सीखता और बार-बार वही हिमाकतें करता है।'

७ अगस्त १९३५।



## नागरिकता का आदर्श

पुराने ज़माने में राज्य क़रीब-क़रीब राजा का निजी अधिकार माना जाता था। राजा का मुख्य काम अपनी प्रजा पर कर/लगाना और बाहरी हमलों और भीतरी गड़बड़ और डाकुओं वगैरा से उसकी रक्षा करना था। अपने आदमियों को थोड़ा-सा सुरक्षित बनाकर ही उसका काम समाप्त होजाता था। अगर वह इतना कर देता था और शहरों का बहुत कुचल डालनेवाला बोझ नहीं लादता था, तो वह अच्छा राजा समझा जाता था। ऐसे राज्यों को 'पुलिस राज्य' कहा गया है; क्योंकि सरकार का मुख्य कर्तव्य पुलिस के कर्तव्य की किस्म का था। हमारे भारतीय राज्य भी आज बहुत कुछ उसी तरीके के हैं। ज़रूरी भेद वस इतना है कि उन्हें अपनेआप बाहरी हमलों से नहीं बचाना पड़ता। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेज़ी सरकार भी मुख्यतः पुलिस सरकार ही थी। उसने राज्य की शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, औषधि, सफ़ाई की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। धीरे-धीरे परिस्थितियों ने मौजूदा राज्य के अनेकानेक कामों में उसे दिलचस्पी लेने के लिए बाध्य किया, हालांकि उसकी दिलचस्पी ज्यादा आगे नहीं गई और उससे नतीजा भी कुछ नहीं निकला।

पहलेपहले शहरों में नागरिकों के लिए रक्षा मात्र से कुछ अधिक करने के लिए विचार पैदा हुआ। शहरों में बहुतसे आदमियों के निकट-सम्बन्ध से सहकारी क्रियाओं और संस्कृति की उन्नति हुई। नागरिक आदर्श से यह विचार पैदा होता है कि नागरिकों को सामान्य मनोरंजन के साधन मिलने चाहिए। सड़कें और पुल जो कि निजी तौरपर अधिकार में थे और जिनपर कर लगते थे, वे सर्वसाधारण की सम्पत्ति होगे।

और बिना किसी तरह के कर के सबके लिए खुल गये। मफ़ाई, रोगनी, पानी, शफ़ाखाने, स्वास्थ्य-सम्बन्धी सहायता, बाग़-बगीचे, मनोरंजन के मंडान, स्कूल और कालिज, लाइब्रेरी और अजायबघर, ये सब म्यूनिमिपैलिटी के हाथ में आ गये। आज म्यूनिमिपैलिटी का बर्तव्य यही नहीं है कि ये चीज़ें बिना पैसों नागरिकों को उपलब्ध करादे; बल्कि यह भी है कि कला-नवन, थियेटर, संगीत और, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, हरेक नागरिक के लिए उपयुक्त घर की व्यवस्था करे। लेकिन स्पष्ट रूप से आज सबसे ज्यादा जरूरत तो खाने की है। और उम आदमी को जिनके पास खाना नहीं है, कला और संस्कृति देना तो उसकी हँसी उड़ाना है। इसलिए मौजूदा म्यूनिमिपैलिटी का आज कर्तव्य है कि वह देखे कि उसकी हद में कोई भूखा न मरे। जो आदमी बेकार है, उन्हें काम मिले और अगर काम की व्यवस्था न हो सके तो उन्हें खाना दिया जाय। यही आज नागरिकता का आदर्श है, हालांकि कोई ही म्यूनिमिपैलिटी उसको पूरा करती है। हिन्दुस्तान में अब भी उम आदर्श की झलक पाने में भी हम बहुत दूर हैं।

इस नागरिकता के आदर्श ने धीरे-धीरे राज्य पर भी अपना अमर डाला और उसके साथ राज्य की चारों दिशाओं में प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगीं। 'पुलिस राज्य' बदलकर मौजूदा राज्य के रूप में—एक जटिल पंचिक सरकार जिनकी प्रवृत्तियों के बहुत से विभाग और दायरे हैं और हरेक नागरिक के साथ उसके बहुतसे सम्बन्ध हैं—परिपत कर दिया गया। उसे बाहरी हमले और भीतरी गडबड़ में ही मुरझित नहीं रखना गया, बल्कि उसने उसे शिक्षा दी, उद्योगों का ज्ञान कराया, उसके रहन-सहन के दर्जे को उठाने की कोशिश की, मास्कुनिक विज्ञान के लिए उसे अवसर दिये, बीमे की योजना उसे दी जिससे वह अनहोनी जरूरियाँ का मुक़ाबिला कर सके। और सब तरह के साधन उसे दिये और उसे काम और खाना देने का जिम्मेदार उसने अपनेको बनाया। नागरिकता का आदर्श फ़ैलता गया। आज वह मौजूदा सामाजिक विधान में जितना फ़ैल सकता था उतना फ़ैल गया है और जबतक कि वह विधान,

जैसा कि वह है, रहता है, तबतक उसकी आगे तरक्की नहीं हो सकती। सच्चा नागरिकता का आदर्श तो समाजवादी यानी कम्यूनिस्ट आदर्श है। उसका मतलब है कि आदमी की कोशिश से कुदरत जो सम्पत्ति पैदा करती है, उसका सामान्य उपभोग हो। यह आदर्श तभी पूरा हो सकता है जब मौजूदा सामाजिक विधान में तब्दीली हो और समाजवाद उसकी जगह चलाया जाय।

दिसम्बर १९३३

## शिष्टाचार

बहुत-से कारणों से अखबारनवीसी को दुनिया में मैं 'न्यूज़' (खबर) समझा जाता हूँ और अक्सर कहानियाँ बनाकर मेरे चारों ओर खड़ी की जाती हैं। जो लोग मार्बजनिक काम करते हैं वे अगर जनता में मगहूर होजाते हैं तो उनकी अखबारी कीमत खर होजाती है। मैं बहुत-से पत्रकारों और पत्र-प्रतिनिधियों के सम्पर्क में आता हूँ और मुझे यह मानना चाहिए कि उन्होंने मेरे साथ हमेशा नग्नता का व्यवहार किया है और उदारता दिखाई है—शायद इसलिए कि उन्होंने मुझे अपनी-जैसी भावनाओं का पाया है। वास्तव में मैं उनके साथ एक तरह का भाई-चारा मानता हूँ; क्योंकि पत्रकारों के में विचार मुझमें हैं। दूसरी जगहों की तरह यहाँ मलाया में भी अखबारवालों ने मेरे साथ अपनी ही उदारता दिखाई है।

कुछ आलोचनाएँ मेरे बारे में की गई हैं, और कभी-कभी जो कुछ मैंने कहा, या किया है, वह पसंद नहीं किया गया। ऐसा मैं बिड़कर नहीं कह रहा हूँ। आलोचनाएँ तो मुझे पसंद हैं। वे मुझे दूसरों की निगाहों से अपनी ओर देखने में मदद देती हैं। एक सवाल को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से देखने का और मौजूदा जिन्दगी की उलझनों में मीधे सोचने का मौका भी मिलता है। और अगर अखबार ही आलोचना न करेगा तो और कौन करेगा? अखबारों का यह सबसे मुख्य काम है और आजकल मार्बजनिक कामों में अखबारों को बहुत धाम हिम्सा लेना है।

मुझपर अपराध लगाया गया है कि मैं नभ्यता के खिलाफ काम करता हूँ, सदाचार की मुझमें कमी है, मेववातों के साथ मैं अनभद्र हो

जाता हूँ, और मुझे जिस तरह वर्ताव करना चाहिये उस तरह वर्ताव नहीं करता। ऐसे मामलों में मैं अनिवार्य रूप से पक्षपाती हूँ और चाहे जितना मैं अव्यक्तिक या वाह्य रूप से इन बातों पर विचार करूँ; लेकिन मेरी चेतना मुझे निष्पक्ष नहीं होने देती। फिर भी अपने वर्ताव का मैं निरीक्षण किया करता हूँ और अपने कामों और कथनों में भी व्यवस्था रखने की कोशिश करता हूँ। इतने पर भी कभी-कभी मैं भटक जाता हूँ तो इसमें अचरज क्या है? काम इतने रहते हैं कि कभी उनका अन्त नहीं दीखता और इसीसे मेरी नसें विद्रोह कर बैठती हैं। मेरी जिन्दगी अजीबोगरीब है।

ऊपर लिखी बातों का अपराधी मैं कहाँ तक रहा हूँ? मैं नहीं जानता कि इसका कारण किस हद तक जो कुछ मैंने किया है या कहा है, उसका मलाया के लिए अनोखापन है। यहाँके उच्चवर्गीय वायु-मण्डल में, जो सुन्दर है पर दिखावटी भी है, मैं आया; लेकिन मेरे पैर खेतों, कारखानों और बाजारों की धूल से भरे थे और मेरा हाव-भाव या मेरे तौर-तरीक़े उच्चवर्गीय विचारों के मेल के नहीं थे। और-और जगहों पर तो उच्चवर्गीय नियंत्रण खत्म हो चला है और असलियत की दुनिया लगातार उनके दरवाज़े को खटखटा रही है और कभी-कभी अन्दर जाने का रास्ता भी वह बना लेती है। -

मलाया में आने का मेरा खास विचार यह नहीं था कि यहाँ की भीड़ से मिलूँ या उसे व्याख्यान दूँ। मैं तो यहाँके शान्तिप्रद दृश्यों के बीच विश्राम करने आया था; लेकिन भीड़-की-भीड़ मेरे पास आई और मुझे घेर लिया। उनकी चमकती हुई आँखों और अगाध प्रेन ने मेरे हृदय में प्रतिध्वनि पाई। हिन्दुस्तान की हमारी लड़ाई, हमारी आशा और भय, हमारी नवीन शक्ति और स्वावलम्बन, गरीबी और बेकारी का अंत कर देने का हमारा पक्का विचार, लम्बी-लम्बी वेदनामय रातें जो प्रभात होने से पहले वितानी होती हैं, ये सब बातें सुनने के वे इच्छुक थे। मैंने उन्हें ये बातें सुनाई।

भीड़ जो मेरे पास आई उसने उच्चवर्ग के तौर-तरीक़ों की शिक्षा नहीं

मिली थी। प्रबन्ध काफी न होने के कारण खूब धक्का-मुक्की हुई और गड़बड़ हुई। जब मैंने गड़बड़ को दूर करने के और तरीके इस्तिस्नान किये तो कुछ आदमियों ने सोचा कि मैं आपसे बाहर होगया हूँ। ज्यादातर गड़बड़ की वजह तो यह थी कि बहुतसे आदमियों को मैं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मेज पर खड़ा होगया, ताकि आदमी मुझे देखले। दूसरे मौकों पर मैं भीड़ को घीरकर शान्ति करने के लिए वहाँ पहुँच गया जहाँ पर कि भीड़ बहुत ज्यादा थी।

इन छोटी-सी बातों का मैंने हवाला दिया है, क्योंकि इनकी आलोचनाओं से दूसरे और खास जुर्मों पर रोशनी पड़ती है। ये अजीब बातें थीं, जिनके मौजूदा पत्रकार आदी नहीं थे। उन्होंने उनका उलटा अर्थ लगाया या नाराजी जाहिर की।

यही बात मेरे व्याख्यानो के साथ हुई। कहींपर तो उनकी रिपोर्टें ही प्रकृत की गईं, क्योंकि रिपोर्टर मेरे उद्देश्य को समझ नहीं सके। अमल बात यह थी कि मेरा दृष्टिकोण बहुतसे आदमियों के लिए अजीब था। वे शायद पहले उसके बारे में मुन चुके थे और उन्होंने उसे पसन्द नहीं किया था और न उसको कोई विशेषता ही दी। अब जब वह तीक्ष्णता से बिना किसी लगाव-लिपटाव के उनके सामने आया तो वे हक्के-चपके हो गये। उन्होंने मुझसे सीधे सवाल किये। मुझे भी क्या उनके उत्तर सीधे ही नहीं देने चाहिए थे? लेकिन वास्तव में वह उनके लिए और जनता के लिए अशिष्टता होती।

अपने व्याख्यानो में मैंने सीधो-सादी भाषा में, जो कि पढ़े-लिखे और कुपड़ दर्शकों की लम्बी-बौडी भीड़ के सामने बोलनी चाहिए थी, हिन्दुस्तान के मसलों को जितना वैज्ञानिक ढंग से समझा सकता था, समझाने की कोशिश की। मैं चाहता था कि मेरे आलोचक मुझे बताते कि वहाँ मैंने गलत तकरीर की। वह इस आलोचना और नाराजी से कहीं अधिक फायदे-मन्द होना। हमारा फर्ज है कि मसलों को समझें और उन्हें मुल्तमाव, न कि इसलिए उनसे दूर भागें क्योंकि हम उन्हें पसन्द नहीं करते। मैंने हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कामों की आलोचना की और

वताया कि हिन्दुस्तान अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। यही तो हमारी आजादी की लड़ाई की बुनियाद है। इसको साफ़ किये बिना हिन्दुस्तान के बारे में कुछ कहना ही बेकार होता। आदमियों के खयालात हमसे जुदा हो सकते हैं। अपने खयालात का उन्हें अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि आया इन अहम मसलों को इसलिए दबा लिया जाय; क्योंकि उनसे उच्चवर्ग के लोगों की नाजुक-दिली को चोट लगती है? अपनी तो मैं कहता हूँ, मशीन-जैसे आदमियों के लिए, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है और जो उन आदमियों की हाँ में हाँ मिलते रहते हैं जिनके हाथ में शक्ति है, मेरे दिल में जगह नहीं है। संगठित शक्ति को भी चाहिए कि अगर वह दूरदर्शी है और वास्तविकता के सम्पर्क में रहना चाहती है तो उन्हें अधिक प्रोत्साहन न दे।

मुझसे पूछा गया है कि क्या मैं ब्रिटिश-विरोधी हूँ, इसका विरोधी हूँ, उसका विरोधी हूँ? ये ऐसे सवाल हैं जिनसे पता चलता है कि सवाल करनेवाले ने हमारे आजकल के मसलों को विलकुल नहीं समझा है। हम तो इस विरोध की अवस्था से आगे बढ़ गये हैं। मैं तो विस्तृत और मुख्य-मुख्य लाइनों पर अपनी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करता हूँ। अगर 'ब्रिटिश' का अर्थ 'ब्रिटिश आदमियों' से है, तो मुझे ब्रिटिश-विरोधी क्यों होना चाहिए? मैं खुद उनका बहुत अहसान-मन्द हूँ। उनकी भाषा और उनके साहित्य से मेरा सम्बन्ध है और उनमें बहुत-से मेरे मित्र हैं। लेकिन मैं साम्राज्यवाद और साम्राज्य के खिलाफ़ हूँ, जहाँ कहीं वह हो, क्योंकि मेरा अनुमान है कि वह दुनिया की प्रगति के रास्ते में रोड़ा अटकाता है।

अगर हम मौजूदा हालातों से सन्तुष्ट नहीं हैं—और क्या कोई ऐसा बुद्धिमान और सचेत आदमी है जो सन्तुष्ट है?—तो दुनिया के मसलों को हमें यथासंभव निस्पृह होकर समझने की कोशिश करनी चाहिए और उस पहलू पर हमें अपनी ताकत लगा देनी चाहिए जिससे उनका हल मिलता हो। मलाया में, जो प्राकृतिक साधनों का भण्डार है, मैंने महसूस किया है कि दुनियाभर से बुरी हालत है। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा।

कैसी अजीब बात है ? मैं जानता हूँ कि मलाया दुनियाभर की प्राकृतिक सम्पत्ति है। इतने बड़े भण्डार को लेकर, जो प्रकृति ने हमें दिया है, और विज्ञान और उद्योगों के द्वारा उन साधनों से लाभ उठाने की अमोघ शक्ति पाकर भी, क्या इस दुनिया को हम सबके लिए स्वर्ग नहीं बना सकते ? लेकिन इतनी वर्तमान प्रचुरता और उसमें भी अधिक भविष्य में मिलने की आशा होते हुए भी हम छोटो-छोटी बातों पर झगड़ने हैं। आदमी आदमी का शोषण करता है, राष्ट्र राष्ट्र का। भावी अन्तर्राष्ट्रीय संकट हमारी जिन्दगी में निराशा भर जाता है। लेकिन वह दिन आनेवाला है जब कि इस जटिल गोरखधंधे में बाहर होने का हम रास्ता निकालेंगे और सामान्य हिता और मानव-जाति की उन्नति के लिए पारस्परिक सहयोग देंगे।

१ जून १९३७ ।



## जेलखाने की बातें

हाल ही के एक अंग्रेजी-अखबार में एक लेखक ने लिखा है कि राज-नीति के बोझ और जेल की जिन्दगी से मैं मर मिटा हूँ। मैं नहीं जानता कि यह खबर उन्हें कैसे और कहाँसे मिली; लेकिन अपने शरीर और दिमाग को अच्छी तरह से टटोलकर मैं यह कह सकता हूँ कि दोनों खूब मजबूत और ठीक हैं और जल्दी ही उनके विगड़ने या गिरने का कोई खतरा नहीं है। अपने लिए खुशकिस्मती से मैं हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य और योग्यता को प्रधानता देता रहा हूँ और हालाँकि मैंने अक्सर अपने शरीर के साथ बहुत अन्याय किया है, फिर भी मैंने उसे कभी ही बीमार पड़ने दिया है। दिमागी तन्दुरुस्ती तो ज्यादा दिखाई नहीं देती; लेकिन उसकी भी मैंने काफ़ी चिन्ता रखी है। और मैं खयाल करता हूँ कि मेरी दिमागी तन्दुरुस्ती उन बहुत-से आदमियों से अच्छी है जिनपर सक्रिय कांग्रेस-राजनीति का बोझ नहीं पड़ा और न जिन्होंने जेल की जिन्दगी ही बिताई है। इसे चाहे मेरी त्रामखयाली ही क्यों न कहा जाय।

लेकिन मेरी तन्दुरुस्ती या बीमारी मामूली बात है, जिससे किसीको चिन्ता नहीं होनी चाहिए, हालाँकि मेरे मित्रों और अखबारों ने इस बात को बहुत महत्व दे दिया है। राष्ट्रीय और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्व की चीज़ तो जेलों की और उन बहुत-से आदमियों की शारीरिक और दिमागी हालत है जो हिन्दुस्तान में रह रहे हैं। यह बात सब कहते हैं कि मजबूत और वहादुर आदमी भी बहुत दिनों की जेल की जिन्दगी के भारी बोझ से मर मिटते हैं। मैंने अपने प्रियजनों को जेल में दुःख सहते देखा है और मेरे उन दोस्तों की, जिन्होंने दुःख उठाये हैं, एक बड़ी लम्बी-चौड़ी दुःखभरी सूची है। अभी हाल ही में मेरे एक अनमोल साथी जिनसे मैं

पच्चीस से कुछ ज्यादा वरम पहले केमिज में मिया था और जो हमारे इस अभागो मुल्क में बहादुरों में भी बहादुर थे—जे० एम० मेन गुप्त—  
जेल में ही मरे ।

यह स्वाभाविक है कि हम अपने मायियों और परिचितों के दुःख को उन हजारों आदमियों के दुःख की बनिस्बन ज्यादा महसूस करें जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं । फिर भी उन्हींके बारे में मैं ये धन्द लाइने नहीं लिख रहा हूँ । हम, जिन्होंने खुशी में जेल के लोहे के फाटकों के भीतर रहना पसन्द किया, जेल के बर्ताव पर न तो शोर ही मचाना चाहते हैं और न उमकी शिकायत ही करना चाहते हैं । अगर हमारे मुन्क के आदमी इस बात में दिलचस्पी रखते हैं, और इन सवाल को उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं । ऐसे सवाल अक्सर उठाये जाने हैं । लेकिन नियम तो ऐसा हीगया है कि वे सवाल बड़े आदमियों में ही संबध रखते हैं और उन बड़े आदमियों की सामाजिक विशिष्टता की बुनियाद पर जेल में उनके साथ अच्छा बर्ताव किये जाने की मांग वेग की जाती है । उस असतोप को मिटाने के लिए कुछ छोड़े-से आदमियों को 'ए' और 'बी' दर्जे में रख दिया जाता है, ज्यादातर आदमियों को तो, शायद ९५ फीसदी से ऊपर, जेल की जिन्दगी की बड़ी-से-बड़ी मस्तिष्की उठानी पड़ती है ।

इन जुदा-जुदा दर्जों में ऊँच-नीच के बर्ताव की आलोचना अक्सर की गई है और वह ठीक ही है । कुछ तो वह तन्दुरुस्ती की बुनियाद पर ठीक है . क्योंकि यह बहूत मुमकिन है कि कुछ आदमी जो दूगरी तरह की खुराक के आदी हैं, उन्हें अगर जेल की खुराक पर ही रहना पड़े तो उनमें कोई काम गडबड पैदा हो जाय, जैसा कि बहूतों के साथ हुआ है । यह भी स्पष्ट है कि कुछ आदमी शरीर से बहूत ज्यादा मिहनत नहीं कर सकते । लेकिन इनके अलावा यह कर्म उचित समझा जाय कि वे हकूक जो दूसरे दर्जों के कर्दियों को दिये जाते हैं, वे 'सी'

१. बंगाल-कांग्रेस के विख्यात नेता । जेल फाटने की बजह से प्रारम्भिक चालीस वर्ष की आयु में सन् १९३४ में मृत्यु होगई ।

दर्जों के क़ैदियों को न मिलें ? ऊँचा दर्जा तो शायद लोगों की 'सामाजिक विशिष्टता' या ऊँची रहन-सहन की वजह से दिया जाता है । मुझे यकीन है, एक बात तो यह देखी जाती है कि वह कितनी मालगुजारी देता है । क्या ज्यादा मालगुजारी देने की ही वजह से यह अर्थ निकलता है कि उसकी मोह-ममता उसके घरवालों से ज्यादा है और इसलिए उसे ज्यादा मुलाकातें करने और चिट्ठी भेजने का हक होना चाहिए ? या कि पढ़ने-लिखने की सहूलियतें उन्हें ज्यादा मिलनी चाहिए ? ज्यादा मालगुजारी देनेवाले तो अक्सर दिमाग के बहुत ज्यादा तेज नहीं पाये जाते ।

मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उन आदमियों से जिन्हें मुलाकातों की और पढ़ने-लिखने की सुविधायें दी जाती हैं, वे उनसे छीन ली जायें । ये हकूक तो जैसे कि वे हैं, कुछ भी नहीं हैं । हमें यह जानना चाहिए कि बहुत-से दूसरे मुल्कों में घुरे-से-घुरे, नीच-से-नीच क़ैदी को भी हिन्दुस्तान के 'ए' दर्जों के क़ैदों के हकूकों से कहीं ज्यादा हकूक मिलते हैं । और फिर भी यहाँ 'ए' और 'बी' दर्जों के हकूक इतने कम आदमियों को दिए जाते हैं कि हिन्दुस्तान के जेलखानों की हालतों पर विचार करते वक्त उन्हें भुलाया जा सकता है । असल में 'ए' और 'बी' दर्जों दिखावे और जन-मत को बहलाने के लिये दिए जाते हैं । बहुत-से आदमी जो असलियत नहीं जानते, वे भ्रम में पड़ जाते हैं ।

कुछ 'ए' दर्जों के क़ैदियों और खासतौर से कुछ नज़रबन्दों या शाही क़ैदियों को अक्सर एक नया तज़रवा करना पड़ता है, जो बेहद दुःखदाई है । एक-एक वज़त में महीनों उन्हें अकेला विना साथी के रक्खा जाता है और, जैसा कि हर डाक्टर जानता है, इस तरह अकेला रहना औसत आदमी के लिए बुरा है । सिर्फ़ वही आदमी इसके घुरे-असर से बच सकते हैं जिन्होंने अपनेको अकेले रहने के योग्य बना लिया है और जो अपने भीतर-ही-भीतर रह सकते हैं । यह ठीक है कि क़ैदी को या नज़रबन्द को चन्द मिनटों तक जेल के किसी अधिकारी के साथ बातचीत करने की आज्ञा दी जाती है; लेकिन यह ऐसी आज्ञादी है, जिसपर खुशी के ढोल नहीं पीटे जा सकते । यह कालकोठरी की सज़ा सरकार साफ़

तीर में जानबूझकर देती हैं। मुझे याद है उस वक्त जब मैं दिसम्बर १९३१ में गिरफ्तार हुआ था, खान अब्दुलगफ्फारखाँ भी पेशावर या छरख्दा में गिरफ्तार हुए थे। एक ही वक्त में चार गिरफ्तारियाँ हुई थीं—उत्तर-पश्चिम सरहद के खुदाई खिदमतगारों के नेता खान अब्दुलगफ्फारखाँ, उनके भाई डाक्टर खानसाहब, डा० खानसाहब का छोटा लड़का, और एक उनका साथी। उन चारों को एक स्पेशल ट्रेन में ले जाया गया और चार शहरों की जुदा-जुदा चार जेलों में उन्हे रखा गया। इसमें क्या मुश्किल होती, अगर सबको या वाप और घंटे और भाइयों को एक साथ रख दिया जाता? ऐसा तो आसानी से किया जा सकता था, लेकिन जान-बूझकर ऐसा नहीं किया गया। डाक्टर खानसाहब के बारे में मैं जानता हूँ कि वह अकेले ही नैनी-जेल में रखे गये। एक महीने से कुछ ज्यादा मैं भी नैनी जेल में रहा; लेकिन हमें एक-दूसरे से दूर ही रखा गया। आपस में मिलने की हमें इजाजत नहीं थी। मेरे लिए डाक्टर खानसाहब से मिलना एक लालच की चीज थी; क्योंकि वह, जब मैं विलायत में पढ़ता था, तब के मेरे दोस्त थे और वरमो में मैं उनसे मिला भी नहीं था।

यह सवाल राजनैतिक कैदियों के साथ रिआयती बर्ताव का नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि राजनैतिकों के साथ वह बर्ताव और बुरा ही होता जायगा, जैसा कि पिछड़े चारह सालों में हुआ है। जन-मत के जागृत होने से ही वह रोका जा सकता है; लेकिन जन-मत को भी आखिरी सहारा नहीं गिनना चाहिए जबतक कि वह उतना मजबूत न हो कि उसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद हो।

इसलिए यह स्पष्ट है कि राजनैतिक कैदियों को बढ़ते हुए बुरे बर्ताव की ही उम्मीद रखना चाहिए। १९२१-२२ की बनिस्वत १९३०-३१ में वह बर्ताव और भी बुरा हुआ और सन् १९३०-३१ की बनिस्वत १९३२ में और भी बुरा। आज जेल में एक मामूली राजनैतिक कैदी की हालत अराजनैतिक कैदी की बनिस्वत कहीं ज्यादा खराब है। घमकाकर भाङ्गी मँगवाने के लिए या कम-से-कम उसे जेल में एसी तरह

से परेशान कर देने के लिए अक्सर हर तरह की कोशिश की जाती है ।

सर सेम्युअल होर की तरफ़ से कामन्स सभा में कहा गया था कि “हिन्दुस्तान में ५०० से ज्यादा आदमियों के सन् १९३२ में सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन में कोड़े लगाए गये थे ।” कोड़े मारने या न मारने के रिवाज़ से अक्सर यह आंका जाता है कि अमुक राज्य कितना सभ्य है । बहुतसे सभ्य राज्यों ने इस रिवाज़ को एकदम बन्द कर दिया है, और जहाँपर यह रिवाज़ चालू है वहाँ भी सिर्फ़ उन्हीं जुर्मों के लिए कोड़े लगाये जाते हैं जिन्हें नीच-से-नीच या हैवानी समझा जाता है, जैसे छोटी उम्र की लड़कियों पर बलात्कार, बग़ैरा । शायद कुछ महीने पहले कुछ (अराजनैतिक) जुर्मों के लिए कोड़े की सज़ा कायम रखने के सवाल पर असेम्बली में बहस हुई थी । सरकारी वक्ताओं ने कहा था कि कुछ हैवानी जुर्मों के लिए कोड़े की सज़ा जरूरी है । शायद हरेक दिमागी और रूहानी आदमी की राय इसके खिलाफ़ है । उनका कहना है कि हैवानी जुर्मों के लिए हैवानी सज़ा देना सबसे बेवकूफी का तरीक़ा है । लेकिन चाहे जो कुछ हो, हिन्दुस्तान में पूर्ण राजनैतिक और टैकनीकल जुर्मों के लिए या जेल की व्यवस्था के खिलाफ़ छोटे-मोटे जुर्मों के लिए कोड़े लगाना आम रिवाज़ है । और इसमें निश्चित ही कोई नैतिक कमीनापन नहीं माना जाता ।

राजनैतिक स्त्री क़ैदियों के साथ तो और भी सख्ती का बर्ताव किया जाता है । हज़ारों औरतों को जेल में डाला गया; लेकिन उनमें से बहुत थोड़ी औरतों को ‘ए’ या ‘बी’ दर्जा दिया गया । जेल में स्त्रियों की—राजनैतिक या अराजनैतिक—हालत आदमियों की हालत की बनिस्वत कहीं गई-बैती है । आदमी अपने-अपने काम से जेल के भीतर इधर-उधर घूम तो लेते हैं । उनका मन बहल जाता है, हिलना-डुलना भी हो जाता है और इससे कुछ हद तक उनका मन ताज़ा हो जाता है । औरतों को हालांकि कुछ हलका काम दिया जाता है, पर उन्हें तंग जगह में पास-पास रख दिया जाता है । वे बेहद रूखी जिन्दगी बिताती हैं । औसत अपराधियों की बनिस्वत अपराधिनियाँ भी साधिन के रूप

में कही बुरी होती है। आदमियों में बहुतसे ऐसे होने हैं जो विलकुल बेकमूर-मे होते हैं, उनमें बहुत-से सभ्य ग्रामीण खेत के मामले में झगड़कर अंत में लम्बी सजायें पाते हैं। आदमियों की बर्निस्वत औरतों में अपराध की भावना ज्यादा होती है। ज्यादातर राजनैतिक स्त्री-कैदियों को, जिनमें बहुत-सी सुन्दर जवान लड़कियाँ भी होती हैं, इस दम घोटनेवाले वायुमण्डल को वर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे दिखाई देता है कि हमारे जेल के भीतर या बाहर जितनी चीख होती है, उनमें शायद ही कोई इतनी बुरी हो जितना कि औरतों के साथ होनेवाला बर्ताव।

मैं नहीं चाहता, कि किसी भी औरत के साथ—चाहे वह मध्य वर्ग की हो, या किसान या मजदूर-धर की—ऐसा बर्ताव किया जाय जैसा कि हमारे जेलों में किया जाता है। ज्यादातर राजनैतिक कैदियों बड़े घर की या मध्य वर्ग की होती हैं। किसान राजनैतिक मामले में जेल चला भी जाता है, लेकिन किसान-औरतों तो शायद ही कभी जाती हैं। सरकार के दृष्टिकोण से विचार करते हुए औरतों का सामाजिक दर्जा कहीं ज्यादा ऊँचा होता था।

पिछले साल यू० पी० की नेजिस्ट्रेटिव कौंसिल में उस वक्त के गृह-सदस्य ने यह कहकर मेम्बरों को चकित कर दिया कि अगर जेलों में राजनैतिकों की हालतों में सुधार कर दिया गया तो डाकू भी राजनैतिक कैदी बन-बनकर जेल में आया करेंगे। मुझे यकीन है, उन्होंने ऐसी ही दलील औरतों की हालत सुधारने के बारे में भी दी थी। इसमें सदेह नहीं कि ये दलीलें उनके ऊँचे श्रोताओं के लायक थीं और उनमें उनका मतलब भी पूरा हुआ। हममें से जो बाहरी बातों को नहीं जानते, उनके लिए गृह-सदस्य के ज्ञान और समझ की गहराई का अन्दाज लगाना बड़ी दिलचस्पी की चीज होगी। चोर-डाकूओं की प्रकृति की समझ, अपराध-शास्त्र, मनोविज्ञान और मानव-प्रकृति का ज्ञान उन्हें कितना है, यह उनके कथन से जाहिर होता है। इन दलीलों में हम कुछ नतीजों पर पहुँचते हैं, जो शायद गृह-सदस्य के दिमाग में नहीं आये। अगर एक डाकू अपने पैसे को छोड़कर जेल जाने के लिए तैयार है, वसतें कि जेल में ज्यादा सख्तों

न हो, तो इससे तो यह नतीजा निकलता है कि अगर जेल से बाहर उसे थोड़ा-बहुत जिन्दगी का सहारा मिल जाय और उसकी मामूली जरूरतें पूरी होती रहें तो वह डाका मारने और अपराध करने को छोड़ने के लिए कहीं ज्यादा तैयार होगा। इसका मतलब यह है कि डाका डालने के लिए उसपर दबाव भूख-प्यास और मुसीबत का पड़ता है। इस दबाव को दूर कर दीजिए, डाका डालना खत्म होजायगा। इस तरह डाके और अपराध का इलाज सख्त सजा नहीं है, बल्कि उसके बुनियादी कारणों को दूर करना है; लेकिन इतने गहरे और क्रांतिकारी खयालात के लिए पिछले साल के गृह-सदस्य को जिम्मेदार बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, हालाँकि उन्होंने जो-कुछ कहा उससे ऐसे खयालात पैदा हो सकते हैं। दूसरे और ऊँचे ओहदे पर बैठकर वे अपने अर्थशास्त्र के गहरे ज्ञान की झलकें कभी-कभी हमें ले लेने देते रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि अपनी मिथ्या दृष्टि को उन्हें छोड़ना पड़ेगा।

राजनैतिक क़ैदियों में अलहदा-अलहदा दर्जे करने के बारे में अक्सर सरकार से कहा गया है; लेकिन उसने वैसा करने से इन्कार कर दिया है। मेरे खयाल से, मौजूदा हालातों में, सरकार ने ठीक ही किया है; क्योंकि राजनैतिकों को मालूम कैसे किया जाय ? सविनय अवज्ञा करने वाले क़ैदियों को आसानी से अलहदा किया जा सकता है; लेकिन राजनैतिक क़ानूनों और नियमों की धाराओं को छोड़कर राजनैतिक विद्रोही को पकड़ने के और भी बहुत-से तरीके हैं। देहातों में तो यह आम रिवाज है कि किसान-नेता या कार्यकर्ता जान्ता फ़ौजदारी की निरोधक धाराओं के मातहत या उससे भी बड़े जुर्मों के लिए पकड़े जाते हैं। ये आदमी उतने ही राजनैतिक क़ैदी हैं जितने दूसरे, और ऐसे आदमियों की तादाद बहुत थोड़ी है। यह पद्धति बड़े शहरों में प्रकाशन की वजह से ज्यादा नहीं पाई जाती।

ऊँची दीवारें और लोहे के दरवाजे जेल की छोटी-सी दुनिया को बाहर की विस्तृत दुनिया से विच्छिन्न कर देते हैं। इस जेल की दुनिया की हरेक चीज़ जुदा है। लम्बी मियाद के क़ैदियों और आजीवन कारावास

भूगनेवालों के लिए उसमें कोई रस नहीं है, तब्दीली नहीं है; न उम्मीद है, न खुशी। नीरसता से भरी उनकी जिन्दगी जैसे-तैसे कटती रहती है। वह तो चौपट रेगिस्तान है, जिसमें कोई सुन्दर स्थान नहीं है, और न प्याम बुझाने के लिए या जलती हुई धूप से बचने के लिए कोई हरी-भरी जगह ही है। दिन बीतते-बीतते हफ्ते बीत जाते हैं और हफ्तों के बाद महीने, साल, और जिन्दगी खत्म होजाती है।

राज्य की तमाम ताकत उसके खिलाफ है। मामूली-सी भी रोक-थाम उसे नहीं मिलती। उसके दुःख की कराह दया दी जाती है। उसकी पीड़ित पुकार जेल की ऊँची दीवारों के बाहर तक मुनाई नहीं पड सकती। उमूलन कुछ रोक-थाम है और बाहर से मुलाकाती और अफसर लोग मुआइना करने के लिए आते हैं; लेकिन कभी ही कंदी को उनसे शिकायत करने की हिम्मत होती है। और जो हिम्मत करके शिकायत करते भी है, उन्हें उसके लिए दुःख भी सहना पडता है। मुलाकाती तो आकर चले जाते हैं, जेल के मामूली अफसर रह जाते हैं, उन्हीके साथ कंदी को अपने दिन बिताने होते हैं। इसमें ताज्जुब नहीं कि कंदी अपनी मुसीबतों को बढ़ाने के खतरों को उठाने की बनिम्बत अपने दुःखों को सह लेना ज्यादा पसन्द करता है।

बहुत-से राजनैतिक कैदियों के आने से जेल की अन्वरेगर्दी पर कुछ रोशनी पड़ी। ताजा हवा अन्दर आई और साथ में लम्बी मियाद के कैदियों के लिए कुछ आशा भी लाई। जन-मत में जागृति हुई और कुछ सुधार हुए। लेकिन सुधार थोड़े ही हुए और जल्दी तौर पर ध्यवस्था ज्यों-की-त्यों रही। कभी-कभी जेलों में 'विद्रोह' होते मुने जाते हैं। इससे क्या बात जाहिर होती है? शायद इसमें दोष कैदियों का ही है। जेल की ऊँची दीवारों में घिरे निहत्थे बेबस कंदी के लिए जेल-अधिकारियों की शस्त्रीय ताकत को चुनौती देना पागलपन की बात नहीं तो क्या है? उससे सिर्फ एक फायदा होता है लोगों में यह भावना पैदा हो जाती है कि सिर्फ बेहद उत्तेजित होने पर ही कंदी ऐसी भूमता और मायूमी का काम कर सकते हैं और उत्तेजना का कोई कारण होगा।



जेल की तरफ़ से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ़ से जाँचें होती हैं। क़ैदी को न्याय की क्या उम्मीद होसकती है ? एक तरफ़ तो पूरी तरह से तैयार किया हुआ मामला होता है, जिसके पीछे जेल के अधिकारी हैं और बहुतसे क़ैदी जिन्हें उनके कहने पर चलना पड़ता है, दूसरी तरफ़ डरी, काँपती हुई, ठुकराई मानवता जिसके हथकड़ी-बेड़ी पड़ी हैं। किसीकी हमदर्दी उसके साथ नहीं है, कोई उसका यक़ीन नहीं करता। यू० पी० सरकार के जुडीशल सेक्रेटरी ने पिछले नवम्बर में प्रान्तीय कौंसिल में कहा था कि उन आदमियों पर, जो जेल में पड़े हैं, मामले में एक पार्टी होने के कारण, कभी यक़ीन न किया जाय। और चूँकि बेचारा क़ैदी पिटने या उसके साथ बुरा वर्तव क्रिये जाने के कारण एक पार्टी होता है, इससे उसका यक़ीन नहीं किया जाता। यह बड़े मजे की बात होगी कि यू० पी० सरकार से पूछा जाय कि ऐसी हालतों में अदृश्य और दैवी ताक़त की गवाही से कम और किसकी गवाही वह बेचारा क़ैदी पेश कर सकता है ?

निजी सरकारी जाँचों के पीछे अगर दर्दनाक कहानी न होती, तो उसके मज़ाक को अच्छी तरह समझा जाता। जब कभी कोई पुलिस या जेल के अधिकारियों के खिलाफ़ कोई जुर्म लगाता है, तो सर सेम्युअल होर गुस्से से उबल पड़ते हैं और सार्वजनिक या निष्पक्ष जाँच के लिए बराबर इंकार करते रहते हैं। मुझे याद पड़ता है कि कोई दो बरस पहले हिजली में डिपार्टमेण्ट की तरफ़ से जाँच हुई थी और उसके थोड़े ही समय बाद सरकारी जाँच ने बताया कि घटनाओं का सरकारी विवरण एकदम ग़लत है। लेकिन वह तो एक खास मौक़ा था। डिपार्टमेण्ट की ज्यादातर जाँचों की देखभाल इस तरह कभी नहीं की जाती।

पिछले साल मुझे एक निजी तज़ुरवा हुआ, जिसकी कुछ खास अहमियत है। जबकि मेरी माँ और घर्मपत्नी जेल में मेरे बहनोई के

१. बंगाल में एक जगह जहाँ नज़रबन्दों—यानी बंगाल के उन आदमियों के लिए निर्वासन कैम्प था, जिन्हें सज़ा दी गई थी या जिनपर आतंकवाद का या उससे सम्बन्ध रखने का शुबह किया जाता था।

माथ मुलाकात कर रही थी, तब इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल के जेलर ने उनकी बेइज्जती की ओर जोर से उन्हें धक्का देकर निकाल दिया। जब मैंने यह सुना, तो मुझे गुस्सा आया; लेकिन फिर भी इस मामूली घटना को मैंने कोई अहमियत नहीं दी, क्योंकि उससे सिर्फ यही बात तो जाहिर होती थी कि एक ऐसे अफसर ने नामुनासिव हरकत की जो शिक्षित नहीं है और जो शिष्टाचार नहीं जानता। मैं उम्मीद करता था कि कोई ऊँचा अफसर इस घटना पर अफमोम जाहिर करेगा, लेकिन वैसा होना तो दूर रहा, उलटे बिना उस बारे में कुछ कहे मेरी माँ, धर्मपत्नी और बहनोई को सजा दी गई। अप्रत्यक्ष रूप में मुझे भी सजा मिली, मुद्दत तक मुझे अपनी माँ या धर्मपत्नी से नहीं मिलने दिया गया। जब मैंने इसपेक्टर-जनरल से इसकी जाँच की तो एक छोटा-सा जवाब आया, जिसमें मेरी माँ के सम्बन्ध में अशिष्टतापूर्ण बात कही गई थी। सिर्फ़ इस वक़्त ही सरकार मुझसे और मेरी माँ और धर्मपत्नी के कथनों से सच्ची बात जान सकी।

यह साफ़ था कि उन्होंने बड़ी भारी गलती की थी। मेरे बार-बार पूछने पर भी उन्होंने हमारे कथनों में कोई गलती नहीं बताई। इसलिए मुझे समझ लेना चाहिए कि उन बातों को उन्होंने मजूर किया। जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। अगर ऐसा था, तो पहले उन्होंने बड़ी बेवकूफी का काम किया, जिसके लिए कम-से-कम उन्हें अफमोम तो जाहिर करना ही चाहिए था। मैं अब भी इन्तज़ार कर रहा हूँ कि वे खुले शब्दों में अफसोस जाहिर करें।

अगर ऐसा बर्ताव मेरी माँ और धर्मपत्नी के साथ किया जा सकता है और साथ ही सरकार का अजीब बर्ताव और हठ भी चल सकता है तो यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि औसत मामूली कैदियों और उनके आदमियों को कैसा बर्ताव सहना पड़ता होगा। हमारी सरकार की तमाम पद्धति, जैसी कि वह बिना आदमियों में जड़ें पोड़ाएँ, ऊपर में लगादी गई हैं, सिर्फ़ तभी तक लटकी रह सकती हैं, जब तक कि एक खुट्टी दूसरी को सहारा देती है। यही उसकी ताकत है और खुशकिस्मती

से यही उसकी कमजोरी है; क्योंकि जब उस पद्धति का एक बार पतन होता है तो वह पूरी तरह से होता है।

पिछले साल मैंने जेल से गृह-सदस्य को लिखा और मैंने उनसे कहा कि यू० पी० की जेलों की हालतों के बारह बरस के तजुबों से बहुत दुःख के साथ मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस प्रान्त की जेलों में व्यभिचार, हिंसा और झूठ एकदम भर गया है। बहुत साल पहले मैंने अपनी जेल के सुपरिण्टेण्डेंट को (वाद में वह इन्स्पेक्टर-जनरल हो गया था) कुछ बुराईयाँ बताई थीं। उसने उन्हें मंजूर किया और कहा कि पहलेपहल जब वह जेल में नौकर हुआ था, तब उसमें सुधार करने के लिए उत्साह था; लेकिन बाद में उसने पाया कि कुछ हो-हा नहीं सकता, इसलिए पुराना ढर्रा उसने चलने दिया।

अकेले आदमियों के किये असल में कुछ नहीं हो सकता। और बहुत से ऐसे लोग भी कोई आदर्श उदाहरण नहीं हैं, जिन पर जिम्मेदारी है। भारतीय बंदीगृह आखिर बड़े हिन्दुस्तान का ही तो एक छोटा रूप है। महत्व की बात तो यह है कि जेल का ध्येय क्या है? आदमियों की भलाई, या एक मशीन का चलाना, या स्थिर स्वार्थों को क्रायम रखना? सजायें क्यों दी जाती हैं? क्या समाज या सरकार की तरफ से बदला लेने के लिए, या अपराधी को सुवारने की नीयत से?

क्या जज या जेल के अफसर कभी इस बात को सोचते हैं कि अभाग्य अपराधी जो उनके सामने है, उसे ऐसा बना देना चाहिए कि जेल से निकलने पर वह समाज के क्राविल हो? ऐसे सवाल उठाना महज हिमाकृत की बात है; क्योंकि कितने ऐसे आदमी हैं जो असल में इस बारे में चिन्ता करते हैं?

हम उम्मीद करें कि हमारे जज बड़े उदार आदमी हैं; निश्चय ही वे बड़ी लम्बी-लम्बी सजायें तो दे ही देते हैं। पेशावर से १५ दिसम्बर १९३२ की एसोशिएटेड प्रेस की खबर है:—

“कोल्डस्ट्रीम के क़त्ल के बाद ही सीमाप्रान्त के इन्स्पेक्टर-जनरल तथा दूसरे बड़े अफसरों को धमकी भरी चिट्ठियाँ लिखने के लिए जमना-

दास नाम के मुल्जिम को पेशावर के सिटी मजिस्ट्रेट ने ताजीरान हिन्द की दफा ५०० व ५०७ के अनुसार ८ माल की सजा दी।" जमनाशम देखने में लड़का लगता था।

एक और मार्को की मिसाल है। लाहौर में २२ अप्रैल १९३३ की एमोशियेटेड प्रेस की खबर है—

“सात इंच लम्बे फने का चाकू पास रखने की वजह से मयादन नाम के एक मुसलमान को सिटी मजिस्ट्रेट ने आम्स एक्ट की १९वीं दफा के मुताबिक १८ महीने सख्त कंठ की सजा दी।”

तीसरी मिसाल मदराम की ६ जुलाई १९३३ की है। रामस्वामी नाम के एक लड़के ने चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट की अदालत में, क्योंकि वह एक पड़ोस का मुकदमा सुन रहा था, एक पटाखा चला दिया। उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता था। फिर भी रामस्वामी को वच्चो के जेल में रहने के लिए चार साल की सजा हुई।

ये तीन मिसालें कोई गैरमामूली मिसालें नहीं हैं। और बहुत-सी मिसालें उनमें जोड़ी जा सकती हैं। उनसे भी बुरी और मिसालें हैं। मैं समझता हूँ, हिन्दुस्तान में बहुत दिनों से आदमी दुख उठा रहे हैं, इसलिए ऐसी अजीब सजायें जब दी जाती हैं तो उन्हें अचरज नहीं होता। अपनी तो मैं कहता हूँ, चाहे जितना अभ्यास करूँ तब भी उन सजाओं के पढ़ने ही मेरा दम बिना चढ़े नहीं रह सकता। नाजी जर्मनी को छोड़कर कहीं भी इस तरह की सजायें बाबेला मचा देगी।

और न्याय हिन्दुस्तान में अन्धे होकर नहीं किया जाता। खुदगरजी की आँस सदा खुली रहती है। किसानों के हरेक विद्रोह में बहुत-से किसानों को आजीवन कारावास मिलता है। ये छोटे-छोटे विद्रोह अक्सर तभी खड़े होते हैं जब जमींदारों के गुमास्ते आ-आकर उन दुखी किसानों में आर चुभोते हैं, जिसे वे किसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ उन आदमियों की शनाहत करके जो मौके पर मौजूद थे, उम्रभर के लिए या लम्बी सजा देने के लिए जेल में डाल देने का औचित्य मिल जाता है। उनके मड़कने का कारण तो शायद ही कभी देखा जाता है। शनाहत भी

ठीक तरह से नहीं होती। पुलिस जिस आदमी से नाराज होती है उसी-को आसानी से फाँस लिया जाता है। अगर इस मामले को राजनैतिक रूप दिया जा सके या लगानवन्दी-आन्दोलन से उसे सम्बन्धित किया जा सके, तब तो जुर्म लगाना और लम्बी सज़ायें देना और भी आसान हो जाता है।

हाल ही के एक मामले में एक किसान ने टैक्स-कलेक्टर के चाँटा मार दिया, जिसपर उसे एक साल की सज़ा हुई। दूसरी मिसाल इससे कुछ भिन्न है। वह पिछली जुलाई में मेरठ में हुई। एक नायब तहसीलदार एक गाँव के आदमियों से आवपाशी बसूल करने गया। उसके चपरासी एक किसान को खींचकर उसके पास लाये और शिकायत की कि उसकी स्त्री और लड़कों ने उन्हें मारा है। एक अजीब कहानी थी। खैर, नायब ने हुकम दिया कि अपनी स्त्री के कसूर के लिए उस किसान को सज़ा दी जाय। और तब तीनों—नायब खुद और दो चपरासी—आदमियों ने छड़ी से उस दीन को खूब मारा। इतना मारा कि उस मार से वाद में वह मर गया। नायब और चपरासियों पर मुकदमा चला और मामूली चोट पहुँचाने के लिए उन्हें कसूरवार ठहराया गया और वाद में इस वात पर उन्हें छोड़ दिया गया कि छः महीने तक वे अपना आचरण ठीक रखें। आचरण ठीक रखने से मतलब, मैं समझता हूँ, यह था कि आगे के छः महीनों में वे किसी आदमी को इतना न मारें कि वह मर जाय। इन मामलों का एक-दूसरे से मुक़ाबिला करना बड़ा शिक्षाप्रद है।

इसलिए जेलों में सुधार करने के लिए अनिवार्यतः दण्ड-विधि को सुधारना होगा। उससे भी ज्यादा उन जजों की मनोवृत्तियों को बदलना होगा जो कि अब भी सौ बरस पीछे के जमाने में पड़े हुए हैं और सज़ा और सुधार के नये विचारों से एकदम नावाकिफ़ हैं। इसके लिए तमाम शासन-प्रणाली को बदलना होगा।

लेकिन हम जेलों के बारे में ही विचार करें। सुधार इस विचार की बुनियाद पर होना चाहिए कि कैदी को सज़ा नहीं दी जा रही है, बल्कि उसे सुधारा जा रहा है और एक अच्छा नागरिक बनाया जा रहा है।

( मैं राजनैतिकों के बारे में विचार नहीं कर रहा हूँ । बहुत से उनमें इनके अपराधी होने हैं कि उनका गुधार नहीं हो सकता । ) अगर इस ध्येय का एक बार मान लिया गया तो जेलों की गद्गी एकदम दूर हो जायगी । आजकल तो बहुत ही कम जेल के अफसर ऐसे विचारों के हैं । मुझे याद है, यू० पी० के जेल-मैन्वुअल के एक पैराग्राफ में कहा गया है कि यह जरूरी नहीं है कि कैदी का काम उत्पादक या लाभदायक हो; यह तो सजा के लिए है । यह तो करीब-करीब इस बात का एक आदर्श कथन है कि जेल ऐसा नहीं होना चाहिए । वह पैराग्राफ तो कब का खत्म हुआ; लेकिन उसकी भावना तो अब भी बाकी है—वह भावना जो कि बड़ी कठोर और गद्दा देनेवाली है और मानव-जाति में जिसका एकदम अभाव है । यू० पी० के जेल-मैन्वुअल में जेल के जुर्मों की दी हुई सूची बड़ी मजेदार है । उसमें वे सब बातें आ जाती हैं जिन्हें आदमी की बुद्धि जिन्दगी की असह्य-मे-असह्य बनाने के लिए इकट्ठा कर सचती हैं । बान करना, गाना, चिल्लाकर हँसना, नियमित घण्टों के अलावा टट्टी जाना, जो खाना दिया जाय उसे न खाना, इत्यादि सब जुर्म हैं । यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जेल के अधिकारियों की सारी ताकत कैदियों को दबाये रखने में और ऐसे बहुत-से कामों में रोकने में चली जाती है, जिन्हें करने की कैदियों को मुमानियत है ।

कुछ आदमियों का खयाल है कि अगर सख्त सजा न दी जायगी तो गुनाह बढ़ेंगे । ऐसे आदमी अज्ञानी हैं । असल में सचाई तो बिल्कुल इसमें उलटी है । सौ बरस पहले इंग्लैंड में मामूली चोर भी फाँसी पर लटका दिये जाते थे । जब चोरों के लिए मौत की सजा हटाने का इरादा किया गया तो बड़ा शोर मचा । लार्ड—सभा में अमीरों ने कहा कि इसमें तो यह नतीजा होगा कि चोर-डाकू हर चीज चुरायेंगे और एक आतक पैदा कर देंगे । असल में इस गुधार का नतीजा उनके विचार में उलटा निकला और गुनाह बहुत कम होने लगे । इंग्लैंड और हमारे मुत्कों में दण्ड-विधि और जेलों में गुधार होजाने के कारण गुनाह धीरे-धीरे बहुत कम हो गये हैं । इंग्लैंड में बहुत-से पुराने जेलखानों की

अब ज़रूरत नहीं रही है और वे दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह सब जानते हैं कि हिन्दुस्तान में जेलों में कैदियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है ( राजनैतिक कैदियों के अलावा ) और प्रबन्धक और न्याय-सम्बन्धी संस्थाएँ लम्बी और कठोर सजाएँ देकर इस वारे में और प्रोत्साहन दे रही हैं। बच्चों को सजा देना तो सब जगह बहुत बुरा समझा जाता है और उसे दरगुज़र किया जाता है, लेकिन यहाँ हिन्दुस्तान में जेल युवकों और बच्चों से भरे हुए हैं और अक्सर उन्हें कोड़े मारने की सजा दी जाती है।

लोग डरते हैं कि अगर जेलों की हालतें सुधार दी गईं तो आदमी-पर-आदमी उनमें आ भरा करेंगे। ऐसा सोचना ग़लती है। इससे पता चलता है कि मानवीय प्रकृति का ज्ञान उन्हें नहीं है। जेलखाने चाहे जितने अच्छे हों, कोई भी उनमें नहीं जाना चाहता। आजादी, कौटुम्बिक जिन्दगी मित्र और घरेलू वायुमण्डल से वंचित होना एक बड़े दुःख की बात है। सब जानते हैं कि हिन्दुस्तान का किसान अपने बाप-दादा की ज़मीन से चिपटकर भूखों मर जाना चाहेगा, उसे छोड़कर दूसरी जगह अपनी हालत सुधारने वह नहीं जायगा। जेल की हालतों के सुधारने का मतलब यह नहीं है कि जेल की जिन्दगी को सुगम बना दिया जाय। उसका मतलब तो यह है कि उसमें इंसानियत और समझदारी पैदा कर दी जाय। कड़ा काम हो; लेकिन तेल की नली, पानी की नली या चक्की का वहशी और वेकार का काम न हो। जेल बड़े पमाने के कारखानों में, जहाँ क़ैदी काम करते हैं, या घरेलू-बंधे करके चीज़ें पैदा करें। काम जेल के और क़ैदी के भावी जीवन के दृष्टिकोण से उपयोगी होना चाहिए। और उसके लिए ब्राज़ारू दर से क़ैदियों के रहन-सहन के खर्च को निकालकर जो बचे वह क़ैदियों को मज़दूरी में मिलना चाहिए। दिन में आठ घंटे कड़ी मह-नत करने के बाद क़ैदियों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे आपस में मिलें-जुलें, खेल खेलें, पढ़ें, कुछ सुनावें, व्याख्यान दें। इससे भी ज्यादा उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि वे हूँसें और जेल के अधिकारियों तथा अन्य क़ैदियों से मानवीय संबन्ध पदा करें। हरेक क़ैदी की शिक्षा की तरफ़





यह नहीं सोचना चाहिए कि इन तब्दीलियों से अतिरिक्त खर्च बढ़ जायगा। अगर जेलों को ठीक-ठीक मौजूदा औद्योगिक लाइनों पर चलाया जाय तो वे स्वावलम्बी ही नहीं होंगी; बल्कि ऊपर बताई अतिरिक्त खुश-गवारी के अतिरिक्त खर्च को निकाल कर उनसे आमदनी भी हो सकती है। इन तब्दीलियों को करने में कोई भी मुश्किल नहीं है। एक मुश्किल हो सकती है, वह यह कि जेल के अधिकारी होशियार हों और उनमें इंसानियत हो और वे नये दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझ सकें, उसे पसन्द कर सकें और उसके लिए कोशिश करने की इच्छा उनमें हो। यह बेहद जरूरी है।

मेरी इच्छा है कि हमारे कुछ आदमी विदेशी जेलखानों की हालत का अध्ययन करें और जहाँ मुमकिन हो वहाँ खुद जाकर उनका निरीक्षण करें। वे देखेंगे कि हमारे जेलखाने उनसे कितने पीछे हैं। हर जगह एक नई इंसानियत पाई जाती है, साथ ही लोग यह भी जानने लगे हैं कि सामाजिक हालतें ही ज्यादातर आदमी को क्रसूरवार बनाती हैं। इसलिए क़ैदी को सज़ा देने के बजाय एक बीमारी की तरह उसका इलाज होना चाहिए। सच्चे अपराधियों का मन बच्चों का-सा होता है और यह मूर्खता की बात है कि बड़ा समझकर उसके साथ बर्ताव किया जाय।

लेटविया जैसे छोटे मुल्क की जेलों में हम सुनते हैं कि "पीघों, फूलों, कितावों और क़ैदियों की निजी चीज़ों को, जैसे फोटोग्राफ़, दस्तकारी, बेतार-के-तार, लगाकर कोशिश की जाती है कि क़ैदियों के कमरों और कोठरियों में घरेलू वातावरण पैदा हो।" वहाँ क़ैदियों को अपने काम के लिए मजदूरी मिलती है। उनकी आधी आमदनी जमा होती रहती है और आधी वे अतिरिक्त भोजन, तम्बाकू, अखबार वगैरा में खर्च कर देते हैं।

सोवियटों का देश, रूस तो जेल की हालत सुधारने में सबसे आगे बढ़ गया है। हाल ही में एक होशियार निरीक्षक ने सोवियट-जेलों की जांच की थी। उनकी रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है। यह निरीक्षक डी० एन० प्रिट, के० सी०, एक मशहूर अंग्रेज़ वकील थे। वह दण्ड-सुधार के लिए हॉवर्ड-लीग के अध्यक्ष भी हैं। यह लीग एक संगठन है जो साठ बरस से

ज्यादा से इंग्लैण्ड में जेल-मुघार में सबसे आगे है। प्रिट बताते हैं कि वहाँ सजा में से सजा का अंश तो एकदम हटा दिया गया है। अब सजा बिलकुल मुघार के लिए दी जाती है। कंदियों के साथ बर्ताव इसानियत का होता है और बेहद अच्छा होता है।

वहाँ दो तरह के जेलखाने हैं :—(१) अधखुले सीमे या पूरे खुले कम्पून या कॉलोनी। असल में वे जेल बिलकुल नहीं हैं। वहाँ कंदी गवि की जिन्दगी बसर करते हैं। कुछ पाबन्दियाँ उनपर होती हैं। (२) बन्द जेल। ये जेल सबसे सख्त तरह के जेल होते हैं; लेकिन यहाँ भी कंदियों को बहुत ज्यादा आजादी दी जाती है। देखकर ताज्जुब होता है। वाडर और कंदियों में बराबरी की भावना होती है और काम के घंटों के अलावा दूसरे कंदियों और गाड़ों में मिलने-जुलने में कोई रुकावट नहीं होती। मामूली कारखानों का आठ घंटे का काम वहाँ होना है जिसके लिए मामूली मजदूरी मिलती है। बाकी घंटों के लिए खेल है, पढ़ाई है, जमनास्टिक, लेक्चर, बेतार के तार, किताबें हैं। शौक के लिए कंदी ड्रामा भी खेलते हैं। कंदी इधर-उधर की बातें भी करते हैं और वाडरों और जेल के दूसरे अफमरों पर जो “यह भूल जाते हैं कि जेल सजा के लिए नहीं है, बल्कि मुघार के लिए है,” बिना हिचकिचाये टीका-टिप्पणी करते हैं।

रूस की सब समस्याओं में जिस स्वराज्य के सिद्धान्त को प्रोत्साहन दिया जाता है, उसको कुछ हदतक जेलों में भी व्यवहार में लाया जाता है। कंदी खुद अपने ऊपर सजायें लगाते हैं। काम के वक्त छोड़कर, सिगरेट पीने की उन्हें आजादी है। मुलाकातें जल्दी-जल्दी होती हैं और बेरोक और बिना निगरानी के चिट्ठियाँ आती-जाती हैं। सबसे माके का नियम तो यह है कि वहाँ करीब-करीब हमेशा कंदी को पन्द्रह दिन की गरमियों की छुट्टी मिलती है, जिससे वह घर जाकर अपनी पैदावार बगैरा की देखभाल कर आवे। जेल में वह औरत जिसके पाम बच्चा है, या तो उस बच्चे को जेल की फ़ेश में छोड़ सकती है जहाँ अच्छी तरह से

१. बच्चों के लिए आम नर्सरी—मम्पादक

## हिन्दुस्तान की समस्याएँ

की देख-भाल होती है या वह उसे घर पर छोड़ सकती है। घर ड़ने की हालत में दूध पिलाने के लिए वह दिन में कई बार घर कती है।

कोठरियों में फूल, तस्वीरें, फ़ोटोग्राफ़ रहते हैं। दिमाग का इलाज वाले डाक्टर नियम से कैदियों की जाँच करके देखते हैं कि उनकी आग़ी हालत ठीक है या नहीं। दिमाग के इलाज के लिए अस्पताल जहाँ ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भेज दिया जाता है। कालकोठरी की जा तो बहुत कम दी जाती है।

इन सब बातों पर यकीन नहीं होता; लेकिन रूस में ऐसा है और इस इंसानियत के वर्ताव का इतना अच्छा नतीजा निकला है कि ताज्जुब होता है। रूस वालों को उम्मीद है कि क्रमूर बहुत-कुछ कम हो जायेंगे और बहुत-सी जेल बन्द कर दी जायेंगी। इसलिए अच्छे वर्ताव से जेल भरती नहीं हैं, खाली होती हैं, वशतँ कि आर्थिक बुनियाद ठीक हो और करने के लिए काम हो।

थोड़ा वक़्त गुजरा, कॉमंस सभा में हिन्दुस्तान में जानवरों की रक्षा करने पर विचार करने के लिए एक सभा हुई थी। बड़ा प्रशंसनीय विचार था; लेकिन यह याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान में बेचारा दो पैर का जानवर भी रक्षा और चिन्ता के लायक है। खासतौर से वे जो जेल में बहुत दिनों तक शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाते हैं और जेल से निकलने पर मामूली काम भी मुश्किल से कर पाते हैं।

नावों की हरेक जेल में दीवारों पर एक बात खुदी हुई है। वह नावों के एक मशहूर कैदी लार्स ऑलसन स्कैप्सण्ड के, जिसने नगे की हालत में चोरी करने पर बड़ी लम्बी सज़ा भुगती, व्याख्यान का एक अवतरण है। वह वाद में हिन्दुस्तान आया और उसने स्केंडीनेवियन सेंटल मिशन की नींव डाली। वह एक बहुभाषी व्यक्ति था, प्राचीन और आधुनिक सभापायें जानता था। उनमें एक सेंटल भाषा भी थी। उसके व्याख्यान

१. सेंटल आर्यों से पहले की एक जाति है, जो बंगाल और आसपास के जिलों में रहती है।

का अवतरण जो जेल की कोठरियों पर सुदा हुआ है, इस तरह है :—

“उस आदमी के अलावा जिसने कभी सुद यह महसूस नहीं किया कि कैदी होना कैसा होता है, कोई भी अदाज नहीं कर सकता कि जेल में कैदी पर क्या बीतती है। उसकी कुछ करपना की जा सकती है; लेकिन उसमें उस आदमी की भावनाएँ जाहिर नहीं हो सकती जो दुखी और परित्यक्त अपनी कोठरी में पड़ा रहता है।”

यह अच्छी बात है कि वे आदमी, जिन्हें उनके प्राण ने जेल की कोठरी से दूर ही रक्खा है, इन दुखी और परित्यक्त लोगों की ओर ध्यान देने लगे हैं।

## साहित्य का भविष्य

कुछ दिन से फिर हिन्दी और उर्दू की बहस उठी है, और लोगों के दिलों में यह शक पैदा होता है कि हिन्दीवाले उर्दू को दबा रहे हैं और उर्दूवाले हिन्दी को। वगैर इस प्रश्न पर गौर किये जोशीले लेख लिखे जाते हैं और यह समझा जाता है कि जितना हम दूसरे पर हमला करते हैं उतना ही हम अपनी प्रिय भाषा को लाभ पहुँचाते हैं; लेकिन अगर ज़रा भी विचार किया जाय तो यह बिलकुल फिज़ूल मालूम होता है। साहित्य ऐसे नहीं बढ़ा करते।

दूसरी बात यह भी देखने में आती है कि अक्सर साहित्य का अर्थ हम कुछ दूसरा ही लगाते हैं। हम भाषा की छोटी बातों में बहुत फँसे रहते हैं और बुनियादी बातों को भूल जाते हैं। साहित्य किसके लिए होता है? क्या वह थोड़े-से ऊपर के पढ़े-लिखे आदमियों के लिए होता है या आम जनता के लिए? जबतक हम इसका जवाब न दें, उस समय तक हमें साहित्य के भविष्य का रास्ता ठीक तौर से नहीं दीखता। और अगर हम इस बात का निश्चय करलें, तब शायद हमारे हिन्दी-उर्दू आदि के और झगड़े भी हल हो जायें।

पहली बात जो हमको याद रखनी है वह यह है कि हमारा आजकल का साहित्य बहुत पिछड़ा हुआ है। यूरोप की किसी भी भाषा से मुक्ता-विला किया जाय तो हम काफ़ी गिरे हुए हैं। जो नई किताबें हमारे यहाँ निकल रही हैं वे अब्बल दर्जे की नहीं होतीं, और कोई आदमी आजकल की दुनिया को समझना चाहे तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वह विदेशी भाषाओं की किताबें पढ़े। नई विचार-धारायें अभीतक हमारे साहित्य में कम पहुँची हैं। इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति इत्यादि

पर हमारी भाषाओं में भाकूल पुस्तके बहुत कम हैं। हमें इधर पूरे तौर से ध्यान देना है, नहीं तो हमारी भाषाएँ बड़ नहीं सकती। जो लोग इन बातों के सोखने के प्यासे हैं उनको भजबूरन और जगह जाना पड़ेगा।

बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इन सब पर मैं इस समय नहीं लिख सकता; लेकिन चन्द बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ—

१. मेरा पूरा विश्वास है कि हिन्दी और उर्दू के मुकाबिले से दोनों को हानि पहुँचती है। वे एक-दूसरे के सहयोग से ही बढ़ सकती हैं। और एक के बढ़ने से दूसरे को भी फ़ायदा पहुँचेगा। इसलिए उनका सम्बन्ध मुकाबिले का नहीं होना चाहिए, चाहे वह कभी अलग-अलग रास्ते पर क्यों न चले। दूसरे की तरक्की से खुशी होनी चाहिए; क्योंकि उसका नतीजा अपनी तरक्की होगा। यूरोप में जब नये साहित्य (अंग्रेजी, फ़्रेंच, जर्मन, इटालियन) बढ़े, तब सब साथ बढ़े, एक-दूसरे को दबाकर और मुकाबिला करके नहीं।

२. इसके माने यह नहीं कि हर भाषा के प्रेमी अपनी भाषा की अलग उन्नति की कोशिश न करे। वे अवश्य करे, लेकिन वह दूसरे की विरोधी कोशिश न हो और मूल सिद्धान्त सामने रखें।

३. यह खाली उर्दू-हिन्दी के लिए नहीं, बल्कि हमारी सब बड़ी भाषाओं के लिए—बंगाली, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलगू, कन्नड, मलयालम—यह बात साफ़ कर देनी चाहिए कि हम इन सब भाषाओं की तरक्की चाहते हैं, और कोई मुकाबिला नहीं। हर प्रान्त में वहाँकी भाषा ही प्रयत्न है। हिन्दी या हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा अवश्य है और होनी चाहिए; लेकिन वह प्रान्तीय भाषा के पीछे ही आ सकती है। अगर यह बात निश्चय हो जावे और साफ़-साफ़ कह दिया जावे तो बहुत गलत-फहमियाँ दूर हो जावे और भाषाओं का सम्बन्ध बड़े।

४. हिन्दी और उर्दू का सम्बन्ध बहुत करीब का है। और फिर भी कुछ दूर होता जा रहा है। इससे दोनों को हानि होती है। एक शरीर पर दो सिर हैं और वे आपस में लड़ा करते हैं। हमें दो बातें समझनी हैं और हालाँकि वे दो बातें ऊपरी तौर से कुछ विरोधी मालूम होती हैं,

फिर भी उनमें कोई असली विरोध नहीं है। एक तो यह कि हम ऐसी भाषा हिन्दी और उर्दू में लिखें और वोलें जो कि बीच की हो, और जिसमें संस्कृत या अरबी और फारसी के कठिन शब्द कम हों। इसीको आम तौर से हिन्दुस्तानी कहते हैं। कहा जाता है, और यह बात सही है कि ऐसी बीच की भाषा लिखने से दोनों तरफ की खराबियाँ आ जाती हैं, एक दोगली भाषा पैदा होती है, जो किसीको भी पसन्द नहीं होती और जिसमें न सौन्दर्य होता है, न शक्ति। यह बात सही होते हुए भी बहुत बुनियाद नहीं रखती और मेरा विचार है कि हिन्दी और उर्दू के मेल से हम एक बहुत खूबसूरत और बलवान भाषा पैदा करेंगे, जिसमें जवानी की ताकत हो और जो दुनिया की भाषाओं में एक माकूल भाषा हो।

यह बात होते हुए भी हमें याद रखना है कि भाषायें ज़बरदस्ती नहीं बनतीं या बढ़तीं। साहित्य फूल की तरह खिलता है और उसपर दबाव डालने से मुरझा जाता है। इसलिए अगर हिन्दी-उर्दू भी अभी कुछ दिन तक अलग-अलग झुके, तो हमको उसपर ऐतराज नहीं करना चाहिए। यह कोई शिकायत की बात नहीं। हमें दोनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए; क्योंकि जितने अधिक शब्द हमारी भाषा में हों उतना ही अच्छा।

५. लिपि के बारे में यह बिलकुल निश्चय हो जाना चाहिए कि दोनों लिपियाँ—देवनागरी और उर्दू—जारी रहें और हरेक को अधिकार हो कि जिसमें चाहे, वह लिखे। अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि एक प्रान्त में हिन्दी लिपि को दवाते हैं, जैसे सरहद्दी प्रान्त, या दूसरे प्रान्त में उर्दू लिपि को मौक़ा नहीं मिलता। हमें एक तरफ़ की बात खाली नहीं कहनी है, बल्कि सिद्धान्त रखना है कि हर जगह दोनों लिपियों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए। हिन्दी और उर्दू दोनों के प्रेमियों को मिलकर यह बात माननी चाहिए और इसका यत्न करना चाहिए।

६. यह प्रश्न असल में हिन्दी और उर्दू से भी दूर जाता है। मेरी राय में हर भाषा व हर लिपि को पूरी आज़ादी होनी चाहिए, अगर उसके बोलने और लिखनेवाले काफ़ी हों। मंसलन, अगर कलकत्ते में

काफी तामिल बोलनेवाले रहते हैं तो उनको अधिकार होना चाहिए कि उनके स्कूलों में तामिल द्वारा पढ़ाई हो। जाहिर है कि एक प्रान्त के राजनैतिक कार्य का अन्य काम बहुत सारी भाषाओं में नहीं हो सकता। वह तो प्रान्त की ही भाषा में हो सकता है। उत्तरभारत और मध्यभारत में जहाँ हिन्दुस्तानी भाषा जनता की है, वहाँ एक भाषा और दो लिपियाँ सब जगह आजादी से चलनी चाहिए। इसके माने यह नहीं है कि हरेक को दो लिपियाँ सीखनी पड़ेंगी। यह बच्चों पर बहुत बोझा हो जावेगा और इसलिए वे या उनके माँ-बाप कह सकें कि वह किस लिपि में सीखें। कोशिश यह भी होनी चाहिए कि कुछ लोग दोनों लिपियाँ सीखें।

७. हिन्दी और हिन्दुस्तानी शब्दों पर बहुत बहस हुई है और गलत-फहमियाँ फैली हैं। यह एक फिज़ूल की बहस है। दोनों ही शब्द हम अपनी राष्ट्रभाषा के लिए कह सकते हैं। दोनों सुन्दर हैं और हमारे देश और जाति से सम्बन्ध रखते हैं। लेकिन अच्छा हो, अगर इस बहस को बन्द करने के लिए हम बोलने की भाषा को हिन्दुस्तानी कहे और लिपि को हिन्दी या उर्दू कहे। इससे साफ-साफ मालूम हो जायगा कि हम क्या कह रहे हैं।

८. यह हिन्दुस्तानी भाषा क्या हो? देहली या लखनऊ के रहनेवाले कहते हैं कि हमारी बोली आमफहम, इसीको हिन्दुस्तानी बनाओ; लेकिन बनारस, पटना और मध्यभारत, राजपूताना में जाइए तो काफी फर्क मिलता है। और अगर शहरों को छोड़कर देहातों में हम जावे तो और भी फर्क। फिर कौन भाषा हमारी हो?

हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, जो सभ्य हो और जिसे अधिक-से-अधिक जनता समझे। इसको हम बैठकर कुछ कोषों का मुकाविला करके नहीं बना सकते, और न दो-चार साहित्यकार (उर्दू और हिन्दी के) मिलकर इसको पैदा कर सकते हैं। इसकी बुनियाद तभी मजबूत पड़ेगी, जब लिखनेवाले आम जनता के लिए लिखेंगे और बोलनेवाले उनके ही लिए बोलेंगे। तब यह दफ्तरी बहसे कि कितनी उर्दू और कितनी हिन्दी. यह सब खत्म हो जावेगी। जनता फैसला करेगी। जो उसकी समझ में आवेगा वह रहेगी, जो नहीं समझेगी वह हलके-हलके दब जावेगी।



इसलिए हमारे लिए सबसे दुनियादी प्रश्न यही है कि हम आम-जनता के लिए अपना साहित्य बनावें और उनको हमेशा अपने दिमागों के सामने रखकर लिखें। हर लिखनेवाले को अपने से पूछना है, "मैं किस-के लिए लिखता हूँ?"

९. एक और बात। यह आवश्यक है कि हिन्दी में यूरोप की भाषाओं से प्रसिद्ध पुस्तकों का अनुवाद हो। इसी तरह से हम दुनिया के विचार यहाँ लायेंगे और उसके साहित्य से लाभ उठावेंगे।

२५ जुलाई, १९३७।

## हिन्दी और उर्दू का मेल

हमें हिन्दुस्तानी को उत्तरी और मध्य भारत की राष्ट्रीय भाषा ममज्ञकार विचार करना चाहिए। दोनों रूप सर्वथा भिन्न हैं। इसलिए इनपर अलहदा-अलहदा विचार होना चाहिए।

हिन्दुस्तानी के हिन्दी और उर्दू दो खास स्वरूप हैं। यह साफ़ है कि दोनों का आधार एक है, व्याकरण भी एक है और दोनों का कोष भी एक ही है। वास्तव में दोनों का उद्गम एक ही है। इतना होनेपर भी इस समय जो दोनों में भेद हो गया है, वह भी विचारणीय है। कहा जाता है कि कुछ हद तक हिन्दी का आधार संस्कृत और उर्दू का फारसी है। इन दोनों भाषाओं पर इस दृष्टिकोण से विचार करना कि हिन्दी हिन्दुओं की और उर्दू मुसलमानों की भाषा है, युक्तिसंगत नहीं है। उर्दू की लिपि को छोड़कर यदि हम केवल भाषा पर ही विचार करें तो मालूम पड़ेगा कि उर्दू हिन्दुस्तान के बाहर कहीं भी नहीं बोली जाती है। हाँ, उत्तरी भारत के बहुतसे हिन्दुओं के घरों में वह बोली जाती है।

मुसलमानों के शासनकाल में फारसी राजदरवार की भाषा रही है। मुग़ल शासन के अन्त तक फारसी का इसी रूप में प्रयोग होता रहा तथा उत्तरी और मध्य भारत में हिन्दी ही बोली जाती रही। एक जीवित भाषा के नाने फारसी के बहुतसे शब्द इसमें प्रचलित होगये। इसी तरह गुजराती और मराठी में भी ऐसा ही हुआ। यह जरूर हुआ कि हिन्दी हिन्दी ही रही। राजदरवार में रहनेवाले व्यक्तियों में हिन्दी प्रचलित रही; किन्तु उसमें इतना परिवर्तन होगया कि वह लगभग फारसी-जैसी होगई। यह भाषा 'रेखता' कहलाती थी। शायद मुग़लों के शासन-काल में मुग़ल-कैम्पो से 'उर्दू' शब्द प्रचलित हुआ। यह शब्द

हिन्दी का पर्यायवाची समझा जाता था। उर्दू शब्द से वही अर्थ समझा जाता था जो हिन्दी से। १८५७ के विद्रोह तक हिन्दी और उर्दू में लिपि को छोड़कर कोई और भेद नहीं था। यह तो सभी जानते हैं कि कई हिन्दी के प्रमुख कवि मुसलमान थे। ग़दर तक ही नहीं; बल्कि उसके बाद भी कुछ दिनों तक प्रचलित भाषा के लिए हिन्दी शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह लिपि के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि भाषा के लिए। जिन मुसलमान कवियों ने, अपने काव्य उर्दू-लिपि में लिखे, वे भी भाषा को हिन्दी ही कहा करते थे।

१९ वीं सदी के आरम्भ के लगभग 'हिन्दी' और 'उर्दू' शब्दों के प्रयोग में कुछ फ़र्क होने लगा। यह फ़र्क धीरे-धीरे बढ़ता गया। शायद यह फ़र्क उस राष्ट्रीय जागृति का प्रतिबिम्ब था, जो कि हिन्दुओं में हो रही थी। उन्होंने परिष्कृत हिन्दी और देवनागरी की लिपि पर जोर दिया। आरंभ में उनकी राष्ट्रीयता का स्वरूप एक प्रकार से हिन्दू राष्ट्रीयता ही था। आरम्भ में ऐसा होना अनिवार्य भी था। इसके कुछ दिनों बाद मुसलमानों में भी धीरे-धीरे राष्ट्रीय जागृति पैदा हुई। उनका राष्ट्रीयता का स्वरूप भी मुस्लिम राष्ट्रीयता ही था।

इस तरह से उन्होंने उर्दू को अपनी भाषा समझना शुरू कर दिया। लिपियों के बारे में वाद-विवाद होने लगा और यह भी मतभेद का एक विषय बन गया, कि अदालतों और सरकारी दफ्तरों में किस लिपि का प्रयोग किया जाय। राजनैतिक और राष्ट्रीय जागृति का ही यह परिणाम हुआ कि भाषा की लिपि के विषय में मतभेद हुआ। आरम्भ में इसने साम्प्रदायिकता का स्वरूप लिया। जैसे-जैसे यह राष्ट्रीयता वास्तविक राष्ट्रीयता का स्वरूप लेती गई, अर्थात् हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र समझा जाने लगा और साम्प्रदायिकता की भावना दबने लगी, वैसे ही भाषा के सम्बन्ध में इस मत-भेद को समाप्त करने की इच्छा बढ़ती गई। बुद्धिमान व्यक्तियों ने उन अनगिनत बातों पर प्रकाश डालना शुरू कर दिया, जो हिन्दी और उर्दू दोनों में ही दिखाई देती थीं। इस बात की चर्चा होने लगी कि हिन्दुस्तानी उत्तरी और मध्य भारत की ही नहीं, बल्कि समस्त

देश की राष्ट्रभाषा है। गेद की भाषा है कि भारत में आरी तक साम-  
दायिकता का जोर है, अतः यह भाषा भेद की भाषा की भाषा की भाषा की भाषा-  
साम अभी तक मौजूद है। यह निश्चित है कि जब राष्ट्रीयता का युग  
विकास हो जायगा तो यह भाषा-भेद स्वयं ही समाप्त हो जायगा। हमें यह  
अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि अभी हम समय में कि हम मुगल  
की जड़ क्या है। आप किमी भी ऐसे व्यक्ति को ले लीजिए जो हम भाषा-  
भेद से सम्बन्ध रखता है। उनके बारे में गाँव कीजिये तो आपको पता  
चलेगा कि वह मध्यदायवादी और मध्यमवर्ग: राष्ट्रभौतिक: प्रतिनिध्यावादी  
है। यद्यपि मुगलों के शासनकाल में हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाएँ ही ही  
प्रयोग होता था; किन्तु उर्दू शब्द शासक और ही उद्योग भाषा का शासन था  
जो मुगलों की फौजों में बोली जाती थी। राष्ट्र-रक्षक और शासकीयों के  
समीप रहनेवालों में कुछ फार्मी के शब्द भी प्रचलित थे और यही शब्द  
वाद में भाषा में भी प्रचलित शायद। मुगलों के शब्द में प्रचलित की शब्द  
चलने जायें तो मान्य होगा कि उर्दू शब्द हिन्दी में ही प्रचलित हैं।  
देहानों की बनिम्बन नगरों पर ही प्रचलित था यह शब्द पता था  
नगरों में भी मध्यभारत के नगरों की शब्द शब्द उर्दू भाषा में ही ही  
ज्यादा अमर पदा।

इसमें हमें पता चलता है कि उर्दू शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द  
है। उर्दू नगरों की शब्द हिन्दी शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द  
बोली जाती है; किन्तु उर्दू शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द

उर्दू और हिन्दी को निरन्तर करने की शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द  
है; क्योंकि इन दोनों को मिलाकर शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द  
समीप लाना है। किमी और शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द  
शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द  
उसके बोलीनेवाले को शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द  
नहीं है जो कि शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द  
में ही शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द  
साहित्य का शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द

व्यक्ति ही इसके लिये जिम्मेदार है। इस प्रकार की कल्पना करना उचित नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इस भेद को बढ़ते देखकर प्रसन्न होते हैं; किन्तु जीवित भाषाओं की प्रगति इस ढंग से नहीं होती। कुछ व्यक्ति उन्हें अपने ढंग पर लाना भी चाहें तो नहीं ला सकते। इसके लिए हमें गम्भीरता से विचार करना होगा। यद्यपि इस भेद का होना बड़ी बदकिस्मती की बात है; किन्तु फिर भी यह इस बात का द्योतक है कि भविष्य अच्छा ही है। हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में कुछ दिनों की स्थिरता के बाद फिर कुछ गति आने लगी है और दोनों ही अपना मार्ग ढूँढ रही हैं। वे नवीन विचारों को प्रकट करने के लिए संघर्ष कर रही हैं और पुराने मार्गों को छोड़कर एक नया स्वरूप धारण करती जा रही हैं। जहाँतक नये विचारों का सम्बन्ध है, वहाँ दोनों का ही शब्द-कोष दरिद्र है; किन्तु दोनों ही अन्य भाषाओं से इस अभाव की पूर्ति कर सकती हैं। हिन्दी संस्कृत से और उर्दू फ़ारसी से इस अभाव को पूरा कर रही है। इस प्रकार जैसे-जैसे हम घरेलू-भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं का सहारा लेते हैं, वैसे-वैसे यह भेद बढ़ता जाता है। साहित्यिक संस्थायें अपनी-अपनी भाषा को परिष्कृत रखने के लिए उत्सुक रहती हैं। यह मनोवृत्ति बढ़ते-बढ़ते एक सीमा पर पहुँच जाती है और तब वह आपस में एक-दूसरे को इस भेद के लिए जिम्मेदार ठहराती है। अपनी आँख का तो ताड़ भी दिखाई नहीं देता और दूसरे की आँख का तिल भी दिखाई दे जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हिन्दी और उर्दू के बीच की खाई बड़ी हुई और कभी-कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि दोनों का विकास अलग-अलग भाषाओं के रूप में होना निश्चित है। यह आशंका अनुचित और निर्मूल है।

हिन्दी और उर्दू की इस नई धारा का, चाहे इससे कुछ दिनों के लिए दोनों के बीच की खाई बढ़ ही क्यों न जाय, स्वागत करना चाहिए। मौजूदा हिन्दी और उर्दू राजनैतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक विचारों को व्यवत करने में असमर्थ हैं। दोनों ही इस कमी को पूरा करने के लिए अपना कोप बढ़ा रही हैं और इसमें उन्हें सफलता

भी मिल रही है। एक-दूसरे को आपस में सन्देह नहीं करना चाहिए; क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी भाषा का कोप भरपूर हो। यदि हम हिन्दी या उर्दू में से किसी भी एक के शब्दों को नष्ट करने का यत्न करेंगे तो हम कभी भी अपनी भाषा का कोप न बढ़ा पायेंगे। हम दोनों ही भाषाओं को चाहते हैं, हमें दोनों ही को स्वीकार करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हिन्दी का विकास होता है तो उर्दू का भी होता है और यदि उर्दू का होता है तो हिन्दी का भी। दोनों का ही एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा और दोनों का ही कोप बढ़ेगा। दोनों को नये-नये शब्दों और विचार-धाराओं का स्वागत करने को तैयार रहना चाहिए। मेरी वास्तविक इच्छा यह है कि हिन्दी और उर्दू अपने-अपने विदेशी भाषाओं के शब्दों और विचारों को शामिल करले और उन्हें अपना ही बनाले। ऐसे शब्दों के लिए जो आमतौर पर अंग्रेजी, फ्रेंच और अन्य विदेशी भाषाओं में बोले जाने लगे हैं सस्कृत या फारसी के शब्द गढ़ना ठीक नहीं है।

मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि हिन्दी और उर्दू अवश्य ही एक-दूसरे के निकट आयेंगी। यह हो सकता है कि उनका स्वरूप भिन्न हों; किन्तु भाषा एक ही होगी। इसके लिए जो वातावरण पैदा हो रहा है, वह बहुत शक्तिशाली है। यदि कुछ लोग उसका विरोध भी करेंगे तो वे सफल नहीं हो सकते। राष्ट्रियता का जोर बढ़ता जा रहा है और साथ-ही-साथ यह भावना भी जोर पकड़ती जा रही है कि भारत में एकता का होना जरूरी है। अन्त में इसी भावना की विजय होनी निश्चित है। इसके अलावा एक बात और है। वह यह कि मातापिता के साधनों, विचारों और राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में श्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। इनका असर पड़ना भी लाजिमी है। हमारे लिए अपने तम दायरे में ऐसे समय सीमित रहना जबकि संसार श्रान्तिकारी हालत में है, मुमकिन नहीं। जन-साधारण में शिक्षा का प्रसार होने में भाषा में एकता और प्रमाणिकता आजायगी। एक परिणाम यह भी होगा कि उसका एक माप या मान भी कायम हो जायगा।

इसलिए हमें हिन्दी और उर्दू के विकास को आशंका की निगाह से नहीं देखना चाहिए। हिन्दी-प्रेमियों को उर्दू का विकास और उर्दू-प्रेमियों को हिन्दी का विकास देखकर प्रसन्न होना चाहिए। आज दोनों के कार्य-क्षेत्र भिन्न हो सकते हैं; किन्तु अन्त में दोनों को मिल ही जाना है। यद्यपि हम इस अलगाव को सहन कर लेते हैं; किन्तु हमें दोनों की एकता के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिये। इस एकता का आधार क्या होगा? एकता का आधार जन-साधारण होंगे। हिन्दी और उर्दू ही जन-साधारण के लिए होंगी। हमारे सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका एक कारण यह भी है कि हम भाषा की वनावट के फेर में पड़ जाते हैं और इस प्रयत्न में हम जन-साधारण से सम्पर्क खो बैठते हैं। लेखक जो कुछ लिखते हैं वह किसके लिए? हरेक लेखक के ध्यान में, जान में या अनजान में, यह बात अवश्य रहती है कि वह जो-कुछ लिख रहा है, वह किसके लिए लिख रहा है? वह अपने दृष्टिकोण को किसके सामने रखना चाहता है? शिक्षा की कमी के कारण पाठकों की संख्या बहुत ही परिमित होती है; किन्तु यह परिमित संख्या भी काफ़ी होती है और धीरे-धीरे इस संख्या में वृद्धि ही होगी। यद्यपि मैं इस विषय में कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ; किन्तु फिर भी इतना अवश्य कहूँगा कि लेखक इस परिमित संख्या से भी लाभ नहीं उठाता है। उसे तो उस साहित्यिक समाज का ही ध्यान रहता है, जिसमें वह सदा विचरण करता रहता है और जो उसकी कृतियों की प्रशंसा करता है। वह उन्हींकी भाषा में लिखता है। उसके विचार जनता तक नहीं पहुँच पाते। यदि जनता तक पहुँचे भी तो वह उसे समझ नहीं पाती। इन कारणों के होते हुए यदि हिन्दी और उर्दू की पुस्तकों की खपत कम है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे समाचारपत्रों की वृद्धि न होने का भी यह एक कारण है। उनमें भी उसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग होता है।

हमारे लेखकों को चाहिए कि वे जन-साधारण को ही अपना पाठक समझें और जो कुछ भी लिखें वह उनके लिए ही लिखें। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि भाषा सरल होजायगी। जब किसी भी

भाषा में बनावट आने लगती है तो उगके नाग के दिन निकट आजाते हैं। भाषा के सरल होने के साथ-साथ यह बनावट भी दूर होजायगी, और ऐसे शब्द प्रयोग में आने लगेंगे जिनमें ओज और शक्ति भी अधिक होगी। अभीतक हममें से यह भावना दूर नहीं हुई है कि साहित्य और संस्कृति उच्च वर्गों की देन है। यदि हम इसी दृष्टिकोण से सोचते रहेंगे तो हम एक तम दायरे के अन्दर ही रह जायेंगे और जन-साधारण से जरा-सा भी सम्पर्क कायम न कर सकेंगे। संस्कृति का आधार अधिक विनाश होना चाहिए अर्थात् वह जन-साधारण पर अवलम्बित होनी चाहिए। भाषा संस्कृति का एक अंग है, अतः उसका आधार भी वही होना चाहिए जो संस्कृति का है।

जन-साधारण के निकट पहुँचने का सवाल सरल शब्दों या मुहावरों से सम्बन्ध नहीं रखता। उसका सम्बन्ध तो विचारों से और मुहावरों के उन भावों से है जिन्हें यह व्यक्त करते हैं। भाषा के द्वारा ही जन-साधारण से अपील की जाती है, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो उनके लिए उपयुक्त हो और उनके कष्टों, आशाओं और सुखों को पूरी तरह जाहिर कर सके। भाषा को एक छोटे-से वर्ग के जीवन का दर्पण न होकर जन-साधारण के जीवन का द्योतक होना चाहिए। इतना होने पर ही भाषा की जड़ें ज्यादा मजबूत हो सकती हैं और तभी उसे जन-साधारण का सहारा मिल सकता है।

यह बात केवल हिन्दी और उर्दू में ही नहीं, बल्कि भारत की सन्त भाषाओं से सम्बन्ध रखती है। मैं जानता हूँ कि उन सबमें इन्हीं विचारों का जोर हो रहा है और जन-साधारण की अधिक-से-अधिक चिन्ता बँधी जा रही है। इस मार्ग की गति और भी तेज होनी चाहिए। लेखकों का भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि वे इसे प्रोत्साहन दें।

मेरे विचार में इस बात की भी बड़ी जरूरत है कि हमारी भाषाओं का विदेशी भाषाओं से सम्पर्क स्थापित हो। प्राचीन और मौजूदा पुस्तकों का अनुवाद किया जाय। ऐसा करने से हमें दूसरे देशों की संस्कृति और साहित्य का ज्ञान होजायगा और हम उनके सामाजिक आन्दोलनों से भी



## हिन्दुस्तान की समस्याएँ

१२

रिचित होजायेंगे। नये विचारों से हमारी भाषा को भी ताकत मिलेगी। जन-साधारण से सम्पर्क बढ़ाने में बंगला सबसे आगे है। बंगला का साहित्य बंगाल की जनता के जीवन से दूर नहीं है। जन-साधारण और उच्च वर्ग के भेद को विश्वकवि टैगोर ने काफ़ी दूर कर दिया है। आज रवि बाबू की कवितायें ग्रामों के झोंपड़ों में भी सुनाई देती हैं। इससे बंगला के साहित्य में ही वृद्धि नहीं हुई, बल्कि बंगाल की जनता को भी प्रोत्साहन मिला है। बंगला बहुत शक्तिशाली भाषा बन गई है और उसमें सरल शब्दों के द्वारा बड़े-से-बड़े साहित्यिक मुहावरों को व्यक्त किया जा सकता है। इससे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपनी भाषा को भी यही रूप दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में गुजराती का भी जिक्र करना उचित जान पड़ता है। मैंने सुना है कि गाँधीजी की सरल भाषा का गुजराती पर बहुत प्रभाव पड़ा है।

२५ जुलाई १९३७।

## साहित्य की चुनियाद

हम लोग जो राजनैतिक क्षेत्र में काम करते हैं, वे देश के और ज़हरी पहलू अक्सर भूल जाते हैं। किसी देश की असल जागृति उसके नये साहित्य से मालूम होती है। क्योंकि उसमें जनता के नये-नये विचार और उमंगें निकलती हैं। जो जाति खाली पुराने साहित्य पर रहती है, चाहे वह कितनी ही जँची क्यों न हो, वह पूरी तौर से जीवित नहीं है और आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए अगर हिन्दुस्तान की आजकल की हालत का अन्दाज़ा किया जाय तो हमें उसके नये साहित्य को, जो इस देश की भिन्न-भिन्न भाषाओं में है, देखना चाहिए। इससे मालूम होता है कि एक नई जागृति जरूर हमारी सभी भाषाओं में है। हिन्दी, उर्दू, बंगला, गुजराती, मराठी इत्यादि। लेकिन फिर भी आजकल के क्रान्तिकारी समय में यह कुछ कम मालूम होती है। अनौतक हमने कोई बहुत अच्छे राष्ट्रीय गाने भी नहीं पैदा किये जो कि ऐसे समय में अक्सर पैदा होते हैं। चीन में भयानक लड़ाई हो रही है और बीस बरस में वहाँकी हालत बहुत खराब है, फिर भी वहाँके नये साहित्य ने बहुत तरक्की की है, और जानदार है। इसीसे असल अन्दाज़ा चीन के लोगों की अन्दरूनी शक्ति का है, और हमें विश्वास होता है कि वह किसी बाहरी हमले से दब नहीं सकती। इसलिए यह हमारे लिए ज़हरी है कि हम अपने साहित्य की तरफ़ काफी ध्यान दें और उसको एक नया रूप दें, जिसे वह नए हिन्दुस्तान की हलिया का एक आइना हो। हम हिन्दी और उर्दू या बंगला या किसी और भाषा की फिज़ूल बहसों में न पड़ें, बल्कि सभी की उन्नति की कोशिश करें। एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि उर्दू एकेडेमी यह काम उर्दू का करती है।

इसी तरह से हिन्दी-साहित्य के लिए भी काम करना चाहिए। और दोनों को मिलकर हिन्दुस्तानी साहित्य की मजबूत बुनियाद डालनी चाहिए। इस बात की हमें बहुत फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि हिन्दी और उर्दू में इस समय कितना फ़र्क है, अगर दोनों का उद्देश्य एक है—यानी आम जनता की भाषा की तरक्की—तब तो दोनों करीब आती जायँगी। बुनियादी बात यही है कि हमारे साहित्यकार इस बात को याद रखें कि उनको थोड़े-से आदमियों के लिए नहीं लिखना है; बल्कि आम जनता के लिए लिखना है। तब उनकी भाषा सरल होगी और देश की असली संस्कृति की ताकत उसमें आजायगी। वह ज़माना जाता रहा जब कि किसी देश की संस्कृति थोड़े-से ऊपर के आदमियों की थी। अब वह आम जनता की होती जाती है और वही साहित्य बढ़ेगा जो इस बात को सामने रखता है।

मुझे खुशी है कि दिल्ली में हिन्दी-परिपद् की बँठक होनेवाली है।<sup>१</sup> मैं आशा करता हूँ कि इसमें हमारे साहित्यकार सब मिलकर ऐसे रास्ते निकालेंगे, जिससे हिन्दी-साहित्य और मजबूत हो और फैले। उनका काम किसी और साहित्य के विरोध में नहीं है; बल्कि उनके सहयोग से आगे बढ़ना। उर्दू हिन्दी के बहुत करीब है और इन दोनों का नाता तो पास का रहे ही गा। लेकिन हमें तो विदेशी साहित्यों से भी फ़ायदा उठाना है; क्योंकि साहित्य की तरक्की विदेशों में बहुत हुई है और उससे हम बहुत-कुछ सीख सकते हैं।

आजकल की दुनिया में चारों तरफ़ लड़ाई, दंगा, फ़साद हाँ रहा है। हिन्दुस्तान में भी काफ़ी फ़साद है। और तरह-तरह की बहसें पेश होती हैं। ऐसे मौक़े पर यह और भी आवश्यक होता है कि हम अपनी नई संस्कृति की ऐसी बुनियाद रखें, जिसमें आजकल की दुनिया के विचार जम सकें। और जब हमारे सामने पेचीदा मसले आयें तो हम बहके-बहके न फिरें। संस्कृति को एक ऐसा पारस पत्थर होना चाहिए जिससे हर चीज़ की आजमाइश हो सके। अगर किसी जाति के पास यह

१. यह बँठक १४, १५ और १६ अप्रैल १९३९ को हुई।



## स्नातिकायें क्या करें ?

बहुत वर्ष पहले मुझे महिला-विद्यापीठ के हाल के शिलारोपण का सौभाग्य मिला था। इन हाल ही के वरसों में इतनी बातें होगई हैं कि समय का मुझे ठीक-ठीक अन्दाज़ नहीं रहा और थोड़े साल भी बहुत ज्यादा लगते हैं। तबसे बराबर मैं राजनैतिक बातों में और सीधी लड़ाई में फँसा रहा हूँ और हिन्दुस्तान की आज़ादी की लड़ाई मेरे दिमाग पर चढ़ी रही है। महिला-विद्यापीठ से मेरा सम्बन्ध नहीं रह सका। पिछले चार महीनों में, जिनमें मैं जेल की दीवारों के बाहर की विस्तृत दुनिया में रहा हूँ, मेरे लिए बहुतने बुलावे आये हैं, और बहुतसी सार्वजनिक कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के निमन्त्रण मिले हैं। इन बुलावों की ओर मैंने ध्यान नहीं दिया और सार्वजनिक कार्रवाइयों से भी दूर रहा हूँ; क्योंकि मेरे कान तो बस एक ही बुलावे के लिए खुले थे और उसी एक उद्देश्य में मेरी सारी शक्ति लगी थी। वह बुलावा था हमारी दुखी और बहुत समय से कुचली जाने वाली मातृभूमि—भारत—का, और खास तौर से हमारी दीन, गोपित जनता का। और वह उद्देश्य था हिन्दुस्तानियों की मुकम्मिल आज़ादी।

इसलिए इस अहम मसले से हटकर दूसरी और मामूली बातों की ओर जाने से मैंने इन्कार कर दिया था। उन बातों में से कुछ अपने सीमित क्षेत्र में महत्व भी रखती थीं। लेकिन जब श्री संगमलाल अग्रवाल मेरे पास आये और जोर दिया कि मैं महिला-विद्यापीठ का दीक्षांत-भाषण दूँ ही, तो उनकी अपील का विरोध करना मुझे मुश्किल जान पड़ा; क्योंकि उस अपील के पीछे हिन्दुस्तान की लड़कियाँ अपनी जिन्दगी की देहलीज़ पर चिरकाल के बन्धन से स्वतंत्र होने की कोशिश करती और

विवशता के साथ भविष्य की ताकती दिखाई दो, यद्यपि जवानों के उत्साह में उनकी आँखों में आशा थी।

इसलिए खास हालत में और विवशता के साथ मैं राजी हुआ। मुझे आशा नहीं थी कि उममें भी जरूरी बुलावा और कहींसे नहीं आ-जायगा। और अब मैं देखता हूँ कि वह जरूरी बुलावा बेहद पीड़ित बंगाल के मूबों से आया है। वहाँ जाना मेरे लिए जरूरी है और यह भी मुमकिन है कि महिला-विद्यापीठ के कन्वोकेशन के वक्त पर न लौट सकूँ। इसके लिए मुझे दुःख है, और मैं यही कर सकता हूँ कि उमके लिए सन्देश छोड़ जाऊँ।

अगर हमारे राष्ट्र को ऊँचा उठना है, तो वह कैसे उठ सकता है जब तक कि आधा राष्ट्र—हमारा महिला-समाज—विछड़ा रहता है, अज्ञान और कुपट रहता है ? हमारे बच्चे किस प्रकार हिन्दुस्तान के सभ्य और प्रवीण नागरिक हो सकते हैं, अगर उनकी मानाये खुद सभ्य और प्रवीण नहीं हैं ? हमारा इतिहास हमें बहुतसी चतुर और ऐसी औरतों के हवाले देता है जो सच्ची थी और मरते दम तक यहादुर रहीं। उनके उदाहरणों का हमारे लिए मूल्य है, उनमें हमें प्रेरणा मिलती है। फिर भी हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान में तथा दूसरी जगहों में औरतों की हालत कितनी दीन है। हमारी सभ्यता, हमारे रीति-रिवाज, हमारे कानून सब आदमी ने बनाये हैं, और आदमी ने अपनेको ऊँची हालत में रखने का और स्त्रियों के साथ बर्तनों और खिलौनों-जैसा बर्ताव करने और अपने फायदे और मनोरंजन के लिए उनका शोषण करने का पूरा ध्यान रक्खा है। इस लगातार बोझ के नीचे दबी रहकर औरने अपनी शक्ति पूरी तरह से नहीं बड़ा पाई और तब आदमी उन्हें विछड़ी हुई होने का दोष देता है।

धीरे-धीरे कुछ पश्चिमी देशों में औरतों को कुछ आजादी मिल गई है; लेकिन हिन्दुस्तान में हम अब भी विछड़े हुई हैं, हालाँकि उन्नति की भावना यहाँ भी पैदा होगई है। यहाँपर बहुतसी सामाजिक बुराइयाँ हैं जिनमें हमें लड़ना है, और बहुतसे पुराने रीति-रिवाज जो हमें बाँधे हुए

हैं और जो हमें अवनति की ओर ले जाते हैं, उन्हें तोड़ना है। पुरुष और स्त्रियाँ, पौधों और फूलों की तरह आजादी की धूप और ताजा हवा में ही बढ़ सकती हैं। विदेशी शासन की अन्धेरी छाया और गला घोटने-वाले वायुमण्डल में तो वे अपनी शक्ति क्षीण करती हैं।

इसलिए सबके सामने बड़ी समस्या यह है कि किस तरह हिन्दुस्तान को आजाद करें और हिन्दुस्तानी जनता पर लदे हुए बोझ को कैसे दूर करें? लेकिन हिन्दुस्तान की औरतों का तो एक और काम है, वह यह कि वे आदमी के बनाए हुए रीति-रिवाजों और कानूनों के जुल्म से अपने को मुक्त करें। इस दूसरी लड़ाई को उन्हें खुद ही लड़ना होगा; क्योंकि आदमी से उन्हें मदद मिलने की सम्भावना नहीं है।

कन्वोकेशन के अवसर पर मौजूद बहुतसी लड़कियाँ और स्त्रियाँ अपनी पढ़ाई खत्म कर चुकी होंगी, डिग्री ले चुकी होंगी और एक बड़े क्षेत्र में काम करने के लिए अपनेको तैयार कर चुकी होंगी। इस विस्तृत दुनिया के लिए वे किन आदर्शों को लेकर जायँगी और कौनसी अन्दरूनी भावना उन्हें स्वरूप देगी और उनके कामों की देखभाल करेगी? मुझे डर है, उनमें से बहुतसी तो रोज़मर्रा के रूखे घरेलू कामों में फँस जायँगी और कभी-कभी ही आदर्शों या दूसरे दायित्वों की बात सोचेंगी। बहुतसी सिर्फ़ रोटी कमाने की बात सोचेंगी। इसमें सन्देह नहीं कि ये दोनों चीज़ें भी जरूरी हैं; लेकिन अगर महिला-विद्यापीठ ने सिर्फ़ यही अपने विद्यार्थियों को सिखाया है, तो उसने अपने उद्देश्य को पूरा नहीं किया। अगर किसी विद्यालय का औचित्य है तो वह यह कि वह सचाई, आजादी और न्याय के पक्ष में शूरवीरों को तैयार करे और दुनिया में भेजे। वे शूरवीर दमन और बुराइयों के विरुद्ध निर्भय युद्ध करें। मुझे उम्मीद है कि आपमें से कुछ ऐसी हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो अँधेरी और बुरी घाटियों में पड़ी रहने की वनिस्वत पहाड़ पर चढ़ना और खतरों का मुक्ताविला करना पसन्द करेंगी।

लेकिन हमारे विद्यालय पहाड़ पर चढ़ने में प्रोत्साहन नहीं देते। वे तो चाहते हैं कि नीचे के देश और घाटी सुरक्षित रहें। वे मौलिकता

और आजादी को प्रोत्साहन नहीं देते और हमारे विदेशी शासकों के सच्चे वक्त्रों की भाँति ऊपर से शासन और व्यवस्था का थोपा जाना उन्हें पसन्द है। इसमें ताज्जुब ही क्या है, अगर उनके काम निराशाजनक, बेकार और क्षीण हैं और हमारी बदलती हुई दुनिया में ठीक नहीं बैठते हैं !

हमारे विद्यालयों की बहुतों ने आलोचना की है। उनमें से बहुत-सी आलोचनाएँ ठीक भी हैं। वास्तव में मुश्किल से किसीने हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों की तारीफ़ की है। लेकिन आलोचकों ने भी विद्यालय का शिक्षा का उच्चवर्गीय साधन माना है। उसका जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है। शिक्षा को जड़ें धरती में होकर नीचे जनता तक पहुँचनी चाहिए अगर शिक्षा को वास्तविक और राष्ट्रीय होना है। हमारी विदेशी सरकार और पुरानी दुनिया के रीति-रिवाज के कारण, यह आज संभव नहीं है। लेकिन आपमें से जो विद्यापीठ से निकलकर दूसरों की शिक्षा में मदद देंगी, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और तब्दीली के लिए कोशिश करनी चाहिए।

कभी-कभी कहा जाता है, और मेरा विश्वास है कि विद्यापीठ खुद इस बात पर जोर देता है, कि स्त्रियों की शिक्षा आदमियों की शिक्षा से जुदा होनी चाहिए। स्त्रियों को घरेलू कामों के लिए और खूब प्रचलित शादी के पेशे के लिए तैयार किया जाना चाहिए। मैं स्त्री-शिक्षा के इस सीमित और एकपक्षीय विचार से सहमत नहीं हो सकूँगा। मेरा विश्वास है कि स्त्रियों को मानवीय कामों के प्रत्येक विभाग में सर्वोत्कृष्ट शिक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें तैयार किया जाना चाहिए जिससे वे तमाम पेशों में और क्षेत्रों में सक्रिय भाग ले सकें। खास तौर से शादी को पेशा समझने और स्त्री के लिए उसे एकमात्र आर्थिक सहारा मानने की आदत को दूर करना होगा। तभी स्त्री को आजादी मिल सकती है। आजादी राजनैतिक की वनिस्वत आर्थिक हालातों पर निर्भर होती है। अगर स्त्री आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है और अपनी आजीविका स्वयं पैदा नहीं करती तो उसे अपने पति या और किसीपर निर्भर रहना होगा, और



दूसरों पर निर्भर रहनेवाले कभी आजाद नहीं होते। स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध विलकुल आजादी का होना चाहिए, एक-दूसरे पर निर्भर होने का नहीं।

विद्यापीठ की ग्रेजुएटों, बाहर जाकर आपका क्या कर्तव्य होगा ? क्या आप सब बातों को जैसी वे हैं, चाहे जितनी बुरी वे हों, स्वीकार कर लेंगी ? क्या अच्छी बातों के प्रति हार्दिक और बेकार सहानुभूति दिखाकर ही संतुष्ट होजायगी, और कुछ करेंगी नहीं ? या अपनी शिक्षा का औचित्य नहीं दिखावेगी और बुराइयाँ जो आपको घेरे हुए हैं उनका विरोध करके अपनी शक्ति आप सावित नहीं करेंगी ? क्या आप पर्दे के, जो हैवानी युग का एक दोषपूर्ण अवशेष है और जो हमारी बहुत-सी बहनों के दिलोदिमाग को जकड़े हुए है, टुकड़े-टुकड़े नहीं कर डालेंगी और उन टुकड़ों को नहीं जला देंगी ? अस्पृश्यता और जाति से, जो मानवता का पतन करती हैं और जो एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करने में मदद देती है, क्या आप नहीं लड़ेंगी और इस तरह मुल्क में बराबरी पैदा करने में मदद नहीं देंगी ? हमारे शादी के बहुतसे कानून हैं और प्राचीन रीति-रिवाजे हैं, जो हमें पीछे रोके हुए हैं और खास तौर से हमारी स्त्रियों को कुचलते हैं, क्या आप उनसे मोरचा नहीं लेंगी और उन्हें मौजूदा हालतों के साथ नहीं लायेंगी ? क्या आप खुली हवा में खेल-कूद और व्यायाम और रहन-सहन से स्त्रियों के शरीर को पुष्ट करने के लिए, जिससे हिन्दुस्तान में मजबूत, तन्दुरुस्त और सुन्दर स्त्रियाँ और खुश बच्चे हों, आप शक्ति और दृढ़ता के साथ नहीं लड़ेंगी ? और सबसे ऊपर, क्या आप राष्ट्रीय और सामाजिक स्वतन्त्रता की लड़ाई में, जो आज हमारे मुल्क में हलचल मचाये हुए है, एक बहादुराना हिस्सा नहीं लेंगी ?

ये बहुत-से सवाल मैंने आपसे किये हैं; लेकिन उनके जवाब उन हजारों बहादुर लड़कियों और स्त्रियों से मिल गये हैं जिन्होंने पिछले चार सालों में हमारी आजादी की जंग में खास हिस्सा लिया है। सार्व-जनिक काम करने की आदत न होने पर भी घर-बार का सहारा छोड़-

कर हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में अपने भाइयों के साथ कंधे-में कंधा मिलाकर खड़ी हुई उन बहनों को देखकर कौन नहीं काँप उठा ? बहुत-से आदमियों को जो अपनेको आदमी कहते थे, उन्होंने लज्जा से भर दिया और दुनिया को घोषित कर दिया कि हिन्दुस्तान की औरतें भी अपनी लम्बी नीद से उठ बैठी हैं और अब उनके अधिकारों में इन्कार नहीं किया जा सकता ।

हिन्दुस्तान की औरतों ने मेरे मन्त्रालो के जवाब दे दिये हैं और इसलिए महिला-विद्यापीठ की लड़कियों और स्त्रियों, मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ और आपके हाथ में यह जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि आप आजादी की मसाल को प्रज्वलित रखें, जबतक कि उसकी लपटें हमारे इस प्राचीन और प्रिय देश में सब जगह न फैल जावे ।

## हिन्दुस्तान और वर्तमान महायुद्ध

घटना-चक्र तेजी से चल रहा है। अदम्य प्रेरणा उसे आगे बढ़ाती है और एक घटना दूसरी से आगे बढ़ जाती है। भौतिक शक्तियाँ दुनिया को इधर-उधर दौड़ा रही हैं और उन आयोजनाओं को घृणा की दृष्टि से देख रही हैं जिन्हें अधिकार-प्राप्त लोग चलाना चाहते हैं। आदमी और औरतें भाग्य के हाथ के खिलौने हो रहे हैं और लड़ाई के उबलते भँवर में खिन्ने आ रहे हैं। हम सब किधर जायेंगे, और इस संघर्ष का जिसमें कि राष्ट्र अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए बेतहाशा लड़ रहे हैं, क्या होगा, यह कोई नहीं कह सकता। फिर भी हम दुनिया के अपने अध्ययन से कह सकते हैं कि दुनिया हमारी आँखों के सामने नष्ट हुई जा रही है। आगे क्या होगा, यह कोई नहीं जानता।

दुनिया के इस महत्वपूर्ण दुखान्त नाटक में हिन्दुस्तान क्या भाग लेगा? कांग्रेस की कार्य-समिति ने प्रभावशाली और गौरवपूर्ण शब्दों में वह मार्ग बता दिया है, जिसपर हमें चलना है। हालांकि अंतिम निश्चय अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी निश्चय करनेवाले वुनियादी सिद्धान्त बना दिये गये हैं। वुनियादी फैसला तो पहले ही होगया है और मौजूदा हालतों के अनुसार उसे कैसे अमल में लाया जाय, यही बात अभी तय करने के लिए है। उसका अमल में लाना अब तो इस बात पर निर्भर है कि कहाँ तक उन वुनियादी सिद्धान्तों को ब्रिटिश सरकार स्वीकार करती है और अमल में लाती है। संक्षेप में, हिन्दुस्तान अब कभी भी इस बात पर राजी नहीं हो सकता कि वह साम्राज्य का एक भाग रहे, न वह यह चाहेगा कि उसे गुलाम राष्ट्र माना जाय जो दूसरों के हुकम पर नाचता फिरे। चाहे शान्ति हो या युद्ध, हिन्दुस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत से काम करने का हक होना चाहिए।

हाल ही के इतिहास में कोई भी चीज इतने अचरज की नहीं है जितना कि लड़ाई के पहले ब्रिटिश-सरकार का पूरी तरह से दिवालिया-पन है। यह सचाई के साथ कहा जा सकता है कि अपनी ही नीति से उसने अपनी सारी भुसीबनें अपने और दुनिया के ऊपर बुलाई हैं। मंचूरिया, एथियोपिया, जैकोस्लोवेकिया, स्पेन और पिछले साल सोवियट रूस के साथ किया गया अपमानजनक व्यवहार, इन सब के कारण धीरे-धीरे विश्वमकट पास-मे-पास आगया है और अब हम सबको उस सकट में डूबना पड़ा है। इंग्लैंड बहादुरी और दृढ़ता के साथ सकट का मुकाबिला कर रहा है; लेकिन उसे अपनी पुरानी नीति के भारी बोझ को भी तो उठाना है और उसी नीति को ध्यान में रखकर उसने प्रजातन्त्र और आजादी के बारे में जो घोषणा की है उसका कोई मूल्य नहीं है। अब भी उस बोझ को उतार फेंकने का और साम्राज्यवादी परम्परा को छोड़ने का उसे मौका दिया गया है। इस तरह सब साथी एक हैसियत से सबकी आजादी के ध्येय की तरफ बिना रुकावट के बढ़ें, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। क्या ब्रिटिश-सरकार इतनी बुद्धिमान और महान् है कि राजी में इस रास्ते पर श्रद्धापूर्वक चलेगी ?

अबतक तो उसने बुद्धिमानों का बहुत ही अभाव दिखाया है और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में कुछ ऐसी कारंवाइरियाँ भी की हैं जो भारतीयों की इच्छा के एकदम प्रतिकूल हैं। क्या वह सोचती है कि वह जनता जिसमें स्वाभिमान है और जिसे अपनी शक्ति का ज्ञान है, ऐसे व्यवहार को स्वीकार कर सकती है ? हिन्दुस्तान अब विदेशी सत्ता के हुक्म पर चलने के लिए न खींचा जा सकता है, न बाध्य किया जा सकता है। समय आगया है कि साम्राज्य की भावना का अन्त कर दिया जाय और स्वतन्त्र राष्ट्रों की मित्रता और सहयोग प्राप्त किया जाय। बराबरी की हैसियत की शर्त पर हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र देग माना जाना चाहिए और वैसे ही उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। ऐसा न किया गया तो उससे मघर्ष होगा और वह सब राष्ट्रों के लिए घदकिस्मती का बायस होगा।

दूसरे आदमियों की तरह, हमारे अपने आदमियों के लिए भी यह

भारी परीक्षा का समय है। अगर हम इस परीक्षा में असफल हुए तो पीछे रह जायेंगे और दूसरे आगे बढ़ जायेंगे। हम इस दल या उस दल, यह जमात या यह मजहबी दल या वह, या उग्र या नरम पक्ष की परिभाषा में नहीं सोच सकते। सोचना भी नहीं चाहिए। हिन्दुस्तान और दुनिया की आजादी के महान लक्ष्य के लिए राष्ट्रीय संगठन की इस समय जरूरत है। अगर हम अपने मामूली कलहों को जारी रखें, अपने मतभेदों पर जोर दें, एक-दूसरे में बुरे हेतुओं की आशंका करें, और किसी दल या पार्टी के लिए फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, तो उससे हमारा ही छोटापन जाहिर होता है, जब कि बड़े मामले खतरे में हैं। उससे तो हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तानियों को हानि ही पहुँचाई जाती है।

काँग्रेस की कार्यसमिति ने मार्ग बताया है। भारत ने आवाज़ उठाई है, और उसकी पुकार ने हमारे हृदयों में प्रतिध्वनि पैदा की है। हम सबको उसीपर चलना चाहिए और इस संकट के समय में आवाज़ाकशी नहीं करनी चाहिए। हरेक काँग्रेसमैन को चाहिए कि सोच-समझकर कुछ कहे या करे, ताकि वह कुछ ऐसा न कहे या करे जिससे राष्ट्र के इरादे में कोई कमजोरी आवे या उससे काँग्रेस की शान कम हो। हम सब एक हैं, एकसाथ बोलते हैं और हिन्दुस्तान के लिए, जिसके प्रेम से अबतक हमने प्रेरणा पाई है और जिसकी सेवा हमारा परमसौभाग्य रहा है, हम एक साथ काम करेंगे। भविष्य हमें इशारा कर रहा है। आइए, आजादी के ध्येय की ओर हम सब एकसाथ बढ़ें !

२१ सितम्बर १९३९।

## कांग्रेस का भविष्यः

हर गुरुन हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक मसले के महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन जिस तरीके से उसे आगे लाया जा रहा है, वह अमली कठिनाइयों में बचने की बस कोणिस है, जैसा कि कांग्रेस कार्य-मिति ने कहा है। कांग्रेस इस सवाल के हरेक पहलू पर विचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार और राजी है। लेकिन इस साम्प्रदायिक मसले को ब्रिटिश सरकार के हाथ में देना तो उसे राजनैतिक प्रगति को रोकने का एक बहाना बनाना है। कहा जाना है कि कांग्रेस तमाम हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करती। बेशक नहीं करती। उसके जो विरोधी हैं, उनका प्रतिनिधित्व वह नहीं करती। लेकिन कांग्रेस के बारे में जो कुछ कहा गया है, वह यह है कि वह तमाम हिन्दुस्तान की तरफ से बालने का प्रयत्न और दावा करती है और वह उनसे बिल्कुल जुदा बान है। इसका मतलब यह है कि वह जो कुछ मांगती है, वह किसी छान दल, या जाति के लिए नहीं है, बल्कि तमाम राष्ट्र के लिए मांगती है। मैं गुवाल भी नहीं कर सकता कि किस तरह कोई भी हिन्दुस्तानी दल मांग पर ध्यानति कर सकता है, हालांकि लोग यह समते हैं कि हिन्दुस्तान की उम मांग में अल्प-मस्यकों के जैसे खान हिनॉ की हिक उन हॉनी चाहिए। कांग्रेस की यह मांग जनतंत्र की बुनियाद पर है, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य हिन्दुस्तान में जनतंत्रीय राज्य कायम करने का है। जनतंत्र में अल्प-मस्यकों के रू और हिनॉ की रक्षा बाहर नहीं रहती। लेकिन यह तो एक बाहियात गत होगी अगर अल्प-मस्यकों के नाम पर जनतंत्र को ही छोट दिया जाय।

१. बम्बई में २५ अस्तुबर १९३९ ई० को हुई प्रेस-कांग्रेस में गिडित जवाहरलाल नेहरू से किए गये सवालों के जवाब।

भारी परीक्षा का समय है। अगर हम इस परीक्षा में असफल हुए तो पीछे रह जायेंगे और दूसरे आगे बढ़ जायेंगे। हम इस दल या उस दल, यह जमात या यह मजहबी दल या वह, या उग्र या नरम पक्ष की परिभाषा में नहीं सोच सकते। सोचना भी नहीं चाहिए। हिन्दुस्तान और दुनिया की आजादी के महान लक्ष्य के लिए राष्ट्रीय संगठन की इस समय जरूरत है। अगर हम अपने मामूली कलहों को जारी रखें, अपने मतभेदों पर जोर दें, एक-दूसरे में दुरे हेतुओं की आशंका करें, और किसी दल या पार्टी के लिए फायदा उठाने की कोशिश करें, तो उससे हमारा ही छोटापन जाहिर होता है, जब कि बड़े मसले खतरे में हैं। उससे तो हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तानियों को हानि ही पहुँचाई जाती है। कांग्रेस की कार्यसमिति ने मार्ग बताया है। भारत ने आवाज उठाई है, और उसकी पुकार ने हमारे हृदयों में प्रतिध्वनि पैदा की है। हम सबको उसीपर चलना चाहिए और इस संकट के समय में आवाजाकशी नहीं करनी चाहिए। हरेक कांग्रेसमैन को चाहिए कि सोच-समझकर कुछ कहे या करे, ताकि वह कुछ ऐसा न कहे या करे जिससे राष्ट्र के इरादों में कोई कमजोरी आवे या उससे कांग्रेस की शान कम हो। हम सब एक ही हैं, एकसाथ बोलते हैं और हिन्दुस्तान के लिए, जिसके प्रेम से अब हमने प्रेरणा पाई है और जिसकी सेवा हमारा परमसौभाग्य रहा है, एक साथ काम करेंगे। भविष्य हमें इशारा कर रहा है। आइए, आगे के ध्येय की ओर हम सब एकसाथ बढ़ें !

२१ सितम्बर १९३९।

## कांग्रेस का भविष्य?

हर राष्ट्र हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक मसले के महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन जिस तरीके से उसे आगे लाया जा रहा है, वह असली कठिनाइयों में बचने की बस कोशिश है, जैसा कि कांग्रेस कार्य-समिति ने कहा है। कांग्रेस इस सवाल के हरेक पहलू पर विचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार और राजी है। लेकिन इस साम्प्रदायिक मसले को ब्रिटिश सरकार के हाथ में देना तो उसे राजनैतिक प्रगति को रोकने का एक बहाना बनाना है। कहा जाता है कि कांग्रेस तमाम हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करती। बेशक नहीं करती। उसके जो विरोधी हैं, उनका प्रतिनिधित्व वह नहीं करती। लेकिन कांग्रेस के बारे में जो कुछ कहा गया है, वह यह है कि वह तमाम हिन्दुस्तान की तरफ से बालने का प्रयत्न और दावा करती है और यह उसमें बिल्कुल जुदा बात है। इसका मतलब यह है कि वह जो कुछ मांगती है, वह किसी खास दल, या जाति के लिए नहीं है, बल्कि तमाम राष्ट्र के लिए मांगती है। मैं खयाल भी नहीं कर सकता कि किन्हीं तरह कोई भी हिन्दुस्तानी इस मांग पर आपत्ति कर सकता है, हालांकि लोग कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान की उस मांग में अल्प-संख्यकों के जैसे खास हितों की हिफाजत होनी चाहिए। कांग्रेस की यह मांग जनतंत्र की बुनियाद पर है, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य हिन्दुस्तान में जनतंत्रीय राज्य कायम करने का है। जनतंत्र से अल्प-संख्यकों के हक और हितों की रक्षा बाहर नहीं रहती। लेकिन यह तो एक बाह्यात बात होगी अगर अल्प-संख्यकों के नाम पर जनतंत्र को ही छोट दिया जाय।

१. दिसम्बर में २५ अक्टूबर १९३९ ई० को हुई प्रेस-कान्फ्रेंस में पण्डित जवाहरलाल नेहरू से किए गये सवालों के जवाब।



हिन्दुस्तान में जनतंत्र हुकूमत के तीन पक्ष हो सकते हैं—फ्रांसिज्म, सोवियटिज्म या विदेशी शासन के नीचे हिन्दुस्तान का बराबर गुलाम रहना। इसके सिवाय और किसी पक्ष का मैं विचार नहीं कर सकता। मैं यह मान लेता हूँ कि हम सब इस बात पर एकराय हैं कि हिन्दुस्तान में हम फ्रांसिज्म नहीं चाहते, और न निश्चय ही हम हिन्दुस्तान में विदेशी हुकूमत चाहते हैं। इसलिए हमारे सामने सिर्फ़ एक ही पक्ष सोवियट हुकूमत का रूप रह जाता है जो जातंत्र तक पहुँच भी सकता है और नहीं भी पहुँच सकता। हाल ही में हिन्दुस्तान में जनतंत्र के आदर्श की बहुत-से लोगों ने आलोचना की है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह भी सोचा है या नहीं कि उस आदर्श को छोड़ देने का अनिवार्य नतीजा क्या होगा। हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत में मैं जनतंत्र के सिवाय और कोई लक्ष्य नहीं देखता। अल्प-संख्यकों को मुनासिब संरक्षण दे देने से जनतंत्र उससे संबंध रखने वाले हरेक आदमी के लिए सबसे अच्छा होगा। बेशक बहुसंख्यक हमेशा बहुसंख्यक रहेंगे। कोई भी चीज बहुसंख्यक समाज का अल्पसंख्यक समाज में तब्दील नहीं कर सकती। हाँ, यह सिर्फ़ फ्रांसिस्ट या फ़ौजी गुटबन्दी से संभव हो सकता है। जहाँतक मुसलमानों का संबंध है, वहाँ तक बहुसंख्यक और अल्प-संख्यक की परिभाषा में बात करना मुशालते की बात होगी। एक सात करोड़ का मजहबी जमात अल्पसंख्यक नहीं समझा जा सकता। मुसलमान तमाम हिन्दुस्तान में फँके हुए हैं और कुछ सूबों में उनका बहुमत भी है और ऐसे सूबों में अल्पसंख्यकों का मसला वाक़ी हिन्दुस्तान के मसले से एकदम भिन्न है।

यह मैं ज़रा भी ख्याल नहीं कर सकता कि ऐसी हालतों में हिन्दू मुसलमानों को सता सकते हैं, या मुसलमान हिन्दुओं पर ज़ुल्म कर सकते हैं; या यह कि हिन्दू और मुसलमान दोनों मिलकर मजहबी जमात के रूप में और किसी पर अत्याचार कर सकेंगे। सिख संख्या में बहुत कम हैं; लेकिन मैं नहीं सोचता कि ज़रा भी मौक़ा इस बात का हो सकता है कि कोई उन्हें सतावे। यह बदकिस्मती की बात है कि इस साम्प्रदायिक सवाल ने यह नई शकल अस्तित्थार करली है और हिन्दुस्तान की आज़ादी

के रास्ते में रोड़े के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

पिछले दो सालों में कांग्रेस और कांग्रेसी सरकारों के खिलाफ मुसलमानों को कुचलने और उनपर जुल्म करने के भारी इत्जामों से मुझे जितना अचरज और दुःख हुआ है, उतना और किसी बात से नहीं हुआ। कांग्रेस सरकारों ने बहुत-से महकमों के संबंध में बहुत-सी भूलें की हैं, जैसा कि स्वाभाविक था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे पूरा यकीन है कि अल्प-संख्यकों के साथ बर्ताव करने में उन्होंने इस बात का ज्यादा-से-ज्यादा खयाल रक्खा है कि उनके हकों को चोट न आवे। अनिश्चित इत्जामों की निष्पक्ष जांच के लिए हमने कई दफा प्रस्ताव किया है और अभी तक हमारा वह प्रस्ताव कायम है। इस पर भी वैशुनियानुवाद वक्तव्य दिए जाने जारी है। जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है, वह साम्प्रदायिक या अल्प-संख्यकों के सवाल के सब पहलुओं पर विचार करने के लिए आज भी तैयार है, जैसी कि वह हमेशा रही है, जिसमें सब आसकामें और शुरुआत दूर हो जाय और सतोंप-जनक फैसला हो जाय। लेकिन कांग्रेस ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर सकती जो हिन्दुस्तान की एकता और आजादी के खिलाफ जाता हो और जो जनतंत्र के आदर्शों की मुखालिफत करता हो।

हमारी लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ है। हम अपने किसी देशवासी या देश की सस्या में नहीं लडना चाहते। यह हिन्दुस्तान की बदकिस्मती है अगर कोई भी हिन्दुस्तानी या कोई सस्या ब्रिटिश साम्राज्यवाद से सधि करती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हिन्दुस्तान ऐसी बदकिस्मती से बच जायगा।

ऐसे संकट का, जैसा कि आजकल है, एक बड़ा फायदा यह है कि वे लोगों और सस्याओं को अपना असली रूप दिखाने के लिए मजबूर करते हैं। तब अनिश्चित शब्दों का कहना और बड़ी-बड़ी बातें बनाना, नामुमकिन हो जाता है; क्योंकि उन बातों को अमल में लाना होता है। इस तरह मौजूदा संकट का नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान की राजनीति से वह कोहरा दूर हो जायगा जिसकी वजह से मसले गड़बड़ में

पड़ गए हैं और जनता समझ जायगी कि लोगों के और संस्थाओं के उद्देश्य क्या हैं।

कांग्रेस के भविष्य पर कुछ कहना स्पष्टतः मेरे लिए मुश्किल है। वह बहुत-सी बातों पर मुनहसिर है। मंत्रियों का स्तीफ़ा ही अपनेआप में एक भारी बात है। यह भारी बात न होती, लेकिन जिस खास हालत में यह फैसला किया है, वह एक भारी बात है। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सारी मशीनरी के खिलाफ़ असहयोग का क्रदम है। इसका महान् परिणाम होंगे और हम चाहते हैं कि मुल्क उन परिणामों के लिए तैयार रहे। वे परिणाम कब और किस रूप में हमारे सामने आवेंगे, यह इस हालत में बताना मेरे लिए ठीक नहीं है। आजकल जैसे हालात हैं, उनमें एकदम अलगाव रखना क़रीब-क़रीब नामुमकिन है।

## कांग्रेस और वर्तमान महायुद्ध

यूरोप में लड़ाई की घोषणा के कारण जो विषम सङ्कटापन्न परिस्थिति पैदा होगई है, उसपर बकिंग कमेटी ने अच्छी तरह विचार किया। युद्ध के समय राष्ट्रों को जिन उम्मीलों के अनुसार काम करना चाहिए, उनकी चर्चा कांग्रेस ने बराबर की है, और अभी केवल एक ही महीना हुआ, जब कि इस कमेटी ने उन उम्मीलों को दोहराया था और हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह भारतीय लोकमत की उम्मेसा की, उसपर कमेटी अपनी नाराजी भी जाहिर कर चुकी है। ब्रिटिश सरकार की इस नीति से अपने को अलग रखने के लिए कांग्रेस ने पहला कदम यह रक्खा कि उसने केन्द्रीय धारासभा के कांग्रेसी सदस्यों का नामा के अग्रे अधिवेशन में जाने से मना कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को एक लडाकू राष्ट्र घोषित कर दिया, आर्डिनेस जारी कर दिये, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट संशोधन बिल पास किया, और ऐसी कई व्यवस्थाएँ कीं, जिनका असर हिन्दुस्तान की जनता पर पड़ता है और जिनसे प्रान्तीय सरकारों के कार्य परिमित हो जाते हैं। यह सब हिन्दुस्तान की जनता से बगैर पूछे ही किया गया। भारतीय प्रजा ऐसे मानलों में अपनी जिन इच्छाओं को घोषित कर चुकी है उनकी ब्रिटिश सरकार ने जान-बूझ कर उम्मेसा की है। बकिंग कमेटी इन सब परिस्थितियों को बहुत ही गम्भीरता से ग्रहण करेगी। कांग्रेस ने अक्सर फ्रांसिजन और नाज़ीवाद के सिद्धान्तों और उनके युद्ध और हिंसा-भ्रम की निन्दा की है, जिनके

१. कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्तमान महायुद्ध के बारे में यह व्यवस्थित किया था। इसके बनाने में पं० जवाहरलालजी का काफ़ी हाथ था। इसलिए उसे यहाँ दिया जाता है। —सम्पादक

जरिये मानवता का दलन होता है। काँग्रेस ने उनके आक्रमण करने की चेष्टा और उग्रता का विरोध किया है, और सम्य संसार के माने हुए व्यवहार को जिस तरह उन्होंने ठुकराया है, उसकी भी काँग्रेस ने निन्दा की है। काँग्रेस ने अक्सर फासिज्म और नाज़ीवाद में साम्राज्यवादी सिद्धान्तों को देखा, जिनके विरुद्ध भारतवासी खुद लड़ाई जारी किये हुए हैं। इसलिए वर्किंग कमेटी जर्मनी की नाज़ी-सरकार के ताज़े हमले की बिना संकोच निन्दा करते हुए पोलैण्ड के साथ हमदर्दी रखती है, जो इस समय नज़ियों का मुक्काविला कर रहा है।

काँग्रेस ने यह कह दिया है कि हिन्दुस्तान के लिए युद्ध या शान्ति-सम्बन्धी बातों का निर्णय करनेवाला खुद हिन्दुस्तान है, और कोई भारतीय अविकारी यह निर्णय हिन्दुस्तान पर नहीं लाद सकता, और न भारतवासी इसकी इजाज़त ही देंगे कि उनके साधनों से साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरे किये जायें। अगर भारतवासियों पर वैसा कोई निर्णय लादा गया, या उनकी मंजूरी के बगैर भारतीय साधनों से काम लिया गया तो वे इसकी निश्चय ही मुखालिफ़त करेंगे। अगर एक अच्छे उद्देश्य के लिए सहयोग प्राप्त करने की इच्छा है तो ऐसा सहयोग ज़बर्दस्ती नहीं पाया जा सकता, और बाहरी अविकारियों द्वारा प्रकाशित की गई आज्ञाओं को कमेटी पूरा नहीं होने दे सकती। सहयोग तो बराबरवालों में होना चाहिए, जिसमें एकसमान उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों पारस्परिक स्वीकृति से काम करें। भारतीय जनता ने इधर हाल में बहुत बड़े जोखिम का सामना किया, और उसने अपनी स्वतन्त्रता तथा हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की। हिन्दुस्तानियों की सहानुभूति पूरेतौर से लोकतन्त्रवाद और स्वतन्त्रता के साथ है, पर हिन्दुस्तान ऐसे किसी युद्ध में शरीक नहीं हो सकता, जिसके बारे में यह कहा जाय कि वह युद्ध लोकतन्त्रवाद और स्वतन्त्रता के लिए लड़ा जा रहा है, जबकि वही स्वतन्त्रता हिन्दुस्तान को नहीं मिल रही है, और जो थोड़ी-सी सीमित स्वतन्त्रता मिली भी है वह भी उससे छीन ली गई है।

वर्किंग कमेटी यह जानती है कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों

ने यह ऐलान किया है कि वे लोकतन्त्रवाद और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए जर्मनी से लड़ रही हैं, और वे आक्रमण तथा उद्दता का खात्मा कर देना चाहती हैं। पर हाल के इतिहास में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनमें मालूम होता है कि कहे हुए शब्दों, घोषित आदर्शों और असली उद्देश्यों में बहुत फर्क होता है, जैसा कि सन् १९१४-१८ के महासमर से प्रकट हो चुका है। युद्ध के उद्देश्य घोषित किये गये थे कि लोकतन्त्रवाद, आत्म-निर्णय और छाटे-छाटे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना मुख्य काम है, पर जिन राष्ट्रों ने उन उमूलों की घोषणा की, उन्होंने ही तुर्की के साम्राज्य को खत्म कर देने के लिए गुप्त संधियाँ की थी। उन राष्ट्रों ने उस समय यह कहा था कि वे कोई राज्य नहीं लेना चाहते, पर तो भी विजयी राष्ट्रों (फ्रांस और इंग्लैंड) ने बहुत बड़े देश अपने औपनिवेशिक साम्राज्य में मिला लिये।

वर्तमान युद्ध से भी यह मालूम होता कि वर्साई-सन्धि किस तरह विकृत हुई और उस सन्धि के निर्माताओं ने अपने वादे तोड़कर साम्राज्यवादी संधि को किस तरह पराजित राष्ट्रों पर लागू किया। उस संधि के द्वारा एकमात्र आशा की झलक राष्ट्र-संध से जाहिर हुई थी, पर उस संधि को कायम करनेवाले राष्ट्रों (फ्रांस और इंग्लैंड) ने ही उसे अन्त में खत्म कर डाला।

हाल के इतिहास से ही यह मालूम होता है कि किस तरह घोषित सिद्धान्त खुद भग किये जा सकते हैं। मच्चूरिया में ब्रिटिश सरकार ने जापान के आक्रमण को उत्तेजन दिया। एबिसोनिया में उसने इटली की सत्ता मान ली, चेकोस्लोवाकिया और स्पेन में लोकतन्त्रवाद खतरे में था और वहाँ जान-बूझकर लोकतन्त्रवाद को धोखा दिया गया और सामूहिक रक्षा की सम्पूर्ण पद्धति को उन्हीं राष्ट्रों ने नष्ट किया, जिन्होंने कि उसमें अपना पुस्ता विश्वास प्रकट किया था।

यह फिर घोषणा की गई है कि लोकतन्त्रवाद खतरे में है और उसकी अरूर रक्षा करनी चाहिए। इस वक्तव्य से वकिंग कमेटी की पूरी सहानुभूति है। कमेटी का विश्वास है कि यूरोप की जनता पर इस आदर्श

और उद्देश्य का अच्छा असर पड़ेगा और इसके लिए वे आत्म-त्याग करने को भी तैयार होंगे। पर जनता के आदर्शों और उद्देश्यों की बार-बार उपेक्षा की गई और उन्हें भंग किया गया। अगर इस युद्ध के जरिये साम्राज्यवादी राष्ट्रों का अपनी मौजूदा स्थिति (यानी उनके साम्राज्य) और स्वार्थों की रक्षा करने का हेतु है, तो हिन्दुस्तान ऐसे युद्ध से कुछ भी वास्ता नहीं रख सकता। पर अगर उसके जरिये लोकतन्त्रवाद और उसके आधार पर विश्व के नियम की रक्षा करनी है तो हिन्दुस्तान का इस युद्ध से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वर्किंग कमेटी को इसका निश्चय है कि भारतीय लोकतन्त्रवाद के स्वार्थों का संघर्ष ब्रिटिश लोकतन्त्रवाद या विश्व-लोकतन्त्रवाद से नहीं होता। अगर ब्रिटेन लोकतन्त्रवाद की रक्षा करने और उसे बढ़ाने के लिए लड़ रहा है तो उसे चाहिए कि पहले अपने अधिकार के साम्राज्यवाद का अन्त करे, और हिन्दुस्तान में पूर्णरूप से लोकतन्त्रवाद स्थापित करे। और आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुसार भारतीय प्रजा को एक विधान-परिषद् के द्वारा अपना विधान बनाने का अधिकार दिया जाय। भारत अपनी ही नीति का संचालन करे, और इन कार्यों में किसी भी बाहरी अधिकारी का हाथ न हो। स्वतन्त्र लोकतन्त्रवादी हिन्दुस्तान खुशी से दूसरे राष्ट्रों के साथ खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहेगा और वह दूसरे राष्ट्रों से आर्थिक सहयोग भी करेगा। तब भारत स्वतन्त्र और लोकतन्त्रवाद के आधार पर संसार के सच्चे निर्माण में हिस्सा लेगा और मानवजाति की उन्नति के लिए वह संसार के ज्ञान और साधनों से काम लेगा।

इस समय यूरोप पर जो विपम संकट आया हुआ है वह केवल यूरोप का ही नहीं, सारी मानव-जाति का है और इन युद्धों की तरह यह संकट इस तरह नहीं टल जायगा कि मौजूदा संसार की पद्धति बनी रहे। हो सकता है कि इस युद्ध से कुछ भला हो। इस समय जो राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक संघर्ष हैं, ये सब गत् महायुद्ध के परिणाम हैं। गत् महायुद्ध से सामाजिक और आर्थिक संघर्ष बहुत बढ़ गये और जबतक ये संघर्ष दूर न होंगे, संसार में निश्चयात्मक रूप से कोई नियम या संगठन

भी न होगा। उस संगठन या सामंजस्य का आधार यही हो सकता है कि एक देश की दूसरे देश पर प्रभुता न हो और न शोषण हो, और सबकी प्रजाई के लिए न्यायपूर्ण आधार पर राष्ट्रों के आर्थिक सम्बन्ध का फिर से संगठन हो। हिन्दुस्तान इस समस्या की एक कसौटी है और आधुनिक प्रजापति का साम्राज्यवाद हिन्दुस्तान में कायम है और इस जुद्ध की समस्या के मुद्दजाने का जबतक प्रयत्न न होगा तबतक संसार का कोई पुनःसंगठन संभव भी न होगा। भारत के साधन असीम हैं और वह अपने इन साधनों से विश्व-रचना की किसी भी योजना में महत्वपूर्ण काम कर सकता है। युद्ध के सम्बन्ध में कांग्रेस के निर्णय में अधिक देरी नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत का सम्बन्ध नित्य की नीति में है जिसे वह मजबूर नहीं करता। इसलिए कमेटी ब्रिटिश सरकार से कहती है कि वह साफ घोषणा कर दे कि लोकतन्त्रवाद और साम्राज्यवाद के मिश्रण में युद्ध सम्बन्धी उसके क्या उद्देश्य हैं और हिन्दुस्तान पर उन उद्देश्यों का मौजूदा स्थिति में किन तरह लागू किया जायगा। कमेटी ने युद्ध की विनीयिकाओं का बिक्र करने हुए कहा है कि यूरोप और चीन में उन विनीयिकाओं का रोकना चाहिए, किन्तु फासिस्टवाद और साम्राज्यवाद के दूर होने पर ही वे विनीयिकाएँ भी दूर होंगी। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कमेटी अपना सहयोग प्रदान करती है।

मगर हिन्दुस्तान विमते इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी क्षमताएँ बहुत खर्च करेगी, ऐसा दावा राष्ट्र ही कर सकता है। मरणात्मक इस समय अविनाशक है और संसार के हिस्से की भाँति वह स्वतन्त्रता प्रभुता कायम रखने के हरेक प्रयत्न का परिणाम स्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्त होगा। ब्रिटिश कमेटी ने इन बातों को स्पष्ट किया है कि यूरोप में जर्मनी के नरेशों ने यूरोप में जर्मनी की रक्षा के लिए अपनी क्षमताएँ खर्च करके राज्य के समान सावर प्रदर्शित करने के उद्देश्य लिए हैं। जर्मनी के नरेशों को विदेशों में जर्मनी की रक्षा का लक्ष्य नहीं है। कमेटी को यह उम्मीद है कि यूरोप में जर्मनी की रक्षा के लिए ही जर्मनी के अन्तर्गत राज्यों के अन्तर्गत प्रयत्न करेंगे, उन्हें कि इस समय ही-



शता के लिए खुद देशी नरेशों की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार है, जैसा कि पिछले साल के अन्दर दुःख के साथ साफ़ दिखाई दिया है। उसकी यह नीति जनसत्ता और संसार की नई व्यवस्था के खिलाफ़ है, जिसके लिए ग्रेट ब्रिटेन का यह दावा है कि वह उसके लिए यूरोप में लड़ाई लड़ रहा है। वर्किंग कमेटी यूरोप, अफ़्रीका और एशिया की पिछली घटनाओं पर और खास भारत की गुजरी और मौजूदा घटनाओं पर नज़र डालते हुए यह देख रही है कि जनसत्ता या आत्म-निर्णय के हित को आगे बढ़ाने का कोई यत्न नहीं हो रहा है और न यही दिखाई देता है कि ब्रिटिश सरकार ने जिन उसूलों के लिए लड़ाई का ऐलान किया है, उनपर अमल हो रहा है या अमल होने जा रहा है। जनसत्ता का सच्चा उपाय साम्राज्यवाद या फ़ासिज्म का अन्त करना है और उस आक्रमण का भी, जिसका कि इन वादों के साथ भूत और वर्तमान समय में साथ रहा है। केवल इसी आवार पर नई व्यवस्था के लिए वर्किंग कमेटी हर तरह से सहायता देने के लिए उत्सुक है। पर कमेटी ऐसी किसी भी लड़ाई में सहयोग या सहायता नहीं दे सकती, जो साम्राज्यवादी तरीक़े पर चलाई जाती है और जिसका उद्देश्य हिन्दुस्तान व दूसरे स्थानों में साम्राज्यवाद का बल बढ़ाना है। लेकिन समय की गम्भीरता और इस बात को देखते हुए कि पिछले कुछ दिनों के अन्दर घटनायें मनुष्य के दिमाग़ की चाल से भी अधिक तेज़ी से घटित हो रही हैं, वर्किंग कमेटी इस वक़्त कोई आखिरी निर्णय नहीं करना चाहती, ताकि इस बात की पूरी व्याख्या हो जाय कि हिन्दुस्तान की मौजूदा और आनेवाली स्थिति के सम्बन्ध में असली उद्देश्य क्या है। पर निर्णय बहुत दिनों तक नहीं टाला जा सकता क्योंकि हिन्दुस्तान ऐसी नीति में रोज़-ब-रोज़ फँसता जा रहा है जिस पक्ष में वह नहीं है और जिसको वह नापसन्द करता है। इसलिए वर्किंग कमेटी ब्रिटिश सरकार से कहती है कि वह साफ़-साफ़ शब्दों में यह ऐलान करदे कि जनसत्ता और साम्राज्यवाद के बारे में संसार की नई व्यवस्था में उसके युद्ध-सम्बन्धी उद्देश्य क्या हैं और हिन्दुस्तान के प्रति ये उद्देश्य किस तरह अमल में लाये जायेंगे और इस समय इनपर किस तरह उपाय

होगा। क्या उसके उद्देश्यों में यह भी है कि हिन्दुस्तान से साम्राज्यवाद हटा दिया जाय और उसके साथ एक स्वतन्त्र राष्ट्र का-सा व्यवहार किया जाय, जिसकी कि नीति उसकी जनता की इच्छाओं के अनुकूल चलेगी?

भविष्य के लिए अगर सरकार साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद का खात्मा करने के लिए घोषणा कर दे, तो इसे सभी देशों की जनता पसन्द करेगी, पर जरूरी यह है कि इसका तुरन्त अधिक-से-अधिक पालन किया जाय, क्योंकि तभी लोगों को यह विश्वास होगा कि यह घोषणा पूरी करने के लिए ही की गई है। किसी भी घोषणा की कसौटी यही है कि उसे पूरा किया जाय। ऐसा करने से मौजूदा काम सुधरेंगे और भविष्य के लिए उनका निर्माण होगा। यूरोप में जो युद्ध शुरू हुआ है उससे भीषणता बढ़ने की बहुत सम्भावना है, पर इधर कई बरसों में एबिसीनिया, स्पेन और चीन में जो युद्ध हुए हैं उनमें बहुत आदमी मारे गये हैं, हवाई जहाजों के जरिये खुले नगरों पर बम-वर्षा करने से बहुतेरे बेगुनाह नर-नारी और बच्चे मरे हैं, इन युद्धों के वर्षों में मनुष्यों का खूब संहार हुआ है, भीषणता और हिंसा बराबर बढ़ रही है, और संसार उसकी छाया में बड़ा कष्ट पा रहा है और अगर यह भीषणता न रोकी गई तो भूतकाल की मूल्यवान सभी चीजें नष्ट हो जायेंगी। उस भीषणता को यूरोप और चीन में रोकना है, पर उसका तबतक अन्त न होगा, जबतक कि फासिस्टवाद और साम्राज्यवाद का निर्मूलन न किया जायगा।

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्किंग कमेटी सहयोग देने के लिए तैयार है, पर अगर यह युद्ध भी साम्राज्यवाद की भावना से लड़ा गया तो यह एक बड़ा भयानक दुःखद काण्ड होगा। वर्किंग कमेटी यह ऐलान करना चाहती है कि हिन्दुस्तान की जनता की जर्मन प्रजा या जापानी प्रजा से कोई लड़ाई नहीं है या दूसरे किसी भी देश की प्रजा से कोई लड़ाई नहीं है, पर भारतीय जनता की उस शासन-व्यवस्था से गहरी लड़ाई है जो आजादी नहीं देती और जिसका आधार हिंसा और आक्रमण करना है। हिन्दुस्तान यह नहीं चाहता कि किसी देश की विजय दूसरे देश पर हो, बल्कि सच्चे लोकतन्त्रवाद की विजय हो, जो

सब देश की जनता की विजय हो और फिर संसार हिंसा तथा साम्राज्यवादी दमन से मुक्त हो जाय ।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी भारत की जनता से अपील करती है कि इस संकट-काल में वह भीतरी झगड़े दूर कर दे और निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए संसार की महान् व्यापक स्वतन्त्रता में भारतीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए तत्पर रहे ।

## किस रास्ते और किन साधनों से

बड़ी-बड़ी घटनाओं के किनारे पर हम फिर खड़े हुए हैं। हमारी नाड़ियाँ फिर जोर में फड़कने लगी हैं, पैर कापते हैं और पुरानी पुकार हमारे कानों में आ रही है। अपनी मामूली मुसीबतों को हम भूल जाते हैं और घरेलू चिन्ताओं को एक ओर डाल देते हैं। आखिर उनका मूल्य है ही क्या ? पुकार आती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं। भारत, जिसे हमने प्रेम किया है और जिगर्की सेवा हमने करनी चाही है, वह धीमे से कुछ कहता है और जादू का मन्त्र हम तुच्छ प्राणियों के ऊपर फूक देता है।

पर कुछ व्यक्ति उतावले हैं और अपनी जबानी की तरंग में आरोप लगाते हैं—'यह देरी क्यों ? हमारी नमों में जब खून दौड़ता है और जीवन पुकार कर कहता है कि आगे बढ़ो, तब हम मन्द गति में क्यों चलते हैं ?' ओ भारत के युवकों और युवतियों ! आप परेशान न हों, झुंझलाने या उतावले बनने की भी जरूरत नहीं है। जल्दी ही वक्त आया जब इस भारी बोझ में आपको सहारा देना होगा। आगे बढ़ने की पुकार भी आयगी और गति भी जितना आप मोचते हैं, उमंगे तेज होगी। क्योंकि अज्ञात भविष्य की ओर संतहाशा दौड़ लगाकर दुनिया ने आज गति पैदा कर ली है और हम में से कोई भी खड़ा नहीं रह सकता—चाहे खड़ा रहना चाहे या न चाहे—जब कि हमारे पैरों तले की धरती ही हिल रही है।

समय आयागा। तब वह हमें तैयार पाये; दिल से भजबूत, शरीर में गतिशील और मन और ध्येय में दृढ़। अपनी राह भी जिस पर हमें चलना है, हम अच्छी तरह पहचानें जिससे सदेहों के हमले हम पर न हों और विचारों का भेद हमारे निश्चय को कमजोर न करे।

सब देश की जनता की विजय हो और फिर संसार हिता तथा साम्राज्यवादी दमन से मुक्त हो जाय ।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी भारत की जनता से अपील करती है कि इस संकट-काल में वह भीतरी झगड़े दूर कर दे और निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए संसार की महान् व्यापक स्वतन्त्रता में भारतीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए तत्पर रहे ।

## किस रास्ते और किन साधनों से

बड़ी-बड़ी घटनाओं के किनारे पर हम फिर खड़े हुए हैं। हमारी नाड़ियाँ फिर जोर में फड़कने लगी हैं, पैर कापते हैं और पुरानी पुकार हमारे कानों में आ रही है। अपनी मामूली मुसीबतों को हम भूल जाते हैं और घरेलू चिन्ताओं को एक ओर डाल देते हैं। आखिर उनका मूल्य है ही क्या? पुकार आती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं। भारत, जिसे हमने प्रेम किया है और जिमकी सेवा हमने करनी चाही है, वह घीमे से कुछ कहता है और जादू का मन्त्र हम तुच्छ प्राणियों के ऊपर फूक देता है।

पर कुछ व्यक्ति उतावले हैं और अपनी जयानों की तरंग में आरोप लगाते हैं—'यह देरी क्यों? हमारी नमों में जब खून दौड़ता है और जीवन पुकार कर कहता है कि आगे बढ़ो, तब हम मन्द गति में क्यों चलते हैं?' ओ भारत के युवकों और युवतियों! आप परेमान न हो, झुंझलाने या उतावले बनने की भी जरूरत नहीं है। जल्दी ही वान आयगा जब हम भारी बोझों में आपको सहारा देना होगा। आगे बढ़ने की पुकार भी आयगी और गति भी जितना आप सोचते हैं, उमसे तेज होगी। क्योंकि अज्ञात भविष्य की ओर वेतहागा दौड़ लगाकर दुनिया ने आज गति पैदा करली है और हम में से कोई भी गड़ा नहीं रह सकता—चाहे गड़ा रहना चाहे या न चाहे—जब कि हमारे पैरों तले की धरती ही हिल रही है।

समय आयगा। तब वह हमें तैयार पाये, दिल से मजबूत, शरीर में गतिशील और मन और ध्येय में दृढ़। अपनी राह भी जिस पर हमें चलना है, हम अच्छी तरह पहचानें जिससे मदेहों के हमले हम पर न हों और विचारों का भेद हमारे निश्चय को कमजोर न करे।

अपने मंजिले-मकसूद को हम पहचानते हैं। अपना ध्येय और दिल की चाह भी हमारे सामने है। उन पर बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी राह क्या है जो हमें चलनी है? कौन से तरीके हमें बरतने हैं, और कौन से उसूल हमारी क्रियाओं पर संरक्षण रखते हैं? ये बातें भी, निश्चय ही, बहस के लिए नहीं हैं। बरसों पहले ही हमने वह रास्ता रोशन कर दिया है और ठीक कर दिया है जिससे दूसरे उस खुले रास्ते पर चल सकें। बीस बरस पहले बहुत से लोगों ने इस सीधे और सही रास्ते की शक्ति पर संदेह किया होगा, लेकिन आज मार्ग-दर्शन के लिए हमारे पास भारी अनुभव है और सीख देने के लिए हमारी अपनी सफलता और असफलताएँ हैं। उस रास्ते से हटाने की कोशिशों के बावजूद भी हम दृढ़ निश्चय के साथ उस पर अड़े हुए हैं और भारत के लाखों व्यक्तियों ने उस रास्ते के महत्व को समझा है और अब वे उस पर इतने पाबन्द हैं कि जितने पहले कभी नहीं थे। कांग्रेस अपना दृढ़ विश्वास उसमें दिखाये जा रही है; क्योंकि उसके लिए तो दूसरा मार्ग है ही नहीं।

पर फिर भी आवश्यक है कि चीजों को अधिक मानकर हम न चलें और इस नाजुक घड़ी में नये सिरे से उस मार्ग के फलितायों की जांच करें और पूरे दिल से और मन से उन्हें स्वीकार करें। समय अब सिद्धांतों या बेकार के खयाली पुलाव बनाने का नहीं है। आवश्यकता काम की है और काम के लिए मन और प्रयत्न की संलग्नता चाहिए। संदेह की फ़िलासफ़ी या बहस-मुवाहिसे की आरामदेही की उसमें इजाजत नहीं है। उससे भी कम इजाजत है उन व्यक्तियों या दलों को कि वे अपनी विरोधी क्रियाओं से उस ध्येय को एक तरफ डाल दें और उसकी जड़ पर कुठाराघात करने की चुनौती दें।

यह आवश्यक है कि हम इस प्रश्न पर खुलकर विचार करें और स्पष्ट और अन्तिम निर्णयों पर आवें, क्योंकि एक नई पीढ़ी उठ खड़ी हुई है जिसकी जड़ हमारे पुराने अनुभवों में नहीं है और जो दूसरी ही भाषा बोलती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुले तौर पर या छिपकर और

हमारी ही सस्था की आइ से हमारे तौर-तरीकों और सिद्धांतों के प्रति घृणा प्रकट करते हैं। हो सकता है जैसा कि हमें अच्छी तरह में विश्वास है कि ये सन्देश करने वाले और विरोधी लोग कम ही हैं और देशव्यापी इस बड़े आन्दोलन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते; लेकिन यह सम्भव है कि बहुत से लोगों के दिमागों में वे गडबड पैदा कर दें और ऐसी घटनायें घटा दें जिससे हमारे ध्येय का हानि पहुँचे। अतः ध्येय की स्पष्टता और निर्णय का होना जरूरी है। जो हलचल हमारे सामने हैं, उनमें अनावश्यक खतरा हम नहीं ले सकते।

उन्नीस वरस पहले कांग्रेस ने अपने कामों में अहिंसा का तरीका ग्रहण किया था। इन गुजरे सालों में बहुत से अवसरों पर हमने अहिंसा के प्रयोग भी किये हैं। इनसे हमने ममार को प्रभावित किया और उनमें अधिक महत्वपूर्ण यह कि हमने अपने आपको प्रभावित किया और जो कुछ हमने किया या जिस प्रकार हमने वह किया उनमें हमने अपूर्व शक्ति पाई। परतन्त्र राष्ट्र का पुराना मार्ग—या तो मुलामी या हिमक बिद्रोह—अब हमारे लिए नहीं है। हमारे पास अब एक शक्तिशाली हथियार है जिसका मूल्य—हमारी बढ़ती शक्ति और उनके बारे में समझ बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग वही भी किया जा सकता है; लेकिन भारत की योग्यता तथा वर्तमान स्थिति में वह विशेष रूप से उपयुक्त है। हमारा निज का उदाहरण है जो उसका समर्थन करता है, और जो हमें दिलासा और उत्साह प्रदान करता है। लेकिन पिछले वर्षों की विश्व की घटनाओं ने यह दिखा दिया है कि हिंसक तरीके बेकार हैं और बहुशियाना हैं।

मेरे खयाल से हम में से कुछ ही कह सकते हैं हिंसा का युग समाप्त हो गया या जल्दी ही उसके समाप्त होने की सम्भावना है। आज हिंसा अपने बहुत ही गहन, विध्वंसकारी और अमानवीय रूप में बढ़ रही है। उतनी यह पहले कभी नहीं बढ़ी। लेकिन उसकी तेजी ही उसके पतन का चिन्ह है। वह या तो स्वयं समाप्त होगी या सत्तार के बहुत बड़े भाग को समाप्त कर देगी।



अपने मंजिले-मकसूद को हम पहचानते हैं। अपना ध्येय और दिल की चाह भी हमारे सामने है। उन पर वहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी राह क्या है जो हमें चलनी है? कौन से तरीके हमें बरतने हैं, और कौन से उसूल हमारी क्रियाओं पर संरक्षण रखते हैं? ये बातें भी, निश्चय ही, वहस के लिए नहीं हैं। बरसों पहले ही हमने वह रास्ता रोशन कर दिया है और ठीक कर दिया है जिससे दूसरे उस खुले रास्ते पर चल सकें। बीस बरस पहले बहुत से लोगों ने इस सीधे और सही रास्ते की शक्ति पर संदेह किया होगा, लेकिन आज मार्ग-दर्शन के लिए हमारे पास भारी अनुभव है और सीख देने के लिए हमारी अपनी सफलता और असफलताएँ हैं। उस रास्ते से हटाने की कोशिशों के बावजूद भी हम दृढ़ निश्चय के साथ उस पर अड़े हुए हैं और भारत के लाखों व्यक्तियों ने उस रास्ते के महत्व को समझा है और अब वे उस पर इतने पाबन्द हैं कि जितने पहले कभी नहीं थे। कांग्रेस अपना दृढ़ विश्वास उसमें दिखाये जा रही है; क्योंकि उसके लिए तो दूसरा मार्ग है ही नहीं।

पर फिर भी आवश्यक है कि चीजों को अधिक मानकर हम न चलें और इस नाजूक घड़ी में नये सिरे से उस मार्ग के फलितार्थों की जांच करें और पूरे दिल से और मन से उन्हें स्वीकार करें। समय अब सिद्धांतों या बेकार के खयाली पुलाव बनाने का नहीं है। आवश्यकता काम की है और काम के लिए मन और प्रयत्न की संलग्नता चाहिए। सन्देह की फ़िलासफ़ी या वहस-मुवाहिसे की आरामदेही की उसमें इजाजत नहीं है। उससे भी कम इजाजत है उन व्यक्तियों या दलों को कि वे अपनी विरोधी क्रियाओं से उस ध्येय को एक तरफ डाल दें और उसकी जड़ पर कुठाराघात करने की चुनौती दें।

यह आवश्यक है कि हम इस प्रश्न पर खुलकर विचार करें और स्पष्ट और अन्तिम निर्णयों पर आवें, क्योंकि एक नई पीढ़ी उठ खड़ी हुई है जिसकी जड़ हमारे पुराने अनुभवों में नहीं है और जो दूसरी ही भाषा बोलती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुले तौर पर या छिपकर और

हमारी ही सस्था की आड़ में हमारे तीर-तरोकों और मिढांतों के प्रति घृणा प्रकट करते हैं। हो सकता है जैसा कि हमें अच्छी तरह से विश्वास है कि ये सन्देह करने वाले और विरोधी लोग कम ही हैं और देगध्यापी इस बड़े आन्दोलन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते; लेकिन यह सम्भव है कि बहुत से लोगों के दिमागों में वे गड़बड़ पैदा कर दें और ऐसी घटनाएँ घटा दें जिसमें हमारे ध्येय की हानि पहुँचे। अतः ध्येय की स्पष्टता और निर्णय का होना जरूरी है। जो हलचल हमारे सामने है, उसमें अनावश्यक खतरा हम नहीं ले सकते।

उन्नीस वरम पहले काँग्रेस ने अपने कामों में अहिंसा का तरीका ग्रहण किया था। इन गुजरे मालों में वृत्त में अवसरों पर हमने अहिंसा के प्रयोग भी किये हैं। इनमें हमने ममार को प्रभावित किया और उससे अधिक महत्वपूर्ण यह कि हमने अपने आपको प्रभावित किया और जो कुछ हमने किया था जिम प्रकार हमने वह किया उसमें हमने अपूर्व शक्ति पाई। परतन्त्र राष्ट्र का पुराना मार्ग—या तो गुलामी या हिमक विद्रोह—अब हमारे लिए नहीं है। हमारे पास अब एक शक्तिशाली हथियार है जिसका मूल्य—हमारी बढ़ती शक्ति और उसके बारे में समझ बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है; लेकिन भारत की योग्यता तथा वर्तमान स्थिति में वह विशेष रूप में उपयुक्त है। हमारा निज का उदाहरण है जो उसका समर्थन करता है, और जो हमें दिलावा और उत्साह प्रदान करता है। लेकिन पिछले वर्षों की विश्व की घटनाओं ने यह दिखा दिया है कि हिमक तरीके बेकार हैं और बहिनियाना है।

मेरे खयाल से हम में से कुछ ही कह सकते हैं हिंसा का युग समाप्त हो गया था जल्दी ही उसके समाप्त होने की संभावना है। आज हिंसा अपने बहुत ही गहन, विध्वंसकारी और अमानवीय रूप में बढ़ रही है। उतनी वह पहले कभी नहीं बढ़ी। लेकिन उसकी तेजी ही उसके पतन का चिन्ह है। वह या तो स्वयं समाप्त होगी या संसार के बहुत बड़े भाग को समाप्त कर देगी।

“तलवार हमेशा की तरह मूर्खों के लिए अपनी मूर्खता छिपाने का एक साधन है।”

लेकिन हम मूर्खता और पागलपन के युग में रहते हैं और हमारे शासक और मानवी सम्बन्धों को देखने-भालने वाले इसी युग की असली उपज हैं। हर रोज़ हमारे सामने यही खूखार समस्या है—हिंसक आक्रमण का मुकाबिला कैसे किया जाय ? क्योंकि इसके अतिरिक्त बहुधा और कोई मार्ग नहीं है कि बुराई के आगे चुपचाप झुक जाओ और उसके हाथों अपने को सौंप दो। स्पेन ने बलपूर्वक हिंसक आक्रमण का विरोध किया और यद्यपि अन्त में उसकी पराजय हुई, लेकिन उसके लोगों ने साहस और वीरतापूर्ण धैर्य का शानदार उदाहरण उपस्थित कर दिया। मित्रों ने उनका साथ छोड़ दिया, फिर भी ढाई वरस तक फ्रांसिस्ट आक्रमण की बाढ़ को उन्होंने रोके रक्खा। उनकी हार के बाद आज भी चीन कहेगा कि वे गलती पर थे, क्योंकि उनके लिए दूसरा सम्मानपूर्ण मार्ग खुला हुआ नहीं था। अहिंसात्मक तरीका उनके दिमाग में नहीं था और वैसे भी उन परिस्थितियों में वह उनकी पहुँच के बाहर था। यही चीन में हुआ।

चेकोस्लोवेकिया अपनी सशस्त्र शक्ति और असंदिग्ध साहस के बावजूद भी बिना लड़े पराजित हो गया। ठीक है, पराजय उसकी हुई; क्योंकि उसके मित्रों ने उसके साथ विश्वासघात किया, लेकिन फिर भी सचाई तो यह है कि उसकी तमाम सशस्त्र शक्ति उसकी आवश्यकता के समय कारगर साबित नहीं हुई। पोलैण्ड तीन सप्ताह की हलचल में एकदम समाप्त हो गया और उसकी भारी फौज और हवाई जहाजों के बड़े न जाने कहां विलीन हो गये।

हिंसक मार्ग और सशस्त्र शक्ति आज तात्कालिक सफलता के संकुचित-से-संकुचित अर्थ में तभी संभव है जब कि सशस्त्र शक्ति अपने विरोधी से अधिक बलवती हो। अन्यथा बिना युद्ध के ही समर्पण कर दिया जाता है या ज़रा-सी हलचल के बाद ही पतन हो जाता है और साथ आती है घोर पराजय और अनैतिकता। साधारण हिंसा

को एकदम त्याग दिया गया है, क्योंकि विजय की कोई संभावना भी उससे नहीं होती और उससे पराजय और फूट का भय फल जाता है।

भविष्य में भारत का क्या होगा यह हमारे अन्दाज से बाहर है। यदि भविष्य में सशस्त्र राष्ट्रीय शक्ति की आवश्यकता रहती है, तो हम में से अधिकांश के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि बिना राष्ट्रीय फौज और 'वचाव के अन्य साधनों के' भारत स्वतन्त्र होगा। लेकिन वैसे भविष्य पर विचार करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें तो बस वर्तमान पर विचार करना है।

इस वर्तमान में सन्देह और कठिनाइयाँ नहीं उठती; क्योंकि हमारा वर्तव्य स्पष्ट है और मार्ग निश्चित है। वह मार्ग भारतीय स्वाधीनता की समस्त रूढ़ियों का निष्क्रिय प्रतिरोध करना है। उसके अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है। इसके बारे में हमें बिलकुल स्पष्ट हो जाना चाहिए; क्योंकि विभिन्न दिशाओं में मन के खिंचते होने की दशा में कोई काम शुरू करने का साहस हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दूसरा मार्ग है, जो हमें प्रभावशाली कार्य के अवसर की छाया-मात्र भी दे सकता है, में नहीं जानता। वास्तव में अगर हम दूसरे मार्गों के बारे में सोचते हैं तो वास्तविक कार्य हो ही नहीं सकता।

मेरा विश्वास है कि इस प्रश्न पर अधिकतर कांग्रेसजन एकमत हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए नये हैं। वे दिखाने के लिए तो एकमत हैं; लेकिन करते दूसरी तरह से हैं। वे अनुभव करते हैं कि कोई राष्ट्रीय या देश-व्यापी आन्दोलन उस समय तक नहीं चल सकता जबतक कि कांग्रेस द्वारा वह न चलाया जाय। उसे छोड़ कर और जो कुछ होगा वह तो दुस्ताहस होगा। इसलिए वे चाहते हैं कि कांग्रेस से पूरा लाभ उठावें और मात्र ही उन दिशाओं में भी चले जावें जो कांग्रेस की नीति के विरुद्ध हैं। उनका प्रस्तावित सिद्धान्त तो यह है कि वे कांग्रेस में अपने को मिलाये रहें और फिर उसके बुनियादी धर्म और कार्य-प्रणाली को हानि पहुँचावें, विशेष कर अहिंसा के सिद्धान्त के

अमल को रोका जाय, बाहर से और प्रकटरूप में नहीं; बल्कि घोखेवाजी से और अन्दर से ।

अब प्रत्येक भारतीय को स्वतन्त्रता है कि वह अपने प्रस्तावों और विचारों को आगे लाकर रखे, उनके लिए काम करे और अपने दृष्टिकोण पर दूसरों को राजी करे । उनके अनुसार वह आचरण भी करे, यदि वह सोचता है कि वैसा करना आवश्यक है । लेकिन दूसरी किसी चीज की आड़ में ऐसा करने की उसे स्वतन्त्रता नहीं है । वह जनता को गलत रास्ते ले जाना होगा । और ऐसे घोखे से जन-आंदोलन नहीं उठ खड़े होते । कांग्रेस के प्रति वह नमकहरामी होगी और अनुचित समय में आन्दोलन से नाजायज़ फायदा उठाना होगा । यदि विचारों का कोई विरोध है तो इसमें भलाई ही है कि वह सामने आये और लोग उसे समझें और अपना निर्णय करें । किसी भी समय ऐसा होना चाहिए, विशेषकर बड़ी घटनाओं के प्रारम्भ होने से पहले । कोई भी संस्था आंतरिक विघ्न-बाधाओं को वर्दाशत नहीं कर सकती जबकि वह शक्ति-शाली दुश्मन से मुठभेड़ करने की परिभाषा में सोचती है । अपनी जनता में उस समय अनुशासनहीनता या मत-भेद ठीक नहीं है जबकि समय ऐसा है कि हम सबको काम में लग जाना चाहिए ।

अतः हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पूर्ण स्पष्टता और निश्चय के साथ हम इस मसले को तय करें । जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, वेशक हमने तय कर लिया है और उस निर्णय पर हम दृढ़ रहेंगे । दूसरा कोई भी मार्ग प्रभावशाली नहीं है और उसमें राष्ट्र के लिए खतरा है ।

यदि हम वैसा विचार करें तो भारत में गड़बड़ मचा देना हमारे लिए कठिन नहीं है; लेकिन गड़बड़ में से जल्दरी तौर पर या आम तौर पर भी स्वाधीनता नहीं निकलती । भारत में गड़बड़ की स्पष्ट सम्भावनाएँ हैं जिनका फल अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण निकलेगा । हम हमेशा अपने काम के परिणामों के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, विशेषकर उस हालत में जब हम जनता के बल पर उस काम को करते हैं । खतरे

हम उठाते हैं, और उठाने ही चाहिएं। लेकिन ऐसा कुछ करना तो अकल्पनीय मूर्खता होगी जो उन खतरों को बहुत बढ़ा दे और हमारी स्वतन्त्रता के मार्ग में रोक लगादे और हमारे आन्दोलन में से उस नैतिकता को ही उठा ले जिस पर कि इतने बरसों से हमें गवं रहा है। ऐसी दशा में जब कि समार हिंसक तरीको से चूर-चूर हो रहा है, हमारे लिए उन्हे ग्रहण करने की बात सोचना तक एक भारी दुख की बात होगी।

इसलिए मजबूती और निश्चय के साथ हम अहिंसा पर दृढ़ रहे और उसके स्थान पर कुछ भी मिले, उसे अस्वीकार कर दें। हमें याद रखना चाहिए कि यह सम्भव नहीं है कि विभिन्न तरीके साथ-साथ चालू रह सकें; क्योंकि ये एक दूसरे को कमजोर करते हैं और एक ओर हटा देते हैं। इसलिए होशियारी के साथ हम अपना मार्ग चुनें और उस पर दृढ़ रहे। अन्य मार्गों के साथ खिलवाड़ करके उसे हम बिगाड़ें नहीं। सब से अधिक हम यह अनुभव करें कि अहिंसा अहिंसा है। यह एक ऐसा शब्द-मात्र नहीं है कि मन के दूसरी तरह काम करने पर भी उसे मगीन की तरह इस्तेमाल किया जा सके, मुंह से दूसरे शब्द और वाक्य निकलते हों, जो उसके विरोधी हों, और हमारे काम के विपरीत हों। यदि हमें अहिंसा तथा अपने और अपने ध्येय के प्रति ईमानदार रहना है तो हमें अहिंसा के प्रति सच्चा रहना होगा।

## किसानों का संगठन<sup>१</sup>

भलाई के पक्ष में अपना 'संगठन' दिखाने के लिए दूर-दूर से यहां आने में आपने जो दिलचस्पी दिखाई है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। आज के दिन प्रान्त के विभिन्न केन्द्रों में सैकड़ों सभायें ब्रिटिश सरकार को आपका संगठन दिखाने के लिए हो रही हैं। सभाओं के पीछे यह भी आग्रह है कि हक आराज़ी बिल को गवर्नर और गवर्नर जनरल की रज़ामन्दी से बिना अनावश्यक विलम्ब के पास करके क़ानून बना दिया जाय। आपको और कांग्रेस को मिलकर अभी बहुत कुछ करना है और आपको उन घटनाओं पर भी निगाह रखनी है जो घटित हो सकती हैं और जो आपके संयुक्त कार्य को पूरा करने के लिए मार्ग निश्चित कर सकती हैं। कांग्रेस जो कहे, उस पर आप आंख बन्द कर के न चले,—जैसे कि वह आपके लिए आज्ञा हो,—बल्कि कांग्रेस की सब आज्ञाओं की ऊँचनीच को आप खुद समझें और तब उन पर अक़लमंदी और मेल की भावना से चले।

कांग्रेस पंचायत,—कार्यसमिति—ने देश और देशवासियों के, जिनमें आप भी शामिल हैं, पक्ष में रोज़-बरोज़ उठने वाले सब मुसलों पर विचार किया है। इस कांग्रेस पंचायत ने जो निर्णय किया है उस पर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों से लेकर ग्राम मण्डल कांग्रेस कमेटियों तक जिनके बिना इतनी बड़ी और शक्तिशाली कांग्रेस संस्था अच्छी तरह से योग्यता के साथ काम नहीं कर सकेगी, सभी मातहत कमेटियों को विचार करना चाहिए और अनुशासन-नियमानुकूलता के साथ उस पर चलना चाहिए।

१ किसान-दिवस पर प्रयाग में दिया गया भाषण।

आपको भी वैसा ही अनुशासन रखना चाहिए और एकता, शक्ति और सकलता का निश्चय कर लेना चाहिए ।

हक आराजी बिल पास हो गया है और मुझे इसमें शुबह नहीं है कि गवर्नर और गवर्नर-जनरल की रजामन्दी भी थोड़े वक्त में आ जायगी । लेकिन गवर्नरों के दन्तखतो से ही सब कुछ नहीं हो जायगा । अगर आपने अपना संगठन न किया और अपने को शक्तिशाली न बनाया तो ज़मोदार नये नियमों को फाड़-फूड़ कर फेंक देंगे ।

आपको हक आराजी बिल से अपने अधिकारों का सिर्फ़ कुछ हिस्सा ही मिलेगा । सोलहो आना अपने अधिकार पाने के लिए तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा । पहला और सबसे खास काम आपका 'मगठन' है ।

आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है । भूचालों की तरह दुनिया में घटनाये घटित हो रही है । लड़ाई और क्रातियाँ भूचालों जैसी ही तो हैं । आप यह जानते होंगे कि पच्चीस बरस पहले जैसी बड़ी लड़ाई छिड़ी थी वैसे ही लड़ाई इंग्लैण्ड और जर्मनी के बीच छिड़ी है । पिछले महायुद्ध में हमारे बटून से देशवामी मरे; लेकिन देश के लिए हमें आज़ादी नहीं मिली । हम से कहा गया है कि इस लड़ाई में भी हम ब्रिटेन की मदद करें । कांग्रेस ने विचार किया कि इस बारे में वह क्या करे, आया लड़ाई में हिस्सा ले या नहीं । सवाल था कि अगर हमें आज़ादी नहीं मिलती है तो हम उसमें हिस्सा क्यों लें । अगर लड़ाई साम्राज्यवाद की ही जड़ मजबूत करने के लिए है तो हमें उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए । हमारी बिना नलाह लिए ब्रिटिश सरकार ने हमें इस युद्ध में सान लिया है । यह एक भारी गलती है । कांग्रेस कार्यसमिति ने इस सारे मसले पर गम्भीरता के साथ विचार किया; क्योंकि उसने हमारे देश की करोड़ों जानों का सम्बन्ध है । शायद आप पूरी तरह से जानते हैं कि किन-किन बातों पर कार्यसमिति ने इस सम्बन्ध में विचार किया है ।

इंग्लैण्ड ने कहा कि वह दूसरे देशों की, जिनमें से कुछ को जर्मनी



## चर्खे का महत्व

हम सत्याग्रह के सिलसिले में जब सोचते हैं तब हमें अपने को धोखा नहीं देना चाहिए । इस प्रस्ताव पर हमें अमल करना चाहिए ।

मैं चर्खे के खिलाफ़ और पक्ष में बहुत कुछ कह सकता हूँ । चर्खे ने काफ़ी फ़ायदे पहुँचाये हैं । लेकिन चर्खे को मैं कोई मंत्र नहीं मानता । चर्खा एक औज़ार है, जो हमारे लिए लाभदायी है । दूसरे भी हजार औज़ार हमें चलाने हैं । महात्माजी चर्खे के बारे में क्रिस्म-क्रिस्म की बातें करते हैं जो मेरी समझ में नहीं आती । पर जितना समझ में आता है उतने का ही उपयोग किया जाय तो बहुत काफ़ी है ।

एक बात और बता दूँ । मैं अच्छा कातना जानता हूँ और मेरा दावा है कि किसी को भी चार दिन में चर्खा कातना सिखा दूँगा । लेकिन पिछले तीन-चार वर्ष में मैंने नहीं काता है । पर एक अजीब बात है कि चीन से जब मैं आया तब पहला काम मैंने अपने पुराने चर्खे को देखने का किया । उस समय इस प्रस्ताव का खयाल नहीं था, पर जेल जाने के वास्ते मैं चर्खे को तैयार करना चाहता था । जब पुराने चर्खों से मुझे संतोप नहीं हुआ तो मैंने एक नया चर्खा भी खरीद लिया ।

चर्खे के दो पहलू हैं । (१) इसके कातने से क्या लाभ हैं । (२) लड़ाई के सिलसिले में यह क्या असर रखता है ? मैं चर्खे का अंध-भक्त नहीं हूँ, परन्तु इसमें फ़ायदा मैंने देखा है । इसमें राजकीय असर है । चीन में हर जगह चर्खे और ग्रामोद्योग के बारे में सवाल हुआ । मैं यह देखकर हैरान हो गया कि कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ मुझ से यह नहीं पूछा गया कि हिन्दुस्तान में चर्खे और ग्रामोद्योग के बारे में क्या हो रहा है ? चीनवालों के सामने कोई अहिंसा का सवाल नहीं है, न बड़े-बड़े



सिर्फ कारखानों से हिन्दुस्तान का सवाल हल न होगा। मैं अपने को वैज्ञानिक आदमी समझता हूँ। आप लोगों में से बहुतों का जन्म नहीं हुआ होगा तब मैंने साइंस लेकर एक डिग्री पाई है। साइंस के बिना मैं किसी चीज़ को सोच नहीं सकता। कोई जबरदस्ती मुझे कुछ समझाने आवे तो मेरा दिमाग उसका विरोध करता है। महात्माजी का मैं आदर करता हूँ, लेकिन भक्ति नहीं करता। यह मेरा दुर्भाग्य है कि उनकी बात वैसी-की-वैसी मैं अपने दिमाग में नहीं ला सकता। लेकिन मैं सिपाही के नाते उनकी बातों को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं अदब के साथ आप लोगों से कहूँगा कि चर्खे को निकम्मा बताना वाक्यात से ताल्लुक नहीं रखता। क्योंकि हम लोगों की आवादी बहुत घनी है, हमें कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो हर जगह हर एक आदमी को करने के लिए कह सकें।

दूसरा लड़ाई का पहलू है। हम महात्माजी को जनरल बनाना चाहते हैं और महात्माजी का कहना है कि चर्खा ही मेरा हथियार है। पर हम महात्माजी को इस तरह रिश्वत देना नहीं चाहते। हम उनके हाथ बाँध देना नहीं चाहते। आज्ञाद रखना चाहते हैं। सवाल उठता है, इसमें क्रान्तिकारी बात क्या है? चर्खे में क्रान्तिकारी कोई चीज़ नहीं। क्रान्ति तो आपके दिमाग में है। अगर दिमाग में लड़ाई भरी हो तो चर्खा क्या झाड़ू भी लड़ाई का निशान हो सकता है। अगर दिमाग में लड़ाई नहीं है तो अच्छे-से-अच्छे हथियार भी बेकार हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी वजह से अँग्रेज़ों ने कानून बना दिया कि हर घर में चर्खा रहे और बिना खादी के कोई कपड़े न रहें और हमारे देश में खादी और चर्खा हो जाय तो उसमें कोई लुत्फ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा-सा आर्थिक लाभ ज़रूर होगा, पर उससे हमारी ताकत या संगठन पैदा नहीं हो सकते। जितने संशोधन यहाँ आये उनमें चर्खे के स्थान पर जो बात रखी गई है उससे साफ़ पता चलता है कि अगर चर्खा छोड़ दें तो सिर्फ़ व्याख्यान देना ही लड़ाई का साधन हो जाता है। व्याख्यान से वातावरण तैयार होता है, यह मैं भी मानता हूँ। काफ़ी जोश पैदा किया जा सकता है। पर उससे क्रान्ति

पैदा नहीं होती। अगर हो भी तो थोड़े बचन के लिए होती है। उसकी जड़ पक्की नहीं होती तबतक उकसाया हुआ आन्दोलन खतरनाक होता है। इसलिए किसानों को कोई चीज ऐसी देनी चाहिए जो उनकी सब भावनाओं के लिए पूर्ति का काम करे।

२ दिसम्बर, १९३९.

## शिक्षा का ध्येय?

जब इस परिषद के उद्घाटन के लिए आपका दोस्ताना निमंत्रण मेरे पास टेलीफोन पर वर्धा पहुँचा, तो मैं घड़ी भर के लिए दुविधा में पड़ गया। सिर्फ घड़ी भर ही के लिए; क्योंकि दूर की बातचीत में टेलीफोन पर कोई देर तक नहीं ठहर सकता। एक विद्वानों की मण्डली ने अपने चुनीदा लोगों के सामने मुझे बुलाया है, इससे मैंने गौरव महसूस किया। क्योंकि हालांकि विद्यालयों के लिए मैं कोई नया आदमी नहीं रहा हूँ, फिर भी बरसों से मेरा रास्ता उनसे कट गया है और वह मुझे अजनबी और धूलभरी गलियों ले में गया है।

अक्सर मैंने उन गहरे खजानों में गाँते लगाये हैं जिनमें गुजरे जमानों के खयालात, सपने और तजुखे दबे पड़े थे। लेकिन तक्रदीर और स्थिति ने मिलकर साजिश की और मुझे उस सुन्दर और सुनियमित जिन्दगी से खींचकर देश के इतने अपढ़ लोगों के बीच ला पटका।

मैं बहुत से पुरुषों और स्त्रियों से मिला। उनमें से अधिकांश ने स्कूल और कालेज की शक्ल तक नहीं देखी, और न राज्य की तरफ से या निजी तौर पर कोई शिक्षा की व्यवस्था ने ही उनपर कोई असर डाला।

आपके निमंत्रण की ओर मैंने अपने को खिंचता हुआ महसूस किया। आखिर शिक्षा से बढ़कर आकर्षित और अहमियत रखनेवाली चीज़ आज और क्या है? लड़ाइयों में जूझती इस दुनिया में दुश्मन भरे हैं, झगड़े हैं और हज़ारों समस्याएँ हैं जो हमें सता रही हैं। ऐसे वक़्त में

१. लखनऊ में अखिल भारत शिक्षा-परिषद का उद्घाटन करते हुए २७ दिसम्बर १९३९ को दिया गया भाषण।

मुनासिब शिक्षा के अलावा और किससे हम शान्ति पा सकते हैं और कैसे इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं ?

इसलिए अपनी शुभाकांक्षा देने और आपकी मेहनत की तारीफ करने में आपके बीच आगया। मुझ जैसे अनाड़ी आदमी के लिए पंचीदा सवालो पर यहाँ चर्चा करना कहाँ मुनासिब होगा ? ये पंचीदा सवाल तो विशेषज्ञों के लिए हैं। लेकिन विशेषज्ञ के विशेष रूप से चीजों को देखने के तरीके में एक खतरा है। हो सकता है कि चीजों को देखने में उचित दृष्टिकोण उसका न रहे और सामूहिक रूप में वह जिन्दगी को देखना भूल जाए। इस खतरे के खिलाफ इन्तजाम करना होगा। खासतौर से इस वक्त में जबकि जिन्दगी की नांव को ही चुनौती दी जा रही है और वह अगड़े में पड़ी है। शिक्षा के पीछे आपका ध्येय और उद्देश्य क्या है ? जरूर ही आप बढ़ती पीढ़ी को जिन्दगी के लिए तैयार कर रहे हैं। आप जिन्दगी को किस माचे में ढालना चाहते हैं; क्योंकि अगर उम माचे की साफ तस्वीर आपके दिमाग में न होगी तो जो शिक्षा आप देंगे वह दिखावटी और दोषपूर्ण होगी। उद्देश्य भी उसमें कुछ न होगा और आपकी समस्याएँ और कठिनाइयाँ बढ़ती ही जायेंगी। आप जहाजी विद्या पर व्याख्यान देते रहेगे जबकि जहाज डूबता जायगा।

बहुत जमाने से शिक्षा का आदर्श आदमी की तरक्की करना रहा है। जरूरी तौर पर यही आदर्श रहना चाहिए, क्योंकि बिना आदमी की तरक्की के सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन आज आदमी की वह चिंता भी जनसाधारण को सामने रखकर करनी चाहिए, नहीं तो शिक्षित आदमी अशिक्षित जन-समूह में गर्क हो जायेंगे। और किसी भी हालत में क्या यह मुनासिब या ठीक है कि थोड़े से लोगों को तरक्की करने और बढ़ने का मौका मिले जबकि बहुत से लोग उसमें वंचित रहे ?

लेकिन इंसान के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण सवाल का हमें मुकाबिला करना है। क्या एक अकेला इन्सान दुर्लभ मौकों को छोड़कर दरअमल आगे बढ़ सकता है, अगर उसके चारों तरफ का वायुमण्डल हर

वक्त उसे नीचे खींचता हो ? अगर वह वायुमण्डल उसके लिए दूषित और नुकसानदेह है तो इन्सान का उससे लड़ना बेमूढ़ होगा और लाजिमी तौर पर वह उससे कुचल जायगा ।

यह वायुमण्डल क्या है ? उसमें वे पुइतैनी विचार, दुराग्रह और वहम शामिल हैं जो दिमाग पर बाँध लगा देते हैं और इस बदलती दुनिया में तरक्की और तब्दीली को रोकते हैं । ये राजनीतिक स्थितियाँ हैं जो अकेले इन्सान और इन्सानों के मजमूए को ऊपर से लादी गई गुलामी में रखती हैं और इस तरह उनकी आत्मा को भूखों मार डालती हैं और और उनकी भावना को कुचल देती हैं । सबसे अधिक, आर्थिक स्थितियों का दबाव है । वे जनता को मौक़ा देने से इन्कार करती हैं । हमारे चारों तरफ़ दुराग्रह और वहम की जटिलता और राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों का वायुमण्डल फैला है जिसके पंजे में हम फँसे हैं ।

आपकी शिक्षा-प्रणाली सारे नामवर गुण सिखा सकती है; लेकिन जिन्दगी और ही कुछ सिखाती है । और जिन्दगी की आवाज़ कहीं ऊँची और तेज़ है । सहकारी प्रयत्न के लाभ आप बता सकते हैं; लेकिन हमारे आर्थिक ढाँचे का आधार गला काटने वाली प्रतिस्पर्धा पर है और एक आदमी दूसरे को मार कर ऊपर उठना चाहता है । जो अपने प्रतिद्वन्दियों को पछाड़ने में और कुचल डालने में सफल होता है, उसीको चमकदार इनाम मिलता है । क्या इसमें कोई अचरज है कि हमारे युवक उस चमकीले इनाम की ओर खिंचे, और दावा करें कि लाभ के इच्छुक इस समाज में उस इनाम का पाना सबसे अधिक वांछनीय गुण है ।

इस देश में हम तो अहिंसा की प्रतिज्ञा से बंधे हैं । फिर भी हिंसा न सिर्फ़ लड़ते-झगड़ते राष्ट्रों के प्रत्यक्ष रूप में ही हमें घेरे हुए हैं, बल्कि उस सामाजिक ढाँचे के रूप में भी वह हमें घेरे हुए हैं जिसमें कि हम रहते हैं । इस हिंसा भरे वातावरण से सच्ची शान्ति या अहिंसा उस समय तक कभी भी हासिल नहीं हो सकती, जबतक कि हम उस वायुमण्डल को ही न बदल दें ।

उन आदर्शों के बावजूद भी जिन्हें कि हम स्वीकार कर सकते हैं.

हमारी शिक्षा-प्रणाली इर्सा वायुमण्डल की ही उपज और अंग है। इसी में यह पोषण पाती है और जान-बूझ कर या अनजाने इसीका वह ममर्षन करती है। लेकिन यह बात आज ससार में स्पष्ट है कि यही वायुमण्डल हमारी बहुत-सी मूर्खियों का कारण है और उसे जैमे-कानैमा छोड़ देना सीधे बरवादी की तरफ जाना है।

अमल में उस बरवादी को रोकने के लिए पहले ही में काफी देर हो गई है और यूरोप में जो लड़ाई चल रही है, वह शायद वर्तमान सम्यता की नींव ही टहा दे। इस बरवादी में हम बच नहीं सकते। यदि हममें बच भी गये तो हमारी निजी समस्याएँ हैं जो हमें उस समय तक मिटा देने की धमकी देती है जबतक कि हम ठीक निगाह में चीजें न देखें और काम न करे। ताजी घटनाओं पर गौर करने में पता चलता है कि इस देश में बुराई, फूट और ओछा पक्षपात किन्ना अधिक है। हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार प्रबल राजनीतिक और आर्थिक हित तन्त्रीली के खिलाफ अपनी नाराजी दिखाते हैं और लड़ते हैं।

कुछ और बड़ी समस्याएँ हैं जो इस परिपद के मामने नहीं आवेंगी। वे हमारी शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। जबतक इन समस्याओं का उचित हल जल्दी ही न निकटेगा तबतक शिक्षा-सम्बन्धी हमारे प्रयत्न सब यों ही जायेंगे। लेकिन तात्कालिक समस्याओं के अलावा कोई भी शिक्षा में दिलचस्पी रखने वाला इस महत्वपूर्ण प्रश्न को दरगुजर नहीं कर सकता कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा का ध्येय क्या हो। ममूची शिक्षा का दृष्टिबिन्दु निश्चिन्त रूप में सामाजिक हो और वह हमारे युवकों को उस प्रकार के समाज का शिक्षण दे जिममें कि हम रहना चाहते हैं। उस समाज का निर्माण करने के लिए राजनीतिज्ञ राजनीतिक और आर्थिक तन्त्रीलियों के लिए कौशिल्य कर सकते हैं, लेकिन उस समाज की असली बुनियाद तो हमारे स्कूलों और कालेजों में दी जाने वाली शिक्षा में रहनी चाहिए। तभी लोगों के मन में मन्चा परिवर्तन होगा; हालांकि वायुमण्डल के बाहरी परिवर्तनों में भी उसे बहुत ज्यादा मदद मिल सकेगी और मिलेगी। ये दोनों प्रक्रियाएँ



साथ-साथ चलती हैं और एक-दूसरे के लिए वे सहायक होनी चाहिए ।

हमारा आज का सामाजिक ढांचा ढह रहा है । उसमें विरोधी बातें भरी हैं और वह बराबर लड़ाई और संघर्ष की ओर हमें लिय जा रहा है । लाभ के इच्छुक और प्रतिस्पर्धा में फंसे इस समाज का अंत होना चाहिए और उसकी जगह एक ऐसी सहकारी व्यवस्था आनी चाहिए जिसमें हम अकेले इन्सान के फायदे की बात न सोच कर सब की भलाई की बात सोचें, जहाँ इंसान इंसान की मदद करे और राष्ट्र राष्ट्र मिल कर इंसानों की तरक्की के काम करें; जहाँ पर मानवीय गुणों का मूल्य हो और जमात या समूह या राष्ट्र का एक के द्वारा दूसरे का शोषण न हो ।

यदि हमारे आगे आने वाले समाज का यही मान्य आदर्श है तो हमारी शिक्षा भी उसी आदर्श को सामने रखकर ढाली जानी चाहिए और कोई भी बात ऐसी नहीं आनी चाहिए जो सामाजिक व्यवस्था के इस ध्येय के विरुद्ध हो । उस शिक्षा के लिए हमेशा अपने करोड़ों लोगों की परिभाषा में सोचना होगा और किसी दल या जमात के लिए उसके हितों की आहुति नहीं देनी होगी । अध्यापक तब वह नहीं होगा जो कि अपने उस पेशे की लकीर का फकीर है जिससे उसे जीविका मिलती है; बल्कि वह आदमी होगा जो अपने पेशे को उस पवित्र ध्येय के एक मिशनरी की उत्साहपूर्ण भावना से पसन्द करेगा जो कि उसकी रग-रग में भरा है ।

हाल ही में हिन्दुस्तान में शिक्षा की प्रगति की ओर बहुत ध्यान दिया गया है और लोगों के मन में उसके लिए उत्साह और उत्सुकता है । आज की इस दुनिया में जिसमें उम्मीद बहुत कम है, यह बड़ी आशा की चीज है । इसमें शुबह नहीं कि आप बुनियादी शिक्षा की नई योजना पर भी विचार करेंगे । जितना मैंने इस बुनियादी शिक्षा पर सोचा है उतना ही मैं उसकी तरफ़ खिंचा हूँ । इसमें शक नहीं कि आगे तजुरवे होंगे, उनसे परिवर्तन होंगे । लेकिन मुझे इसमें सन्देह नहीं कि इस योजना के द्वारा हमने एक ऐसा मार्ग पा लिया है, जिससे यदि शिक्षा जीवन से सामंजस्य

रखती है और जीवन के लिए आदमी को तैयार करती है, तो उनमें ठीक लाइनो पर जनता शिक्षित हो सकती है। खासतौर से यह शिक्षा हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश के लिए बहुत उपयुक्त है।

मैं हिन्दुस्तान भर में घूमा हूँ। लाखों अभागों और दुखी लोगों को मैंने देखा है; आँखें जिनकी बूझ गई हैं और निगाह में बेवमी भरी है। हिन्दुस्तान के इस दुर्भाग्य से मुझे चोट लगी है। फिर भी मैंने हमेशा महसूस किया है कि हमारे लोगों में आश्चर्यजनक शक्ति है और विश्वास किया है कि अपनी इस दुखी हालत से वे ऊपर उठेंगे। उनके खुश चेहरे फिर चमकेंगे और उनकी आँखों में फिर आशा भरेगी। हरेक इन्सान का यह जन्मजात अधिकार है। उन्हें भूख लगती है, पर खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। काम वे चाहते हैं, लेकिन काम उन्हें नहीं मिलता। जाड़े से उनकी देह थर-थर कापती है, उनके घर मिट्टी के झोपड़े हैं। वे बराबर गिरते रहते हैं और कभी कोई आशाजनक अवसर उनके सामने भी नहीं फटकता।

यह सब दुर्भाग्य है और इसका इलाज होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि जब लोगों में कोई आशा नहीं है, न साहस के कार्य करने की भावना और अभिमान बचा है तो उनकी स्फूर्ति ही खत्म हो जायगी। हिन्दुस्तान को नया जन्म देने से पहले यही चीज है जिसका हमें खात्मा करना है।

बुद्धिवादी और ऊँचे दिमाग के आदमियों को एक दूर दुखी दुनिया के मामलों पर शांत भाव से विचार करना अच्छा लगता है। असलियतों से दूर, वे सीमित घेरो में अपने को सुरक्षित और सतुष्ट महसूस करते हैं। लेकिन असलियत तो अब हमारे सामने है और दुखी दुनिया हमसे दूर नहीं है; बल्कि वह हमें घेर लेने और दुखी करने की धमकी देती है। जो इस कट्टे वास्तविकता से डर गये हैं और उससे बचने के लिए पनाह ढूँढते हैं, वे किरमत् के खिलाफ बेबसी से और बुरी तरह से लड़ते हैं और छिपी शक्तियों से नियंत्रित वे कठपुतली की तरह काम करते हैं। हममें से किसी को भी इस कमजोर और बेकार तरीके से ऐसे वक़्त में

काम नहीं करना चाहिए जब कि हरेक चीज के लिए जो कि जीवन के लिए योग्य है, स्पष्ट विचार और बहादुरी के कामों की जरूरत है। दुनिया खुशगवार नहीं है, इस बात को हम महसूस करें और तब आदमियों की तरह उसे बदलने की कोशिश करें और अपने सबके रहने के योग्य उसे अच्छी और ठीक बनावें।

## अखबारों की आज़ादी?

मे अखबारों की आज़ादी का बहुत ही ज्यादा कायल हूँ। मेरे खयाल में अखबारों को अपनी राय जाहिर करने और नीति की आलोचना करने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि अखबार या इन्सान ट्रेप भरे हमले किसी दूसरे पर करे या गंदी तरह की अखबार-नवीसी में पड़े, जैसे कि हमारे आजकल के कुछ साम्प्रदायिक पत्रों की विशेषता है। लेकिन मेरा पक्का यकीन है कि सार्वजनिक जीवन का निर्माण आज़ाद अखबारों की नींव पर होना चाहिए।

×

×

×

मराहूर राष्ट्रवादी अखबार जिन्होंने अपनी म्यति बनाली है, वे बड़ी हद तक खुद अपना खयाल रख सकते हैं। उनपर और कोई मुसीबत आती है तो जनता का ध्यान उनकी तरफ जाता है। मदद भी उन्हें मिलती है। पर जो छोटे और ऐसे अखबार हैं जिनका नाम थोडा ही है, उनमें सरकार अकसर दखल करती है, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि उनकी नहीं है। फिर भी हमारे छोटे-मे-छोटे और कमज़ार-मे-कमज़ार अखबारों को सरकारी दबाव का शिकार होने देना सुतरे की बात है। क्योंकि ज्यों-ज्यों दबाव पड़ता है त्यों-त्यों दबाव डालने की आदत बढ़ती जाती है और उससे धीरे-धीरे जनता का मन सरकार द्वारा अपने अधिकारों

१. बंगाल की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति के 'युगान्तर' पत्र के बहिष्कार का प्रस्ताव पास करने तथा बंगाल सरकार द्वारा कई पत्रों से जमानत मांगने और संपादन में दखल देने पर 'अमृतवाजार पत्रिका' के सम्पादक श्री तुषारकान्ति घोष को लिखा गया एक पत्र।

का दुरुपयोग किये जाने का आदी हो जाता है। इसलिए पत्रकारों की एसोसियेशन तथा सब अखबारों के लिए यह जरूरी है कि कम मशहूर अखबारों तक के मामलों को यों ही न जाने दें। अगर वे प्रेस की आजादी बनाए रखने के खाहिशमन्द हैं तो उन्हें सजग रहकर इस आजादी की रक्षा करनी चाहिए और हर प्रकार के अतिक्रमण को, फिर वह कहीं से भी हो, रोकना चाहिए। यह राजनीतिक विचारों या मतों का ही मामला नहीं है। जिस घड़ी हम उस अखबार पर हमला होने में अपनी रजामन्दी दे देते हैं, जिससे हमारा मत-भेद है, तभी उसूलन हम अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और जब हमारे ऊपर हमला होता है तो उसका मुक्काविला करने की शक्ति हममें बाक़ी नहीं रहती।

प्रेस की आजादी इसमें नहीं है कि जो चीज हम चाहें, वही छप जाय। एक अत्याचारी भी इस तरह की आजादी को मंजूर करता है। प्रेस की आजादी इसमें है कि हम उन चीजों को भी छपने दें, जिन्हें हम पसन्द नहीं करते; हमारी अपनी भी जो आलोचनायें हुई हैं उन्हें भी हम वर्दाश्त कर लें और जनता को अपने उन विचारों को भी जाहिर कर लेने दें जो हमारे पक्ष के लिए नुक़सानदेह ही क्यों न हों। क्योंकि बड़े लाभ या अन्तिम ध्येय की क़ीमत पर क्षणिक लाभ पाने की कोशिश करना हमेशा एक ख़तरे की बात है। अगर हम ग़लत माप कायम करते हैं और ग़लत तरीक़े अख़्तियार करते हैं, चाहे इस यकीन से भी कि हम एक ठीक पक्ष को समर्थन दे रहे हैं, तो भी उन मापों और तरीक़ों का प्रभाव उस ठीक पक्ष पर भी पड़ेगा और उसमें दुराग्रह भर आयेगा। जो ध्येय हमारे सामने है, वह कुछ अंश में उन्हीं मापों और साधनों द्वारा नियंत्रित होगा और शायद उसका अन्तिम परिणाम भी सर्वथा भिन्न हो, जिसकी कि हमने कल्पना भी न की थी।

अगर हमारा ध्येय जनतंत्र और आजादी है तो उसे हमें हमेशा अपने काम और कार्रवाइयों में सामने रखना चाहिए। अगर हमारा काम जनतंत्र और आजादी-विरोधी तरीक़े पर है तो निश्चित ही उसका फल जनतंत्र और आजादी नहीं होगा; बल्कि और ही कुछ होगा।

यह सच है कि ऊँचे-ऊँचे ऐसे सिद्धान्त बनाना आसान है जो कि तर्क-सगत हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। पर उन्हें व्यवहार में लाना ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जिन्दगी अधिक तर्क-सगत नहीं है और आदमी के व्यवहार का माप भी उतना ऊँचा नहीं होता जितना कि हम चाहते हैं। हम एक ऐसे जगल में रहते हैं जहाँ लुटेरे लोग और राष्ट्र अक्सर मनमाने ढंग में इधर-उधर चक्कर लगाते हैं और समाज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। युद्ध या राष्ट्र की आजादी के लिए हलचल, या वर्गों के बीच कसमकस और ऐसे सकट पैदा होते रहते हैं जिनसे घटनाओं की स्वाभाविक गति-विधि बदल जाती है। उस वक्त अपने बनाये ऊँचे सिद्धान्तों पर जो कि आदमियों के व्यवहार का एक माप नियत करते हैं पूरी तरह से कायम रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे सकट के समय में आदमी या जमात की साधारण स्वतंत्रता पर कुछ हदतक फिर से विचार करना जरूरी हो जाता है। ऐसा जरूरी होते हुए भी, हमारा फिर से विचार करना एक खतरे की बात है और उसके नतीजे भी बुरे निकल सकते हैं, अगर हम पूरी तरह से सजग रह कर न चले। ऐसा न करेंगे तो हम उसी बुराई के शिकार होजायेंगे जिसके खिलाफ कि हम लड़ते हैं।

जब हम जनतंत्र, आजादी और नागरिक अधिकार की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इनमें जिम्मेदारी और अनुशासन भी मौजूद रहता है। बिना व्यक्ति और जमात के अनुशासन पालन किये और जिम्मेदारी महसूस किये सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। गुलामी की हालत और स्वतंत्रता से आजादी की स्थिति में आजाने पर मनमाने तौर पर काम करने की प्रवृत्ति होना शायद लाजिमी है। यह अफसोस की बात है। लेकिन उसे समझना मुश्किल नहीं है; क्योंकि लंबे अर्से से चल आने वाले दबाव की यह प्रतिक्रिया है। कुछ हदतक इसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए; क्योंकि उमे दवाने का मतलब तो उस भावना पर जोर देना है जिससे कि यह पैदा हुई है। फिर भी, हम सबको अपनी आजादी को नीचे गिराकर मनमानेपन, गैर जिम्मेदारी और अनुशासनहीनता

में परिणत होने से रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हिन्दुस्तान सहनशीलता का शानदार नमूना है। चीन को छोड़ कर दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नमूना नहीं है। उस वक्त जबकि यूरोप और दूसरे मुल्क खून में नहा रहे थे, धर्म की लड़ाइयों में फँसे थे और एक दूसरे के मत या विचारों को दबाने में लगे थे उस वक्त हिन्दुस्तान और चीन ने दूसरे मुल्कों के धर्मों के लिए अपने द्वार खोल रखे थे। संस्कृति के सुनहले युग का उन्हें विश्वास था। सहिष्णुता और संस्कृति की महान् पृष्ठभूमि हमारे लिए एक कीमती विरासत है।

आज हममें उन दूसरे मसलों के बारे में उत्साह है जिनका हमसे महत्वपूर्ण संबंध है। यह ठीक ही है कि इन मसलों के बारे में हम गहराई के साथ सोचें, क्योंकि उन्हींके परिणामों पर हमारे मुल्क और दुनिया का भविष्य निर्भर करता है। यह ठीक है कि हम उस पक्ष के आगे बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा दें, जो हमें प्रिय है। लेकिन यह ठीक नहीं है कि हम उन सिद्धान्तों को ही छोड़ दें या ढीला कर दें जोकि पुराने जमाने में हिन्दुस्तान की सभ्यता का गौरव और कुछ भिन्न अर्थ में, जनतंत्रीय आजादी की नींव रहे हैं। सबसे अधिक हमें आजादी और नागरिक अधिकारों के साथ अनुशासन और जिम्मेदारी को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए।

## हमारी मौजूदा समस्यायें?

हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत और भविष्य की सम्भावित गति-विधि पर एक पत्र में नोट के रूप में कुछ लिखना बामान काम नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं इस विषय पर मैं बराबर लिखना और बोलना रहा हूँ। मैं श्री एल्महस्ट्रेट में इस विषय में सहमत हूँ कि जहाँ तक राजाओं का संबंध है अगर ब्रिटिश सरकार उनमें अपनी रियासतों में जनतंत्र सरकार कायम करने के लिए कहे तो वैसा करने के अलावा उनके सामने और कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। हालात यह हैं कि आज राजा लोग, कुछ को छोड़कर, वह भी बड़ी हद तक नहीं, ऐसे हैं कि बिना ब्रिटिश सरकार के सक्रिय सहयोग के, कोई काम नहीं कर सकते। इन बरमों में सरकार की राजाओं के बारे में शोचनीय नीति रही है। सरकार ने रियासतों के हर तरह के प्रतिगामी कामों और दमन का समर्थन किया है। इससे साफ है कि रियासतों के सम्बन्ध में भी हमारी लड़ाई अनन्तः ब्रिटिश सरकार में है।

बहरहाल, इस वक्त हमारे सामने एक बड़ा मसला है। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार में लड़ाई के उद्देश्यों को ही साफ तौर में बनाने के लिए नहीं कहा है, बल्कि हिन्दुस्तान की आजादी और राष्ट्रीय पंचायत के जरिये अपना विधान बनाने का हिन्दुस्तान का अधिकार स्वीकार करने के लिए भी कहा है। जबतक यह बात साफ तौर में तय नहीं हो जाती तबतक और चीजों का कोई महत्व नहीं है और

१. हिन्दुस्तान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर पी. ई. पी. (लंदन) के अध्यक्ष मि० एल० के० एल्महस्ट्रेट के लिए शान्तिनिकेतन के डा० सुधीर सेन को भेजा गया पत्र।



न उनका सवाल ही उठता है। हिन्दुस्तान की आजादी का मतलब ज़रूरी तौर से ब्रिटेन से एकदम सम्बन्ध तोड़ लेना नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब ज़रूर है कि हिन्दुस्तान की पृथक सत्ता और अपने भाग्य के निर्णय के अधिकार को पूरी तरह से स्वीकार किया जाय। ब्रिटेन के साथ भविष्य में हमारे क्या सम्बन्ध रहेंगे, यह तय करना राष्ट्रीय पंचायत का काम होगा। अगर ब्रिटेन अब साम्राज्यवादी नहीं रहा है तो कोई सवव नहीं कि हम उनके साथ अधिक-से-अधिक सहयोग न करें। लेकिन शुरू से ही हम पर कोई सम्बन्ध लादने का मतलब है कि निर्णय हमारे हाथ में नहीं है और इसलिए वह स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जहाँतक अल्पसंख्यकों का सवाल है हम उन्हें दोनों तरह से ज्यादा से ज्यादा गारंटी देने के लिए तैयार हैं : विधान के आपस में मिलकर तय किये हुए ऐसे मौलिक कानूनों के रूप में ही नहीं जिनसे कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिले और धर्म, संस्कृति एवं भाषा आदि के नागरिक अधिकार भी प्राप्त हों, बल्कि खुद विधान को बनाने में भी। हमने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई अल्पसंख्यक समाज जुदा निर्वाचन पद्धति के जरिये अपने प्रतिनिधि चुनना चाहता है तो हम उसे मान लेंगे। इसके अलावा सिर्फ अल्पसंख्यकों के अधिकारों से ही सम्बन्ध रखनेवाले मामलों में निर्णय उनकी रज़ामन्दी से होगा, सिर्फ बहुमत के वोटों से नहीं। अगर किसी वारे में समझौता न हो सका तो मामला राष्ट्र-संघ, या हेग-कोर्ट या वैसे ही किसी संस्था की निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर छोड़ दिया जायगा। इस प्रकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हर तरह का संभावित संरक्षण दे दिया गया है। यह याद रखना चाहिए कि जहाँतक मुसलमानों का सम्बन्ध है, उन्हें अल्पसंख्यक कहना इस शब्द का गलत इस्तेमाल करना है। सचार्ई तो यह है कि हिन्दुस्तान के पाँच सूबों में उनका बहुमत है। और उन सूबों में उनके संरक्षण का सवाल ही नहीं है जिनमें उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा प्रान्तीय स्वायत्त शासन प्राप्त होगा। हिन्दुस्तान की आवादी इस तरह बंटो हुई है कि संतुलन करनेवाली बहुत-सी बातें हैं और यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है



वह व्यापक अधिक होगा। यह आपत्ति अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा दूर की जा सकती है। उस हालत में प्राइमरी मतदाता निर्वाचक मंडल का चुनाव करेंगे और फिर राष्ट्रीय पंचायत के सदस्यों को चुनेंगे।

इस मसले को गड़बड़ी में न डालने के लिए यह जरूरी है कि रियासतों का सवाल इस अवस्था में हाथ में न लिया जाय। यह नियम बना दिया जाय कि राष्ट्रीय पंचायत में कोई भी रियासत हिस्सा ले सकती है बशर्ते कि वह उस जनतन्त्र के आधार पर हिस्सा ले जिसपर कि वाक़ी हिन्दुस्तान ने लिया है। इस मामले में दवाव डालने की जरूरत नहीं है। घटनाओं का दवाव ही काफ़ी होगा। रियासतों की जनता का भी दवाव होगा। बहुत मुमकिन है कि अधिकांश रियासतें ब्रिटिश हिन्दुस्तान के साथ ही जायें और राष्ट्रीय पंचायत में शरीक हों। यह भी मुमकिन है कि एक दर्जन या उतनी ही बड़ी रियासतें कुछ असें तक अलग रहें। उनकी समस्याओं पर वाद में विचार किया जा सकता है। अगर हम बहुत आगे बढ़ेंगे तो इन बड़ी रियासतों के साथ समझौता करने में कोई बड़ी कठिनाई होने की संभावना नहीं है। बेशक यह सब ब्रिटिश सरकार के इस नीति में पूरी तरह से सहयोग देने पर निर्भर करता है। अगर कोई संघर्ष होता है तो यह कहना मुश्किल है कि नतीजा क्या होगा। यह तो है कि लड़ाई बड़े पैमाने पर होगी और कुछ असें तक हिन्दुस्तान में फूट और अव्यवस्था फैल जायगी।

एक बात और है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। लड़ाई के बढ़ने से हमने यह बात ज्यादा-से-ज्यादा महसूस की है कि वह साम्राज्यवादी देशों के लिए लड़ी जा रही है। साम्राज्यवादों के बीच संघर्ष है और जबतक यह बात साफ़ नहीं हो जाती कि लड़ाई किस बेहतर बात के लिए लड़ी जा रही है तब तक हिन्दुस्तान के लिए यह सम्भव नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बचाने के लिए उसमें शरीक हो।

शायद यह खत भी, अगर आप इसे एल्महर्स्ट को भेज दें, मेरे विचारों को कुछ जाहिर करेगा। मैंने फ़ेडरल-केन्द्र के संक्रमण-काल पर विचार नहीं किया है। बेशक यह महत्वपूर्ण बात है कि संक्रमण-काल में भी यह जनता के पथ-प्रदर्शन में चलेगा।

मस्ता साहित्य मण्डल : सर्वोद्य साहित्य माला  
के प्रकाशन

[ नोट—X चिह्नित पुस्तकें अप्राप्य हं ]

पुस्तक	लेखक	
१. दिव्य-जीवन	स्वेट माडॉन	१२७
२. जीवन-साहित्य	काका कालेलकर	१७७
३. तामिल वेद	श्रीपि तिरुवल्लुवर	११७
४. भारत में व्यसन और व्यभिचार : र्बजनाय महोदय		११२७
५. सामाजिक कुरीतियाँ X		११७
६. भारत के स्त्री-रत्न [ तीन भाग ] शिवप्रसाद पण्डित		३७
७. अनोखा X		११२७
८. ब्रह्मचर्य-विज्ञान	जगन्नारायण देव शर्मा	११२७
९. यूरोप का इतिहास	रामकिशोर शर्मा	२७
१०. समाज-विज्ञान	चन्द्रराज भण्डारी	११७
११. खट्टर का संपत्ति-शास्त्र X		११६७
१२. गोरों का प्रभुत्व X		११२७
१३. चीन की आयात X		१७
१४. दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह	महात्मा गांधी	१७
१५. विजयी बारडोली X		२७
१६. अनीति की राह पर	महात्मा गांधी	११२७
१७. सीता की अग्नि-परीक्षा	कालीप्रसन्न घोष	१७
१८. कन्या-शिक्षा	स्व० चन्द्रशेखर शास्त्री	७
१९. कर्मयोग	श्री अश्विनीकुमार दत्त	१२७
२०. कलवार की करतूत	महात्मा टाल्स्टाय	२७
२१. व्यावहारिक मम्यता	गणेशदत्त शर्मा 'इन्द्र'	१७
२२. अंधेरे में उजाला	महात्मा टाल्स्टाय	१७

वह व्यापक अधिक होगा। यह आपत्ति अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा दूर की जा सकती है। उस हालत में प्राइमरी मतदाता निर्वाचक मंडल का चुनाव करेंगे और फिर राष्ट्रीय पंचायत के सदस्यों को चुनेंगे।

इस मामले को गड़बड़ी में न डालने के लिए यह जरूरी है कि रियासतों का सवाल इस अवस्था में हाथ में न लिया जाय। यह नियम बना दिया जाय कि राष्ट्रीय पंचायत में कोई भी रियासत हिस्सा ले सकती है वशतें कि वह उस जनतन्त्र के आधार पर हिस्सा ले जिसपर कि वाक़ी हिन्दुस्तान ने लिया है। इस मामले में दवाव डालने की जरूरत नहीं है। घटनाओं का दवाव ही काफ़ी होगा। रियासतों की जनता का भी दवाव होगा। बहुत मुमकिन है कि अधिकांश रियासतें ब्रिटिश हिन्दुस्तान के साथ हो जायें और राष्ट्रीय पंचायत में शरीक हों। यह भी मुमकिन है कि एक दर्जन या उतनी ही बड़ी रियासतें कुछ असें तक अलग रहें। उनकी समस्याओं पर वाद में विचार किया जा सकता है। अगर हम बहुत आगे बढ़ेंगे तो इन बड़ी रियासतों के साथ समझौता करने में कोई बड़ी कठिनाई होने की संभावना नहीं है। वेशक यह सब ब्रिटिश सरकार के इस नीति में पूरी तरह से सहयोग देने पर निर्भर करता है। अगर कोई संघर्ष होता है तो यह कहना मुश्किल है कि नतीजा क्या होगा। यह तो है कि लड़ाई बड़े पैमाने पर होगी और कुछ असें तक हिन्दुस्तान में फूट और अव्यवस्था फैल जायगी।

एक बात और है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। लड़ाई के बढ़ने से हमने यह बात ज्यादा-से-ज्यादा महसूस की है कि वह साम्राज्यवादी देशों के लिए लड़ी जा रही है। साम्राज्यवादों के बीच संघर्ष है और जबतक यह बात साफ़ नहीं हो जाती कि लड़ाई किस बेहतर बात के लिए लड़ी जा रही है तब तक हिन्दुस्तान के लिए यह सम्भव नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बचाने के लिए उसमें शरीक हो।

शायद यह खत भी, अगर आप इसे एल्महर्स्ट को भेज दें, मेरे विचारों को कुछ जाहिर करेगा। मैंने फ़ेडरल-केन्द्र के संक्रमण-काल पर विचार नहीं किया है। वेशक यह महत्वपूर्ण बात है कि संक्रमण-काल में भी यह जनता के पथ-प्रदर्शन में चलेगा।

# मस्ता साहित्य मण्डल : सर्वोदय साहित्य माला के प्रकाशन

[ नोट—X चिन्हित पुस्तकें अप्राप्य हैं ]

पुस्तक	लेखक	
१. दिव्य-जीवन	स्वेट माडॅन	१८
२. जीवन-साहित्य	काका कालेलकर	१७
३. तामिल वेद	श्रुवि तिरुवल्लुवर	१७
४. भारत में ध्यसन और ध्यभिचार : धैजनाय महोदय		११८
५. सामाजिक कुरीतियाँX		१७
६. भारत के स्त्री-रत्न [ तीन भाग ] शिवप्रसाद पण्डित		३
७. अनोखाX		१८
८. ब्रह्मचर्य-विज्ञान	जगन्नारायण देव शर्मा	११८
९. यूरोप का इतिहास	रामकिशोर शर्मा	२
१०. समाज-विज्ञान	चन्द्रराज भण्डारी	१७
११. खट्टर का संपत्ति-शास्त्रX		११३
१२. गोरों का प्रभुत्वX		११८
१३. चीन की आवाजX		१८
१४. दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह	महात्मा गांधी	१७
१५. विजयी चारडोलोीX		२
१६. अनीति की राह पर	महात्मा गांधी	१८
१७. सीता की अग्नि-परीक्षा	कालीप्रसन्न घोष	१८
१८. कन्या-शिक्षा	स्व० चन्द्रशेखर शास्त्री	७
१९. कर्मयोग	श्री अश्विनीकुमार दत्त	१८
२०. कलघार की करतूत	महात्मा टाल्स्टाय	८
२१. व्यावहारिक सभ्यता	गणेशदत्त शर्मा 'इन्द्र'	७
२२. अंधेरे में उजाला	महात्मा टाल्स्टाय	७

२३. स्वामीजी का बलिदानX		१७
२४. हमारे जमाने की गुलामीX		१७
२५. स्त्री और पुरुष	महात्मा टाल्स्टाय	१७
२६. सफ़ाई	गणेशदत्त शर्मा	१७
२७. क्या करें ?	महात्मा टाल्स्टाय	१७
२८. हाथ की कताई-बुनाईX		१७
२९. आत्मोपदेशX	एपिक्टेटस	१७
३०. यथार्थ आदर्श जीवनX		१७
३१. जब अंग्रेज़ नहीं आये थेX	(देखो नवजीवनमाला)	३७
३२. गंगा गोविन्दसिंहX		१७
३३. श्री रामचरित्र	चिन्तामणि विनायक वैद्य	१७
३४. आश्रम-हरिणी	वामन मल्हार जोशी	१७
३५. हिन्दी मराठी कोषX		२७
३६. स्वाधीनता के सिद्धान्तX		१७
३७. महान् मातृत्व की ओर	नाथूराम शुक्ल	१७
३८. शिवाजी की योग्यता	गो० दा० तामसकर	१७
३९. तरंगित हृदय	आचार्य अभयदेव	१७
४०. हालैण्ड की राज्यक्रांतिX [ नरमेघ ]		१७
४१. दुखी दुनिया	राजगोपालाचार्य	१७
४२. जिन्दा लाशX	महात्मा टाल्स्टाय	१७
४३. आत्मकथा (नवीन सस्ता संस्करण) महात्मा गाँधी		१७
,, (संक्षिप्त संस्करण : कोर्स के लिए)		१७
४४. जब अंग्रेज़ आयेX		१७
४५. जीवन-विकास	सदाशिव नारायण दातार	१७
४६. किसानों का विगूलX		३७
४७. फांसी	विक्टर ह्यूगो	१७
४८. अनासक्तियोग और गीताबोधX (देखो नवजीवन माला)		१७
४९. स्वर्ण-विहानX		३७

५०. मराठों का उत्थान और पतन	गोपाल रामोदर तामसकर	२॥॥
५१. भाई के पत्र	रामनाथ 'सुमन'	१॥
५२. स्वगत×	हरिभाऊ उपाध्याय	१२॥
५३. युगधर्म×		१२॥
५४. स्त्री-समस्या	मुकुटबिहारी वर्मा	१॥॥
५५. विदेशी कपडे का मुकाबिला×		१२॥
५६. चित्रपट	शान्तिप्रसाद वर्मा	१२॥
५७. राष्ट्रवाणी×		१२॥
५८. इंग्लैण्ड में महात्माजी	महादेव देसाई	१॥॥
५९. रोटी का सवाल	प्रिंस क्रोपाटकिन	१॥॥
६०. देवी संपद्	रामगोपाल मोहता	१२॥
६१. जीवन सूत्र	थॉमस कैम्पिस	१॥॥
६२. हमारा कलंक	महात्मा गांधी	१२॥
६३. बूढ़बूढ़	हरिभाऊ उपाध्याय	१॥
६४. संपर्क या सहयोग ?	प्रिंस क्रोपाटकिन	१॥॥
६५. गांधी विचार दोहन	किशोरलाल मशरूवाला	१॥॥
६६. एशिया की क्रान्ति×		१॥॥
६७. हमारे राष्ट्रनिर्माता	रामनाथ 'सुमन'	१॥॥
६८. स्वतंत्रता की ओर×	हरिभाऊ उपाध्याय	१॥॥
६९. आगे बढ़ो	स्वेट् माडॉन	१॥
७०. बुद्धवाणी	वियोगी हरि	१२॥
७१. कांग्रेस का इतिहास	डॉ० पट्टाभि सोतारामैया	२॥॥
७२. हमारे राष्ट्रपति	सत्यदेव विद्यालकार	१॥
७३. मेरी कहानी	जवाहरलाल नेहरू	२॥॥ १॥
७४. विश्व-इतिहास की झलक	" "	८॥ २॥
७५. हमारी पुत्रियाँ कौसी हों ?	चतुरसेन शास्त्री	१॥
७६. नया शासन विधान (प्रान्तीय स्वराज्य) हरिश्चन्द्र गोयल		१॥॥
७७. (१) हमारे गाँवों की कहानी	स्व० रामदास गौड़	१॥



७८. (२) महाभारत के पात्र-१-२	आचार्य नानाभाई	११
७९. गाँवों का सुधार और संगठन	स्व० रामदास गौड़	११
८०. (३) संतवाणी	वियोगी हरि	११
८१. विनाश या इलाज ?	म्यूरियल लेस्टर	११
८२. (४) अंग्रेजी राज में हमारी दशा	डॉ० अहमद	११
८३. (५) लोक-जीवन	काका कालेलकर	११
८४. गीता-मंथन	किशोरलाल मशरूवाला	११
८५. (६) राजनीति प्रवेशिका	हेरल्ड लास्की	११
८६. (७) हमारे अधिकार और कर्तव्य	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार	११
८७. गांधीवाद : समाजवाद	संपादक : काका कालेलकर	११
८८. स्वदेशी ग्रामोद्योग	महात्मा गांधी	११
८९. (८) सुगम चिकित्सा	चतुरसेन शास्त्री	११
९०. प्रेम में भगवान्	टॉल्स्टॉय	११
९१. महात्मा गांधी	रामनाथ 'सुमन'	१२
९२. हमारे गाँव और किसान	मुख्तयारसिंह	११
९३. ब्रह्मचर्य	महात्मा गांधी	११
९४. महात्मा गांधी : अभिनन्दन ग्रन्थ	सम्पादक : स० रा०	२
९५. हिन्दुस्तान की समस्यायें	ज० नेहरू	१
९६. जीवन-सन्देश	खलील जिब्रान	११
९७. समन्वय	डॉ० भगवानदास	२

### ‘नवजीवनमाला’ की पुस्तकें

१. गीताबोध—महात्मा गांधी-कृत गीता का सरल तात्पर्य १॥
२. मंगल प्रभात—महात्मा गांधी के जेल से लिखे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों पर प्रवचन । १
३. अनासक्तियोग—महात्मा गांधी कृत गीता की टीका—  
१, श्लोक सहित ३, १
४. सर्वोदय—रस्कन के 'Unto This Last' का गांधीजी द्वारा किया गया रूपान्तर । १

५. नवयुवकों से दो याने—प्रिंस फ्रोपाटकिन के 'A word to Youngmen' का अनुवाद । १

६. हिन्दु-स्वराज—महात्माजी की भारत की मौजूदा समस्या पर लिखी प्राचीन पुस्तक जो आज भी ताज़ी है । ३

७. छूतछात की माया—खानपान-सम्बन्धी नियमों तथा व्यवहार के बारे में श्री आनन्द कौसल्यायन की लिखी दिलचस्प पुस्तक । १

८. किसानों का सवाल—डॉ० जेड० ए० अहमद की इस छोटी-सी पुस्तिका में भारत के ग्रामीण प्रतिनिधियों—किमानों—के सवाल पर बड़ी सुन्दरता से विचार किया गया है । ३

९. ग्राम-सेवा—ग्राम-सेवा किस प्रकार हो—इसपर गांधीजी ने उसमें विशद प्रकाश डाला है । ३

१०. खादी और गांधी की लड़ाई—आचार्य दिनोवा के खादी और समाज-सेवा सम्बन्धी लेख और व्याख्यानों का संग्रह । ३

११. मधुमक्खी-पालन—श्री चित्रे ने इसमें प्रकाश डाला है और बताया है कि हम किस प्रकार इस ग्रामोद्योग के द्वारा बेकारों को काम दे सकते हैं । ३

१२. गांवों का आर्थिक सवाल—गावों के आर्थिक प्रश्न तथा उनको हल करने की योजनाओं का इस पुस्तक में ग्राम-सेवक विद्यालय के अध्यापक श्री शंकरभाई पटेल ने संग्रह किया है । ३

१३. राष्ट्रीय गायन—देशभक्ति-पूर्ण राष्ट्रीय गायनों और कविताओं का अपूर्व संग्रह । ३

१४. खादी का महत्त्व—श्री गुलजारीलाल नन्दा द्वारा लिखा खादी-विषयक प्रामाणिक और खादी की महत्ता और उपयोगिता बताने वाला निबन्ध । ३

१५. जय अंग्रेज़ नहीं आये थे । अंग्रेज़ों के आने के पहले की भारत की दशा का वर्णन । ३



